लोक सभा वाद - विवाद का
हिन्दी संस्करण

खण्ड 3

अंक 29-30

21-22 अगस्त

1991

पी.एल.

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 21 अगस्त, 1991 / 30 श्रावण, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
49	नीचे से पंक्ति 7	"मंत्री" के स्थान पर "राज्यमंत्री" पढ़िये।
55	13	"मोन्डटया" के स्थान पर "मोन्डयया" पढ़िये।
87	15	"(क)" और "(ल)" के स्थान पर "(क)" और "(ख)" पढ़िये।
89	13	"प्रो पी.के.कुरियन" के स्थान पर "प्रो. पी.जे. कुरियन" पढ़िये।
115	नीचे से पंक्ति 9	"श्री पी.पी.थामस" के स्थान पर "श्री पी.सी. थामस" पढ़िये।
119	4	"(ख)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
159	18	"श्री.वी.के.तंगाबालू" के स्थान पर "श्री के.वी. तंगाबालू" पढ़िये।
161	नीचे से पंक्ति 13	"प्रो.पी.के.कुरियन" के स्थान पर "श्री पी.जे. कुरियन" पढ़िये।
193	12	प्रश्न संख्या "38 6" के स्थान पर "3816" पढ़िये।
255	12	"श्री पी.एस.सईद" के स्थान पर "श्री पी.एम. सईद" पढ़िये।

दशम माला, खंड 3, अंक 29

बुधवार, 21 अगस्त, 1991
30 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

JAMIA MILLIA LIBRARY
No. 3
Date 2-6-92

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 29, बुधवार, 21 अगस्त, 1991/30 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—35
***तारांकित प्रश्न संख्या** : 489, 491, 493, 497, 498 और 500	
प्रश्नों के लिए उत्तर :	35—200
तारांकित प्रश्न संख्या : 487, 488, 490, 492, 494 से 496, 499 और 501 से 507	35—53
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3651 से 3723, 3725 से 3789, 3791 से 3802 और 3804 से 3817	53—194
सभा पटल पर रखे गए पत्र	200—202
समिति के लिए निर्वाचन	203
कॅयर बोर्ड	
नियम 377 के अधीन मामले	204—208
(एक) राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए गेहूं आदि के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरू लाल मीणा	204
(दो) उड़ीसा में तलचेर का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	204

*किसी सदस्य के नाम के अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) दांव लगाने/घुड़दौड़ों पर आयकर से छूट वापस लेने के लिए प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री गोपीनाथ गजपति	205
(चार) "हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985" को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अन्ना जोशी	205
(पांच) बुन्देलखण्ड अंचल, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिले सम्मिलित हैं, का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री	206
(छः) बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री विजय कुमार यादव	207
(सात) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त किए जाने की आदश्यकता	
श्री मुही राम सैकिया	207
(आठ) सम्भल और मुरादाबाद के बीच रद्द की गई यात्री रेलगाड़ियों को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीपाल सिंह यादव	208
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92	208—216, 223—284 और 289—290
उद्योग मंत्रालय—आरी	
श्री आर० जीवरत्नम	208
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	212
श्री विलास मुत्तेमवार	223
श्री के० पी० रेड्डय्या यादव	229
श्री सी० के० जाफर शरीफ	241
श्री सरताज सिंह	244
श्री अंकुशराव टोपे	247
श्री मोहन सिंह	250

विषय	पृष्ठ
श्री ई० अहमद	254
श्री कमला मिश्र मधुकर	261
श्री एन० डेनिस	263
श्री आर० केंगा गोविन्दाराजुलु	266
श्री पीयूष तीरकी	267
श्री बसुदेव आचार्य	271
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	278
श्री याइमा सिंह युमनाम	289
मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य	217—223 और 284—289
(एक) 19-8-1991 को पटेल नगर, नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत	
श्री एम० एम० जैकब	217
(दो) बंगलौर के समीप कोणनकुण्टे में 20 अगस्त, 1991 को लिट्टे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़	
श्री एस० बी० चव्हाण	284
(तीन) जून, 1991 में श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा अपहृत भारतीय तेल निगम के वरिष्ठ अधिकारी श्री के० दुरईस्वामी की रिहाई	
श्री एस० बी० चव्हाण	286
नियम 193 के अधीन चर्चा	291—329
देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति	
श्री पीयूष तीरकी	291
श्री लोकनाथ चौधरी	292
श्री श्रीकांत जेना	294
श्री विलास मुत्तेमवार	295
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	297
श्री एस० मल्लिकार्जुनय्या	299
श्री एच० डी० देवगौड़ा	300
श्री के० एच० मुनियप्पा	301
श्री वी० धनंजय कुमार	302

विषय		पृष्ठ
	श्री वी० कृष्ण राव	303
	श्री सूरज मण्डल	304
	श्री मोहन सिंह	305
	प्रो० प्रेम धूमल	306
	श्री गंगाधरा सानीपल्ली	307
	श्री सूर्य नारायण यादव	308
	कुमारी उमा भारती	308
	श्री जी० एम० सी० बालयोगी	310
	श्री अयूब खां	311
	प्रो० रासा सिंह रावत	312
	श्री मुहीराम सैंकिया	313
	श्री उद्धव बर्मन	315
	श्री बलराम जाखड़	316

लोक सभा

बुधवार, 21 अगस्त, 1991/30 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 487, श्री प्रकाश पाटिल, प्रश्न संख्या 488, श्री विश्वनाथ शास्त्री, प्रश्न संख्या 489, श्री अन्ना जोशी।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, प्रश्न संख्या 489.

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा): योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बाहर बैठे हैं। मैं उन्हें अभी बुलाती हूं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं। यह एक बहुत गंभीर मामला है। जरा सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ देखें। सभा में एक भी कैबिनेट स्तर का मंत्री उपस्थित नहीं है। उन्हें सभा को इतनी लापरवाही से नहीं लेना चाहिए·····(व्यवधान)

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं बाहर बैठा था। मैं क्षमा मांगता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने बुलाया तो आप यहां नहीं थे। आपको गलती महसूस करनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मंत्री महोदय को क्षमा मांगने का शिष्टाचार तो बर्तना ही चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं क्षमा मांगता हूं।

श्री अन्ना जोशी : क्या मैं अपना प्रश्न दुबारा करूं ?

बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कार्य योजना

*489. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत कुशल और अकुशल बेरोजगार व्यक्तियों की श्रेणीवार तथा राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में चालू वर्ष में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रजिस्टर्ड बेरोजगारों की कुशल एवं अकुशल श्रेणीवार तथा राज्यवार संख्या अनुबन्ध-1 में दी गई है । रोजगार केन्द्रों में रजिस्टर्ड सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं होते हैं ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को 10 वर्ष की अवधि में दस करोड़ बेरोजगार अथवा प्रतिवर्ष औसतन एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य-नीतियों तथा कार्यक्रमों के ब्यौरे योजना दस्तावेज में शामिल किए जाएंगे ।

विकास प्रक्रिया में लगी समूची अर्थव्यवस्था में रोजगार के विशिष्ट लक्ष्यों को साल-दर-साल निश्चित नहीं किया जाता है । किन्तु, विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं । प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्यों को दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध-2 में दिया गया है ।

अनुबंध-1

चालू रजिस्टर में बेरोजगारों की संख्या तथा उनमें से 31-12-1987 को राज्यों/संघ राज्यों के क्षेत्रवार कुशल/अर्द्ध कुशल तथा अकुशल व्यक्तियों की संख्या

(लाखों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेरोजगारों की संख्या	कुशल/अर्द्धकुशल	अकुशल
1	2	3	4
राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	27.22	1.07	6.34
2. अरुणाचल प्रदेश**			
3. असम	8.44	0.17	1.06
4. बिहार	27.08	1.47	3.47
5. गोवा	0.78	0.07	0.07
6. गुजरात	7.82	0.26	0.98
7. हरियाणा	5.80	0.23	1.64

1	2	3	4
8. हिमाचल प्रदेश	3.50	0.19	0.62
9. जम्मू व कश्मीर	1.27	0.05	0.45
10. कर्नाटक	10.13	0.26	1.10
11. केरल	29.90	0.99	2.18
12. मध्य प्रदेश	17.40	0.41	4.25
13. महाराष्ट्र	26.15	0.85	4.62
14. मणिपुर	2.87	0.06	0.06
15. मेघालय	0.19	❀	0.03
16. मिजोरम	0.37	❀	0.09
17. नागालैंड	0.23	❀	0.01
18. उड़ीसा	7.91	0.23	0.83
19. पंजाब	6.19	0.23	2.05
20. राजस्थान	8.31	0.15	1.67
21. सिक्किम*	—	—	—
22. तमिलनाड्	24.86	0.99	3.01
23. त्रिपुरा	1.17	0.01	0.19
24. उत्तर प्रदेश	29.63	1.66	6.16
25. पश्चिम बंगाल	45.65	1.21	9.87
संघ राज्य क्षेत्र			
1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.16	0.02	
2. चंडीगढ़	1.37	0.07	0.41
3. दादर व नगर हवेली**			
4. दिल्ली	7.06	0.24	0.76
5. दमन और दीव**			
6. लक्षद्वीप	0.07	0.03	—
7. पांडिचेरी	0.92	0.04	0.13
जोड़	302.47	11.00	52.07

टिप्पणियां :

1. *इस राज्य में कोई रोजगार केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है ।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

3. *500 से कम संख्या ।

4. पूर्णांक के कारण संख्याओं को योग में जोड़ा नहीं जा सकता ।

5. कालम 3 तथा 4 कालम 2 में नहीं जोड़े गए हैं क्योंकि कुशल/अकुशल वर्गीकरण सभी व्यवसायों पर लागू नहीं होता है ।

अनुबंध-2

प्रमुख केन्द्रीय/केन्द्र-प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1991-92 के लिए लक्ष्य

कार्यक्रम	यूनिट	1991-92 के लिए लक्ष्य (लाखों में)
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०)	परिवारों की संख्या	22.5
2. जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०)	रोजगार के कार्य दिवस	9000
3. शिक्षित बेरोजगार युवकों का स्वरोजगार (एस० ई० ई० यू० वाई०)	लाभार्थियों की संख्या	1.29
4. नेहरू रोजगार योजना (एन० आर० वाई०)		
(1) शहरी माइक्रो उद्यमों की स्कीम	व्यक्ति	0.70
(2) शहरी दैनिक रोजगार की स्कीम	रोजगार के कार्य दिवस	131.65
(3) आवास तथा शेल्टर अपग्रेडेशन की स्कीम		

श्री अन्ना जोशी : महोदय, मेरा पहला प्रश्न अनुलग्नक II के सम्बन्ध में है । (क) उन व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें केन्द्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रम के जरिये रोजगार मिलेगा ? (ख) मुख्य केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं ? यदि आप इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित

करने में असफल होते हैं और अपने वायदे के लक्ष्य के मुताबिक नौकरियां उपलब्ध नहीं कर सकते हैं तो क्या आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए तैयार हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि सभा पटल में रखे गए विवरण में जिक्र किया गया है हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य दस वर्ष की अवधि में औसतन रोजगार के 100 मिलियन अवसर पैदा करना है अर्थात् 10 मिलियन अवसर प्रतिवर्ष। यह हमारी नीति है और यह सामान्य पैकेज भी है।

जहां तक भत्ते की बात है भत्ता देना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे रोजगार नहीं पैदा होगा और हम रोजगार के कोई अवसर पैदा किये बगैर पैसा बेकारी-दान में देते रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह बात स्वीकार करेंगे।

श्री अन्ना जोशी : आपने मेरे प्रश्न के पहले दो भागों के उत्तर नहीं दिए हैं। प्रश्न का भाग (क) यह था कि अनुलग्नक-2 में उल्लखित आपके कार्यक्रमों से कुल कितनी नौकरियां पैदा की जायेंगी और इन रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न का दूसरा भाग रोजगार भत्ते के बारे में था।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जहां तक विशेष रोजगार कार्यक्रमों और केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष रोजगार कार्यक्रमों की बात है, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत कुल वित्तीय व्यय 409.49 करोड़ रुपए होगा और इस पर कुल लागत 747.31 करोड़ रुपए आएगी। यह वर्ष 1990-91 के लिए है। वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के तहत कुल व्यय 411.40 करोड़ रुपये रखा गया है और कुल लागत 704.26 करोड़ रुपए है।

प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है। 1988-89 में हमारे पास 37.7 लाख लाभार्थी थे। 1989-90 में 32.6 लाख लाभार्थी थे और 1990-91 में ये आंकड़े 29.05 लाख थे। वर्ष 1991-92 के लिए लाभार्थियों का लक्ष्य 22.54 लाख है।

जहां तक जवाहर रोजगार योजना का सम्बन्ध है वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल व्यय 2100.00 करोड़ रुपए और कुल लागत 2627.8 करोड़ रुपए है तथा वर्ष 1991-92 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल व्यय 2100 करोड़ रुपए तथा कुल लागत 2626.13 करोड़ रुपए·····

श्री अन्ना जोशी : मैं जानना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों से कुल कितनी नौकरियां पैदा की जाएंगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, कुल संख्या नहीं बताई जा सकती है क्योंकि यह प्रतिशत की शक्ल में है और यह विकास की 2 या 3 प्रतिशत है। हमारे पास केवल केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य है।

जहां तक वित्तीय प्रावधानों की बात है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास उत्पादन और व्यय दोनों के आंकड़े हैं। केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य रखे जा चुके हैं जिनसे हम आपको बता सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ है और किसी विशेष अवधि के लिए क्या लक्ष्य था। सामान्यतः देश की सामान्य अर्थव्यवस्था के साथ रोजगार में वृद्धि होती है और यह इस अवधि

के दौरान प्राप्त वृद्धि दर की प्रतिशत पर निर्भर है। किसी विकास प्रक्रिया के तहत सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में रोजगार पैदा करने सम्बन्धी विशेष लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। हमारे वर्षवार लक्ष्य तो केवल केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए होते हैं।

श्री अन्ना जोशी : पूर्व सरकार ने संविधान में काम का अधिकार हमारे मूल अधिकारों में जोड़ने का प्रस्ताव किया था। मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रवैया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल में उत्तर देने के लिए यह काफी बड़ा प्रश्न है। यह मैं मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं यदि वह उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जहां तक काम के अधिकार का प्रश्न है, मुझे याद है कि यह मुद्दा कई चर्चाओं में और संकल्प के जरिए उठाया गया है, कई सरकारों ने क्रमशः इस मुद्दे पर वायदा किया है। यहां तक कि मेरे विद्वान दोस्त की सरकार ने भी एक वायदा किया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ कार्य भी किया। एक समिति भी गठित की गई थी लेकिन यह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि इसने पाया कि ऐसे किसी अधिकार को संविधानिक रूप देने से पहले काफी आधारभूत कार्य किया जाना है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यह बहुत प्रशंसनीय विचार है, लेकिन मैं बिना किसी आधारभूत कार्य के ऐसा कहने को तैयार नहीं हूं। हम इस बात की सराहना करते हैं कि यह एक बहुत प्रशंसनीय विचार है लेकिन हमें आधारभूत कार्य करना है और यह आधारभूत कार्य अभी तक नहीं किया गया है।

श्री अन्ना जोशी : मैं आशा करता हूं कि सिद्धान्त रूप से आप इस विचार से सहमत हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस पर सिद्धान्त रूप में सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। हमें इसे कार्यान्वित करने का वायदा करना चाहिए।

श्री मुरली देवरा : ग्रामीण लोगों का शहरी क्षेत्रों में निरन्तर आने के परिणामस्वरूप मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से बेरोजगारी बढ़ी है। पहली बार श्री राजीव गांधी की सरकार के दौरान शहरी निर्धनों के लिए स्वरोजगार की एक योजना चलाई गई। लेकिन दुर्भाग्य से यद्यपि इस योजना को नेहरू रोजरार योजना नाम दिया गया—जैसे कि अनुलग्नक-2 की मद संख्या-4 में उत्तर दिया गया है। लक्ष्य का केवल 50 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बैंक ऋण नहीं बांट रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि शहरी क्षेत्रों के लिए इस नेहरू रोजगार योजना में कितना धन आवंटित किया गया है।

लक्ष्य का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत भाग प्राप्त क्यों नहीं किया गया ? एक खामी जो मुझे पता लगी है वह यह है कि 7200 रुपए की सीमा यहां है। आवेदक इस सीमा का फायदा नहीं उठा सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मंत्री महोदय का ध्यान इस बात पर दिलाना चाहती हूं कि एक गलत आंकड़ा पेश किया गया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। यदि आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : यह प्रश्न नहीं है । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रही हूं ।

अध्यक्ष महोदय : फिर, आपको इस तरह उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, जहां तक नेहरू रोजगार योजना का सम्बन्ध है, हमारे पास इस योजना के लिए वित्तीय व्यय है ।

जहां तक इन व्ययों की बात है नेहरू रोजगार योजना में नई योजनाएं शामिल हैं । 1990-91 में केन्द्रीय क्षेत्र में 120 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया । 1991-92 में 113 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया ।

जहां तक भौतिक प्रगति की बात है मैं यहां जिक्र करूंगा कि नई योजना होने के नाते आंकलन किया जाना है और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने पिछली बार सभा में वायदा किया था कि इस योजना के उचित मूल्यांकन, उचित आंकलन तथा इस योजना के कार्यों पर विचार किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

श्री मुरली देवरा : बिलो दि टार्गेट क्यों है, एचीवमैण्ट क्यों नहीं है ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह एक नई रोजगार योजना है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्होंने हाथ उठाया था । आप बैठिए । श्री दाऊ दयाल जोशी ।

श्री दाऊ दयाल जोशी (होटा-बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कृपा करके बताएं कि बेरोजगारी हटाने की योजना को प्रस्ताव में लेकर आपने उसका क्रियान्वयन किया है और आप आज तक सफलीभूत नहीं हुए हैं तो क्या केन्द्र सरकार जो आज मना कर रही है कि हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो उसमें क्या व्यवधान आता है ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्रीमान् जी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात बार-बार उठती है । भत्ता आखिर किसी आदमी को आप देते हैं तो उसकी बेरोजगारी की समस्या तो दूर नहीं होती और राष्ट्र में जिस प्रकार की हमारी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के जरिए देश की जो उन्नति होती है, उसमें तो बाधा पड़ेगी, क्योंकि उसमें जितना पैसा दिया जाएगा, उसके जरिए कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं इसलिए इस पर बड़ी गहराई से चिन्तन हुआ है एक के बाद दूसरी सरकारों में । यदि आपको भत्ते देने पड़ेंगे तो आपकी योजनाएं रुक जाएंगी ।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, दिया गया आंकड़ा बहुत दिलचस्प है । वे कहते हैं कि वे हर वर्ष 10 मिलियन नौकरियां देंगे । वे दस वर्ष की अवधि के दौरान 100 मिलियन नौकरियां

देंगे। इसका यह मतलब हुआ कि वे हर वर्ष 10 मिलियन अधिक लोगों को नौकरियां नहीं देंगे। 100 मिलियन का यह आंकड़ा फर्जी आंकड़ा है। अगर आप इस वर्ष 10 मिलियन नौकरियां देते हैं तो आपको अगले वर्ष भी 10 मिलियन नौकरियां देनी पड़ेंगी। इस प्रकार आपका वास्तविक लक्ष्य 10 मिलियन नौकरियां प्रति वर्ष है।

मेरा प्रश्न यह है कि श्रमिक बल में नए प्रवेशकों की संख्या कितनी है? इसकी प्रतिशत क्या है? क्या यह सच है कि आप सदैव जनसंख्या के जितने प्रतिशत को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। वह श्रमिक बल में नए प्रवेशकों से कम है? इस प्रकार क्या यह सच है कि बेरोजगार लोगों के आंकड़े हर योजना के बाद पिछली बकाया सरकार के रूप में लगातार बढ़ रहे हैं?

मेरे ये प्रश्न हैं। वह इनके उत्तर दें। अगर उत्तर 'हां' है तो इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए आपके पास नए प्रस्ताव कौन से हैं?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, माननीय सदस्य को सभा पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को 100 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यही प्रश्न कर रहा हूं। इस बजट में भी यही कहा गया है। प्रतिवर्ष दस मिलियन नौकरियों के मुताबिक दस वर्षों में 100 मिलियन तक हो जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातचीत मत कीजिए। आप अध्यक्षपीठ के माध्यम से बात कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप 100 मिलियन नौकरियां किस प्रकार उत्पन्न करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं। यह उचित तरीका नहीं है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : अगर माननीय सदस्य ने इसे पढ़ा है तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। इसमें यह नहीं कहा गया है कि हम नौकरियां दे रहे हैं। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है और 100 मिलियन का आंकड़ा दस वर्षों के लिए है, औसतन 10 मिलियन रोजगार के अवसर हैं। यहां उपयुक्त शब्द 'अवसर' है। पूर्णकालिक रोजगार और रोजगार के अवसर तथा औसतन 10 मिलियन में फर्क है। योजना दस्तावेज में इन कार्यक्रमों की विस्तृत रणनीति दी जाएगी। इस प्रकार, अब इस बारे में तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। वृद्धि दर क्या है? यह संगत है।

अध्यक्ष महोदय : यह बेरोजगारी पर पूर्ण चर्चा नहीं है। यह प्रश्न इस बारे में कुछ करने की सरकार की योजना के बारे में है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम मंत्री महोदय से जानकारी की आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे आपको दे देंगे।

श्री शरद दिघे : दीर्घकालिक उद्देश्य यह है कि दस वर्षों के दौरान 100 मिलियन रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं और इसके लिए प्रतिवर्ष औसतन दस मिलियन अवसर उत्पन्न किए जाएं। यह कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में भी है। लेकिन आपने कहा है कि जब आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जाएगा तब इस योजना को भी अन्तिम रूप दिया जाएगा। अब यह मार्च, 1992 में होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना के बारे में कुछ जानकारी दें क्योंकि इस समय तो परिशिष्ट-II में केवल 25 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उल्लेख है। मैं इन श्रम दिवसों को बदल नहीं सकता लेकिन लगभग 25 लाख परिवारों को रोजगार दिया जाना है। इसलिए इस वर्ष में दस मिलियन नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए क्या आपके पास लागू करने हेतु कोई तत्काल योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : वह पंचवर्षीय योजना के बारे में नहीं बल्कि नीति के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह सम्भव है; मैं यह दे सकता हूं क्योंकि रोजगार नीति में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें बेरोजगार तथा श्रमिक बल में नव आगतुंकों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हैं और कम आय वाले रोजगार में पहले से लगे लोगों की आय में वृद्धि करनी है तथा रोजगार की गारण्टी उपलब्ध कराने तथा जब तक विकास प्रक्रिया उनका ध्यान नहीं रखती तब तक ग्रामीण गरीबों को आय उपलब्ध कराना है। रोजगार के अवसरों में और उत्पादक होंगे और यह कारगर होंगे और कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय फसलवार विविधिकरण होगा, व्यर्थ पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए विकसित किया जाएगा, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण ढांचे, आवास निर्माण, लघु स्तर की और विकेन्द्रीकृत उद्योगों का तेजी से विकास किया जाएगा, इस प्रकार रोजगार उत्पत्ति के लिए ये मुख्य क्षेत्र हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बेकारी भत्ता देने से इंकार किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जब किसी व्यक्ति को काम नहीं मिलता है तो उसको जिन्दा रखने के लिए सरकार ने कौन-कौन से उपाय किए है ? इसके साथ-ही-साथ राज्यों में जो उद्योग लगे हुए हैं, चाहे वे भारत सरकार के हों या राज्य सरकार के, क्या उस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को वहां काम दिलाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या आप केवल उसी क्षेत्र से लोगों को रोजगार देंगे। प्रश्न के पहले भाग को अनुमति नहीं है, आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे सकते हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह बहुत ही सही प्रश्न है कि अगर एक विशेष क्षेत्र में एक परियोजना लगाई जाती है तो सरकार की नीति है कि जहां तक सम्भव हो रोजगार उन लोगों को दिया जाए जिनकी भूमि सरकार द्वारा ली गई है।

श्री मुकुल वासनिक : माननीय मंत्री के उत्तर में कहा गया है कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना से 1.29 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ कहा गया है आपको उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अनेक प्रश्न हैं। मैं उन्हें अनुमति दे रहा हूं। जो कुछ कहा गया है उसे आप दोहराइए मत।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : लेकिन वास्तव में स्थिति बहुत भिन्न है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने से इन्कार कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस कार्यक्रम का तीव्रता से और उचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक बैठक बुलाना चाहती है और दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नई भर्ती पर रोक लगाना चाहती है और यदि नहीं तो केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में नई भर्ती की अनुमानित संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सभी क्षेत्रों के विषय में एक अस्पष्ट प्रश्न है। आप इसके उत्तर में क्या चाहते हैं ?

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैंने यह प्रश्न आधे मिनट में किया है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो दें।

श्री एच० आर० भारद्वाज : वास्तव में इस प्रश्न के दोनों भाग इस प्रश्न की परिधि में नहीं आते।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष जी, क्या सरकार को यह जानकारी है कि गांव में रोजगार देने के लिए 1980 से 90 तक करीब 25 हजार करोड़ रुपया खर्च किया गया और गांवों में बेरोजगारों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि गांवों से बड़ी संख्या में जो बेरोजगार काम की तलाश में शहरों की ओर दौड़ रहे हैं, उनके लिए गांव में ही रोजगार की व्यवस्था की जाए ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का जवाब पहले हो चुका है।

श्री सूर्य नारायण यादव : मान्यवर, इस समय जो देश की स्थिति है उसमें कुशल और अकुशल बेरोजगारों की तादाद इतनी अधिक है, सरकार भी इस बात को मानती है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु जो सांविधान में अधिकार है, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने का, (व्यवधान) क्या इसके लिए मंत्री महोदय सोच रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले ही किया जा चुका है और इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री राम नाईक : जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना दो योजनाएं हैं। हमारे लिए जवाहर और नेहरू दोनों एक ही हैं। इसमें क्या फर्क है ?

दूसरे, खादी ग्रामोद्योग आयोग है जिसके कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार की काफी सम्भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। खादी आयोग में लगभग 130 रिक्तियां हैं जिन्हें गत तीन या चार

वर्षों से भरा नहीं जा रहा । क्या सरकार काफी रोजगार उत्पन्न करने वाले खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा ऐसे अन्य संगठनों में रिक्तियों को भरने के लिए सोच-विचार कर निर्णय लेगी ? क्या सरकार इन रिक्तियों को भरने पर विचार करेगी ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : इसके दो भाग हैं । एक तो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना है । ये भिन्न हैं क्योंकि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है और दूसरी शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित है । केवल यही भिन्नता है ।

जहां तक खादी और ग्रामोद्योग के तहत उद्योगों का संबंध है, यह उद्योग बहुत अच्छी तरह चल रहा है । यह ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को रोजगार दे रहा है । जहां तक इन रिक्तियों का संबंध है, इन्हें भरने पर मेरा कोई नियन्त्रण नहीं है । माननीय सदस्य इस मामले को उद्योग मंत्रालय के सम्मुख रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप भी उनकी मदद कर सकते हैं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इस मामले की भी जांच करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि सवाई-माधोपुर में जो सीमेंट फैक्ट्री है वह पांच साल से बन्द पड़ी है । उसमें बराबर मजदूरों की हाजिरी ली जाती है और अगर उनकी एपसेंट लगती है तो उनको चार्जशीट दे दी जाती है । आज तक उनको तनख्वाह नहीं दी गई है । एक तरफ हम कहते हैं कि बेरोजगारी दूर करें । (**व्यवधान**) तो क्या उसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था करेगी ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ किया, तो आप ऐसा प्रश्न मत पूछिए ।

श्री रतिलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए कहा, लेकिन जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है उसके मुताबिक अधिक से अधिक लोगों को इस एक्ट के तहत सरकारी नौकरियों में रोजगार देने के लिए क्या मंत्री महोदय सोच रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : जो बात आपने उठाई है वह स्वीकार्य बात है·····(**व्यवधान**)

श्री सुनील दत्त : विकलांगों को रोजगार देने के लिए अनेक कार्यक्रम हैं । उन्हें तीन प्रतिशत नौकरियां दिए जाने का प्रावधान है । लेकिन इन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विकलांगों को नौकरी देने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मेरी जानकारी के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देने संबंधी कार्यक्रम को सरकार पहले ही लागू कर चुकी है । मैंने माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मुद्दे को नोट कर लिया है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाए ।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने दिनांक 31-12-1987 की स्थिति बताई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अद्यतन आंकड़े देने के लिए सरकार के समक्ष कौन-सी कठिनाइयां हैं ?

क्या यह वास्तविकता नहीं है कि अनेक रोजगार पाने वाले व्यक्ति रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज नहीं कराते हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और केन्द्र सरकार स्वयं भी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती नहीं करती है ? यदि आप पश्चिम बंगाल में रोजगार पाने वालों की संख्या देखें तो आप पाएंगे कि यह काफी अधिक है क्योंकि वहां रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। लेकिन अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि अनेक राज्यों में रोजगार कार्यालय भली प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं क्योंकि केन्द्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार नहीं देते हैं ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह आंकड़े 31 दिसम्बर, 1987 तक की अवधि के हैं। मुझे भी हैरानी है कि इन्हें अद्यतन क्यों नहीं किया गया है। मैंने 31 मई, 1991 तक आंकड़े इकट्ठे किए हैं जो 39.42 लाख हैं। यही अद्यतन आंकड़े हैं।

मैंने रोजगार कार्यालयों के संबंध में स्थिति नोट कर ली है और मैं इसे संबद्ध मंत्रालय को भेज दूंगा।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहती हूं। विवरण में यह गलत कहा गया है कि सिक्किम में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है। मैं भली-भांति जानती हूं कि इस राज्य में रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है। आप केवल जानकारी दे रही हैं।

केन्द्रीय परियोजनाओं का पूरा किया जाना

*491. **श्री चेतन पी० एस० चौहान*** :

श्री बलराज पासी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजा सर्वेक्षण के अनुसार 100 करोड़ से ऊपर की लागत वाली ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है तथा जिनका निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी न होने वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत में वृद्धि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण पत्र रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 1 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली में प्रत्येक 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली 116 केन्द्रीय परियोजनाओं में से, नवीनतम अनुमोदित निर्धारित समय के संदर्भ में, 7 परियोजनाएं निर्धारित समय से आगे थीं, 49 परियोजनाएं निर्धारित समय पर थीं तथा 60 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे थीं। प्रत्येक विलम्बित परियोजना की लागत वृद्धि संलग्नक अनुबन्ध में दी गई है।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहा है और परियोजनाओं को निर्धारित समय में शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित सामयिक कार्रवाई करने के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाल रहा है।

अनुबंध

1 अगस्त, 1991 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित निर्धारित समय के संदर्भ में प्रत्येक 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली विलम्बित केन्द्रीय परियोजनाओं की लागत वृद्धि

क्रम सं०	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए)		लागत वृद्धि (करोड़ रुपए)
		नवीनतम स्वीकृति	नवीनतम प्रत्याशित	
1	2	3	4	5
परमाणु ऊर्जा				
1.	नरोरा परमाणु विद्युत-1 और 2 (एन०पी०सी०)	399.64	745.00	345.36
2.	ककरापार परमाणु विद्युत-1 और 2 (एन० पी० सी०)	745.00	1078.00	333.00
3.	भारी जल परियोजना, मनुगुरू (डी० ए० ई०)	647.28	647.28	0.00
कोयला				
4.	पुटकी बलिहारी (बी० सी० सी० एल०)	199.87	365.96	166.09
5.	झरिया खंड-2 (बी० सी० सी० एल०)	112.05	173.82	61.77
6.	झंझरा यूजी (ई० सी० एल०)	184.55	573.89	389.34
7.	सोनपुर-बजारी "ए" ओ० सी० (ई० सी० एल०)	192.96	453.00	260.04
8.	अम्लोहरी (एन० सी० एल०)	527.11	527.11	0.00
9.	पीना (एन० सी० एल०)	168.64	168.64	0.00
10.	काकरी (एन० सी० एल०)	137.80	137.80	0.00

1	2	3	4	5
11.	400 के० वी० ए० संचरण प्रणाली स्तर-2 (एन० एल० सी०)	367.74	367.74	0.00
12.	नेवेली द्वितीय खान विस्तार (एन० एल० सी०)	1065.40	1065.40	0.00
13.	मनुगुरू ओ० सी०-2 (सींगरेनी कोलरिज)	132.00	199.94	67.94
14.	रामागुंडम-2 ओ० सी० (सींगरेनी कोलरिज)	147.16	512.02	364.86
15.	गोदावरी खानी 2-ए (एस० सी० सी० एल०)	156.00	156.00	0.00
उर्वरक				
16.	हल्दिया उर्वरक परियोजना (एस० एफ० सी०)	281.96	624.00	342.04
खान				
17.	रामपुरा अगुचा-चन्देरियन लिड जिंक कॉम्पलेक्स (एच० जेड० एल०)	617.20	705.42	88.22
इस्पात और लौह अयस्क				
18.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण (सेल)	2667.60	3121.28	453.68
19.	राऊरकेला इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण (सेल)	2461.00	2461.00	0.00
20.	विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना (आर० आई० एन० एल०)	6849.70	8130.28	1280.58
रसायन तथा पेट्रो रसायन				
21.	महाराष्ट्र गैस क्रैकर परिसर (आई० पी० सी० एल०)	1390.00	1390.00	0.00
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस				
22.	गैस स्वीटनींग संयंत्र चरण-2 (ओ० एन० जी० सी०)	204.65	260.27	55.62
23.	गंधार विकास चरण-1 (ओ० एन० जी० सी०)	326.68	257.93	68.75
24.	गैस लिफ्ट स्कीम (ओ० एन० जी० सी०)	561.30	392.59	168.71
25.	अतिरिक्त गौण प्रक्रिया सुविधा, गुजरात रिफाइनरी (आई० ओ० सी०)	635.00	757.24	122.24
26.	बम्बई रिफाइनरी-लुबे आधारित स्टाक वृद्धि (एच० पी० सी० एल०)	181.23	181.23	0.00

1	2	3	4	5
विद्युत				
27.	फरक्का एस० टी० पी० पी० स्तर-2 (एन० टी० पी० सी०)	868.48	1331.31	462.83
28.	फरक्का संचरण लाइन स्तर-2 (एन० टी० पी० सी०)	134.91	199.06	64.15
29.	रिहंद संचरण लाइन (एन० टी० पी० सी०)	1063.00	1063.00	0.00
30.	विंध्याचल एस० टी० पी० पी०-2 अग्रिम कार्रवाई (एन० टी० पी० सी०)	103.50	103.50	0.00
31.	कहलगांव एस० टी० पी० पी० स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	884.15	1552.38	668.23
32.	कहलगांव संचरण लाइन स्तर-1 (एन० टी० पी० सी०)	174.48	217.45	42.97
33.	केन्द्रीय संचरण परियोजना (एन० टी० पी० सी०)	388.05	453.00	64.95
34.	क्वास गैस विद्युत परियोजना (एन० टी० पी० सी०)	373.98	877.25	503.27
35.	ओरैया जी० पी० पी० संचरण लाइन (एन० टी० पी० सी०)	100.61	110.66	10.05
36.	बोकारो बी-2 तापीय विद्युत परियोजना (डी० वी० सी०)	186.93	356.25	169.32
37.	मेजिया तापीय विद्युत परियोजना (डी० वी० सी०)	566.00	1134.00	568.00
38.	कोलकोरो हाइड्रो विद्युत परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	439.91	1338.80	898.89
39.	धुलहस्ती संचरण लाइन (एन० एच० पी० सी०)	166.57	772.83	606.26
40.	चमेरा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	809.29	1725.50	916.21
41.	तनकपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	178.75	376.76	198.01
42.	रंगीत एच० ई० पी०-3 (एन० एच० पी० सी०)	181.15	181.15	0.00
43.	नथप्पा झाकरी संचरण प्रणाली (एन० एच० पी० सी०)	889.95	889.95	0.00
44.	दोयांग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (निपको)	128.61	251.01	122.40

1	2	3	4	5
45.	रंग नदी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना, स्तर (निपको)	312.78	516.49	203.71
46.	कैथलगुड़ी गैस आधारित संयुक्त साइकिल पावर परियोजना (निपको)	203.17	989.03	785.86
47.	कैथलगुड़ी जी० बी० सी० सी० पी० पी० संचरण लाइन (निपको)	301.38	565.41	264.03
48.	नथप्पा झाकरी एच० ई० पी० (एन० जे० पी० सी०)	1678.02	2140.00	461.98
कागज, सीमेंट तथा आटो				
49.	बगासे आधारित न्यूजप्रिंट (नेपा)	416.46	414.46	0.00
50.	येरागुंटला सीमेंट परियोजना (सी० सी० आई०)	191.25	240.68	49.43
रेलवे				
51.	मनखुर्द-बेलापुर रेलवे लाइन विस्तार, एम० टी० पी०	153.03	287.11	134.08
52.	जोगीगोपा-गोहाटी न्यू लाइन	238.93	444.22	205.29
53.	गूना इटावा न्यू लाइन	248.00	253.08	5.08
54.	न्यू बिजी लाइन, कोरापुट-रायागढ़, एस० ई० आर०	322.00	322.00	0.00
55.	डिजल कम्पीनेंट वर्क्स (डी० सी० डब्ल्यू० पटियाला)	133.84	235.78	101.94
56.	नागपुर-दुर्ग रेलवे विद्युतीकरण	74.38	124.88	50.50
57.	सोनागर-पतरातु विद्युतीकरण	110.50	112.45	1.95
भू-तल परिवहन				
58.	अधिग्रहण-3 एल० आर०-2 प्रत्येक 85200 डी० डब्ल्यू० टी० का टैंकर (एस० सी० आई०/सी० एस० एल०)	138.12	154.41	16.29
59.	अहमदाबाद-बड़ौदा ऐक्सप्रेस वे (गुजरात सरकार)	137.20	207.00	69.80
60.	न्हावा सेवा पत्तन परियोजना (एन० एस० पी० टी०)	986.08	1056.00	69.92

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा दिए गए मासिक और त्रैमासिक विवरण के अनुसार 27 परियोजनाओं में दो वर्ष से अधिक का विलम्ब है, 16

परियोजनाओं में तीन वर्षों में अधिक का विलम्ब है, पांच परियोजनाओं में पांच वर्षों से अधिक का विलम्ब है और एक परियोजना में 10 वर्षों से अधिक का विलम्ब है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन योजनाओं को लागू करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की इन सभी परियोजनाओं में विलम्ब होने के अनेक कारण हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए संक्षेप में उनके बारे में जानकारी दूंगा।

विलम्ब के कारण इस प्रकार से हैं—भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब, आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए अग्रिम कार्यवाही का अभाव, अपर्याप्त परियोजना तैयारी, पर्याप्त धन प्राप्त करने और धन स्रोतों (बजटीय, आंतरिक, अतिरिक्त—बजटीय और बाह्य) में विलम्ब, क्षेत्राधिकार में बार-बार परिवर्तन, टेंडर आमंत्रित करने और क्रयादेश देने में विलम्ब, औद्योगिक संबंध और कानून और व्यवस्था की समस्या, आदानों की अपर्याप्त आपूर्ति, फैब्रीकृत उपस्करों की रुक-रुक कर और विलम्ब से आपूर्ति, उपस्कर का ठीक प्रकार से कार्य न करना, बिना जांच की गई प्रौद्योगिकी का चयन, निपटान का उपयोग करने के अधिकार में विलम्ब और परियोजना स्थलों में भूमि संबंधी कठिनाइयां।

जहां तक परियोजना कार्यान्वयन मंत्रालय का संबंध है, हम इन परियोजनाओं पर हर चरण पर गहन निगरानी रखते हैं। हम प्रशासनिक मंत्रालयों और परियोजनाओं के प्रमुखों के साथ संपर्क करके उनकी सहायता करते हैं ताकि यह विलम्ब की समस्या, व्यय आदि की समस्या का शीघ्र निपटान हो सके।

श्री चेतन पी० एस० चौहान : अनुमानत: लागत में 42% की वृद्धि हुई है। हमें यही बताया गया है कि सरकार के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या धन की कमी के कारण यह योजनाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएंगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह एक आम बात है क्योंकि ऐसा नहीं है सभी परियोजनाओं के लिए धन की कमी है। कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं जो निर्धारित कार्यक्रम से आगे चल रही हैं। कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रही हैं और कुछ परियोजनाएं विभिन्न कारणों से निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक या दो परियोजनाएं रुकी हुई हैं क्योंकि उनके लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित नहीं हुई है। कुछ मामलों में मुख्य समस्या भूमि अधिग्रहण की है। यदि माननीय सदस्य किसी परियोजना विशेष का उल्लेख करें तब मैं देखूंगा कि क्या धन की कमी के कारण है या अन्य किसी कारण से है और तब मैं उसका उत्तर दे पाने में समर्थ हूंगा।

श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी : मंत्री महोदय ने उन कारणों की लंबी सूची दी है जिनके कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। ऐसा बहुत लंबे समय से हो रहा है। अनेक ऐसे कारण होंगे जिन्हें ठीक प्रकार से योजना बनाकर सुलझाया जा सकता है। 100 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं को एक दिन में अनुमोदन नहीं दी गई है बल्कि इसमें कई वर्षों का समय लगा है। अत: मंत्री महोदय ने जो कुछ कारण बताए हैं उनको योजना बनाने के चरण पर ही निपटाया जा

सकता था। सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा हर वर्ष न हो प्रत्येक चरण पर कौन से प्रबंधन तरीके अपनाए जा रहे हैं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था और उस समय इन सभी तथ्यों, जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, की ओर तत्कालीन प्रधान मंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया गया था। दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग गठित किया गया था। हम इस बात से सहमत हैं कि यदि परियोजना तैयार करते समय योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई गई होतीं तो यह समस्याएं उत्पन्न ही न होतीं। अब हमारा कहना है कि जो भी परियोजना तैयार की जाए, उसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाए। हम हर माह यह समीक्षा करते हैं कि परियोजना में विलम्ब किन कारणों से विलम्ब हो रहा है। इस तरह हम परियोजनाओं को तैयार कर सकते हैं और परियोजनाओं को शीघ्र लागू भी कर पाएंगे। परियोजना पर हमारा प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है। वह संबंद्ध महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों के अधीन है। अतः हमने इस बात की ओर संकेत किया कि इन्हीं कारणों से आपकी परियोजना में विलम्ब हो रहा है। विलम्ब के मामलों पर हमने राज्य सरकारों से भी बातचीत की है। यदि राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा इन्हें किया जाना है तब हम उनकी सहायता करते हैं और परियोजनाओं के प्रमुखों की भी सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि कुछ प्रोजैक्ट ऐसे हैं जो निश्चित अवधि में, शैड्यूल्ड टाईम में पूरे नहीं हुए हैं। इसके फलस्वरूप उनकी एस्टीमेटिड कॉस्ट बढ़ जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो प्रोजैक्ट निश्चित अवधि में पूरे नहीं हुए हैं उनके बारे में विशेष ध्यान देकर क्या उन्हें अग्रिमता के आधार पर पूरा करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एच० आर० भारद्वाज : वास्तव में पहले इन बातों का पता लग सका था। अब हमारे पास कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। हम इन परियोजनाओं और इनकी कठिनाइयों के बारे में जान सकते हैं। हम सब कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि सचिवों की उच्च-शक्ति प्राप्त समिति भी गठित की गई है। किसी भी समस्या के मामले में वे प्रमुख मंत्रालय से चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। मैंने स्वयं भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की है। अतः एक प्रकार का समन्वय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सभी परियोजनाएं विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत आती हैं। अतः एक समन्वयकारी प्रयास जारी है जिसके अच्छे परिणाम आने की संभावना है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि 'रामागुण्डम ओपन कॉस्ट—दो' और 'मानुगुरु ओपन कॉस्ट—दो' के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में अनेक ताप बिजली गृह बंद हो गए हैं। यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय कोयला मंत्रालय के साथ इस मामले को शीघ्र उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन परियोजनाओं के लिए शीघ्रातिशीघ्र धन

उपलब्ध कराया जाए और आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में घाटा कम किया जाए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : यह मामला विचाराधीन है। कोयला और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करने में कुछ कठिनाइयां हैं। हम इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं।

[अनुवाद]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को आवंटित राशि

*493. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया; और

(ख) प्रत्येक राज्य को अब तक वास्तव में कितना धन दिया गया है ?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1991-92 के दौरान राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को आबंटित तथा रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय निधियों का आबंटन	14 अगस्त, 1991 तक रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2588.76	1294.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	234.72	53.79
3.	असम	707.03	353.51
4.	बिहार	5180.90	2125.88
5.	गोवा	48.90	24.45
6.	गुजरात	1066.06	533.05
7.	हरियाणा	255.10	127.55

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	91.33	44.34
9.	जम्मू व कश्मीर	127.55	27.65
10.	कर्नाटक	1620.34	810.17
11.	केरल	880.24	440.12
12.	मध्य प्रदेश	3432.78	1656.56
13.	महाराष्ट्र	2773.00	1386.50
14.	मणिपुर	20.47	10.24
15.	मेघालय	61.41	26.61
16.	मिजोरम	97.80	48.90
17.	नागालैण्ड	102.69	51.35
18.	उड़ीसा	1695.92	814.30
19.	पंजाब	215.73	107.87
20.	राजस्थान	1653.41	809.19
21.	सिक्किम	19.56	9.78
22.	तमिलनाडु	2324.22	1162.11
23.	त्रिपुरा	72.43	36.22
24.	उत्तर प्रदेश	6928.56	3464.28
25.	पश्चिम बंगाल	2895.83	1447.91
26.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	48.90	14.67
27.	दादरा व नगर हवेली	9.78	4.89
28.	दिल्ली	48.90	21.45
29.	दमण व द्वीप	19.56	9.78
30.	लक्षद्वीप	5.00	2.50
31.	पांडिचेरी	39.12	19.56
	अखिल भारत	35266.00	16942.56

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : सरकार ने निधि का आवंटन किया है और अभी तक इसकी 50 प्रतिशत राशि ही जारी की है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शेष निधि को रिलीज करने के लिए कदम उठा रही है और क्या इस योजना के संशोधन का कोई सरकारी प्रस्ताव लम्बित है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच० पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह जो पैसा रिलीज किया है और जैसे-जैसे काम हो रहा है तो बाकी पैसा वैसे ही रिलीज किया जाता है, विलम्ब नहीं होता।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : डा० आर० डी० ए० के प्रोजेक्ट अधिकारियों की हाल ही में हुई बैठक में सरकार ने संकेत दिया था कि वे योजना को संशोधित कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का योजना में कोई परिवर्तन करने का विचार है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच० पटेल : हमने इस कार्यक्रम में महिलाओं का हिस्सा तीस प्रतिशत रखा था, अब उसको बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है, अनुसूचित जाति/जनजाति का जो 30 प्रतिशत हिस्सा था उसको 50 प्रतिशत कर दिया है। विकलांगों का तीन प्रतिशत कर दिया है और इसी तरह से हम आगे कार्य करेंगे।

[अनुवाद]

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उन लोगों को, जो छठी पंचवर्षीय योजना से लाभान्वित हुए थे, उन्हें निधि की द्वितीय किश्त देने का निर्णय किया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने स्थिति का मूल्यांकन किया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में द्वितीय किश्त लेने योग्य लाभान्वितों की वास्तविक प्रतिशत क्या है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई एच० पटेल : अब तक 380 लाख परिवारों को कवर किया गया है। 28 प्रतिशत परिवारों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया है। बाकी को सैकंड डोज के रूप में अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 494, डा० लक्ष्मी नारायन पांडेय—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 495, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 496, श्री भगवान शंकर रावत—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 497, श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : प्रश्न संख्या 497.

एक माननीय सदस्य : महोदय, अच्छी प्रगति है।

अध्यक्ष महोदय : गलती से प्रगति हुई है ।

विदेशी मुद्रा की हानि

*497. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-89 के दौरान हुई विदेशी मुद्रा की कुल हानि के संबंध में औद्योगिक विकास संबंधी अध्ययन संस्थान द्वारा संकलित किये गए आंकड़ों का सरकार ने अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ किए गए नये विदेशी सहयोगों से विदेशी मुद्रा की स्थिति और आगे नहीं बिगड़ेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1987-89 के दौरान हुई विदेशी मुद्रा की कुल हानि के संबंध में औद्योगिक विकास संबंधी अध्ययन संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी रिपोर्ट की सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 24 जुलाई, 1991 को सभा पटल पर रखे गये औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार यदि विदेशी इक्विटी आयातित पूंजीगत माल के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करती हो तो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में 51% विदेशी इक्विटी तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति होगी । ऐसे मामलों में लाभांश के भुगतान की भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए निगरानी भी की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभांश भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा के व्यय को एक अवधि में निर्यात आय से संतुलित किया जा सके। 51% विदेशी इक्विटी वाले प्रस्तावों सहित अन्य विदेशी इक्विटी के प्रस्तावों, जो निर्दिष्ट मानदण्ड पूरा नहीं करते हों, के लिए पूर्व स्वीकृति लेनी होगी । इन प्रस्तावों को स्वीकृति देते समय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी मुद्रा का व्यय न्यूनतम रहे ऐसी शर्तें निर्धारित कर सकती है जो आवश्यक हों ।

अध्यक्ष महोदय : आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको पूरक प्रश्न पूछना है ? ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है ।

[अनुवाद]

मैं अगले प्रश्न पर आता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नए सदस्य के साथ सहयोग करें।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : महोदय, मैंने इसके इतनी जल्दी आने की आशा की थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपकी कठिनाई समझ सकता हूं।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, विदेशी मुद्रा औद्योगिक विकास संबंधी अध्ययन संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम उठा रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हां, महोदय, सरकार सभी संभव कदम उठा रही है···(**व्यवधान**) सरकार विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधारने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है। नई औद्योगिक नीति में हमने सुनिश्चित किया है कि आयात के कारण विदेशी मुद्रा कोष में होने वाली कमी को कम-से-कम किया जाए और विदेशी इक्विटी या विदेशी विनिमय अधिक किया जाए और हम अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति : महोदय, अभी हाल ही में शुरू की गई एग्जिम स्क्रिप्स निर्यात के लिए प्रेरक नहीं है क्योंकि एग्जिम स्क्रिप्स खुले बाजार में भी बिक रही है—स्टाक एक्सचेंज में भी। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस संबंध में कुछ करेगी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए। फिर भी मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। सरकार की इच्छा आयात को कम करने की है। इसीलिए हमने एग्जिम स्क्रिप्स की नई व्यवस्था शुरू की है। जहां तक सम्भव हो, आयात कम करना चाहिए। इसीलिए हमने वह पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी है जिसमें कुछ शर्तों पर आयात की अनुमति दी जाती थी। अब अगर कोई उत्पादक आयात करना चाहता है तो उसे एग्जिम स्क्रिप्स खरीदनी होगी जो महंगी है। इसलिए, वो आयात कम करने का प्रयास करेगा और अधिक निर्यात करने का प्रयत्न करेगा। वास्तव में, नई नीति आयात कम करने पर और निर्यात बढ़ाने पर बल देती है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*498. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य में विकसित किये गये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) इन उद्योगों को अपना विस्तार करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितना अनुदान दिया है; और

(घ) नए उद्यमियों को केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक), गुवाहाटी नामक दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं । वर्ष 1989-90 में माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड ने कलकत्ता से बन लाइन को मद्रास में स्थानान्तरित करके ब्रेड बनाने की एक और लाइन स्थापित की, कोचीन और मद्रास में ब्रेड प्लांट का आधुनिकीकरण किया और दिल्ली में दो और ब्रेड लाइनें स्थापित करने संबंधी कार्य शुरू किया । इस कंपनी ने वर्ष 1990-91 में दिल्ली स्थित इसके फ्रूट जूस बाटलिंग प्लांट की क्षमता में भी विस्तार किया । उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक) ने पिछले दो वर्षों में कोई नया प्लांट स्थापित नहीं किया लेकिन यह नालकटा में फ्रूट जूस सांद्रण संयंत्र का विकास करने का प्रयत्न कर रहा है।

माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड अपनी ब्रेड बनाने संबंधी गतिविधियों का विस्तार नहीं कर पाई है क्योंकि मूलत: ब्रेड उद्योग लघु उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है । परन्तु कंपनी के ब्रेड और फल पर आधारित पेय के फ्रैंचाइज्ड (विशेषाधिकार प्राप्त) तथा सहायक यूनिटों का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं ।

नेरामक पूरे वर्ष कच्चे माल की अनुपलब्धता, उपयुक्त पैकेजिंग सामग्री के समय पर उपलब्ध होने में कठिनाई के कारण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कठिन क्षेत्र में ढुलाई संबंधी बाध्यकारिताओं और अन्य बुनियादी समस्याओं सहित विपणन और संगठनात्मक समस्याओं के कारण मुख्यत: संतोषजनक कार्य नहीं कर पाया । निगम के कार्य का गहराई से अध्ययन करने और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें देने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि निपणन निगम लिमिटेड (नेरामक) को बजटीय समर्थन निम्न प्रकार दिया :—

(करोड़ रुपयों में)

केन्द्र सरकार के उपक्रम	वर्ष	इक्विटी	ऋण	जोड़
माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज	1989-90	1.28	1.28	2.56
(इंडिया) लिमिटेड	1990-91	0.95	0.95	1.90
उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय	1989-90	—	—	—
कृषि विपणन निगम लिमिटेड	1990-91	—	0.90	0.90

यह मंत्रालय उद्यमियों को सीधे वित्तीय सहायता नहीं देता है लेकिन राज्य सरकारों, राज्य सरकारों के उपक्रमों, संयुक्त सेक्टर के उपक्रमों और राज्य स्तरीय सहकारिताओं को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने या विस्तार करने हेतु विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान/सहायता देता है। वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत निम्नलिखित अनुदान दिए गए :—

1989-90	11.14 करोड़ रु०
1990-91	11.58 करोड़ रु०

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित की गई औद्योगिक नीति के अनुसार पैकेजिंग सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। भारतीय उद्यमियों द्वारा पूंजी, प्रौद्योगिकी और विपणन बढ़ाने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं और इन पर अनुमोदन शीघ्र ही दे दिया जाएगा। हाल ही में घोषित निर्यात नीति "एक्जिम स्क्रिप्ट" को जारी करके निर्यात के लिए प्रोत्साहन देती है जिससे आयातित पूंजीगत वस्तुओं, तकनीकी जानकारी शुल्क, रायल्टी और कच्चे माल आदि की अदायगी की जा सकती है। खाद्य प्रसंस्करण सैक्टर में उद्योगों की स्थापना/विस्तार करने के लिए हाल ही के बजट में दी गई विभिन्न उत्पाद शुल्क राहतें भी उद्योग के लिए प्रोत्साहन होंगी।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है—खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को कुल कितनी राशि दी है ? नए उद्यमियों को दी जाने वाली राशि क्या है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही एक विस्तृत वक्तव्य दे चुका हूं। माननीय मंत्री द्वारा पूछा गया पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है। हम राज्य सरकारों और उसकी संस्थाओं को सहायता दे रहे हैं और उद्यमियों को सहायता देने वाली योजनाओं का निर्णय करना राज्य सरकार के ऊपर होता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यह राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही है। इसीलिए उन्होंने राशि नहीं बताई है।

श्री सुधीर गिरि : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है—क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत के उत्तरी भाग में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के प्रयास किए हैं ? क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि वे पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए पूंजी का विकेन्द्रीकरण करने के बारे में कदम उठाएंगे ?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, यह प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सार्वजनिक क्षेत्र के एककों के बारे में है।

दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं—माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामक), इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (नेरामक) को गोहाटी में

स्थापित करने की सरकार की मंशा यह थी कि उत्तर पूर्वी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों को स्थापित करने में सहायता की जा सके ।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यहां कोई केबिनेट मंत्री नहीं है जो कोई उत्तर दे सकता है ।

एक माननीय सदस्य : कृपया बाधा न डालें ।

श्री गिरिधर गोमांगो : इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नेरामक की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए हमने अभी एक समिति बनाई है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है । मन्त्रालय इसकी जांच कर रहा है और वे इन समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों के खाद्य प्रसंस्करण एककों को नेरामक द्वारा सहायता दी जा सके ।

श्री सुधीर गिरि : मुझे माननीय मन्त्री से स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । मैं जानना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में पूंजी निवेश करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री गिरिधर गोमांगो : खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए हम प्रत्यक्षत: उद्यमियों की सहायता नहीं कर रहे । हम राज्य सरकारों की सहायता राज्य सरकारों द्वारा उभयनिष्ठ सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए कर रहे हैं जहां हम 50 प्रतिशत सहायता दे रहे हैं । सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नेरामक और सरकार द्वारा स्थापित उत्तर पूर्वी परिषद् उत्तर पूर्वी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने के लिए हैं ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : महोदय, वर्तमान समय में मछली उत्पादन भी काफी बढ़ा है । मत्स्य प्रसंस्करण एकक देश के कुल मछली उत्पादन के अनुरूप नहीं है । क्या सरकार का प्रस्ताव और अधिक मत्स्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है—ऐसे एकक जो मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए हों निर्यात के लिए भी और देशी खपत के लिए भी, जिसमें आन्ध्र प्रदेश को विशेष महत्त्व मिले ?

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, सदस्य द्वारा पूछा गया पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से प्रत्यक्षत: सम्बन्धित नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या आप मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री गिरिधर गोमांगो : सीधे हमारे द्वारा नहीं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण उद्योग है और इसमें रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं । किन्तु इसकी दशा अत्यन्त खराब है । उद्यमियों की मुख्य समस्याएं हैं (1) आर्थिक समस्याएं । उन्हें वित्तीय सहायता समय पर नहीं मिलती । (2) नए उद्यमियों के लिए कोई उचित सलाह और निर्देश देने की कोई व्यवस्था नहीं है । महोदय, इस क्षेत्र में छोटे उद्यमी आएंगे । सरकार वित्तीय सहायता नहीं देती । सरकारी सहायता 1989-90 में, शायद सिर्फ 0.14 करोड़ रु० थी और 1990-91 में सिर्फ 11.54 करोड़ रुपए । एक पूरे वर्ष के लिए 11.58 करोड़ रुपए कुछ नहीं होते । क्या सरकार उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों, जो सरकार को पहले ही

मिल चुकी हैं, पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखेगी कि बैंकों अथवा वित्तीय निगमों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएं और नए उद्यमियों को उचित सलाह तथा मार्गदर्शन मिले ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, मैंने पहले ही मुख्य प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उनके प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति और आयात तथा नियति नीति तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, नए उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्कृत एककों की स्थापना करने में लाभदायक होगा ।

उसके अतिरिक्त महोदय, हाल ही में सरकार ने पहली बार अनेक खाद्य संसाधित उद्योगों को उत्पाद-शुल्क से छूट दी है । ये सभी बातें उद्यमियों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन देंगी । इसके अतिरिक्त यह मन्त्रालय राज्य सरकारों को आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु खाद्य संसाधित इकाइयों को 50 प्रतिशत राज-सहायता दे रहा है । सरकार द्वारा प्रदत्त इन सभी प्रोत्साहनों के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक खाद्य संसाधित इकाइयां स्थापित की जाएंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों से जोड़ा जाएगा ताकि ये इकाइयां अर्थक्षम हों । हम इसकी चर्चा संबंधित मंत्रालयों तथा भारत सरकार के विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों से भी करेंगे ताकि प्रदत्त सुविधाओं और प्रोत्साहन राज्यों के साथ-साथ खाद्य संसाधित इकाइयों के उद्यमियों के लिए भी फायदेमंद हों ।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पास बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र तथा मछलियों का बहुत बड़ा स्रोत है । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने बड़े पैमाने पर मछली संसाधन शुरू करने का कोई कार्यक्रम शुरू किया है ।

अध्यक्ष महोदय : मनोरंजन जी, यह उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता ।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, गहरे समुद्र से मछली पकड़ना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आता है । हम इस योजना के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी समुद्री जहाजों के लिए परमिट जारी करते हैं । हम निजी क्षेत्र में मछली संसाधन इकाइयों की स्थापना के लिए सीधे वित्तपोषण नहीं करते बल्कि हम इस क्षेत्र मे सरकारी/सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्र की एककों को सहायता प्रदान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आंध्र प्रदेश के सदस्य महोदय ने भी यही प्रश्न पूछा है ।

श्री गिरिधर गोमांगो : निःसन्देह यह वही प्रश्न है जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों के माननीय सदस्य ने पूछा है । उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार पोर्ट-ब्लेयर में मत्स्य-संसाधन का कार्य शुरू करेगी ? महोदय, मछली स्रोतों का सर्वेक्षण करने के लिए भारत के मछली-पालन सर्वेक्षण की एक शाखा पोर्ट ब्लेयर में स्थापित है ।

[हिन्दी]

सीमेंट कारखाने

*500. **श्री राजवीर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय सीमेंट कारखाने कहां-कहां चल रहे हैं और उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई सीमेंट कारखाना लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) देश में संगठित क्षेत्र में चल रहे सीमेंट कारखानों के ब्यौरे संलग्नक अनुबंध में दिए गए हैं, केन्द्र द्वारा इनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ख) और (ग) भारत सरकार के सरकारी क्षेत्र के उद्यम में, सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सीमेंट ग्राइंडिंग एकक की स्थापना करने के लिए स्थापना-स्थल को भटिंडा (पंजाब) से बदलकर बागपत (उत्तर प्रदेश) करने के लिए आवेदन किया था।

मैं० दर्शन आयल्स (प्रा०) लि० ने छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना के अधीन सीमेंट के विनिर्माण के लिए जिला अलीगढ़ (उ० प्र०) में 66,000 मी० टन वार्षिक क्षमता का एक अतिलघु सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए आवेदन किया था।

हाल में अधिसूचित की गई संशोधित लाइसेंस नीति के अधीन नई सीमेंट परियोजनाएं लगाने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

अनुबंध

(लाख मी० टन)

क्रम सं०	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
	उत्तर		
	जम्मू और कश्मीर		
1.	जम्मू और कश्मीर सीमेंट लि०, बिल्यू	बिल्यू	2.00
	हिमाचल प्रदेश		
1.	ए० सी० सी० लि०, गागल	बिलासपुर	5.60
2.	सी० सी० आई० लि०, राजबन	पोन्टा	2.00
		कुल	7.60

(लाख मी० टन)

क्र. सं	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल		अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
	हरियाणा			
1.	ए० सी० सी० लि०, भुपेन्द्रा	सूरजपुर (अंबाला)		4.06
2.	सी० सी० आई० लि०, चरखी दादरी	भिवानी		1.72
			कुल	5.78
	उत्तर प्रदेश			
1.	उ० प्र० राज्य सीमेंट निगम लि० चुनर	मिर्जापुर		16.80
2.	,, ,, पर्क	सोनभद्रा		4.75
3.	,, ,, डाला	सोनभद्रा		4.32
4.	डायमंड सीमेंट वर्क्स, झांसी	झांसी		3.60
			कुल	29.47
	दिल्ली ग्राईंडिंग एकक	ओखला, दिल्ली		5.00
	राजस्थान			
1.	बिरला सीमेंट, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़		9.00
2.	ए० सी० सी० लि०, लाखेरी	बून्दी		3.22
3.	लक्ष्मी सीमेंट वर्क्स	बनास		5.00
4.	मंगलम सीमेंट वर्क्स	कोटा		4.00
5.	जे० के० सिंथेटिक लि०, निम्बाखेड़ा	चित्तौड़गढ़		15.40
6.	डी० सी० एम० उद्योग श्रीराम	कोटा		2.00
7.	श्री सीमेंट वर्क्स, ब्यावर	ब्यावर		6.00
8.	जयपुर उद्योग लि०, सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर		10.00
9.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	उदयपुर		6.00
			कुल	60.82
			कुल उत्तर	110.47

(लाख मी० टन)

क्र. सं.	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
	पूर्व		
	असम		
1.	सी० सी० आई० लि०, बोकाजन	कार्बाई अंग-लोंग	2.00
	बिहार		
1.	कल्यानपुर सीमेंट [बजारी]	रोहतास	4.80
2.	ए० सी० सी० लि०, चाईबासा	सिंहभूम	7.82
3.	रोहतास इंडस्ट्रीज	रोहतास	6.20
4.	एच० एम० पी०, खलारी	रांची	1.09
5.	ए० सी० सी० लि०, सिंदरी	धनबाद	3.05
6.	सोन भेली पोर्टलैंड, जापला	पलामू	2.54
		योग	25.50
	उड़ीसा		
1.	हीरा सीमेंट, बरगढ़	संभलपुर	5.65
2.	उड़ीसा सीमेंट (राजगंगपुर)	सुंदरगढ़	5.25
		योग	10.90
	पश्चिम बंगाल		
1.	बिड़ला सीमेंट (दुर्गापुर)	दुर्गापुर	6.00
2.	दामोदर स्लग लि०	पुरूलिया	2.60
		योग	8.60
	मेघालय		
1.	मावमलूचेरा सीमेंट वर्क्स	शीलोंग	2.84
		कुल पूर्व	49.84
	पश्चिम		
	गुजरात		
1.	श्री दिग्विजय सीमेंट वर्क्स, अहमदाबाद	अहमदाबाद	1.00
2.	नर्मदा सीमेंट, मगदाला	सूरत	6.67

(लाख मी० टन)

क्र. सं.	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
3.	एच० एम० पी० सीमेंट, पोरबन्दर	पोरबन्दर	2.00
4.	सौराष्ट्र सीमेंट, रानाबाव	रानावाव	8.63
5.	मनोर इन्वेस्टमेंट, सेवालिया	खेदा	2.15
6.	श्री दिग्विजय सीमेंट, सीक्कना	जामनगर	12.25
7.	गुजरात अंचुजा सीमेंट वर्क्स	अमरेली	7.00
8.	सी० सी० आफ गुजरात	जूनागढ़	10.00
9.	मनोर इंवेस्टमेंट, द्वारका	जामनगर	2.77
		योग	52.47
	महाराष्ट्र		
1.	ए० सी० सी० लि०, चंदा	चंदा	5.60
2.	नर्मदा सीमेंट, रत्नागीरि	रत्नागीरि	3.33
3.	लारसन और टूब्रो	चन्द्रपुर	22.18
4.	मानिकगढ़ सीमेंट वर्क्स	चन्द्रपुर	10.00
		योग	41.11
	मध्य प्रदेश		
1.	सी० सी० आई० लि०, अकलतारा	बिलासपुर	4.00
2.	डायमंड सीमेंट्स	दमोह	5.25
3.	ए० सी० सी० लि०, जमूल	दुर्ग	15.80
4.	जे० पी० रीवा	रीवा	20.00
5.	ए० सी० सी० लि०, केमोरे	केमोरे	7.82
6.	मैपुर सीमेंट्स	सतना	8.00
7.	सी० सी० आई० लि०, मंडहर	रायपुर	3.80
8.	मोदी सीमेंट्स वर्क्स	रायपुर	12.00
9.	सी० सी० आई० लि०, नीमच	मंदसौर	4.00

(लाख मी० टन)

क्र० सं०	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
10.	रेमंड सीमेंट वर्क्स	बिलासपुर	12.00
11.	बिरला सीमेंट, सतना	सतना	15.50
12.	सेंचुरी सीमेंट्स, टिल्डा	रायपुर	8.00
13.	विक्रम सीमेंट्स	मंदसौर	20.00
		योग	136.17
		योग पश्चिम	229.75
	दक्षिण		
	कर्नाटक		
1.	मैसूर सीमेंट्स, अम्मासन्द्रा	टुमकुर	7.00
2.	कनोरिया इंड, बागलकोट	बीजापुर	3.30
3.	सी० सी० आई० लि०, कुरकुन्ता	गुलबर्ग	2.00
4.	भद्रावती	वही	1.00
5.	ए० सी० सी० लि०, वादी	वही	16.00
6.	इंडियन रेयन (राजश्री)	वही	10.80
7.	वासवदत्ता सीमेंट्स	वही	5.00
8.	एच० एम० पी० सीमेंट्स, शाहबाद	वही	5.45
		योग	50.55
	केरल		
1.	मालावार सीमेंट (पालघाट)	पालघाट	4.20
	आंध्र प्रदेश		
1.	सी० सी० आई० लि०, आदिलाबाद	आदिलाबाद	4.00
2.	इंडिया सीमेंट, चिमलकूर	कुड्डपाह	10.00
3.	मद्रास सीमेंट, जयन्तीपुरम	कृष्णा	7.50
4.	एच० एम० पी० किसतना	गुंटूर	2.14

(लाख मी० टन)

क्र० सं०	कारखाने/राज्य/क्षेत्र का नाम	स्थापना स्थल	अधिष्ठापित वार्षिक क्षमता
5.	केसोरम सीमेंट्स	करीम नगर	9.00
6.	के० सी० पी० मचेरला	गुंटूर	2.54
7.	ए० सी० सी० लि०, मेंचीरियल	आदिलाबाद	3.35
8.	आंध्र सीमेंट, नादिकुडे	गुंटूर	5.00
9.	पेनयाम सीमेंट्स वर्क्स	कुरनूल	5.31
10.	प्रियदर्शनी सीमेंट्स लि०	हैदराबाद	6.00
11.	ओरियंट सीमेंट्स लि०	आदिलाबाद	9.00
12.	रास्सी सीमेंट	नालगोंडा	11.00
13.	टेक्समाको सीमेंट वर्क्स	कुड्डपाह	5.00
14.	सी० सी० आई०, तंदूर	रंगारेड्डी	10.00
15.	श्री विष्णु सीमेंट	सोमाजीगुडा	5.00
16.	आंध्र सीमेंट्स, विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	2.40
17.	आंध्र सीमेंट, विसाखापत्नम	विजयवाड़ा	5 00
18.	सी० सी० आई०, येरेंगुंटला	कुड्डपाह	4.00
		योग	107.70
	तमिलनाडु		
1.	तमिलनाडु सीमेंट, अलंगुलम	कामीरजर	4.00
2.	तमिलनाडु सीमेंट, आर्यालूर	त्रिची	5.25
3.	चेट्टीनाड सीमेंट वर्क्स, करूर	—वही—	6.00
4.	डालमियापुरम सीमेंट (बी) लि०	चित्रनापल्ली	5.25
5.	ए० सी० सी० लि०, मदुक्करई	कोयंबटूर	5.20
6.	इंडिया सीमेंट, संकारीदुर्ग	सलम	6.00
7.	इंडिया सीमेंट, संकरनगर	अन्नासलाई	9.13
8.	मद्रास सीमेंट, तुलुकापट्टी	कामराजार	5.25
		योग	45.83
		योग दक्षिण	208.28
		कुल योग	598.34

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश में सीमेंट का जो अभाव है उसके लिए केन्द्रीय सरकार सीमेंट आपूर्ति के लिए नये कारखानों को कितनी सहायता देकर सीमेंट की समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रही है ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, इस समय देश में सीमेंट का अभाव नहीं है। समस्या आपूर्ति की है क्योंकि सीमेंट के अधिकतर कारखाने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में हैं जहां कच्चा माल उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमेंट के कम कारखाने हैं तथा उस क्षेत्र में सीमेंट की आपूर्ति की समस्या है। वहां कुछ आधारभूत सुविधाओं संबंधी कठिनाइयां हैं, विशेष तौर पर माल डिब्बों की। हमें पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे नहीं मिलते तथा सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव उपाय कर रही है ताकि मूल्यों में स्थिरता लाई जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि सीमेंट का कोई अभाव नहीं है, किन्तु सप्लाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए दूर-दराज तक सीमेंट पहुंच नहीं पाता है, इसके लिए कौन-सा महकमा जिम्मेदार है, अगर सीमेंट का अभाव नहीं है तो सीमेंट के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या बढ़े हुए मूल्यों पर रोक लगायेंगे, चैक करेंगे और आम आदमी को सही दरों पर सीमेंट मुहैया हो सके इसके लिए क्या योजना बनाई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने तो चार-पांच प्रश्न पूछे हैं, आप कोई भी एक प्रश्न पूछें, उसका जवाब देंगे।

श्री राजवीर सिंह : वह जवाब दे रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, सरकार मूल्य कम करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। परन्तु माननीय सदस्य को यह भी पता होगा कि कीमतें उत्पादन लागत पर निर्भर करती हैं। हाल ही में बी० आई० सी० पी० ने अध्ययन करके पता लगाया कि प्रति बोरे की कीमत 102 है तथा इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें मूल्य का आकलन करना चाहिए। मुख्य समस्या यातायात की है जिसे हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने सीमेंट निर्माताओं की पहले ही एक बैठक बुलाई है तथा उन्हें सीमेंट की कीमतें, जहां तक हो सके, कम करने के लिए कहा है। साथ ही माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि अगले पांच सालों के लिए हमें 25 मिलियन टन अतिरिक्त सीमेंट की आवश्यकता होगी। अतः हम इस क्षेत्र में अधिक निवेश करना चाहते हैं। पहले हम इस बात को देखते हैं कि इकाई अर्थक्षम हो। साथ ही आपूर्ति की व्यवस्था करके उपभोक्ताओं के लिए जहां तक सम्भव हो, सस्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसके लिए सरकार सभी संभव तरीके अपना रही है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, कुछ वर्ष तक देश में सीमेंट के बारे में दोहरी नीति थी। लेवी का सीमेंट गरीब लोगों को, आम लोगों को जिनको दस-पन्द्रह बोरी चाहिए उनको मिलता था और बड़े बिल्डर्स को जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाते थे उसके लिए दाम अलग थे। लेकिन सरकार ने न जाने किन दबावों के कारण डुआल पोलिसी को खत्म करके एक पालिसी कर दी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे क्या शर्तें थीं जिनके सामने झुककर सरकार ने मिल मालिकों की यह बात मानी और जो मिल-मालिकों ने आश्वासन दिया था कि हम इससे ऊपर प्राइस नहीं बढ़ने देंगे, अगर ड्यूअल प्राइस को आप खत्म कर देंगे, तो।

अध्यक्ष महोदय : नहीं खुराना जी, प्रश्न पूछिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि वह जो शर्तें थी क्या कारण है कि ड्यूअल प्राइस सिस्टम छोड़ने के बाद भी प्राइसेस बढ़ रही हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि सीमेंट आजकल कंट्रोल की वस्तु नहीं है। इस पर कीमत-नियंत्रण नहीं है।

दूसरे, एक समय लेवी-प्रणाली थी। परन्तु वह प्रणाली भी ठीक तरह से नहीं चली। अतः, आखिरकार सीमेंट गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि अधिकतर लेवी सीमेंट का उपयोग सरकारी कंपनियों और ठेकेदारों आदि द्वारा किया जाता था। वास्तव में ये फायदा गरीबों तक पहुंचता ही नहीं था जिनके लिए यह लेवी का सीमेंट होता था। अतः सरकार यह नहीं मानती कि लेवी निर्धारित करना उपभोक्ता के हक में है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीमेंट की कमी

*487. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को आगामी वर्षों में सीमेंट की कमी का सामना करना पड़ेगा;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सीमेंट उत्पादन में वृद्धि की पिछली प्रवृत्ति, नई क्षमताएं जोड़ने के लिए पहले ही से अनुमोदित योजनाओं और प्रदर्शित मांग को देखते हुए आगामी वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर सीमेंट की भारी कमी होने की आशा नहीं है।

(ग) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीमेंट का उत्पादन अधिकतम करने के वास्ते कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

(I) सीमेंट उद्योग को लाइसेंसमुक्त करना अर्थात् नए सीमेंट एकक लगाने या मौजूदा एककों में पर्याप्त विस्तार करने के लिए अब किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है;

(II) सीमेंट उद्योग को कोयले, रेल के माल-डिब्बों तथा अन्य आधारभूत सहायता की उपलब्धता की कड़ी निगरानी करना और जहां आवश्यक हो वहां तेजी से उपचारात्मक कार्रवाई करना; और

(III) मांग-आपूर्ति के क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए फालतू सीमेंट वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में सीमेंट की रेल से ढुलाई करना।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास

*488. **आचार्य विश्वनाथ शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, विशेषकर गाजीपुर जिले में औद्योगिक विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने गाजीपुर जिले में कोई उद्योग स्थापित किया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेषकर गाजीपुर, बदायूं, बरेली और अलीगढ़ में उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए दिए गए आशय-पत्रों, लाइसेंस मुक्त उद्योगों के पंजीकरणों और छूट प्राप्त उद्योगों के पंजीकरणों की संख्या नीचे दी गई है—

	1989	1990
आशय-पत्र	196	124
लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण	210	165
छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण	159	218

गाजीपुर जिले के लिए कोई आशय-पत्र जारी नहीं किया गया है।

किसी जिले अथवा क्षेत्र के औद्योगीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। किन्तु केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को लाइसेंस देने में प्राथमिकता, रियायती वित्त इत्यादि जैसे कुछ प्रोत्साहन देकर इनके प्रयासों में मदद करती है। गाजीपुर और बदायूं 'ग' श्रेणी के पिछड़े क्षेत्र हैं और ये इन क्षेत्रों को उपलब्ध प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) गाजीपुर, बदायूं, बरेली और अलीगढ़ जिलों में उद्योग लगाने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव लंबित पड़े हैं—

जिले का नाम	लंबित पड़े प्रस्तावों की संख्या
गाजीपुर	1
अलीगढ़	8
बरेली	10
बदायूं	6

[अनुवाद]

गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था

*490. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**

श्री मृत्युंजय नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों की संख्या क्या है;

(ख) इस वर्ष जून, 1991 तक राज्यवार गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा उनकी किस हद तक प्राप्ति हुई है; और

(घ) शेष गांवों को कब तक पीने के पानी की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) पेयजल की समस्या वाले पता लगाए गए गांवों की संख्या के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इस वर्ष जून, 1991 तक राज्यवार गांवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने में हुई प्रगति संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार इस सम्बन्ध में निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त हुई उपलब्धि संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

(घ) शेष "बिना जल स्रोत' वाले सभी समस्याग्रस्त गांवों को 1992-93 के अन्त तक पीने के पानी की सुविधाएं मुहैया करा दिए जाने की सम्भावना है।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पता लगाए गए पेयजल समस्या वाले गांवों की संख्या (1-4-85 की स्थिति)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	15834
2.	अरुणाचल प्रदेश	391
3.	असम	9570
4.	बिहार	9199
5.	गोवा	38
6.	गुजरात	4911
7.	हरियाणा	2314
8.	हिमाचल प्रदेश	3539
9.	जम्मू व कश्मीर	2959
10.	कर्नाटक	5410
11.	केरल	88
12.	मध्य प्रदेश	14714
13.	महाराष्ट्र	5174
14.	मणिपुर	862
15.	मेघालय	3658
16.	मिजोरम	595
17.	नागालैण्ड	623
18.	उड़ीसा	14443
19.	पंजाब	2254
20.	राजस्थान	7310
21.	सिक्किम	121
22.	तमिलनाडु	4882
23.	त्रिपुरा	2893

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	43906
25.	पश्चिम बंगाल केन्द्र शासित क्षेत्र	5930
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	40
27.	चण्डीगढ़	0
28.	दादर व नगर हवेली	0
29.	दमन व द्वीप	0
30.	दिल्ली	0
31.	लक्षद्वीप	11
32.	पांडिचेरी	53
	अखिल भारत	161722

विवरण-II

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	पता लगाए गए बकाया समस्याग्रस्त गांव (1-4-91 की स्थिति)	1991-92 में 30-6-91 तक पेयजल सुविधाओं के अन्तर्गत कवर किए गए समस्याग्रस्त गांव
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	88	1
4.	बिहार	7	5
5.	गोआ	0	0
6.	गुजरात	52	2
7.	हरियाणा	75	5
8.	हिमाचल प्रदेश	797	69

1	2	3	4
9.	जम्मू व कश्मीर	662	0
10.	कर्नाटक	0	0
11.	केरल	0	0
12.	मध्य प्रदेश	83	10
13.	महाराष्ट्र	52	0
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	1015	9
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैण्ड	19	0
18.	उड़ीसा	1101	15
19.	पंजाब	784	30
20.	राजस्थान	139	2
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	0	0
23.	त्रिपुरा	10	0
24.	उत्तर प्रदेश	449	3
25.	पश्चिम बंगाल	0	0
	केन्द्र शासित क्षेत्र		
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0
29.	दमन व द्वीप	0	0
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	अखिल भारत	5333	151

विवरण-III

समस्याग्रस्त गांव (संख्या)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	85	85	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2182	1375	3168	2724	444	356
4.	बिहार	1723	1450	275	229	44	37
5.	गोवा	10	10	3	3	0	0
6.	गुजरात	800	1213	417	318	99	47
7.	हरियाणा	440	333	400	360	171	96
8.	हिमाचल प्रदेश	566	532	320	320	310	310
9.	जम्मू व कश्मीर	450	415	469	299	335	243
10.	कर्नाटक	180	180	0	0	0	0
11.	केरल	27	14	13	12	1	1
12.	मध्य प्रदेश	2500	2072	428	282	146	63
13.	महाराष्ट्र	1100	1123	407	309	98	46
14.	मणिपुर	220	326	125	125	0	0
15.	मेघालय	700	470	500	462	750	406
16.	मिजोरम	155	151	162	140	68	68
17.	नागालैंड	165	164	199	173	26	7
18.	उड़ीसा	3000	3005	2358	1038	1320	219
19.	पंजाब	400	357	400	291	210	164
20.	राजस्थान	1800	1689	1285	885	348	261
21.	सिक्किम	62	40	22	15	7	7
22.	तमिलनाडु	1400	2104	821	803	18	18

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	700	639	662	532	0	120
24.	उत्तर प्रदेश	7000	7975	4193	3181	770	563
25.	पश्चिम बंगाल केन्द्र शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	9
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	25665	25722	16628	12501	5165	3032

दूरदर्शन से गुजराती भाषा में प्रसारित कार्यक्रम से लाभान्वित क्षेत्र

*492. **श्री महेश कनोडिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने क्षेत्र में गुजराती भाषा के दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकते हैं;

(ख) गुजराती भाषा के दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के अन्तर्गत कितने नए क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का गुजरात में उच्च शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने तथा निम्न शक्ति के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र, राजकोट द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम सम्बन्धित उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए जाते हैं। ये ट्रांसमीटर किनारे के सेवा प्राप्त करने वाले क्षेत्र सहित लगभग 82,900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से कवर करते हैं।

(ख) गुजरात के सभी उच्च शक्ति तथा अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उपग्रह के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से जोड़ने की व्यवस्था कर ली गई है, ताकि दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद से प्रसारित होने वाले क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम इन ट्रांसमीटरों से रिले किए जा सकें।

इस क्षेत्रीय सेवा के आरम्भ होने से किनारे के सेवा प्राप्त करने वाले लगभग 1,23,290 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में गुजराती कार्यक्रम उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है ।

(ग) और (घ) भुज में वर्तमान अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्च शक्ति (10 कि० वा०) ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है जिसका एण्टीना 300 मीटर ऊंचे आर० सी० सी०, टी० वी० टावर पर स्थित होगा । इसके चालू हो जाने पर, कवरेज क्षेत्र में लगभग 26,600 वर्ग कि० मी० की वृद्धि हो जाने की उम्मीद है ।

[हिन्दी]

अखबारी कागज का आयात

*494. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उसका अनुमानतः मात्रा में आयात किया जायेगा; और

(ग) देश में अखबारी कागज की मांग की तुलना में इसका वार्षिक उत्पादन कितना होता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 2.26 लाख मी० टन ।

(ख) राज्य व्यापार नियम ने अभी तक 1.47 लाख मीट्रिक टन के आयात का अनुबन्ध किया है । अखबारी कागज का और आयात करना मुक्त विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(ग) देश में अखबारी कागज का उत्पादन प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न रहा है । 1990-91 के दौरान देश में 2.80 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज का उत्पादन हुआ । 1991-92 के लिए 2.95 लाख मीट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान है, जबकि अखबारी कागज की कुल अनुमानित मांग 5.85 लाख मीट्रिक टन की है ।

[अनुवाद]

महासागर विकास विभाग की योजनाएं

*495. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में महासागर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं पर वर्षवार और योजनावार कितना खर्च किया गया; और

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) महासागर विकास विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों की अवधि में विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्च और उपलब्धियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) विभाग द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान किए गए खर्च का ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।

(ख) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

1. सजीव और निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन

समुद्र तल स्थलाकृति का अन्वेषण करने के लिए तथा विभिन्न समुद्र वैज्ञानिक प्राचलों और जैव मात्रा विवरण का अध्ययन करने के लिए इस अवधि के दौरान तटरेखा से 200 समुद्री मील तक फैले जघन्य आर्थिक क्षेत्र में इस विभाग के दो अनुसंधान जलयानों द्वारा 65 समुद्री यात्राएं की गईं।

2. बहुधात्विक पिण्डिकाओं का विदोहन

हिन्द महासागर में आबंटित 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र के क्रमबद्ध अनुगम्भीर मानचित्रण के लिए अन्वेषण पहले ही किया जा चुका है। केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान, दुर्गापुर इन पिंडिकाओं के खनन के लिए एक गहरी समुद्र संस्तर खनन प्रणाली को विकसित कर रहा है। इस प्रक्रिया को प्रायोगिक संयंत्र पैमाने तक समुन्नयन करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में धातुकर्म प्रक्रमों का प्रयोगशाला पैमाने पर बिकास करना शुरू कर दिया गया है।

3. तटीय क्षेत्र और द्वीप

महासागर से संबंधित विभिन्न प्राचलों पर आंकड़ों के संग्रह, भण्डारण, प्रक्रम और प्रकीर्णन के लिए एक राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को अभिकल्पित किया गया है। मछुआरों के मार्गदर्शन के लिए सम्भावित मत्स्यन क्षेत्रों के सम्बन्ध में आंकड़ों के प्रकीर्ण और तटीय पर्यावरण एवं पारितंत्रों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय समुद्री सुदूर संबेदन सेवा को संगठित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण, हैदराबाद अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद और राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा आदि को शामिल किया गया है। इसी प्रकार ज्वारनदमुखों और तटीय क्षेत्र में प्रदूषकों के बहाव की दर के प्रमात्रीकरण के लिए एक तटीय महासागर मॉनिटरिंग और प्रागुक्ति प्रणाली को अभिकल्पित किया गया है। केरल में तिरुवनन्तपुरम के निकट विझिंजम पोताश्रय पर 150 किलोवॉट के प्रायोगिक तरंग विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। अण्डमान द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में एक अर्ध-गहन झींगा जल कृषि परियोजना की स्थापना के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है। तट पर छः ज्वार प्रमापी केन्द्रों को आधुनिकीकरण तथा समुद्र तल विभिन्नताओं को मॉनिटरिंग के लिए चुना गया।

4. अनुसंधान, विकास और विशिष्ट जनशक्ति

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में महासागर परिसंचरण और वायु जल विनिमय प्रक्रियाओं में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक एकक की स्थापना की गई थी। तटीय महासागर

अभिकल्प और प्रागुक्तीय प्रणाली के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और जादवपुर विश्व-विद्यालय, कलकत्ता में एक कक्ष (सैल) की स्थापना की गई। केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर में मिश्रित लवण से पोटाशियम क्लोराइड निकालने हेतु एक समुन्नत एकक की स्थापना के लिए एक परियोजना पर कार्य किया गया। केन्द्रीय औषध अनुसंधान, लखनऊ द्वारा समन्वित, समुद्र जल से औषधियों और रसायनों के विकास से सम्बन्धित, एक राष्ट्रीय परियोजना को कार्यान्वित किए जाने के लिए, हाथ में लिया गया। महासागर विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को अनुसंधान सहायता प्रदान की।

5. समुद्री यंत्रीकरण

राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोवा और अन्य संस्थाओं के माध्यम से मुक्त-पात अभिलेखन गंभीरताप लेखी, धारामापी, मूर्ड महासागर आंकड़ा प्लव, महासागर प्राचल अध्ययनों के लिए माइक्रो प्रोसेज पर आधारित यंत्रीकरण जैसे समुद्री यंत्रों को विकसित किया गया।

6. अंटार्कटिक अनुसंधान

अंटार्कटिक को भेजे गए तीन वैज्ञानिक अभियानों ने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। इन अभियानों के दौरान किए गए वैज्ञानिक कार्य बुनियादी और पर्यावरणीय विज्ञानों में अनुसंधान से सम्बन्धित थे। इन अध्ययनों में अंटार्कटिक पर्पटी, ऊपरी वायुमण्डलीय कवच (शैल), विशेषकर ओजोन और डी-परतों, जलवायु और अंटार्कटिक तथा उसके आस-पास के समुद्रों के पारितंत्रों को समझने से सम्बन्धित अध्ययन शामिल हैं। अनुकूल दशाओं में वैज्ञानिकों के प्रवास और कार्य में सहायता देने के लिए उपयुक्त सामान और इंजीनियरी प्रणालियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य भी किए गए।

प्रदेश के बर्कनेर द्वीप के पूर्वी और अनुसंधान सर्वेक्षण के लिए बेडल सागर में (नवम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक) एक अभियान भेजा गया। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री में एक स्थायी केन्द्र स्थापित किया गया जिसे बाद में पूर्ति आधार में बदल दिया गया।

गोवा में अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो गया है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

राष्ट्रमण्डल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, समुद्री अनुसंधान जलयान सागर कन्या का उपयोग करते हुए केरिबिन सागर में एक समुद्र वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया।

अंटार्कटिक में अगले 50 वर्ष तक खनन पर प्रतिबन्ध सहित अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए विस्तृत उपायों के एक नयाचार पर सहमति हुई थी जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पंजीकृत अग्रणी निवेशकों द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्वों के सम्बन्ध में बातचीत पूरी हो गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र विधि पर कंवेंशन के दोबारा लागू होने तक भारत को अगस्त, 1987 से निश्चित वार्षिक शुल्क 10 लाख अमरीकी डालर की छूट मिली है।

अनुबंध

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	योजना का नाम	1988-89 (आयोजना और आयोजना-भिन्न)	1989-90 (आयोजना और आयोजना-भिन्न)	1990-91 (आयोजना और आयोजना-भिन्न)
1	2	3	4	5
1.	सजीव और निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण और मूल्यांकन (समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जल-यान सागर-कन्या और सागर सम्पदा की अनुसंधान समुद्री यात्राएं)	590	639	619
2.	बहुधात्विक पिण्डिकाओं का अन्वेषण	347	640	542
3.	तटीय क्षेत्र और द्वीप	176.5	199	373
4.	अनुसंधान, विकास और विशेष जनशक्ति	91	201	263
5.	समुद्री यंत्रीकरण	7	5	77
6.	अंटार्कटिक अनुसंधान	114.8	1317	1246
7.	अवसंरचना, सचिवालय प्रदर्शनियां और मेले आदि	124.5	122	151
	योग :	2484	3123	3271

[हिन्दी]

राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन संबंधी मानदंड

*496. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन संबंधी मामदण्ड क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य को चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा आबंटित की गई है; और

(ग) मूल्यों में रियायत देने का क्या आधार है और कितनी रियायत दी जाती है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटन के निम्नांकित माप दण्डों के अनुसार प्रमुख आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करती हैं—

1. खाद्यान्न (चावल व गेहूं) का आबंटन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की स्थिति, बाजार में उपलब्ध मात्रा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पारस्परिक आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है ।

2. आयातित खाद्य तेल, केन्द्रीय सरकार के पास स्टाक उपलब्ध होने पर आबंटित किया जाता है।

3. मिट्टी के तेल का आबंटन आमतौर पर गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में आबंटित मात्रा के ऊपर उपयुक्त वृद्धि करके किया जाता है । वृद्धि की यह मात्रा मिट्टी के तेल के आयात के लिए उपलब्ध होने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर करती है ।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 की अनुमानित आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के समान प्रतिमान पर किया जाता है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी के आवंटन में 57 की वृद्धि करने का निर्णय किया है । उसके बाद स्थिति की पुनरीक्षा की जाएगी ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं होते हैं ।

(ख) एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण के लिए 1991 में अगस्त, 1991 तक, चावल, गेहूं, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल तथा लेवी चीनी का राज्यवार आबंटन दिखाया गया है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय निर्णय मूल्यों पर खाद्यान्न सप्लाई करने के लिए राज-सहायता के रूप में भारी राशि खर्च करती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए शुरू की गई एक योजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और अधिक राज-सहायता मुफ्त दरों पर, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न के सामान्य मूल्यों से कम हैं, खाद्यान्न वितरित किए जाते हैं।

विवरण

1991 में (अगस्त, 1991 तक) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए गए गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्यवार आबंटन।

(आंकड़े हजार मी० टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र पदेश	260.00	1578.00	202.25	3.86	382.35
अरुणाचल प्रदेश	7.20	75.40	2.51	0.10	6.22
असम	225.00	297.40	76.94	0.55	162.99
बिहार	378.00	71.00	267.67	2.50	309.40
गोवा	31.00	35.00	4.00	1.20	17.46
गुजरात	685.00	303.00	129.55	7.20	514.45
हरियाणा	160.00	25.00	51.09	1.30	99.43
हिमाचल प्रदेश	88.00	52.65	16.15	2.25	23.34
जम्मू व कश्मीर	160.00	293.00	13.07	1.30	42.55
कर्नाटक	340.00	389.00	142.15	4.26	290.47
केरल	225.00	1160.00	95.62	3.45	173.04
मध्य प्रदेश	350.00	185.00	200.25	4.50	252.70
महाराष्ट्र	920.00	367.00	239.50	10.60	970.02
मणिपुर	24.00	59.00	5.35	0.40	13.54
मेघालय	20.00	82.50	5.30	0.60	9.92
मिजोरम	10.00	69.00	2.09	1.20	4.06
नागालैण्ड	52.25	94.00	3.41	1.80	6.78
उड़ीसा	231.00	195.00	99.14	2.92	101.89
पंजाब	110.00	12.50	63.56	1.40	209.95
राजस्थान	665.00	26.60	135.31	1.74	173.41
सिक्किम	4.80	37.00	1.32	0.40	4.87

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु	240.00	610.48	180.38	3.58	429.91
त्रिपुरा	20.00	115.80	8.01	0.40	13.79
उत्तर प्रदेश	560.90	225.00	423.41	4.00	597.97
पश्चिम बंगाल	760.00	539.00	207.10	6.60	487.96
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	6.30	13.50	1.98	0.60	2.33
चण्डीगढ़	19.20	4.80	2.98	0.20	13.53
दादरा व नगर हवेली	1.60	4.50	0.41	0.18	1.87
दमन व द्वीप	1.20	4.15	0.31	0.27	1.96
दिल्ली	588.00	167.00	69.77	3.50	155.59
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.57	0.21	0.60
पाण्डिचेरी	6.00	17.00	3.20	0.40	9.49
योग :	7149.45	7008.78	2664.55	73.48	5483.62

चीनी कारखानों को जारी किए गए लाइसेंसों की समीक्षा

*499. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चीनी कारखानों की स्थापना के लिए 1990-91 में जारी किए गए लाइसेंसों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध से स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) इस समय और आगे समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल को नारियल के तेल की सप्लाई

*501 **प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित वनस्पति तेल के स्थान पर नारियल के तेल की सप्लाई हेतु केरल से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया, क्योंकि खाना पकाने के माध्यम के रूप में नारियल का तेल केवल केरल मूल के व्यक्तियों को ही स्वीकार्य हैं और इसलिए देश में अन्य स्थानों पर समाज के एक बहुत छोटे वर्ग को उसे सप्लाई करना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य और संभव नहीं होगा ।

तथापि, उक्त प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी को विचारार्थ भेज दिया गया है ।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की बरौनी स्थित यूनिट

*502. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड की बरौनी स्थित यूनिट वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान कितने-कितने दिन किन-किन कारणों से बंद रही तथा इसके परिणामस्वरूप निगम को कितनी हानि हुई; और

(ख) इस यूनिट का आधुनिकीकरण करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, ताकि इसका कार्य सुचारू ढंग से चले और इसका उत्पादन बढ़े ?

रसायन और उवर्रक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) बरौनी एकक काम बन्दी की सामान्य अवधि के अलावा 1988 में 154 दिनों के लिए, 1989 में 221 दिनों के लिए और 1990 में 150 दिनों के लिए बन्द रहा । इसके परिणामस्वरूप यूरिया के उत्पादन में क्रमश: 70,127 टन, 97,086 टन तथा 28,687 टन की हानि हुई ।

कामबन्दी के मुख्य कारण राज्य ग्रिड से अवरुद्ध तथा अस्थिर पावर आपूर्ति, संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण उपस्कर तथा मशीनरी का बारम्बार खराब होना तथा खराबियों को दूर करने में श्रमिकों की उत्पादकता आदि थे ।

(ख) निगम की अपने चालू एककों के निष्पादन में सुधार लाने की योजना के भाग के रूप में, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन से सीमित मात्रा में बरौनी एकक का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि आगामी कुछ वर्षों के लिए संयंत्र की आयु को बढ़ाया जाए और इसकी क्षमता उपयोगिता को बढ़ाया जाए ।

पाकिस्तानी टेलीविजन/रेडियो द्वारा सांस्कृतिक प्रहार

*503. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ब्रेसिंग अप टु स्टाप पाक टी० वी० इन्वेजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है

जिसमें पश्चिमी राजस्थान के लोगों द्वारा "डिश एन्टीना" स्थापित करके पाकिस्तान टी०वी०/रेडियो के सांस्कृतिक प्रहार को निष्प्रभावी बनाने हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सरकार ने हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 16 जुलाई, 1991 के अंक में "ब्रेसिंग अप टू स्टाप पाक टी० वी० इनवेजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) सरकार विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन/रेडियो सेवा को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को भली-भांति समझती है। सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन/रेडियो सेवा सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं।

[हिन्दी]

"कापार्ट" द्वारा संस्थाओं को धन का आवंटन

*504. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ग्रामीण विकास के लिए अनुदान हेतु "काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स ऐक्शन एण्ड रूरल टेक्नॉलॉजी" को कितने आवेदन भेजे थे;

(ख) कितनी संस्थाओं और समितियों को अनुदान दिया गया है तथा इन्हें कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया है; और

(ग) इन समितियों ने प्राप्त अनुदान में से कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः 2987 तथा 2411 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः 751 और 941 संस्थाओं और समितियों को अनुदान दिया गया था। इन संस्थाओं और समितियों को 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान क्रमशः 20.49 करोड़ रुपये और 17.34 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई थी।

(ग) लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं के संबंध में इन समितियों को क्रमशः 11.57 करोड़ रुपये और 6.69 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की थी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सिविल सेवा (संगठनों को मान्यता दिया जाना) नियम

*505. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (संगठनों को मान्यता दिया जाना) नियमों को जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले रद्द कर दिया था, केन्द्रीय सरकार ने फिर से बना लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये नियम पुन: कब बनाये गए थे;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन नियमों को कब तक बना लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) उच्चत्तम न्यायालय ने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1955 के नियम 4-ख को रद्द कर दिया था। चूंकि केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठनों को मान्यता) नियमावली, 1959 की रचना अन्य बातों के साथ-साथ उक्त नियम 4-ख के संदर्भ में की गई थी, अत: इन नियमों को अब निष्क्रिय समझा जा रहा है। मान्यता संबंधी नए नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि कतिपय मुद्दों का निहितार्थ व्यापक है इसलिए सरकार के लिए अन्तिम मत बनाना संभव नहीं हो पाया है।

(घ) इन्हें यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और रेडियो से संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों को प्रसारण

*506. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित किए गए कार्यक्रमों की प्रतिशतता अलग-अलग क्या है;

(ख) क्या इन कार्यक्रमों का प्रसारण करते समय दर्शकों और श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखा जाता है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान संस्कृत भाषा के कार्यक्रमों के प्रसारण को कितना समय दिया गया;

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए और उसे लोकप्रिय बनाने के लिए किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन में संस्कृत के लिए एक सैल स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) वर्ष 1990 के दौरान दूरदर्शन द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रसारित किये गए कार्यक्रमों की प्रतिशतता इस प्रकार है :

हिन्दी	—	40.4
अंग्रेजी	—	33.4
अन्य भारतीय भाषायें	—	26.2

चूंकि देश में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या बहुत अधिक है, जहां से विभिन्न भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। अतः एक स्थान पर इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1990 के दौरान संस्कृत में दूरदर्शन से लगभग 23 घंटे के तथा आकाशवाणी से लगभग 400 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

(घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विभिन्न भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम केवल सम्प्रेषण को ध्यान में रखकर प्रसारित किये जाते हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

दूरदर्शन केन्द्रों के प्रसारणों की परिधि में आने वाली बिहार की जनसंख्या

*507. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में विद्यमान दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रम बिहार की सारी जनसंख्या नहीं देख पाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है कि राज्य के सभी लोग दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देख सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। सारी जनसंख्या अभी कवर नहीं हो पाई है।

(ख) और (ग) वर्तमान में, राज्य की लगभग 86% जनसंख्या कवर होती है। वर्तमान नेटवर्क के सेवा क्षेत्र के किनारे के क्षेत्रों सहित, राज्य की 92% जनसंख्या को कवर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। दूरदर्शन सेवा में और सुधार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उर्वरकों पर राजसहायता

3651. **श्री एच० डी० देवगौड़ा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उर्वरकों पर राज्यवार कितनी राज सहायता दी गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : उर्वरकों पर आर्थिक सहायता का भुगतान राज्यवार नहीं किया जाता है। स्वदेशी उर्वरकों के मामले में, उर्वरक आर्थिक सहायता भुगतान सीधे उत्पादकों को किया जाता है और आयातित उर्वरकों के मामले में आयात की लागत संचालन और रख-रखाव लागत तथा सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बिक्री वसूली के

बीच के अन्तर को आर्थिक सहायता के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जाता है। छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर दी गई आर्थिक सहायता निम्न प्रकार थी।

	स्वदेशी और आयातित उर्वकों पर राजसहायता (रु० करोड़)
छठी योजना	4454.76
सातवीं योजना	13727.47
आठवीं योजना (1990-91)	4389.06

उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

3652. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को विभाजित करने/इसमें विविधता लाने संबंधी विषय की जांच कर ली गयी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड की क्या उपलब्धियां रहीं और इसकी भावी विस्तार योजना, यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को विभाजित करने/विविधता लाने/विस्तार करने का कोई निश्चित प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा ड्रग्स और केमिकल्स लि० के उत्पादन, बिक्री और लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं—

(रु० लाखों में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	लाभ/हानि (—)
1989-90	107.00	125.35	(—) 31.15
1990-91	93.00	135.00	(—) 40.77 (ए.स्थायी)

विज्ञापनों पर व्यय

3653. **श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा निगम कतिपय परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को संचालनाधीन, निर्माणाधीन और नियोजित रूप में विज्ञापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विज्ञापन किस प्रकार तैयार किए जाते हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे विज्ञापनों पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से किन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन जन-सामान्य में जागरूकता लाने संबंधी अपने कार्यक्रम के एक भाग के रूप में परमाणु बिजलीघरों, जिनमें काम कर रहे और निर्माणाधीन परमाणु बिजलीघर भी शामिल हैं, की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्रकाशित करता है।

(ख) जागरूकता संबंधी अभियान के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा के प्रमुख पहलुओं को बताने वाले दस लेखों को जुलाई, 1990 से धारावाहिक रूप में प्रकाशित किया गया। इन लेखों को कुछ दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में अंग्रेजी, हिन्दी और 6 क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 900 बार प्रकाशित किया गया। इस कार्य पर अब तक लगभग 75 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) इसका उद्देश्य परमाणु विद्युत के क्षेत्र में होने वाले विकास के बारे में जन-सामान्य में जागरूकता लाने को बढ़ावा देना और विशेषकर उसके सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर प्रमाणिक रूप से बल देते हुए जनता के मन में पैदा होने वाली शंकाओं को दूर करना है।

पैराक्सिलीन का उत्पादन/खपत

3654. **श्री धर्मन्ना मोन्डटया सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैराक्सिलीन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रत्येक उत्पादक/उपभोक्ता के लिए पैराक्सिलीन का कितना उत्पादन होने तथा खपत होने का अनुमान है;

(ग) यदि मांग और सप्लाई में कोई अंतर है तो यह कितना है और इस अंतर को पूरा करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी;

(घ) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पास उसकी भंडारण क्षमता से भी अधिक पैराक्सिलीन का विशाल भंडार है जिससे इस फालतू भंडार को कांडला पत्तन स्थित टैंकों में रखना पड़ रहा है;

(ङ) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड स्वदेशी उपभोक्ता को अपने पैराक्सिलीन भंडार बेचने में असमर्थ रहा है और इसे बंद किये जाने की योजना बना रहा है; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि पैराक्सिलीन का आयात देश में इसकी उपलब्धता का आकलन करने के पश्चात् ही किया जाये ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) डी०एम० टी०/पी०टी०ए० के लिए पैराजाइलीन मुख्य अंतर्वस्तु है। इनको पालिएस्टर फाइबर/यार्न के विनिर्माण में काम में लाया जाता है पैराजाइलीन के तीन उत्पादक हैं अर्थात् आई०पी०सी०एल०, बी०आर०पी०एल० और रिलायंस इंडस्ट्रीज लि०। ये डी०एम०टी० या पी०टी०ए० जैसी स्थिति हो, में अपने ही केप्टिव प्रयोग के लिए पैराजाइलीन का उत्पादन करते हैं। बाम्बे ड्राइंग लि० डी० एल०टी० का एकमात्र ऐसा उत्पादक है जिसके पास केप्टिव पैराजाइलीन की सुविधा नहीं है। 1990-91 के दौरान लगभग 42000 मी० टन पैराजाइलीन का आयात किया गया था। यद्यपि सही आयात मूल्य उपलब्ध नहीं हैं तथापि 1990-91 के दौरान पैराजाइलीन का अतर्राष्ट्रीय मूल्य 400-550 अमरीकी डालर प्रति टन के बीच था।

(घ) से (च) पैराजाइलीन आयात नीति की ओ०जी०एल (एयू) सूची में होने के कारण स्वदेशी और आयातित पैराजाइलीन की मांग, पूर्ति एवं मूल्य बाजार शक्तियों द्वारा विनियमित होते हैं।

"सम-सामयिक" कार्यक्रमों में गैर-कर्मचारियों की भागीदारी

3655. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-कर्मचारियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1990-91 के दौरान व्यक्तिगत रूप से अथवा पैनल के सदस्यों के रूप में आकाशवाणी और दूरदर्शन के "समसामयिक" कार्यक्रमों में भाग लिया;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के समसामयिक कार्यक्रम प्रस्तुतकर्त्ताओं द्वारा अनुरक्षित विशेषज्ञता के उनके क्षेत्रों सहित, प्रमुख व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन सूचियों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है और यदि हां, तो इसे अन्तिम बार कब संशोधित किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) चूंकि आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कई केन्द्रों में सामयिक विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, इसलिये ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले गैर सरकारी व्यक्तियों के नामों की सूची केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त प्राख्यात व्यक्तियों की कोई सूची नहीं रखी जाती। सामयिक विषयों पर कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के जाने-माने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

मैसर्ज बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी की परियोजना रिपोर्ट

3656. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रत्येक एकक द्वारा गहन बाजार सर्वेक्षण के पश्चात् वर्ष 1988 में सक्षम परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और बोर्ड की स्वीकृति के लिए कम्पनी को प्रस्तुत की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) मैसर्स बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड ने 1988 में रिफ्रेक्टरी मांग का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वदेशी विपणन सर्वेक्षण कराया था जिसमें परिवर्तित विपणन स्थिति को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और उभरती हुई उत्पादनोन्मुख प्रवृत्ति को सम्मिलित किया गया था। कथित सर्वेक्षण में रिफ्रेक्टरी उद्योग के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाली विख्यात परामर्शी फर्मों द्वारा रिपोर्ट तैयार कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। क्योंकि कोई व्यावहारिक परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई। अतः उसे बी०एस०सी०एल० के बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। जैसा कि विपणन सर्वेक्षण रिपोर्ट में संस्तुति की गई थी, होल्डिंग कम्पनी भारत भारी उद्योग निगम

लिमिटेड ने सेलम को छोड़कर बी०एस०सी०एल० के सभी रिफ्रेक्टरी एककों के गहन अध्ययन के लिए मार्च, 1989 में मेकन को प्राधिकृत किया था।

मद्रास परमाणु संयंत्र

3657. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास परमाणु संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय इसकी क्षमता का कितना उपयोग हो रहा है;

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में, इस संयंत्र में हुए विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार, ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संयंत्र में प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत कितनी है; और

(ङ) इस संयंत्र में और इसके आसपास वायु प्रदूषण के खतरे को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) मद्रास परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों की स्थापित क्षमता प्रति यूनिट 235 मैगावाट है। परमाणु ऊर्जा आयोग ने इस बिजलीघर के दोनों यूनिटों की निर्धारित क्षमता घटाकर प्रति यूनिट 220 मेगावाट करने के बारे में सिद्धान्त रूप में अपनी अनुमति मई, 1991 में दे दी है।

(ख) मॉडरेटर इनलेट मेनीफोल्डों के काम करना बन्द कर देने की समस्या को दूर करने के लिए किए गए सुधार कार्यों के परिणामस्वरूप बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक को इस समय 175 मेगावाट तक के सीमित विद्युत स्तर पर चलाया जा रहा है। इन यूनिटों को पुनः इनके नियमित विद्युत स्तर पर चलाने के वास्ते प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1988-89 से लेकर 1989-90 और 1990-91 तक मद्रास बिजलीघर में जितने मिलियन किलोवाट घण्टे बिजली का सकल उत्पादन किया गया उसका वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	मिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन
1988-89	2048
1989-90	1349
1990-91	2074

(घ) बिजलीघर के दोनों यूनिटों द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री-दर जून, 1991 की स्थिति के अनुसार 69.53 पैसे/प्रति किलोवाट घंटा है।

(ङ) परमाणु बिजलीघर में तथा इसके चारों ओर वायुवाहित तथा गैसीय विकिरण सक्रियता की मात्रा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर ही है। विकिरण-सक्रिय पदार्थ एक लम्बी चिमनी में से गुजरने के बाद वायुमण्डल में उन्मुक्त होते हैं। चिमनी में

प्रवेश करने से पहले वायु को अत्यधिक प्रभावी विविक्त वायु निस्यंदकों में से गुजारा जाता है ताकि वायु में से विविक्त विकिरणसक्रियता को हटाया जा सके। परमाणु बिजलीघरों से परम्परागत किस्म का कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होता है।

परमाणु बिजलीघरों के आस-पास के वातावरण में विकिरण की मात्रा को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिएक्टरों में अपनाए जा रहे सुरक्षोपाय कारगर हैं, वायु, जल, खाद्य अवसादों आदि के नमूने समय-समय पर एकत्र किए जाते हैं। वायुमण्डल में उन्मुक्त होने वाले विकिरण सक्रिय पदार्थों में विकिरण की मात्रा उस समय से ही जब रिएक्टर को चालू किया गया, नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सीमा से कम है।

[हिन्दी]

क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं

3658. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिलों के सभी गांवों में दूरदर्शन प्रसारण सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा के क्योंझर जिले के आनन्दपुर, जोडा और क्योंझरगढ़; मयूरभंज जिले के बारीपदा और सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला और सुन्दरगढ़ में एक-एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इसके अलावा, क्योंझर जिले के कुछ भाग कटक में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर से भी कवर होते हैं। इन जिलों के कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र टी० वी० सेवा विस्तार करने के लिए दूरदर्शन इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुरूप निरंतर प्रयासरत है।

पिछड़े राज्य

3659. **श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े राज्य घोषित किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार कोई पिछड़ा राज्य घोषित नहीं किया गया है।

(ख) राज्य की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन अन्य बातों के साथ उसके संसाधन आधार तथा जिस सीमा तक उसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से नीचे है, प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त, गरीबी निवारण कार्यक्रमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०) के अंतर्गत राशियों का

वितरण ग्रामीण गरीबी के विस्तार पर आधारित है जिसको पिछड़ेपन के एक सूचक के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार विकास के लिए राशियों के वितरण में कम विकसित राज्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का विस्तार

3660. **श्री पी०सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड के लिए कोई विस्तार योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मद्रास फर्टिलाइजर्स तथा सरकारी क्षेत्र की दूसरी कम्पनियों जैसी अन्य उर्वरक कम्पनियों के प्रस्तावित विस्तार कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां।

(ख) फैक्ट द्वारा निम्नलिखित विस्तार योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है :

(I) 135.60 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा घटक सहित 525.02 करोड़ रु० की लागत पर उद्योगमण्डल में एक नए अमोनिया संयंत्र की स्थापना।

(II) 19 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा चटक सहित 117 करोड़ रु० की लागत पर संयंत्र की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोचीन चरण-II संयंत्र की स्थापना।

उपर्युक्त दो परियोजनाओं के अलावा, 19 करोड़ रु० की लागत पर फैक्ट द्वारा कोचीन प्रभाग चरण-I परियोजना की रिट्रोफिट कार्यान्वित की जा रही है।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विस्तार योजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	विस्तार योजना
1	2
एन०एफ०एल०	मैसर्स एन० एफ० एल ने विजयपुर, गुना (म० प्र०) स्थित अपने अमोनिया/यूरिया संयंत्र की क्षमता 694.56 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर दुगुना करने का प्रस्ताव भेजा है।
एम० एफ० एल०	89.88 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा घटक सहित 314.35 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर एम० एफ० एल० के वर्तमान संयंत्र के पुनरुद्धार के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
आर० सी० एफ०	154 करोड़ रु० के विदेशी मुद्रा घटक सहित 768.00 करोड़ रु० की लागत पर आर० सी० एफ० ने 900 टन प्रतिदिन

1	2
	अमोनिया और 1200 टन प्रतिदिन नाइट्रोफास्फेट संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है।
पी० पी० सी० एल०	पी० पी० सी० एल० ने 600 टन प्रतिदिन एस० एस० पी० की क्षमता के लिए 82 करोड़ रु० की लागत पर सलादीपुरा में पाइराइट्स पर आधारित सल्फ्यूरिक एसिड एवं एस० एस० पी० संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

फिल्म सेंसर बोर्ड का गठन

3661. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर बोर्ड तथा मंत्रालय के अन्य सेंसर बोर्डों के गठन संबंधी नियम क्या हैं और इन बोर्डों का सदस्य बनने हेतु पात्रता शर्तें क्या हैं :

(ख) क्या पिछली सरकार ने फिल्म सेंसर बोर्ड और टेलीविजन धारावाहिक सेंसर बोर्ड का गठन किया था, यदि हां, तो क्या उसने नियमों का पालन किया था; और

(ग) क्या पिछली सरकार इन बोर्डों का पुनर्गठन करेगी, यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्में स्वीकृत करने के प्रयोजन से चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्म प्रमाणन बोर्ड का गठन करती है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य कम-से-कम 12 और अधिक-से-अधिक 25 होते हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे समाज-विज्ञान, कानून अध्यापन, कला इत्यादि के प्रतिष्ठित लोग जो केन्द्र सरकार की दृष्टि में जनता पर फिल्मों का प्रभाव आंकने के योग्य हों, सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) टेलीविजन धारावाहिक सेंसर बोर्ड नाम से कोई बोर्ड नहीं है। जहां तक, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का संबंध है इसका सबसे हाल में 19 फरवरी, 1991 को नियमानुसार पुनर्गठन किया गया था।

(ग) आमतौर पर केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य तीन वर्ष के लिए नामित किए जाते हैं। प्रक्रिया के अनुसार, बोर्ड का इससे पहले भी पुनर्गठन किया जा सकता है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोग

3662. **श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार के आंकलन के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोगों की संख्या में वर्ष 1984-85 में 2730 लाख से गिरावट आकर वर्ष 1989-90 में 2110 लाख होने की संभावना थी; और

(ख) यदि हां, तो 1989-90 में गरीबी को रेखा से नीचे रह रहे गरीब लोगों की संख्या कितनी थी ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां।

(ख) घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण डेटा के 43वें चक्र के आधार पर नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या उक्त वर्ष में 237.67 मिलियन अनुमानित की गई है।

केरल को परिशोधित स्पिरिट का आवंटन

3663. **श्री टी०जे० अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल राज्य की ओर से परिशोधित स्पिरिट के आवंटन से संबंधित कोई अभ्योवदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) अल्कोहल वर्ष 1990-91 के दौरान 31-7-1991 तक 58.00 लाख लिटर पेय अल्कोहल और 6.75 लाख लिटर औद्योगिक अल्कोहल का आबंटन किया गया था। अब राज्य सरकार ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से 30 लाख लिटर तमिलनाडु को अंतरित करने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु को 10 लाख लिटर के अंतरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आगे और अंतरण पर विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास संस्थान

3664. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के जबलपुर में ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की जेलिधम यूनिट का विस्तार

3665. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड की जेलिधम (हल्दिया) यूनिट के कार्यकरण में विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने, तीन पूरे ऑयल वैल-हैड प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए, मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के, 45.06 करोड़ रुपये की कुल लागत से अपनी क्षमता को 10,500 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आवासीय मकानों की खरीद

3666 : **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1990-91 के दौरान अपने अधिकारियों के लिए आवासीय मकानों की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी राशि खर्च हुई है एवं उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्होंने ये आवास बेचे हैं;

(ग) क्या जिन अधिकारियों को उपर्युक्त आवास आवंटित किये गये थे वे पहले खादी ग्रामोद्योग के क्वार्टरों में रह रहे थे;

(घ) उपरोक्त नये आवासों की खरीद क्यों की गई जबकि सभी अधिकारियों को मकान दिये जा चुके थे; और

(ङ) भाग (क) के अनुसार उपरोक्त आवासों की सख्या पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र के अनुसार नं० 2 अभिषेक से हाउसिस कोआपरेटिव हाउसिंग लि०, डी० एन० नगर, अंधेरी (पश्चिम), बंबई में खुले स्थान, कार पार्किंग स्थान और फर्निचर और फिटिंग्स सहित लगभग 2000 वर्ग फुट का एक मकान 39 लाख रुपये की लागत से खरीदा है। उक्त सोसाइटी को हस्तांतरण शुल्क के रूप में बारह हजार पांच सौ रुपये की राशि भी दी गई है। यह मकान सुश्री मल्लिका चंद्रशेखर ठाकुर के नाम से था।

(ग) के० वी० आई० सी० के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें यह मकान अलॉट किया गया था, अस्थायी व्यवस्था के रूप में आयोग के गेस्ट हाउस में रह रहे थे।

(घ) चूंकि के० वी० आई० सी० के पास ऐसा कोई उपयुक्त आवास नहीं है जिसके अधिकारी पात्र हैं, इसलिए उक्त आवास खरीदा गया है।

(ङ) उपर्युक्त आवास की सज्जा पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है।

राजस्थान में और भंडागारों की स्थापना

3667. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने भंडागार कार्यरत हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान में चालू योजना अवधि में और भंडागारों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां भंडागारों की स्थापना का प्रस्ताव है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) दो प्रमुख केन्द्रीय एजेन्सियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडागार निगम द्वारा चलाए जा रहे डिपुओं/भांडागारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों, राज्य भंडागार निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा भी भांडागार चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान में, भारतीय खाद्य निगम बारन, बाड़मेर, चदेरिया, हनुमानगढ़, किशोरापतनम और श्रीविजयनगर में गोदामों का निर्माण करवाने की प्रक्रिया में है। केन्द्रीय भंडारण निगम का भी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में अपनी वर्तमान भंडारण क्षमता में विस्तार करने का विचार है।

विवरण

1-7-1991 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा चलाए जा रहे डिपुओं/भांडागारों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	डिपुओं/भांडागारों की संख्या	
		भा० खा० नि०	के० भं० नि०
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	3	—
2.	आंध्र प्रदेश	195	54
3.	असम	45	6
4.	बिहार	61	18
5.	गोआ	6	2
6.	गुजरात	41	27
7.	हरियाणा	121	21
8.	हिमाचल प्रदेश	8	2
9.	जम्मू तथा कश्मीर	14	—
10.	कर्नाटक	60	26
11.	केरल	34	5
12.	मध्य प्रदेश	124	38

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	36	80
14.	मणिपुर	3	1
15.	मेघालय	6	—
16.	मिजोरम	3	1
17.	नागालैंड	5	1
18.	उड़ीसा	43	10
19.	पंजाब	380	35
20.	राजस्थान	85	10
21.	सिक्किम	3	—
22.	तमिलनाडु	33	35
23.	त्रिपुरा	7	2
24.	उत्तर प्रदेश	198	61
25.	पश्चिम बंगाल	125	49
26.	चंडीगढ़	14	1
27.	दिल्ली	14	14
28.	पांडिचेरी	3	1
	जोड़	1679	500

[हिन्दी]

चीनी की मिलें स्थापित करने हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्र

3668. **श्री गोविन्द राव निगम** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा किन-किन चीनी मिलों को कब से मंजूरी दी गयी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरि जिले में नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए उद्योग मंत्रालय के माध्यम से खाद्य मंत्रालय में 31-7-1991 तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन पत्र जब भी प्राप्त होगा उस पर उस समय के लाइसेंससिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विचार किया जाएगा।

खादी ग्रामोद्योग द्वारा ईंटों के भट्टों के लिये स्वीकृति ऋण

3669. **श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में खादी ग्रामोद्योग में ईंटों के भट्टों और कुटीर उद्योग (कागज बनाने वाले उद्योग) के लिए कितनी धनराशि के ऋण स्वीकृत किये;

(ख) कितने भट्टों को ऋण की समग्र धनराशि प्रदान नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन भट्टों की संख्या क्या है जिन्हें खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के बावजूद भी बैंकों द्वारा धनराशि प्रदान नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) मुज्जफरनगर जिले में ऐसे भट्टों की संख्या क्या है जिन्हें खादी ग्रामोद्योग द्वारा ऋण दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) 1990-91 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कुटीर पॉटरी कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्रिक क्लेम्प्स और ईंटों के भट्टे के लिए स्वीकृत किये गये ऋण इस प्रकार हैं :—

(रु० लाख में)

योजना	स्वीकृत धनराशि		के० वी० आई० सी०
	एककों की संख्या	बैंक वित्त	
ब्रिक क्लेम्प	1126	—	168.90
ईंटों का भट्टा	205	635.50	348.50
कुल	1331	635.50	517.40

के० वी० आई० सी० ने इस देश में 1990-91 के दौरान हस्त निर्मित कागज उद्योग कार्यक्रम के लिए 1.93 करोड़ रु० ऋण के रूप में वितरित किए हैं।

(ख) यह जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है।

(ग) यह जानकारी सहज उपलब्ध नहीं है।

(घ) उत्तर प्रदेश के मुज्जफरनगर जिले के 36 ईंट भट्टा एककों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

3670. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 में खाद्य तेलों के मूल्यों में, केन्द्रीय बजट में इन्हें उत्पाद शुल्क में छूट दिए जाने के बावजूद, भारी वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इनके मूल्यों को कम करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुददीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि का मुख्य कारण मुद्रा आपूर्ति में आम वृद्धि, सामान्य मुद्रास्फीति तथा उसके साथ-साथ भुगतान संतुलित संबंधी अवरोध के कारण खाद्य तेलों के सीमित आयात की वजह से मांग व आपूर्ति में अन्तर होना है ।

(ग) मूल्यों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं : वनस्पति में गैर-पारम्परिक तेलों के इस्तेमाल पर उत्पाद शुल्क संबंधी छूट देना, सभी प्रकार के खाद्य तेलों के व्यापारियों/संसाधकों और विनिर्माताओं द्वारा रखे जाने वाले खाद्य तिलहनों तथा तेलों की भंडारण सीमाओं में कटौती करना, पारम्परिक खाद्य तेलों के साथ गैर-परम्परागत तेलों के मिश्रण की अनुमति देना । राज्य सरकारों से भी खाद्य तिलहनों और तेलों के जमाखोरों, चोर बाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है । इसके अलावा, केंद्रीय सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की मॉनीटरिंग तथा उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के वास्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति गठित की है । खाद्य तेलों के मामले में वर्ष 1991-92 के लिए रेलवे बजट में प्रस्तावित हाल के रेल-भाडे में वृद्धि से भी छूट दी गई है ।

राज्यों में प्रति व्यक्ति योजना निवेश

3671. **डा० सुधीर राय** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-89, 1889-90 और 1990-91 के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति कितना योजना निवेश किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति अनुमोदित योजना परिव्यय (1988-89 से 1990-91 तक)

(रु० में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1988-89	वार्षिक योजना 1989-90	वार्षिक योजना 1990-91
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	233	243	247
2.	अरुणाचल प्रदेश	1994	2373	2896
3.	असम	338	352	374

1	2	3	4	5
4.	बिहार	229	257	258
5.	गोआ	913	1091	1290
6.	गुजरात	374	411	426
7.	हरियाणा	446	523	542
8.	हिमाचल प्रदेश	607	701	841
9.	जम्मू व कश्मीर	752	869	1086
10.	कर्नाटक	242	280	302
11.	केरल	196	207	249
12.	मध्य प्रदेश	326	353	383
13.	महाराष्ट्र	387	420	390
14.	मणिपुर	862	999	1196
15.	मेघालय	973	1123	1310
16.	मिजोरम	1721	2065	2530
17.	नागालैंड	1419	1703	1871
18.	उड़ीसा	317	351	474
19.	पंजाब	417	470	539
20.	राजस्थान	207	232	279
21.	सिक्किम	1994	2247	2405
22.	तमिलनाडु	301	281	300
23.	त्रिपुरा	701	813	974
24.	उत्तर प्रदेश	229	253	289
25.	पश्चिमी बंगाल	174	204	243
	जोड़-राज्य	291	318	347
	संघ राज्य क्षेत्र			
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3757	4233	5132
27.	चंडीगढ़	1031	1139	1238
28.	दादरा व नगर हवेली	952	1063	2249
29.	दमन व द्वीप	1519	1562	1592
30.	दिल्ली	897	997	1286
31.	लक्षद्वीप	4375	5250	5500
32.	पांडिचेरी	911	1043	1159
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	1002	1117	1392
	जोड़-राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	299	327	359

टिप्पणी : प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय के आंकड़े 1981 की जनगणना पर आधारित है।

[हिन्दी]

पलवल, हरियाणा में उर्वरक संयंत्र

3672. **श्री अवतार सिंह भडाना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष पलवल, हरियाणा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए अपनी सहमति दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संयंत्र को कब शुरू करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको) ने हरियाणा, फरीदाबाद जिले के पलवल में गैस पर आधारित 1350/2200 टन प्रतिदिन क्षमता के अमोनिया/यूरिया संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था । अभी तक इस परियोजना को गैस आबंटित नहीं की गई है । इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की "सैलिंग विन्डो" योजना

3673. **श्री बी० राजा रवि वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए "सिंगल विंडो क्लीयरेंस" योजना को "सैलिंग विंडो कनसेप्ट" में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

पर्वतीय विकास के लिए विशेष अनुदान

3674. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय विकास के लिए शीर्ष-वार कितनी धनराशि का विशेष अनुदान जारी किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को धनराशि के इस्तेमाल के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को पर्वतीय विकास के लिय कितनी विशेष सहायता मंजूर करने तथा जारी करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अपेक्षित सूचना सहित एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई उपयोगिता से संतुष्ट हो जाने के बाद ही जारी की जाती है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अभी तैयार नहीं हुई है। वर्ष 1991-92 के लिए 182.81 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के क्षेत्रकवार ब्यौरे पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना-उत्तर प्रदेश

(लाख रु० में)

क्र० सं०	विकास-शीर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता (1985-90)
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	15578
2.	ग्रामीण विकास	1451
3.	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	6684
4.	ऊर्जा	5487
5.	उद्योग एवं खनन	3349
6.	परिवहन एवं संचार	14430
7.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	2660
8.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	7020
9.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1511
10.	जल आपूर्ति, आवास तथा शहरी विकास	7389
11.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	958
12.	श्रम कल्याण	802
13.	समाज कल्याण और सुरक्षा	440
14.	सामान्य सेवाएं	217
	जोड़	67976

सुपर बाजार को वित्तीय घाटा

3675. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री 2 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 993 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेष माल संबंधी मामले को अब तक निपटा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) माल की सार्वजनिक नीलामी से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और ऐसी स्थिति में पहुंचने के क्या कारण हैं कि माल की नीलामी करनी पड़ी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं, तथा नीलाम किए गए माल का ब्यौरा क्या है;

(ग) माल के मानव उपयोग हेतु बिल्कुल उपयुक्त न होने के क्या कारण हैं और इस बात का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह नष्ट हुआ माल किस अवधि का है तथा क्या सुपर बाजार को वित्तीय हानि होने की जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु कोई जांच की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस अवधि के दौरान कितने मूल्य के माल को निःशुल्क सप्लायरों से बदलवा लिया गया था और इसके क्या कारण थे ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि विभिन्न विभागों के 1,71,919·33 रु० मूल्य के क्षतिग्रस्त/बेकार स्टाक तथा किराना और प्रसाधन सामग्री को छोड़कर 1,18,715.65 रु० मूल्य की अन्य वस्तुओं के निपटान का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) क्षतिग्रस्त वस्तुओं, जिसमें बिक्री मूल्य के अनुसार 28,442.90 रु० मूल्य के खाद्य तेल (विनर मूंगफली के परिष्कृत तेल सहित), जिनकी गुणता में काफी समय तक बिना बिके पड़े रहने के कारण खराबी आ गई थी और जिन्हें परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक्री के योग्य नहीं पाया गया था, शामिल हैं, की निविदा के जरिए बिक्री करके 11,116 रु० की राशि वसूल कर ली गई है। विनर मूंगफली परिष्कृत तेल को बदला नहीं जा सका, क्योंकि सप्लायर का अब सुपर बाजार के साथ व्यापार नहीं होता है। संबंधित कर्मचारियों को आगाह किया गया है कि वे जहां तक संभव हो वस्तुओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाएं तथा उनके निपटान के लिए समय से कार्यवाही करें।

(ग) सुपर बाजार जैसे खुदरा भंडार में, जो खाद्य वस्तुओं सहित हजारों उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करता है और जिसकी वार्षिक कुल बिक्री 100 करोड़ रुपए के लगभग है, वहां कुछ वस्तुएं कुछ समय तक बिना बिके रह जाती हैं जो रखे-रखे खराब हो जाती हैं, पुरानी पड़ जाती हैं, फैशन से बाहर हो जाती हैं, रख-रखाव के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तथा उनकी गुणता में ह्रास आ जाता है। इन वस्तुओं में विभिन्न किराना वस्तुएं, जैसे डिब्बाबंद वस्तुएं, चटनियां, शर्बत, तेल, चाय आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि क्षतिग्रस्त वस्तुओं की अवधि 1990 से पहले दो से सात वर्षों के बीच है। क्षतिग्रस्त वस्तुओं के संबंध में व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई जांच नहीं की गई है। सुपर बाजार, खाद्य वस्तुओं सहित, हजारों उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करता है, जिनकी शेल्फ लाइफ छोटी होती है। कुछ वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, रखे-रखे खराब हो जाती हैं तथा कुछ समय तक बिना बिके पड़ी रहती हैं। इन वस्तुओं का निपटान खुदरा व्यापार संगठनों की प्रथा के अनुसार उनकी स्थिति को देखते हुए छूट पर अथवा सार्वजनिक नीलामियों के जरिए करना होता है। जो खाद्य वस्तुएं गुणता में खराबी आने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती हैं और जिन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता

उन्हें नष्ट कर दिया जाता है और उनका मूल्य बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। क्षतिग्रस्त वस्तुओं की राशि, उन वस्तुओं से संबंधित अवधि के दौरान हुई कुल बिक्री की तुलना में बहुत थोड़ी है। उपर्युक्त कारणों से तथा इतने बड़े आकार की किसी भी खुदरा व्यापार गतिविधि का एक हिस्सा होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी ने क्षतिग्रस्त वस्तुओं के निपटान को अनुमोदित करते समय व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। तथापि, भविष्य में यदि कोई व्यक्ति अथवा लोग वस्तुओं को क्षति पहुंचाने अथवा सुपर बाजार को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पाए गए तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त प्रशासकीय कार्यवाही की जाएगी।

(च) विनिर्माताओं/सप्लायरों द्वारा वस्तुओं को बदलने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उपर्युक्त अवधि के दौरान 2,88,205.45 रुपए मूल्य की क्षतिग्रस्त वस्तुएं सप्लायरों से निःशुल्क बदली गई हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज, दुर्गापुर के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग द्वारा हैवी वाटर तथा यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग

3676. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालिज, दुर्गापुर के रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग में हैवी वाटर और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह जानने के लिए कोई जांच करायी है कि दोनों रसायन कहां से प्राप्त किये गये क्योंकि दोनों ही सामरिक महत्त्व के हैं और बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है और मामले में कार्रवाई की गयी है; और

(घ) क्या ऐसी अन्य कोई घटनायें सरकार की जानकारी में आयी हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अपने देश में प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यों के लिए थोड़ी मात्रा में भारी पानी तथा यूरेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये मात्रा परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उपयोग की जाने वाली मात्रा की तुलना में नगण्य है। विभाग ने अनुसंधान कार्यों के लिए स्वयं ही भारी पानी की थोड़ी मात्रा दी है।

[हिन्दी]

सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991

3677. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991 की तिथि निर्धारित कर दी है जो कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षा कब तक आयोजित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) परीक्षा सुचारू ढंग से आयोजित कराने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 1991 अब दिनांक 29 सितम्बर, 1991 को होगी।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित किए जाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से आवश्यक सहायता भी मांगी गई है।

सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी

3678. **श्री विलासराव नागनाथराव गुण्डेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नई दिल्ली में सुपर बाजार के भंडार और सचल तथा मुख्य शाखा में आवश्यक वस्तुओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां आवश्यक मदों को उपलब्ध कराकर इसका स्तर सुधारने के लिए कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं, सुपर बाजार द्वारा, मोबाइल वैनों सहित, अपने सभी बिक्री केन्द्रों में आवश्यक वस्तुएं तथा आम खपत की अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने तथा उनकी आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। कभी-कभी हो सकता है कि विभिन्न कारणों, जैसे कम आपूर्ति होना, अधिप्राप्ति के स्रोत अर्थात् विनिर्माताओं/वितरकों के पास वस्तुएं उपलब्ध न होना अथवा जिस गुणता की वस्तुएं उपलब्ध हैं उनका अनुमोदन परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा न किया जाना या किन्हीं अपरिहार्य प्रशासकीय कारणों से किसी बिक्री केंद्र में कोई वस्तु उपलब्ध न हो।

सुपर बाजार ने यह देखने के लिए कि आवश्यक वस्तुएं तथा अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं शाखाओं में उपलब्ध हों, शाखाओं का समय-समय पर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण अधिकारी नामित किए हैं। सुपर बाजार ने हाल में मुख्यालय भवन में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जहां इसके सभी बिक्री केंद्रों से "स्टाक न होने" के बारे में स्थिति एकत्र की जाती है और शाखाओं को, जहां तक संभव है, अपेक्षित वस्तुएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाते हैं। वसूली तथा बिक्री से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक नियमित रूप से बुलाई जाती है, जिसमें उन वस्तुओं, जिनका स्टाक नहीं है तथा उनकी वसूली से संबंधित स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है।

आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य

3679. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1990 और जुलाई, 1991 में आम उपभोक्ताओं के लिए डीजल, मिट्टी का तेल, नमक, खाद्य

तेल, साइकिल, दो पहिया वाहनों स्कूटर, बिजली के बल्ब, सूती धोती और 405 काउंट की साड़ियों, स्टोव और धुंआरहित चूल्हों के खुदरा मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : जुलाई, 1990 और जुलाई, 1991 में डीजल, मिट्टी के तेल, नमक, मूंगफली के तेल, सरसों के तेल, वनस्पति, दुपहिया वाहन—साइकिल, स्कूटर, मोटर साइकिल, बिजली के बल्ब, सूती धोती और साड़ी, स्टोव और चूल्हे के खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

चुने केन्द्रों पर विभिन्न वस्तुओं के खुदरा मूल्य

(रुपए प्रति कि० ग्रा०/प्रति पीस)

	27-7-1990	26-7-1991
डीजल (लिटर)		
नागपुर	4.62	6.23
मद्रास	4.36	5.42
लखनऊ	4.48	5.46
हैदराबाद	4.69	5.76
कलकत्ता	4.20	5.21
मिट्टी का तेल (लिटर)		
दिल्ली	2.25	2.77
बम्बई	2.17	2.66 (26-3-91)
मद्रास	2.40	2.95
कलकत्ता	2.29	2.90
लखनऊ	2.52	3.09
नमक (पैकट)	**25-7-90**	**31-7-91**
दिल्ली	2.00	2.50
पटना	2.00	2.25
बम्बई	2.00	2.00
मद्रास	2.00	2.50
कानपुर	2.25	2.25

खाद्य तेल

(1) **मूंगफली का तेल**

दिल्ली	36.00	44.00
राजकोट	33.00	40.50
बम्बई	32.40	40.00
मद्रास	32.00	38.00

(2) **सरसों का तेल**

दिल्ली	28.95	34.50
कानपुर	26.50	32.50
बम्बई	29.00	35.00
पटना	30.00	35.00
कटक	31.00	37.50

(3) **वनस्पति**

दिल्ली	34.45	40.00
बम्बई	37.00	42.00
पटना	34.00	38.00
मद्रास	38.00	41.00
कानपुर	34.00	39.50

साइसिकल	**28-7-1990**	**20-7-1991**
(अंतिम मूल्य उत्पाद शुल्क सहित)		
एटलस	641.00	737.00
हीरो	570.00	660.00

दुपहिया वाहन

(अंतिम मूल्य उत्पाद शुल्क सहित)

1. **स्कूटर**

बजाज चेतक	11835.02	13389.43
प्रिया	10314.52	10592.04

2. मोटर साइकिल

एनफिल्ड (350 सी०सी०)	21935.00	24293.59
मिनी एक्स०(50 सी०सी०)	8371.04	10331.78

बिजली के बल्ब (40 वाट)	27-7-1990	29-7-1991
दिल्ली	6.50	7.00
कलकत्ता	5.00	5.00
मद्रास	6.00	7.50
लखनऊ	5.00	7.50
सूती धोती (प्रति वर्ग मीटर) (40 नम्बर और उससे नीचे) नियंत्रण कपड़ा (एन० टी० सी०)	6.21	7.17
सूती साड़ी (प्रति वर्ग मीटर) (40 नम्बर और उससे नीचे) नियंत्रण कपड़ा (एन० टी० सी०)	7.66	8.78
स्टोव		
बत्ती वाले	90-94	100-104
पीतल की टंकी वाले	110	125
इस्पात की टंकी वाले	50	60

चूल्हे	जुलाई, 1990	जुलाई, 1991
1. जमाऊ		
एक बरतन वाले	25-55	25-74
दो बरतन वाले	42-95	50-105
तीन बरतन वाले	42-90	50-103
सामुदायिक	70	100
2. उठाऊ		
सी०पी०आर०आई० मीडियम टाइप—I	110	120
सी०पी०आर०आई लार्ज टाइप—I	150	165
सी० पी० आर० आई० मीडियम टाइप—II	135	150

स्रोत :

(1) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय (डीजल, मिट्टी का तेल और बिजली के बल्ब के लिए)

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक पूर्ति विभाग (नमक और खाद्य तेलों के लिए)

(3) आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय (बाइसिकल और दुपहिया वाहनों के लिए)

(4) कपड़ा मंत्रालय (सूती धोती और साड़ी के लिए)

(5) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, उद्योग मंत्रालय (स्टोव के लिए)

(6) ऊर्जा मत्रालय (चूल्हे के लिए)।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का उत्पादन

3680. **श्री साईमन मराण्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का उत्पादन कम होता जा रहा है;

(ख) क्या इसका अध्ययन करने हेतु एक उप-समिति गठित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो अब तक इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और उनमें क्या-क्या निर्णय लिए गए और क्या-क्या सिफारिशें की गईं,

(घ) क्या इस उप-समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इस उपक्रम को गत वर्ष के कारबार में 400 करोड़ रुपये की राशि का घाटा उठाना पड़ा था :

(ङ) इस उपक्रम को घाटे से बचाने के लिए सरकार ने अप्रैल, 1990 से क्या कार्यवाही की है; और

(च) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) विगत तीन वर्षों में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा किया गया उत्पादन निम्न प्रकार से है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उत्पादन
1988-89	352.67
1989-90	368.62
1990-91 (अनन्तिम)	263.80

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) कठिन मुद्रा स्थिति तथा अल्प क्रयादेश स्थिति जैसे प्रमुख कारणों से कम्पनी कुछ समय से हानि उठाती रही है। इन समस्याओं के निवारण के लिए, वर्ष 1990-91 में कम्पनी को 18 करोड़ रुपये की योजनागत सहायता तथा 10 करोड़ रुपए की गैर-योजनागत सहायता दी

गई है । इस समय, सरकारी हस्तक्षेप के कारण प्रयोक्ता क्षेत्रों ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को क्रयादेश देने आरम्भ कर दिए हैं तथा कम्पनी के पास यथा 1-7-1991 को 710 करोड़ रुपए के क्रयादेश हैं, जो कम्पनी के इतिहास में सर्वोत्तम है ।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवान्त काल वेतनवृद्धि का लाभ

3681. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) में कर्मचारी पक्ष द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवान्त काल वेतनवृद्धि का लाभ देने की कोई मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां । इस मद का प्रस्ताव राष्ट्रीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदात्री) की अगली बैठक के लिए किया गया है ।

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की प्रक्रिया के अनुसार कार्य-सूची की सभी मदों पर निर्णय, राष्ट्रीय परिषद् में लिए जाते हैं ।

[हिन्दी]

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में उर्वरक संयन्त्र

3682. **श्री सत्यपाल सिंह यादव** :

श्री काशी राम राणा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिपरौला, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है और वहां पर सम्भवतः किस तारीख से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ महत्त्वपूर्ण कारण निम्न प्रकार हैं :

1. भूतपूर्व आशयपत्र धारक ने परियोजना में पर्याप्त रुचि नहीं दर्शायी और इसलिए एक नया प्रवर्तक चुनना पड़ा ।
2. पूंजीगत माल के आयात, उपस्करों के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के लिए अग्रदाय लाइसेंसों को जारी करने के लिए कुछ मंजूरियां आदि अभी भी प्रतीक्षित हैं ।

(ग) परियोजना को पूर्ण करने या वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की कोई तारीख नहीं दी जा सकती क्योंकि भाग (ख) के उत्तर में दिए गए कारणों से परियोजना के लिए शून्य तारीख घोषित नहीं की गयी है ।

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास केन्द्र

3683. **कुमारी उमा भारती :**

श्री विश्वनाथ शर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने औद्योगिक विकास केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ख) मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ और छतरपुर में ऐसे कितने केन्द्र खोलने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सारे देश में विकास केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना की जून, 1988 में घोषणा की थी। योजना के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 70 विकास केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 63 विकास केन्द्रों के स्थापना-स्थलों का पता लगा लिया गया है और उनकी घोषणा कर दी गई है। विकास केन्द्रों की राज्य-वार विवरण संलग्न है।

(ख) मध्य प्रदेश के लिए आबंटित 6 विकास केन्द्र भिण्ड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर और रायसेन जिलों में प्रत्येक में एक-एक, स्थित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

राज्यों के लिए आबंटित विकास केन्द्र

(क) राज्य	विकास केन्द्रों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	4
2. असम	3
3. बिहार	6
4. गुजरात	3
5. हरियाणा	2
6. जम्मू और कश्मीर	2
7. कर्नाटक	3
8. केरल	2
9. मध्य प्रदेश	6
10. महाराष्ट्र	5
11. उड़ीसा	4
12. पंजाब	2
13. राजस्थान	5
14. तमिलनाडु	3
15. उत्तर प्रदेश	8
16. पश्चिम बंगाल	3
	61

(ख) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	विकास केन्द्रों की संख्या
1. अरुणाचल प्रदेश	1
2. गोवा	1
3. हिमाचल प्रदेश	1
4. मणिपुर	1
5. मेघालय	1
6. मिजोरम	1
7. नागालैंड	1
8. पांडिचेरी	1
9. त्रिपुरा	1
	9

विकास केन्द्रों की कुल सं० (क) + (ख)=70.

[हिन्दी]

जयपुर दूरदर्शन केन्द्र में कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों को पारिश्रमिक का भुगतान

3684. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों में भाग वाले लोगों को उनके भाग लेने के पश्चात शीघ्र ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है :

(ख) ऐसे कुल कितने लोग हैं जिन्हें अभी तक पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गय है; और

(ग) इस पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) यद्यपि कार्यक्रम में भाग लेने वालों को कार्यक्रम के तुरंत बाद भुगतान करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाते हैं, तथापि कुछ मामलों में दूरदर्शन केन्द, जयपुर द्वारा प्रशासनिक कारणों से भुगतान में देरी हुई है। केन्द्र द्वारा अब तक केवल छः व्यक्तियों को भुगतान नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून में परीक्षा केन्द्र

3685. **श्री भुवन चंद्र खंडूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अखिल भारतीय परीक्षाओं के बैठने के लिए बहुत लम्बी और महंगी यात्राएं करनी पड़ती हैं;

(ख) क्या सरकार का श्रीनगर, गढ़वाल और देहरादून में परीक्षा केन्द्रों की घोषणा करके अथवा इन उम्मीदवारों को आने व जाने का किराया देकर सुविधाएं देने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) संघ लोक सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश में लखनऊ, इलाहाबाद तथा बरेली में तीन केन्द्र हैं। बरेली स्थित केन्द्र, जिसने अप्रैल, 1991 में कार्य करना आरम्भ किया था, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय तथा मध्य-पश्चिमी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। श्रीनगर, गढ़वाल अथवा देहरादून में नया केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्मचारी चयन आयोग के उत्तर प्रदेश राज्य में 10 परीक्षा केन्द्र हैं जिनमें देहरादून स्थित केन्द्र भी शामिल है जो गढ़वाल क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण उम्मीदवारों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस समय श्रीनगर गढ़वाल में नया केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा-भत्ता नहीं दिया जाता है। अतः गढ़वाल क्षेत्र के ग्रामीण उम्मीदवारों को आने व जाने का किराया देकर यात्रा-किराए की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती।

केरल में साप्ताहिकों, पाक्षिकों और दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन

3686. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं; और

(ख) उन साप्ताहिक, पाक्षिक और दैनिक समाचार पत्रों के नाम क्या हैं जिनका सर्कुलेशन बहुत अधिक है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार केरल में 170 दैनिक, 2 अर्ध साप्ताहिक, 165 साप्ताहिक, 143 पाक्षिक, 703 मासिक तथा 137 अन्यों सहित कुल 1320 समाचारपत्र प्रकाशित हो रहे थे।

(ख) ब्यौरा संलग्न में विवरण दिया गया है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार केरल से प्रकाशित उन समाचार पत्र-पत्रिकाओं की सूची जिसकी प्रसार संख्या 25,000 प्रतियां प्रति प्रकाशन दिवस से अधिक हैं।

दैनिक

1. इण्डियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, कोचीन	62,006
2. मलयाला मनोरमा, मलयालम/दैनिक, कोचीन	1,50,551

3. मलयाला मनोरमा, मलयालम/दैनिक, कोट्टायम	1,85,554
4. मलयाला मनोरमा, मलयालम/दैनिक, कालीकट	1,92,751
5. मलयाला मनोरमा, मलयालम/दैनिक, त्रिवेन्द्रम	1,85, 424
*6. मंगलम, मलयालम दैनिक, कोट्टायम	67,298
7. मातृभूमि, मलयालम दैनिक, कालीकट	1,85,424
8. मातृभूमि, मलयालम दैनिक, कोचीन	1,59,486
9. मातृभूमि, मलयालम दैनिक, त्रिवेन्द्रम	1,11,088
10. केरल कौमुदी, मलयालम दैनिक, त्रिवेन्द्रम	1,10,770
*11. केरल कौमुदी, मलयालम दैनिक, कालीकट	41,960
*12. देशाभिमानी, मलयालम दैनिक, कालीकट	57,925
*13. देशाभिमानी, मलयालम दैनिक, कोचीन	49,762
14. माध्यमम, मलयालम दैनिक, कालीकट	34,458

साप्ताहिक

1. वीक, दि, अंग्रेजी; साप्ताहिक, कोट्टायम	66,633
2. मंगलम् मलयालम, साप्ताहिक, कोट्टायम	12,11,135
3. चेम्पकम्, मलयालम, साप्ताहिक, कोट्टायम	41,566
4. चिन्ता, मलयालम, साप्ताहिक, कोचीन	32,150
5. चित्रभूमि, मलयालम, साप्ताहिक, त्रिवेन्द्रम	34,179
6. कला कौमुदी, मलयालम, साप्ताहिक, त्रिवेन्द्रम	59,466
7. कनमणि, मलयालम, साप्ताहिक, कोट्टायम	65,959
8. मनोराज्यम्, मलयालम, साप्ताहिक, कोट्टायम	76,148
9. मलयालम मनोरमा, मलयालम साप्ताहिक, कोट्टायम	11,86,348
10. मातृभूमि, मलयालम, साप्ताहिक, त्रिवेन्द्रम	80,606
11. सखी, मलयालम, साप्ताहिक, त्रिवेन्द्रम	48,562

पाक्षिक

1. बलराम, मलयालम पाक्षिक, कोट्टायम	1,99,875
2. बलराम, अमर चित्रकथा, मलयालम पाक्षिक, कोट्टायम	52,868
3. मनोरमा कॉमिक्स, मलयालम, पाक्षिक, कोट्टायम	31,541

मासिक

1. गृहलक्ष्मी, त्रिवेन्द्रम, मलयालम, मासिक, कोट्टायम	92,806
2. कुट्टीकलूडे दीपिका, मलयालम मासिक, कोट्टायम	50,125
3. मानशास्त्र म, मलयालम मासिक, त्रिवेन्द्रम	32,041

प्रसार आंकड़े 31 दिसम्बर, 1989 की स्थिति के अनुसार हैं।

इलैक्ट्रोनिक उद्योग को विशेष दर्जा

3687. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक विभाग ने अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने हेतु इलैक्ट्रोनिक उद्योग को विशेष दर्जा देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी हां। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित उपाय सुझाये हैं :

(1) इलैक्ट्रानिकी उद्योग को अतिरिक्त इलैक्ट्रानिकी आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्रदान किए जाएं, जिसमें परिशिष्ट 2 बी (आयात-निर्यात नीति, 1990-93) के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का आयात जहाजपर्यन्त नि:शुल्क निर्यात के मूल्य के 10% की दर से करने की अनुमति दी जाए।

(2) इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र के मामले में खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) का लाभ प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध विनिर्णय कार्यक्रम (पी०एम०पी०) के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों तथा चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आने वाली इकाइयों के बीच अंतर को दूर कर दिया जाये।

(ग) इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लेना

3688. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लेने के लिए अनेक अभ्यावेदन सरकार के निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस समय देश में आर्थिक स्थिति की तंगी को देखते हुए इन रुग्ण एककों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) यह एक आम अनुभव रहा है कि रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिय सरकार द्वारा अधिग्रहण कोई प्रभावकारी साधन सिद्ध नहीं हुआ है। इसलिए, सरकार रुग्ण औद्योगिक एककों का अधिग्रहण करने के पक्ष में नहीं है। तथापि रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अधीन गठित औद्योगिक तथा वित्तीय पुनःस्थापना बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) अपने पुनर्जीवन/पुनः स्थापना पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों के प्रबंध में परिवर्तन करने या अधिग्रहण करने की भी व्यवस्था है।

हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर पाइप लाइन मार्ग में स्थित गैस पर आधारित परियोजनाएं

3689. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजीरा-विजयपुर जगदीशपुर पाइप लाइन के मार्ग में नाइट्रोजन अयस्कों और उर्वरकों के लिए गैस पर आधारित चार प्रमुख परियोजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के *लिए आशयपत्र जारी किये गये हैं; और*

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) एच० बी० जे० पाइप लाइन में गैस पर आधारित चार प्रमुख नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों को जारी किये गये आशयपत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र०सं०	कंपनी का नाम	परियोजना का नाम/स्थान	आशयपत्र/ औद्योगिक लाइसेंस	क्षमता (टन प्रतिदिन)
1.	मै० इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई०जी०एफ०सी० सी०)	जगदीशपुर उर्वरक परियोजना जिला : सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	सी० आई० एल० : 54(86) दिनांक 12-2-1986	अमोनिया—1350 यूरिया—2200 (वाणिज्यिक उत्पादन पहले ही 1-11-88 से आरंभ किया गया)
2.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि० (सी०एफ०सी०एल०)	गडेपन उर्वरक परियोजना जिला कोटा राजस्थान	एल०आई : 775 दिनांक 16-10-1984	अमोनिया—1350 यूरिया—2250
3.	टाटा कैमिकल्स लि० (टी०सी०एल०)	बबराला उर्वरक परियोजना जिला : बदायूं उत्तर प्रदेश	एल०आई० : 790 दिनांक 28-6-1985	अमोनिया—1350 यूरिया—2250
4.	बिन्दल एग्रो कै० लिमिटेड (बी०ए०सी०एल०)	शाहजहांपुर उर्वरक परियोजना उत्तर प्रदेश	एल०आई० : 182/3/88 एफ०ए० 11 दिनांक 12-7-1989	अमोनिया—1350 यूरिया—2200

महाराष्ट्र के जालना जिले में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र चालू करना

3690. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का महाराष्ट्र के जालना जिले में दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) 1981 की जनसंख्या के मुताबिक देश के सभी जिलों में पूरे तौर पर अथवा आंशिक रूप से रेडियो सेवा उपलब्ध है। दूसरी ओर, देश में (1981 की जनगणना के मुताबिक) दो जिलों को छोड़कर, सभी जिलों में दूरदर्शन सेवा पूरे तौर पर अथवा आंशिक रूप से उपलब्ध है। इन दो जिलों में भी दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जालना में एक अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है तथा जलगांव और परभणी में स्थित 20 कि० वा० मी० वेव तथा 10 कि० वा० मी० वेव ट्रांसमीटरों से जालना जिले को दिन के समय प्राथमिक ग्रेड की सेवा प्राप्त हो रही है। जालना में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए फिलहाल सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

देश की प्रति व्यक्ति आय

3691. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का प्रति व्यक्ति आय की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी;

(ख) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) कौन-कौन से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है तथा कौन-कौन से राज्यों का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है; और

(घ) हाल ही में किन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) 1987-88 से 1989-90 के दौरान वर्तमान कीमतों पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में देश की प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं में आधारिक संरचना, उद्योग, कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के विकास के लिए तथा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए भी निवेश/परिव्यय शामिल है।

(ग) और (घ) जिन राज्यों के 1989-90 के लिए आंकड़े उपलब्ध थे जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम तथा पांडिचेरी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अपेक्षाकृत अधिक थी तथा अन्य सभी की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम थी। विगत तीन वर्षों में (वर्तमान कीमतों पर) सभी राज्यों में जिनके लिए संलग्न विवरण में दर्शाए अनुसार आंकड़े उपलब्ध हैं, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्तमान कीमतों पर प्रति-व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद—1987-88 से 1989-90

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1987-88	1988-89 (पी०)	1989-90 (क्यू०)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2839	3211	3364
2.	अरुणाचल प्रदेश	3679	4236	4176
3.	असम	2589	2772	3178
4.	बिहार	1846	2111	2122
5.	गोवा	6209	6619	6939
6.	गुजरात	3509	4893	5404
7.	हरियाणा	4312	5537	6265
8.	हिमाचल प्रदेश	3122	3622	4005
9.	जम्मू व कश्मीर*	—	—	—
10.	कर्नाटक	3254	3787	4075
11.	केरल	2828	3076	3389
12.	मध्य प्रदेश*	2433	2772	2878
13.	महाराष्ट्र	4558	5363	6184
14.	मणिपुर	3008	3480	3502
15.	मेघालय	2893	3112	3251
16.	मिजोरम	4077	—	—
17.	नागालैंड	3361	3464	—
18.	उड़ीसा	2194	2793	3066

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	5572	6274	7081
20.	राजस्थान	2363	3327	3595
21.	सिक्किम	3886	3946	4396
22.	तमिलनाडु	3362	3677	3894
23.	त्रिपुरा	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	2382	2744	3072
25.	पश्चिम बंगाल	3046	3542	3963
26.	दिल्ली	7788	—	—
27.	पांडिचेरी	5622	5734	5637
	अखिल भारत	3286	3875	4252

क्यू : त्वरित अनुमान पी : अनंतिम

—सम्बन्धित राज्य/सरकारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया ।

* पुरानी (1970-71) श्रृंखला पर आधारित ।

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए सम्बन्धित राज्यों में आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय और अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ।

टिप्पणी 1 : प्रयुक्त सामग्री के स्रोत में विभिन्नता होने के कारण विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े पूरी तरह से तुलनीय नहीं हैं ।

टिप्पणी 2 : अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व द्वीप तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र के अनुमान तैयार नहीं करते हैं ।

आदिम जनजातियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ उपलब्ध कराना

3692. **डॉ० रवि मल्लू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की जन जातियों और विशेष रूप से अचेमपेटा, कोल्हापुर, नगर कुरनू, जहां चेन्चू आदिम जनजाति रह रही है, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ इन आदिम जनजातियों तक पहुंचने का है; और

(ग) क्या सरकार के पास इन जन-जातियों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक किस्म की मदों का वितरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ आदिवासियों, जिनमें महबूबनगर जिले अचेमपेटा, कोल्हापुर नगरकुरनूल के आदिम आदिमवासी (चेन्चू) शामिल हैं, को उपलब्ध हैं। शुरू के चरण में जो कुछ परिवार छूट गए थे, उनकी गणना कर ली गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अलावा गिरिजन सहकारी निगम के दैनिक आवश्यकता डिपो भी निम्नांकित वस्तुएं अर्थात् कपड़ा, दालें, नमक, गुड़, मूंगफली का तेल, इमली, नारियल का तेल, साबुन उचित दरों पर मुहैया कराते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को लागू करना

3693. **श्री रवि राय : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा माल चढ़ाने और उतारने के लिए नियुक्त किए गए श्रमिकों के पक्ष में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुम्बई द्वारा अधिनिर्णय को अप्रैल, 1991 से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) और (ल) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई ने दिनांक 01-04-1991 के अपने पंचाट में यह निर्णय दिया है कि भारतीय खाद्य निगम में सीधा भुगतान करने की प्रणाली के अधीन कार्यरत कामगार उन सभी सेवा शर्तों में समानता के हकदार हैं जो विभागीयकृत श्रमिकों पर लागू होती हैं और पंचाट 01-01-1988 से लागू होगा। न्यायाधिकरण ने भारतीय खाद्य निगम को ये भी निदेश दिए कि जिस तारीख से पंचाट लागू किया जाता है उस तारीख तक बकायों की राशि का भुगतान उक्त तारीख से छः महीनों के अन्दर कर दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस पंचाट के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर कर दी है। इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

विजयवाड़ा में आम पर आधारित उद्योग

3694. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित विजयवाड़ा में, इसके निकटस्थ क्षेत्रों में भारी मात्रा में पैदा होने वाले आम को उपयोग में लाने के लिए एक आम पर आधारित उद्योग स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित नहीं करता है। परन्तु, इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के

विकास के लिए राज्य सरकार के नियमों/सहकारी समितियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि को वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से कृष्णा जिले में स्थित विजयवाड़ा में आय पर आधारित उद्योग स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास का कार्यान्वयन

3695. **श्री बलराज पासी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास" योजना जो कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप योजना है, उत्तर प्रदेश में कब से लागू है;

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान, राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम (डी० डब्ल्यू० ए० सी० आर० ए०) के अधीन वर्षवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) इस योजना के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना उत्तर प्रदेश राज्य में 1983-84 से कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि नीचे दर्शाई गई है—

(लाख रुपये में)

वर्ष	वर्ष की नई धनराशि
1988-89	106.85
1989-90	109.38
1990-91	128.34

(ग) 1990-91 तक बनाए गए ग्रुपों की कुल संख्या तथा महिला लाभार्थियों की संख्या नीचे दर्शायी गई है—

वर्ष	बनाए गए ग्रुपों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
1988-89	946	20087
1989-90	1040	17992
1990-91	1335	21154

[हिन्दी]

बिहार में उद्योगों की स्थापना

3696. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भोजपुर, झांझरपुर, मधुबनी, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिले "उद्योगविहीन" जिले हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां स्थानीय कच्चे माल पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) उल्लिखित जिलों में से केवल भोजपुर जिला ही 'उद्योग रहित जिला' है।

(ख) से (घ) किसी राज्य के औद्योगीकरण की जिम्मेदारी मूलत: सम्बन्धित राज्य सरकार की होती है। केन्द्र सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को छूट/प्रोत्साहन देकर राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है।

'उद्योग रहित जिलों' में ज्ञात विकास केन्द्रों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु पूर्व केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत, भोजपुर जिले में आरा में एक विकास केन्द्र को स्वीकृति दी गई है और केन्द्र सरकार द्वारा 50 लाख रु० की राशि दे दी गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर दी जाएगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली नई विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत, बिहार में हजारीबाग जिले को विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए चुना गया है।

जूता उद्योग को प्रोत्साहन

3697. **श्री कालका दास** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जूता उद्योग में लगे श्रमिकों को राहत देने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार जूता उद्योग को लघु उद्योग मानती है, यदि हां, तो इस प्रयोजन से इस उद्योग में कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) इस उद्योग को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग में वर्गीकृत करने हेतु सरकार द्वारा पूंजी निवेश की कितनी सीमा रखने पर विचार किया गया है;

(घ) इस उद्योग के कुटीर और लघु उद्योग एककों के उद्यमियों को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों का वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार जूता निर्माताओं को औद्योगिक भूखण्ड आवंटित करने का है; यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) अन्य उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को जो सामान्य राहत मिलती है वह जूता उद्योग के श्रमिकों को भी मिलती है ।

(ख) आरक्षण नीति के अनुसार जूता उद्योग को एक लघु उद्योग माना जा रहा है । केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र में निवेश की गयी पूंजी के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) (1) कुटीर क्षेत्र में निवेश की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं है । खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम के अधीन 'ग्राम्य उद्योग' का अर्थ है कि कोई उद्योग जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो और जो बिजली का इस्तेमाल करके अथवा इसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन करता हो अथवा कोई सेवा करता हो और जिसमें किसी कारीगर अथवा श्रमिक पर प्रति व्यक्ति अचल पूंजी निवेश पन्द्रह हजार रुपए से अथवा किसी अन्य ऐसी राशि से अधिक न हो जो समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(ग) (2) हाल ही में लघु उद्योग की निवेश सीमा को 35 लाख रु० से बढ़ाकर 60 लाख रु० कर दिया गया है और ऐसे एकक के मामले में जो अपना उत्पादन आरम्भ करने की तारीख से तीसरे वर्ष के अन्त में कम से कम 30 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन का निर्यात करने का वचन देता है उसमें संयन्त्र व मशीनों पर निवेश की सीमा 75 लाख रु० होगी ।

(ग) (3) बड़े उद्योगों के लिए मशीनों तथा उपकरणों पर निवेश की कोई विशिष्ट सीमा नहीं है । लघु उद्योग की परिभाषा से ऊपर के औद्योगिक उपक्रम को मझोला तथा बड़ा उद्योग माना जा सकता है ।

(घ) (1) ग्राम्य व कुटीर उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गए हैं :

1. ब्याज की कम दर पर फण्ड की व्यवस्था,
2. ब्याज पर सबसिडी,
3. कच्चे माल की सप्लाई के लिए प्राथमिकता देना,
4. उत्पाद-शुल्क से छूट,
5. विपणन में सहायता,
6. उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास,
7. माल खरीदने में प्राथमिकता,
8. अनु० जा०/अनु० ज० जा० के लिए उदारीकृत सहायता प्रतिमान ।

(घ) (2) देश के औद्योगिक विकास कार्यक्रम में लघु उद्योगों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है । लघु उद्योग क्षेत्र की विभिन्न अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें ये भी शामिल हैं—संस्थाओं से सहायता की व्यवस्था, रियायती वित्त, उत्पाद-शुल्क के लाभ जैसे प्रोत्साहन व रियायत पैकेज, केवल लघु उद्योगों द्वारा ही उत्पादन किए जाने के लिए वस्तुओं का आरक्षण करके विपणन सहायता, लघु एककों से खरीदने के लिए मदों का आरक्षण,

किराया-खरीद के आधार पर मशीनें, तकनीकी परामर्श सेवाएं, परीक्षण सुविधाएं, सामान्य सुविधा सेवाएं और अन्य आधारिक सुविधाएं। जूता उद्योग में लघु औद्योगिक एककों की स्थापना करने के इच्छुक उद्यमी उपर्युक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) औद्योगिक प्लाटों का आबंटन अन्य उद्योगों के समान किया जाता है।

गांवों में पेय जल की समस्या

3698. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसे गांव हैं जहां पेयजल का एक भी साधन नहीं है;

(ख) ऐसे अन्य समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है जहां पर उपलब्ध जल स्वाद में खारा है तथा लौह तत्व, फ्लोराइड या अन्य विषैले तत्वों से युक्त है;

(ग) क्या समस्या को हल करने के लिए सरकार का कोई समयबद्ध विशेष योजना शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) उन राज्यों, जिनमें अभी भी "जल स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांव हैं, के नाम नीचे दर्शाए गए हैं :

क्र० सं०	राज्य	30-6-91 को "जल स्रोत रहित" समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1.	असम	87
2.	बिहार	2
3.	गुजरात	50
4.	हरियाणा	70
5.	हिमाचल प्रदेश	728
6.	जम्मू और कश्मीर	662
7.	मध्य प्रदेश	73
8.	महाराष्ट्र	52
9.	मेघालय	1006
10.	नागालैंड	19
11.	उड़ीसा	1086
12.	पंजाब	754
13.	राजस्थान	137
14.	त्रिपुरा	10
15.	उत्तर प्रदेश	446
		5182

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) सरकार ने दो वर्षों की अवधि में "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज के लिए 250 करोड़ रुपये का विशेष आबंटन स्वीकृत किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों/जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए एक विशेष फ्रंश कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है जिसका नाम राजीव गांधी के नाम पर होगा और इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आदि के विद्यमान योजना कार्यक्रमों की निधियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा ।

अकबरपुर में दूरदर्शन टावर

3699. **श्री राम अवध** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकबरपुर, उत्तर प्रदेश में एक दूरदर्शन टावर स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रसारण क्षमता क्या है;

(ग) क्या सरकार का इसकी क्षमता बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी हां । अकबरपुर, उत्तर, प्रदेश में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है।

(ग) जी, नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

खण्डवा, मध्य प्रदेश में उत्पादन केन्द्र

3700. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने खण्डवा के निकट एक उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) इस उत्पादन केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) नई विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लिए आवंटित 6 विकास केन्द्रों का चुनाव करने के लिए खण्डवा सहित 13 प्रस्ताव भेजे थे । राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् भिंड, धार, दुर्ग, गुना, रायपुर और रायसेन जिलों में एक-एक विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

मंजूरी के लिए लंबित उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

3701. **श्री राम बदन** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो स्वीकृति के लिए योजना आयोग के पास लंबित हैं;

(ख) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत कितनी है;

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग के पास उत्तर प्रदेश की कोई भी परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनुमान

3702. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विकास केन्द्रों को पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु वित्तीय अनुमोदन के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अनुमान प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अनुमानों का अनुमोदन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन अनुमानों को अनुमोदन कब तक मिलने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण की केन्द्रीय योजना को 1987-88 से समाप्त कर दिया गया था। 1987-88 के बाद योजना के अन्तर्गत कोई नए निर्माण-कार्य शुरू नहीं किए गए हैं। स्वीकृत परियोजना की सम्पूर्ण लागत मध्य प्रदेश सरकार को रिलीज कर दी गई है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को हुआ घाटा

3703. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले लेखा वर्ष के अन्त तक इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को कुल कितना घाटा हो गया था;

(ख) इस समय यह कम्पनी किस किस्म के संघटकों और औषधियों का निर्माण कर रही हैं; और

(ग) क्या इस कम्पनी द्वारा निर्मल मूल संघटकों को काफी कम मूल्य पर बेचा जाता है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को 427.81 करोड़ रुपए (अस्थायी) की संचित हानियां हुई थीं।

(ख) कम्पनी द्वारा निर्मित दवाइयों (प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों) और संघटकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) जी, नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

I. प्रपुंज औषधें

(क) एंटिबायोटिक्स

1. पोट० पेनिसिलिन
2. सोड० पेनिसिलिन
3. प्रोक० पेनिसिलिन
4. स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट
5. टेट्रासाइक्लिन एच० सी० एल०
6. ऑक्सीटेट्रोसाइक्लिन एच० सी० एल०
7. एम्पिसिलिन ट्रीहाइड्रेट
8. एमोक्सीलीन
9. सेफेलेक्सीन
10. 6-एपीए

(ख) सिन्थेटिक औषधें

1. विटामिन बी 1 एच० सी० एल०
2. विटामिन बी 1 मोनोनीट्रेट
3. विटामिन बी 2
4. विटामिन बी 6
5. सल्फाडीमीडाइन
6. सल्फाडीमीडाइन सोडियम
7. सल्फागुआनीडाइन
8. एनाल्जिन
9. फोलिक एसिड
10. एकेटाजोलामाइड
11. क्लोरोक्विन फोस्फेट
12. मेथाइल डोपा
13. फेनोबारबीटोन/सोडियम

14. सल्फासीटामाइड/सोडियम
15. सल्फानिलामाइड
16. पेरासिटामोल
17. नियासीन
18. नियासीनामाइड

II. **सूत्रयोग**

1. टिकिया
2. केप्सूल
3. पावडर/ग्रेन्यूल्स
4. इंजेक्टेबल्स
5. लिक्विड ओरल्स

III. **कार्बनिक रसायन**

1. एसिटलडिहाइड
2. एसिटिक एसिड
3. मेथाइल इथाइल पायरीडाइन

IV. **फाइन केमिकल्स (प्रयोगशाला रसायन)**

V. **शल्य उपकरण**

1. मानक शल्य और विशेष उपकरण
2. स्काल्पेल ब्लेड और हैंडल्स
3. आम मदें ।

खाद्य तेलों के आयात से मूल्यों पर प्रभाव

3704. **श्री बासव राजेश्वरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों के आयात से इनके मूल्य कम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके आयात से मूल्यों में कितनी कमी आई है; और

(ग) खाद्य तेलों के ऊंचे मूल्यों के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) खाद्य तेल के आयात से देश में इस वस्तु की उपलब्धता बढ़ जाती है और इसलिए खुले बाजार में इसका मूल्यों पर असर पड़ता है । इस प्रभाव की सीमा मुख्यतया वितरण हेतु जारी किए गए आयातित खाद्य तेल की मात्रा पर निर्भर करती है । चूंकि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गम्भीर कठिनाइयों के कारण अप्रैल, 1991 से खाद्य तेल का आयात स्थगित कर दिया गया है, इसलिए इस समय खाद्य तेल के मूल्य देश में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता द्वारा निर्धारित हो रहे हैं ।

खाद्यान्नों का पैकेटों में वितरण

3705. **श्री ई० अहमद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उचित दर की दुकानों के माध्यम से ऐसे पैकेटों में खाद्यान्नों की सप्लाई करने का है जिन पर वजन और कीमत अंकित होगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों का थोक में आवंटन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को करती है जो देश में उपभोक्ताओं में उनके वितरण की व्यवस्था करते हैं।

कर्नाटक में आवश्यक वस्तुओं के अधिक लाभ की सीमा में संशोधन

3706. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में अधिक लाभ की सीमा में संशोधन करने के लिए बार-बार अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए लाभ सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) लेवी चीनी की ढुलाई के लिए ढुलाई प्रभार में वृद्धि करने का एक अनुरोध कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

3707. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में कार्यरत कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में ऐसे और अधिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उनके प्रस्तावित स्थापन-स्थलों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) विभिन्न स्तरों पर कम्प्यूटर शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में इलैक्ट्रॉनिक विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों की संख्या इस प्रकार है :

कार्यक्रम	केन्द्रों की संख्या
1. प्रौद्योगिकी निष्णात (एम० टेक)	9
2. प्रौद्योगिकी स्नातक (बी० टेक)	25
3. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात (एम० सी० ए०)	70

4. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी० जी० डी० सी० ए०)	63
5. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में पॉलिटेक्निकोत्तर डिप्लोमा (पी० पी० डी० सी० ए०)	49
6. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (हिन्दी) (पी० जी० डी० सी० ए०)	9
7. कम्प्यूटर शिक्षण में डिप्लोमा (डी० सी० ई०)	16
8. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) प्रमाण पत्र	35
9. प्रौद्योगिकी निष्णात (एम० टेक) क्रास माइग्रेशन कार्यक्रम	10
10. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में निष्णात शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	9
11. कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम	12

(ख) जी नहीं। किन्तु, एम० टेक/एम० सी० ए० कार्यक्रमों को और अधिक संस्थाओं में चलाने की सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ग) कम्प्यूटर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं, वे नीचे दिए अनुसार हैं :

(I) विदेशी सहयोग के अनुमोदन सहित औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(II) बड़े पैमाने की इकाइयों में 51% तक की विदेशी साम्या-पूंजी (इक्विटी) की सहभागिता के लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(III) लघु क्षेत्र की इकाइयों में 24% तक की साम्या-पूंजी (इक्विटी) सहभागिता की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(IV) कम्प्यूटर विनिर्माणकर्त्ताओं पर स्थापना स्थल सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(V) उत्पादन के स्तर को अधिक-से-अधिक करने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए इकाइयों को बड़े पैमाने पर विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी।

(VI) कम्प्यूटर हार्डवेयर वस्तुओं के मामले में मूल्य वृद्धि का न्यूनतम प्रतिशत घटाकर 15% कर दिया गया है, ताकि दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

आयात की सम्भावना समाप्त करने के लिए चीनी का पर्याप्त उत्पादन

3708. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिलों से आयात की सम्भावना समाप्त करने के लिए पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु समयोपरि कार्य करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने क्या प्रोत्साहन दिए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) संघ सरकार ने 1990-91 मौसम के दौरान जल्दी पेराई तथा देर तक पेराई करने वाली चीनी फैक्ट्रियों के लिए उच्चतर खुली बिक्री कोटे की घोषणा की थी जिससे फैक्ट्रियां चीनी का अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो सकें। इससे फैक्ट्रियों को पेराई की अवधि बढ़ाने में मदद मिली है तथा चीनी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 31-8-91 को चीनी का कुल उत्पादन 117.75 लाख टन हो गया था जबकि पिछले मौसम 1989-90 की इसी तारीख का यह उत्पादन 108.58 लाख टन था।

उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना के तहत 1990-91 के चालू मौसम में 55 प्रतिशत के सामान्य खुली बिक्री कोटे की तुलना में 1 अक्तूबर, 1990 से 15 नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर 75 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटा मंजूर किया गया था तथा 1 मई, 1991 से 31 जुलाई, 1991 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर 72 प्रतिशत की दर से खुली बिक्री कोटा मंजूर किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

"7 पी० एस० यूज सीक मासिव ले आफ" शीर्षक से समाचार

3709. **श्री दत्तात्रेय बन्डारू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1991 के इकानोमिक टाइम्स (बंगलौर संस्करण) में "7 पी० एस० यूज सीक मासिव ले आफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संघ सरकार ने सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के हजारों कर्मचारियों के सम्पूर्ण हित में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि

3710. **डॉ० सी० सिलवेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । । फिलहाल, देशी अखबारी कागज के मूल्यों पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है क्योंकि ये कीमतें बाजार की परिस्थितियों के अनुसार वाणिज्यिक आधार पर निर्धारित की जाती हैं । आयातित अखबारी कागज का मूल्य राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुबन्धित खरीद मूल्य पर निर्भर करता है ।

विवरण

1. अखबारी कागज के मूल्य (रुपए प्रति मीट्रिक टन)

	नेपा लि०	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि०	मैसूर पेपर लि०	तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर्स लि०
नवम्बर, 90	13,700 (52 जी० एस० एम०)	14585 (52 जी० एस० एम०) 15460 (48/49 जी० एस० एम०)	15180 (52 जी० एस० एम०) 16090 (48/49 जी० एस० एम०	16470 (49 जी० एस० एम०)
जून, 91	14800 (52 जी० एस० एम०)	15335 (52 जी० एस० एम०) 16255 (48/49 (जी० एस० एम०)	16905 (48/49 जी० एस० एम०)	17270 (49 जी० एस० एम०)

2. आयातित अखबारी कागज के मूल्य

	स्टेंडर्ड	ग्लेज्ड	बंगलादेश
जनवरी-मार्च, 1991	12,260	17,645	11,335
अप्रैल-जून, 1991	13,000	18,735	12,050
जुलाई, 1991	16,000	23,300	14,800
*अगस्त-सितम्बर, 1991	16,000	23,300	14,800

*बंगलादेश सहित स्टेंडर्ड अखबारी कागज पर 800 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा ग्लेज्ड अखबारी कागज पर 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से अधिभार लगेगा ।

अखबारी कागज पर आयात शुल्क समाप्त करना

3711. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज पर आयात शुल्क समाप्त करने से छोटे अखबारों को मदद मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो छोटे अखबारों की सहायता के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) छोटे अखबार पहले ही अखबारी कागज पर आयात शुल्क से मुक्त हैं ।

इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर कारपोरेशन, जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में तालाबन्दी

3712. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर स्थित इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर कारपोरेशन में तालाबन्दी घोषित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना

3713. **श्री रामलखन सिंह यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का बोर्ड में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं को देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन महिलाओं सहित सदस्यता के किसी समूह या वर्ग को कोई विशेष प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रावधान न होने के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों के नाम —कार्यवाहक अध्यक्ष

1. श्री शक्ति सामन्त
2. श्री आर० के० सिन्हा
3. श्री मनमोहन चड्ढा
4. श्री बासु भट्टाचार्य
5. श्रीमती प्रणयनी मुन्शी

6. सुश्री दीप्ति नवल
7. श्रीमती मुतैया
8. श्री ए० वी० एम० बालसुब्रमण्यम
9. श्री जेमिनी गणेशन
10. श्री वी० आर० वैंकटाचलम्
11. श्रीमती नन्दिता कृष्णा
12. श्री अजय डे
13. श्री सेन गुप्ता
14. श्री हर्ष कुमार नेवतिया
15. श्रीमती जीवाराज अल्वा
16. श्री पी० भास्करन
17. श्री बशीर एम० पिचा
18. श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी
19. श्री जे० भास्कर राव
20. श्री अमरेन्द्र सारण
21. श्रीमती सारा मोहम्मद
22. श्रीमती कमला मानकेकर
23. श्रीमती उवर्शी तलवार
24. श्री राज बिसरिया
25. श्री दिलजीतसिंह पन्नून

[अनुवाद]

चीनी मिल की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र

3714. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **खाद्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से नई चीनी की मिलें खोलने हेतु, कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए 31-7-1991 को 12 आवेदन पत्र सरकार के विचारार्थ लंबित हैं। शर्करा उद्योग में लाइसेंसिंग

नीति की इस समय सरकार द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा लंबित आवेदन पत्रों, जिनमें अहमदनगर के आवेदन भी शामिल हैं, पर उक्त समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

आदिवासी क्षेत्रों में भंडारण क्षमता

3715. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से मोटे अनाजों और तिलहनों के लिए भंडारण प्रदत्त क्षमता बहुत कम है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों में फलों और सब्जियों के लिए उपलब्ध भंडारण क्षमता भी बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) यद्यपि शीत गृह क्षमता सहित भंडारण क्षमता का निर्माण देश के कुछेक आदिवासी क्षेत्रों में किया गया है, लेकिन यह महसूस किया जाता है कि ऐसी क्षमता में और वृद्धि करने की अभी भी गुंजाइश है। कई एजेन्सियां भंडारण गोदामों का निर्माण करने में कार्यरत है। अतः खाद्य निगम ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद आदिवासी क्षेत्रों में 2.21 लाख मीटरी टन भंडारण क्षमता का निर्माण किया है। इसके अलावा, निगम लगभग 37,000 मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की प्रक्रिया में है। इसी प्रकार, केन्द्रीय भण्डारण निगम ने भी आदिवासी क्षेत्रों में 3.28 लाख मीटरी टन क्षमता स्थापित की है। इसके अतिरिक्त उनकी 1994-95 तक लगभग 80.000 मीटरी टन की और क्षमता का निर्माण करने की योजना है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लि० (ट्राइफेड), ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि जैसे अन्य संगठन भी आदिवासी इलाकों में भण्डारण गोदामों और शीतगृहों के निर्माण को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रोनिक एककों की स्थापना के लिए विदेशी कंपनियों को लाइसेंस

3716. **श्री रामशरण यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान कुछ विदेशी कंपनियों ने अपने निजी इलैक्ट्रोनिक एकक स्थापित करने अथवा भारतीय कम्पनियों के सहयोग से स्थापित करने के लिए आवेदन किया था;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विदेशी कंपनियों को लाइसेंस मंजूर किये गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन विदेशी कंपनियों द्वारा किन-किन स्थानों में इलैक्ट्रोनिक एकक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) जी, हां। वर्ष 1989-90 के दौरान जिन विदेशी कम्पनियों ने भारत में इलैक्ट्रानिक इका-

इयां स्थापित करने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया है तथा जिन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनके ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं ।

विवरण-I

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	निर्यात की गई वस्तुएं	स्थापना स्थल का नाम
1.	इनफॉरमेशन मैनेजमेंट रिसोर्सिस इनकारपारेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	सीप्ज, बम्बई
2.	ओ० ए० जेड कम्युनिकेशन इनकार्पोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	यथोपरि
3.	किरीटबक्शी, यू० एस० ए०	साफ्टवेयर अभिलेखीकरण	यथोपरि
4.	ए० आई० टी० इनफोसिस प्रा० लि०, फिनलैंड	साफ्टवेयर का विकास	यथोपरि
5.	डिजीटल टूल्स इनकार्पोरेटिड यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर पैकेज	यथोपरि
6.	अरुण अग्रवाल, यू०एस०ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	नौएडा, निर्यात संसाधन क्षेत्र
7.	सुरेन्द्र कुमार त्रेहन, यू०एस०ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास	यथोपरि
8.	हरि सदन चक्रवर्ती, पश्चिमी जर्मनी	लघु/सूक्ष्म कम्प्यूटर प्रणालियां	यथोपरि
9.	बी० एल० भारती, पश्चिमी जर्मनी	कम्प्यूटर प्रणालियां तथा उपान्त उपस्कर	यथोपरि
10.	ओरेल फुसेली ग्राफिक आर्ट्स लि०, ज्यूरिख	सुरक्षा कार्ड	यथोपरि
11.	तुलसीदास जी चेमालिल, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र
12.	ए० एम० पी० इनकार्पोरेटिड यू० एस० ए०	टोकन रिंग एक्सेस सेन्टर	यथोपरि
13.	दीपक वर्मा, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास	दिल्ली
14.	ई० एम० एस० इनवेन्टा एजी०, ज्यूरिख	डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सेवाओं का विकास	बंगलौर
15.	फ्रंटियर कम्प्यूटर (प्रा०) लि०, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	पूणे
16.	चन्द्रप्रकाश खेरा, कनाड़ा	कम्प्यूटर प्रणालियां	दिल्ली
17.	वर्सेन इंटरनेशनल लि०, ग्रेट ब्रिटेन	डिजाइन एवं इंजीनियरी सेवाएं	बंगलौर

विवरण-II

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	निर्यात की गई वस्तुएं	स्थापना स्थल का नाम
1.	इनफोरमेशन मैनेजमेंट रिसोर्सिस इनकारपोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	सीप्ज, बम्बई
2.	ओ० ए० जेड कम्युनिकेशन इनकार्पोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	यथोपरि
3.	ए० आई० टी० इनफोसिस प्रा० लि०, फिनलैंड	साफ्टवेयर का विकास	यथोपरि
4.	डिजीटल टूल्स इनकार्पोरेटिड यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर पैकेज	यथोपरि
5.	अरुण अग्रवाल, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	नौएडा, निर्यात संसाधन क्षेत्र
6.	हरि सदन चक्रवर्ती, पश्चिमी जर्मनी	लघु/सूक्ष्म कम्प्यूटर प्रणालियां	यथोपरि
7.	ओरेल फुसेली ग्राफिक आर्टस लि०, ज्यूरिख	सुरक्षा कार्ड	यथोपरि
8.	ए० एम० पी० इनकार्पोरेटिड, यू० एस० ए०	टोकन रिंग एक्सेस सेन्टर	कोचीन निर्यात संसाधन क्षेत्र
9.	दीपक वर्मा, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विकास	दिल्ली
10.	ई० एम० एस० इन्वेन्टा एजी० ज्यूरिख	डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सेवाओं का विकास	बंगलौर
11.	फ्रंटियर कम्प्यूटर (प्रा०) लि०, यू० एस० ए०	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	पुणे

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण मंच

3717. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जिला मंच स्थापित कर दिए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नागपुर के जिला मंच को धन लक्ष्मी कन्सोलिटेड, मद्रास द्वारा चालू वर्ष के दौरान सावधि जमा राशि का भुगतान न करने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 63 जिलों में जिला मंच कार्य कर रहे हैं। तथापि महाराष्ट्र में, 31 जिलों में से 30 जिला मंच कार्य कर रहे हैं और 1 और जिला मंच अभी गठित किया जाना है।

(ख) नागपुर जिला मंच को चालू वर्ष के दौरान धन लक्ष्मी कन्सोलिडेट, मद्रास द्वारा सावधि जमा की अदायगी न करने के प्रति कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "ख" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भवनों की खरीद

3718. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का खादी भवन, नई दिल्ली के लिए कुछ भवन आदि खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का 50 लाख रु० की अनुमानित लागत से लाजपत नगर में एक भवन खरीदने का प्रस्ताव है।

(ग) यह केवल प्रस्ताव की स्थिति में है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम की तुलना में केन्द्रीय भांडागार निगम के कर्मचारियों का वेतन

3719. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम के कर्मचारियों का वेतन भारतीय खाद्य निगम के उन कर्मचारियों के वेतत की तुलना में कम है जो समान कार्य कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार दोनों निगमों में समान कार्य के लिए समान वेतन देने का है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम में कार्य कुछ मामलों में भारतीय खाद्य निगम के कार्यों के समान है। तथापि कुछेक अन्य क्षेत्रों में इन दोनों निगमों के कार्यों के स्वरूप को एक समान माना नहीं जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के समूह "ग" समूह "घ" के कर्मचारियों को देय वेतन का निर्धारण इनके

प्रबन्धों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुए सम्बन्धित समझौतों के अनुसार किया जाता है।

[हिन्दी]

चीनी उत्पादन में लाभ

3720. **डा० जी० एल० कनोजिया** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धन सरकारी विपणन में गलत नीतियों और खामियों के कारण चीनी उत्पादन में शुद्ध लाभ में प्रति वर्ष कमी हो रही है, जबकि गन्ने का खरीद मूल्य तुलनात्मक रूप से इसकी प्रति क्विंटल लागत से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन नीतियों में सुधार लाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) भारत सरकार, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा गन्ने पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गन्ने की केवल सांविधिक न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। तथापि, वास्तविकता यह है कि चीनी फैक्ट्रियां विभिन्न राज्य सरकारों की सिफारिश के अनुसार गन्ने की निर्धारित कीमत से अधिक कीमत का भुगतान करती हैं। चीनी उत्पादन में शुद्ध लाभ केवल सरकार की नीतियों पर ही निर्भर नहीं करता अपितु यह उत्पादन लागत, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यहां तक कि एक ही क्षेत्र की दो फैक्ट्रियों में अलग-अलग होती है, राज्य में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भुगतान की गई गन्ना कीमत, गन्ने से चीनी की प्राप्ति, मौसम की अवधि, प्लांट एवं मशीनरी का आकार, अवस्था और स्थिति, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता आदि पर भी निर्भर करता है। अतः यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि चीनी उत्पादन के शुद्ध लाभ में प्रतिवर्ष कमी आ रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेदों की ऋचाओं का दूरदर्शन/आकाशवाणी पर प्रसारण

3721. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेदों के श्लोकों, वैदिकों ऋचाओं के सस्वर पाठ और वैदिक प्रवचनों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर नियमित रूप से प्रसारित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से सम्बन्धित वेदों के श्लोकों, वैदिक ऋचाओं का सस्वर पाठ और वैदिक प्रवचन इलैक्ट्रानिक माध्यमों से समय-समय पर प्रसारित किए जाते हैं।

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्र

3722. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

श्री राम नारायण बैरवा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कार्यरत दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और रिले केन्द्रों के क्या नाम हैं तथा इस समय उनकी क्षमता कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इससे कितनी जनसंख्या लाभान्वित होती है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में एक शक्तिशाली प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी जनसंख्या में लोग कार्यक्रम देख सकेंगे;

(ङ) क्या सरकार को सीमांत क्षेत्रों में शक्तिशाली दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव/अनरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस समय राजस्थान की लगभग 52.1 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। इसमें ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र के किनारे वाले क्षेत्रों की जनसंख्या भी शामिल है, जहां संतोषजनक तस्वीर और आवाज प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना तथा बूस्टर लगाने पड़ते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) समूचे राज्य विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। राज्य के बाड़मेर तथा जैसरमेर के सीमावर्ती जिलों में 300 मीटर ऊंचे टावरों के साथ एक-एक, उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने तथा इन क्षेत्रों में व्यापक कवरेज प्रदान करने के लिए बूंदी में 150 मीटर ऊंचे टावर के साथ एक उच्च शक्ति (10 कि० वा०) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने की स्कीमें पहले से ही चल रही हैं। इसके अलावा, गंगापुर, सुजानगढ़ तथा श्री डूंगरगढ़ में भी एक-एक अर्थात तीन अतिरिक्त अल्पशक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने की योजना है।

विवरण

राजस्थान में कार्यरत दूरदर्शन कार्यक्रम केन्द्र तथा दूरदर्शन रिले केन्द्रों का ब्यौरा।

क. **कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (दूरदर्शन स्टूडियो)**

जयपुर

ख. दूरदर्शन ट्रांसमीटर

(I) उच्च शक्ति (10 वाट) ट्रांसमीटर—जयपुर

(II) अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर

1. अजमेर
2. अलवर
3. अनूपगढ़
4. बांसवाड़ा

5. बाड़मेर
6. ब्यावर
7. भीलवाड़ा
8. बूंदी
9. बीकानेर
10. चित्तौड़गढ़
11. चुरू
12. डीग
13. डूंगरपुर
14. गंगानगर
15. हनुमानगढ़
16. जैसलमेर
17. जालौर
18. झालावाड़
19. झुनझुनू
20. जोधपुर
21. खेतड़ी
22. कोटा
23. नागौर
24. पाली
25. पिलानी
26. सलम्बर
27. सरदार शहर
28. सवाई माधोपुर
29. सीकर
30. सिरोही
31. सूरतगढ़
32. टोंक
33. उदयपुर

(III) अति अल्प शक्ति (2 × 10) दूरदर्शन ट्रांसमीटर—रावतभाटा

(IV) ट्रांसपोजर (10 वाट)

1. जमुआ—रामगढ़
2. लालसोट

राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्र

3723. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में क्षमता-वार तथा अवस्थिति-वार कितने आकाशवाणी केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) इनकी प्रसारण क्षमता से कुल कितने क्षेत्र की जनसंख्या लाभान्वित हो रही है;

(ग) इनमें कितने आकाशवीण केन्द्र अपने कार्यक्रम तैयार करके उनका प्रसारण करते हैं और कितने केन्द्र विविध-भारती की वाणिज्यिक सेवा का प्रसारण करते हैं;

(घ) केबल रिले केन्द्र कितने हैं;

(ङ) निकट भविष्य में राजस्थान में आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(च) अजमेर आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता कितनी है;

(छ) इस केन्द्र से किस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है;

(ज) क्या सरकार का अजमेर की अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए यहां एक उच्च शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है;

(झ) क्या इस केन्द्र से मौलिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा; और

(ञ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) आकाशवाणी के नेटवर्क से राजस्थान के करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की करीब 335 लाख जनसंख्या को कवरेज प्राप्त हो रही है ।

(ग) इस समय राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में एक-एक अर्थात् कुल दो विविध भारती केन्द्र हैं तथा इस समय राज्य में कार्यरत 8 रेडियो केन्द्रों में से अजमेर केन्द्र को छोड़कर सभी अपने कार्यक्रम तैयार करते हैं और उनका प्रसारण भी करते हैं ।

(घ) निजी परिसर में कोई भी व्यक्ति केन्द्र सरकार से अनुमति लिए बिना केवल टी०वी० नेटवर्क लगा सकता है । अत: देश में कार्यरत केवल टी०वी० केन्द्रों की संख्या के बारे में सही सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, दूरदर्शन की ओर से मैसर्स आपरेशन्स रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला कि देश में मई, 1990 में डिश एंटीना प्रणाली वाले या बिना इस प्रणाली के 3,460 केवल टी०वी० नेटवर्क कार्यरत थे ।

(ङ) इस समय जैसलमेर, बाडमेर, चुरू, माउण्ट आबू, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और नागौर में एक-एक अर्थात् कुल 9 नये रेडियो केन्द्रों के निर्माण का काम विभिन्न स्तरों पर चल रहा है ।

(च) और (छ) अजमेर स्थित रिले ट्रांसमीटर की शक्ति 200 कि० वा० मी० वे० है । यह ट्रांसमीटर आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र में निर्मित कार्यक्रम रिले करता है और यहां पर स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम तैयार करने की सुविधा नहीं है ।

(ज) अजमेर के रिले ट्रांसमीटर की शक्ति कुछ ही वर्ष पहले 20 कि० वा० से बढ़ाकर 200 कि० वा० की गयी है ।

(झ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ञ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान	शक्ति
1	2	3
1.	जयपुर	(I) कि० वा० मी० वे० (II) कि० वा० मी० वे०

1	2	3
2.	अजमेर	(I) 200 कि० वा० मी० वे०
3.	बीकानेर	(I) 10 कि० वा० मी० वे०
4.	जोधपुर	(I) 100 कि० वा० मी० वे०
		(II) 1 कि० वा० मी० वे०
5.	कोटा	(I) 1 कि० वा० मी० वे०
6.	सूरतगढ़	(I) 300 कि० वा० मी० वे०
7.	उदयपुर	(I) 10 कि० वा० मी० वे०
8.	अलवर	(I) 6 कि० वा० एफ० एम०

[अनुवाद]

मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी के कर्मियों को लाभ

3725. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी और सिरैमिक ग्रुप सहित विभिन्न कंपनियों के कामगरों तथा उत्पादन से असंबद्ध अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और "फ्रिज" लाभों में वर्ष 1979 से कितने बार संशोधन किया जा चुका है; और

(ख) मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी और सिरैमिक ग्रुप, सलेम स्थित रिफ्रेक्टरी और सिरैमिक यूनिट को छोड़कर, के कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों के संबंध में अभी तक फैसला न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी तथा सिरैमिक समूह सहित विभिन्न एककों के कामगारों, अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित मजदूरी और फ्रिज लाभों के संशोधन के सम्बन्ध में विवरण अधोलिखित है :—

(1) अभियन्त्रण एकक	
हावड़ा कारखाना तथा बर्नपुर कारखाना	1979, 1983 और 1988
(2) ऑफशौर	1988
(3) अधिकारीगण	1982 और 1987
(4) लिपिकीय/मुख्यालय के उप कर्मचारी तथा हावड़ा कारखाने के लिपिकीय/ तकनीकी कर्मचारी	1981 तथा 1985
(5) सलेम रिफ्रेक्टरी एकक	1980, 1983, 1986 और 1989

(ख) चूंकि सलेम को छोड़कर सभी रिफ्रेक्टरी और सिरैमिक एककों को लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है तथा कंपनी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है, अतः घाटा उठाने वाले इन रिफ्रेक्टरी एककों में मजदूरी आदि में संशोधन करना संभव नहीं है।

मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के श्रमिकों को अंतरिम राहत

3726. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले मेसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी और सेरामिक ग्रुप में कार्यरत श्रमिकों को अंतरिम राहत दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) चूंकि सलेम एकक को छोड़कर, सभी रिफ्रेक्टरी और सेरामिक एकक लगातार घाटे में चल रहे हैं और चूंकि कंपनी अतिरिक्त वित्तीय बोझ सहन करने की स्थिति में नहीं है, अतः घाटा उठाने वाली इन रिफ्रेक्टरी इकाइयों को अंतरिम राहत का भुगतान करना संभव नहीं हो सका है।

[हिन्दी]

बिहार में उद्योगों की स्थापना

3727. **श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हजारीबाग जिले के यात्रा उप-डिवीजन में स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कोई उद्योग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में यात्रा उप-डिवीजन में कोई उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में केवल 1973 से आगे के ही आंकड़े उपलब्ध हैं। तब से बिहार के हजारीबाग जिले में उद्योगों की स्थापना हेतु 17 आशय पत्र और 10 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। मार्च, 1985, जब योजना शुरू हुई थी, और जून, 1991 के दौरान उक्त जिले में उद्योग लगाने के लिए 20 लाइसेंसमुक्त उद्योग पंजीकरण मंजूर किए गए थे।

नई औद्योगिक नीति के अनुसार, प्रतिरक्षा और सामरिक उपकरणों आदि सम्बन्धी उद्योगों की एक छोटी-सी सूची को छोड़कर अन्य सभी उद्योग की परियोजनाओं को लाइसेंससीकरण से मुक्त कर दिया गया है।

केबल टी० वी०

3728. **आचार्य विश्वनाथ शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केबल टी० वी०" ने अपने प्रसारण के लिए सरकार के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या केबल टी० वी० के कार्यक्रमों को प्रसारित करने से पहले विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रमाणित किया जाता है; और

(घ) किन-किन शहरों में केबल टी० वी० का एन्टीना लगाया गया है और उनकी शहरवार संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन से, किसी केबल टी० वी० नेटवर्क के मालिक के साथ उनके कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं, फिलहाल ऐसी कोई समिति नहीं है।

(घ) डिश एन्टिना की स्थापना के लिए लाइसेंस दूर-संचार विभाग के क्षेत्रीय संगठनों द्वारा जारी किए जाते हैं और यह सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

स्वीकृति के लिए लम्बित दूरदर्शन धारावाहिक

3729. **श्री बाऊबयाल जोशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय में कौन से दूरदर्शन धारावाहिक और वृत्त चित्र मंजूरी के लिए लम्बित हैं; और इसके क्या कारण हैं तथा वे कब से लम्बित हैं;

(ख) उनकी स्वीकृति के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या प्रसारण के लिए पहले स्वीकृत किए गए वृत्त चित्र और दूरदर्शन धारावाहिक इन मानदण्डों को पूरा करते थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) मंत्रालय में कोई दूरदर्शन धारावाहिक या फीचर फिल्म मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। तथापि, दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिकों और फीचर फिल्मों की मंजूरी दूरदर्शन में एक सतत प्रक्रिया है।

(ख) प्रसारण के लिए फीचर फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों के अनुमोदन हेतु अपनाए गए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे दिए गए हैं—

फीचर फिल्मों के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त फिल्में
2. विषय वस्तु का महत्व
3. सिनेमेटिक महत्व

4. मनोरंजन महत्व

5. निर्माण वर्ष

6. परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्तता

7. किस सीमा तक फिल्म का पहले ही वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया गया है और

8. फिल्म को टी० वी० पर कितनी बार तथा किन-किन स्टेशनों/केन्द्रों से दिखाया गया है।

दूरदर्शन धारावाहिकों के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

दूरदर्शन ऐसे कार्यक्रमों का अनुमोदन करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक मूल्यों और स्वस्थ मनोरंजन हो। विशेष रूप से उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी जो—

1. अच्छे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा दें।

2. दर्शकों में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, विचारों, संस्कृतियों इत्यादि के प्रति समान आदर की भावना उत्पन्न करें। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें और भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बढ़ावा दें।

3. देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को स्पष्ट प्रतिबिम्बित करें।

4. समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा दें और भारत के जनजीवन को प्रतिबिम्बित करें।

5. हमारे समाज में नारी के स्थान के प्रति स्वस्थ सम्मान को बढ़ावा दें और युवाओं की आकांक्षाओं और समस्याओं को उजागर करें; और

6. दर्शकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दें।

(ग) जी, हां।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

गृहविहीन मजदूरों को मकान

3730. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि मजदूरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से गृहविहीन मजदूरों की औसत प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या सरकार का गृहविहीन मजदूरों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजनाएं तैयार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, कृषि श्रमिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) चूंकि 1981 की जनगणना में बेघर श्रमिकों के आंकड़े एकत्र नहीं किए गए थे, अतः यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) फिलहाल सरकार का बेघर श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराने के लिए कोई नई योजनाएं तैयार करने का विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1981 की गणना के अनुसार कृषि श्रमिकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8525017
2.	अरुणाचल प्रदेश	7796
3.	असम	521595**
4.	बिहार	7366973
5.	गोवा	32394
6.	गुजरात	2488300
7.	हरियाणा	590324
8.	हिमाचल प्रदेश	40072
9.	जम्मू व कश्मीर	63540
10.	कर्नाटक	3655197
11.	केरल	1917362
12.	मध्य प्रदेश	4857829
13.	महाराष्ट्र	6470855
14.	मणिपुर	23613
15.	मेघालय	57899
16.	मिजोरम	5118
17.	नागालैंड	2979
18.	उड़ीसा	2396974
19.	पंजाब	1092225
20.	राजस्थान	764625

1	2	3
21.	सिक्किम	4887
22.	तमिलनाडु	6037601
23.	त्रिपुरा	146089
24.	उत्तर प्रदेश	5177074
25.	पश्चिम बंगाल	3891531
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2337
27.	चण्डीगढ़	856
28.	दादरा व नगर हवेली	4592
29.	दमन व द्वीप	*
30.	दिल्ली	16131
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पाण्डिचेरी	54514
	अखिल भारत	56021299

*सूचना गोआ में सम्मिलित है।

**परियोजित आंकड़े चूकि असम में 1981 में जनगणना नहीं हुई थी।

स्रोत—1981 जनगणना।

[अनुवाद]

उर्वरक राज सहायता में कटौती का प्रभाव

3731. **श्री पी० पी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों पर उर्वरक राज सहायता में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य में प्रस्तावित वृद्धि करते समय रबड़, काफी चाय, काली मिर्च तथा बागानी फसलें आदि को भी शामिल किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) सरकार ने अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट आफ पोटाश जैसे निम्न विश्लेषण उर्वरकों पर मूल्य तथा परिवहन सम्बन्धी नियन्त्रणों को हटा दिया है। अन्य उर्वरकों के मूल्य औसतन् 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के लिए किसानों

को प्राप्ति मूल्यों के उपयुक्त वृद्धियों से भरपाई की जाएगी । उर्वरक मूल्यों में वृद्धि से कृषि उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) और (ग) बाजार हस्तक्षेप के लिए निम्न सीमा सहित, प्राकृतिक रबड़ के लिए आवधिक रूप से बेंच मार्क मूल्य निर्धारित किया जाता है । उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए काफी के सम्बन्ध में भी आवधिक रूप से न्यूनतम जारी मूल्य निर्धारित किया जाता है । उपर्युक्त मूल्यों में वृद्धि करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चाय और काली मिर्च के लिए कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है ।

इण्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स से प्राप्त संयुक्त उद्यम प्रस्ताव

3732. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में टाटा ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव भेजा है जैसाकि दिनांक 3 जुलाई, 1991 के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) आई० बी० एम० (अन्तर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन) ने टाटा समूह के साथ संयुक्त उद्यम के लिए सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किया है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

शीरे का निर्यात

3733. **श्री प्रकाश बाबू वसंतराव पाटील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों के संघ ने केन्द्रीय सरकार से शीरे का निर्यात करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भी सहकारी क्षेत्र में शराब कारखाना खोलने के लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) शीरे के निर्यात की अनुमति सम्पूर्ण देश में इसकी समग्र मांग पूर्ति की बकाया मात्रा के आधार पर दी जाती है जिसका समय-समय पर निर्धारण किया जाता है । चालू अल्कोहल वर्ष के दौरान अब तक 2.60 लाख टन शीरे के निर्यात की अनुमति दी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उर्वरक एककों का दर्जा

3734. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरक उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों का वर्तमान दर्जा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इन उपक्रमों का कुल मिलाकर कितना घाटा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उपक्रमों को प्रतिस्पर्धा बाजार मूल्य पर उर्वरक तैयार करने के लिए सक्षम बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान कार्यकरण को स्थिति नीचे दी गई है :

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (एम० एफ० एल०), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०), फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) तथा पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) लाभ अर्जित कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) उर्वरक उत्पादित नहीं करती। पारादीप फास्फेट्स लि० ने आयातित फास्फोरिक एसिड को अपर्याप्त आपूर्ति तथा श्रमिक समस्याओं आदि के कारण हानियां उठाई हैं। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) प्रौद्योगिकी की खराबी, उपस्कर की खराबी, पावर समस्याओं, श्रमिक समस्याओं आदि के कारण निम्न क्षमता उपयोगिता की वजह से हानियां उठा रहा है। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) भी कम क्षमता उपयोगिता, पुरानी प्रौद्योगिकी, पहली बार कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने, रामागुण्डम एकक में पावर की कमी तथा तालचर में घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति के कारण हानि उठा रहा है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचित हानियां के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	हानियां की राशि (रु० करोडों में)
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०	1387.35 (वर्ष 1990-91 के लिए 170.33 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि सहित)
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	1176.46 (वर्ष 1990-91 के लिए 223.76 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि सहित)
3.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०	67.20
4.	पारादीप फास्फेट्स लि०	53.87 (वर्ष 1990-91 के लिए 30.80 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि सहित)

(ग) और (घ) एफ० सी० आई० तथा एच० एफ० सी० के सम्बन्ध में शिनाख्त की गई पुनरुद्धार योजनाएं निम्न प्रकार हैं :

एफ० सी० आई० गोरखपुर संयन्त्र को उन्नत करना, रामागुण्डम संयन्त्र में 40 मेगावाट, कैपटिव पावर संयन्त्र सहित चरण-I पुनर्वास, तालचर संयन्त्र का चरण-I पुनर्वास, सिन्दरी संयन्त्र का आधुनिकीकरण तथा सिन्दरी में एक नया कैपटिव पावर संयन्त्र की स्थापना करना।

एच० एफ० सी० : 1989 में परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के चालू एककों (नामरूप-III को छोड़कर) के पुनरुद्धार/पुनर्वास की सिफारिश की थी। चूंकि अति बृहत निवेश अन्तर्ग्रस्त थे, इसलिए एच० एफ० सी० ने साधारण निवेश का एक वैकल्पिक प्रस्ताव किया है। पी० पी० एल० के संयन्त्र का पुनरुद्धार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक नया संयन्त्र है और पी० पी० एल० की हानियां मुख्यतः बच्चे माल की कमी के कारण हैं।

मानुगुरू में गुरूजल परियोजना

3735. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानुगुरू में गुरूजल परियोजना प्रारम्भ करने की मूल संशोधित तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना को पूरा करने में देरी के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) मूल रूप से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में परियोजना पूरी होने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) गुरूजल का बाजार मूल्य क्या है और प्रतिवर्ष इसका कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मार्गरेट अल्वा) : (क) मानुगुरू में भारी पानी परियोजना चालू करने की मूल तारील अप्रैल, 1988 थी तथा संशोधित तारीख अगस्त, 1991 है।

(ख) परियोजना को पूरा करने में हुई देरी के कारण लागत में 44.1% की वृद्धि हुई है।

(ग) परियोजना को पूरा करने में जिन कारणों से देरी हुई उनमें से महत्त्वपूर्ण कारण निम्न-लिखित थे :

(I) भूमि का अधिग्रहण करने में आई समस्याएं।

(II) मैसर्स ए० सी० सी० बैबकॉक लिमिटेट द्वारा बन्द करने के सम्बन्ध में न्यायालय में याचिका दर्ज करने के कारण उन्होंने 21 महीनों तक बायलरों से सम्बन्धित काम को रोक दिया था।

(III) कुछ उपस्करों की सप्लाई में देरी होना।

(IV) आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बार-बार बिजली की सप्लाई काट देना।

(V) सन् 1986 में भारी भानसून के कारण बाढ़ आना तथा

(VI) स्वदेश में विकसित किए गए महत्त्वपूर्ण किस्म के उपस्करों में से कुछ उपस्करों के साथ उत्पन्न तकनीकी समस्याएं ।

(ख) चूंकि भारी पानी एक सामरिक महत्त्व वाला पदार्थ है और बाजार में इसका खुले रूप से व्यापार नहीं किया जाता है, इसलिए इसका बाजार मूल्य मालूम नहीं है । भारी पानी के उत्पादन पर आने वाली लागत संयन्त्र की पूंजीगत लागत, मूल निवेशों की लागत, प्रचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय, आदि पर निर्भर करती है । भारी पानी की उत्पादन लागत पर होने वाली आय की वसूली न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन से वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर की जाती है ।

[हिन्दी]

मंडी हाऊस, दिल्ली में दूरदर्शन के नए भवन का निर्माण

3736. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के मण्डी हाऊस मुख्यालय में निर्मित किए जा रहे इसके नए भवन की अनुमानित निर्माण लागत कितनी है और इस भवन का निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है;

(ख) क्या निर्माण सलाहकार बोर्ड ने इस सम्बन्ध में निविदाएं स्वीकार करते समय नियमों का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) इमारत के पहले चरण के निर्माण से सम्बन्धित काम का ठेका 5,45,47,386 रुपए की लागत पर दिया गया था । इस निर्माण कार्य के चालू वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की योजना है ।

(ख) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि नियमों का कोई उल्लंघन किया गया है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को उर्वरकों का आबंटन

3737. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र को वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान अब तक यूरिया, पोटाश आदि जैसे विभिन्न किस्मों के उर्वरकों की कितनी मात्रा आबंटित की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : 1989-90 और 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र को उर्वरकों का उत्पादन-वार आबंटन नीचे दिया गया है :

(आंकड़े 000 टनों में)

उत्पाद	1989-90	1990-91
1	2	3
यूरिया	954.16	1304.91
अमोनिया सल्फेट	48.86	50.85

1	2	3
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	3.52	4.07
अमोनियम क्लोराइड	1.08	1.03
डाई अमोनियम फास्फेट	298.44	379.24
सिंगल सुपर फास्फेट	354.79	545.42
कम्पलैक्स	582.11	685.68
म्यूरिरट आफ पोटाश/सल्फेट आफ पोटाश	113.25	207.06

विदेशी "ट्रेड मार्क" पर रायल्टी

3738. **श्री प्रकाश बापू वसंतराव पाटील :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितने औद्योगिक एकक विदेशी ट्रेड मार्क लेकर विदेशी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इन औद्योगिक एककों द्वारा रायल्टी की कितनी राशि अपने विदेशी सहयोगकर्त्ताओं को भेजी गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उपभोक्ता संरक्षण निधि

3739. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक उपभोक्ता संरक्षण निधि स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोई अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) उपभोक्ता संरक्षण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, उपभोक्ता कल्याण निधि स्थापित करने का मामला वित्त मन्त्रालय के साथ उठाया गया और यह उस मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

चालू इलैक्ट्रॉनिकी योजनाएं

3740. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की चालू इलैक्ट्रॉनिकी योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को किस वर्ष और किस महीने में शुरू किया गया था, प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा इनका कार्य पूरा होने की समय-सारिणी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है; और

(ङ) सरकार ने इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ) विभाग द्वारा चलाई जा रही इलैक्ट्रॉनिक परियोजनाओं, कार्यक्रमों और साथ ही विभाग के नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से प्रायोजित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं/कार्यक्रमों का स्वरूप अनवरत है। कुछ प्रमुख समयबद्ध परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित निगरानी समितियों को प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से इनकी प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

विवरण-I

(दस लाख रुपयों में)

	परियोजना/कार्यक्रम	बजटीय सहायता 1991-92
	1	2
	विभागीय परियोजनाएं	
1.	इलैक्ट्रॉनिकी सामग्री विकास कार्यक्रम	30.00
2.	प्रणाली इंजीनियरी तथा परामर्श सेवा कार्यक्रम (सीको)	10.00
3.	मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण (एस० टी० क्यू० सी०)	70.00
4.	विशिष्ट जनशक्ति विकास	]
5.	सामाजिक इलैक्ट्रॉनिकी तथा क्षेत्रीय विकास	]

1		2
6.	इलैक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी० ई० डी० टी०)	110.00
7.	विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन (क्लास)	
8.	कम्प्यूटर के लिए विशिष्ट जनशक्ति	
9.	तंतु-प्रकाशिकी अनुप्रयोग कार्यक्रम	5.00
10.	औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम	30.00
11.	पांचवीं पीढ़ी की कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना	16.00
12.	कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उत्पन्न प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	30.00
13.	साफ्टवेयर निर्यात सवंर्धन कार्यक्रम	30.00
14.	प्रोद्योगिकी विकास परिषद् (टी० डी० सी०) की परियोजनाएं	60.00
15.	राष्ट्रीय रेडार परिषद् (एन० आर० सी०) की परियोजनाएं	30.00
16.	राष्ट्रीय सूक्ष्म इलैक्ट्रॉनिकी परिषद् (एन० एम० सी०) की परियोजनाएं	60.00
17.	इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार संवर्धन	10.00
18.	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी० डी० आई० एल०)	10.00
19.	फोटानिकी विकास कार्यक्रम	5.00
20.	स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इलैक्ट्रॉनिकी	10.00
21.	कृषि इलैक्ट्रॉनिकी में अनुसंधान तथा विकास	6.00
22.	परिवहन प्रणाली कार्यक्रम	5.00
23.	साफ्टवेयर पैकेजों का विकास	5.00
24.	मुक्त प्रणाली सम्पर्क सूत्र (ओ० एस० आई०) प्रोटोकॉल अनुरूपता परीक्षण केन्द्र	5.00
25.	औद्योगिक रोबोटों के अनुप्रयोगों का विकास	5.00
26.	कम्प्यूटरों का एकीकृत विनिर्माण (सी० आई० एम०) कार्यक्रम	5.00
27.	ऊर्जा संरक्षण परियोजना जिसमें ए० सी० ड्राइवों का प्रयोग किया जाता है।	3.50

	1	2
28.	उन्नत टूल डिजाइन तथा सुविधा केन्द्र	5.00
29.	राष्ट्रीय उच्च वोल्टता प्रत्यक्ष धारा परियोजना (एच० वी० डी० सी०)	10.00
30	इलैक्ट्रॉनिकी पैकेजिंग प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन केन्द्र	5.00
31.	विद्युत सेमीकण्डक्टर युक्ति विकास केन्द्र	3.00
	इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के नियमों/संस्थानों के अन्तर्गत परियोजना	
1.	इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	10.00
2.	सी० एम० सी० लिमिटेड	0.00
3.	सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड	510.00
4.	प्रायोगिक सूक्ष्म-तरंग इलैक्ट्रानिकी इन्जीनियरी तथा अनुसंधान संस्था (समीर)	20.00
5.	उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी०-डैक)	50.00
6.	इलैक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई० आर० एण्ड डी० सी०)	30.00
7.	राष्ट्रीय साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एन० सी० एस० टी०)	10.00
8.	क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र (आर० सी० सी०)	2.50

विवरण-II

परियोजना का नाम	परियोजना आरम्भ करने का माह तथा वर्ष	परियोजना की अनुमानित लागत	पूरा करने की अवधि	टिप्पणी लागत में वृद्धि, यदि कोई हो तो
1. उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे	अगस्त, 1988	37 करोड़ रुपए	3 वर्ष	ये परियोजनाएं लागत या अवधि में वृद्धि के बिना ही पूरी हो जाने की सम्भावना है।
2. पांचवीं पीढ़ी की कम्प्यूटर प्रणाली/ ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली (एफ० जी० सी० एस०/के० बी० सी० एस०)	नवम्बर, 1986	(I) 8 करोड़ रु० (लगभग) (II) 52.5 लाख अमरीकी डालर-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम	5 वर्ष	—यथोपरि—
3. भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टी० डी० आई० एल०)	मार्च, 1991 में 25 परियोजनाएं आरम्भ की जा चुकी हैं।	17 करोड़ रुपए	5 वर्ष (किन्तु आरम्भ की गई परियोजनाओं में किसी-किसी परियोजना की अवधि 1 वर्ष और 4 वर्ष के बीच है)	—यथोपरि—
4. सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लि०, मोहाली की नई बड़े पैमाने के एकीवृत्त परिपथ संविरचना सुविधा का पुनर्निर्माण	जुलाई, 1980	183.23 करोड़ रु०	30 माह	—यथोपरि—

5. आयात प्रतिपूर्ति सम्बन्धी गतिविधि के रूप में साफ्टवेयर पैकेजों का विकास	जुलाई, 1991	4.75 करोड़ रु०	3 वर्ष	—यथोपरि—
6. कम्प्यूटर नेटवर्किंग में उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (अर्नेट) परियोजना	नवम्बर, 1986	(I) 10 करोड़ रु० (लगभग) (II) 60 लाख अमरीकी डालर-संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ।	नवम्बर, 1990	इस परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है।

ऐतिहासिक स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र

3741. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री बलराज पासी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1991-92 के दौरान देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं, देश भक्ति, साम्प्रदायिक सौहार्द, छुआछूत का निवारण करने, राष्ट्रीय एकता आदि से सम्बन्धित दूरदर्शन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्त्व के स्थानों सहित जिन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र चालू किए जाने की परिकल्पना है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) विभिन्न फार्मेटों में, इन विषयों से सम्बन्धित कार्यक्रम, दूरदर्शन के नियमित प्रसारण का अभिन्न अंग हैं । दूरदर्शन का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि दर्शकों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं ।

विवरण

उन स्थानों के नाम, जहां वर्ष 1991-92 की शेष अवधि के दौरान दूरदर्शन केन्द्र चालू किए जाने की योजना है ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दूरदर्शन केन्द्र
1	2
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	का० नि० सु०, पोर्ट ब्लेयर
2. असम	(का० नि० सह-फी० के०, गुवाहाटी, स्टूडियो गुवाहाटी (स्थायी सेट-अप) स्टूडियो डिब्रूगढ़ स्टूडियो, सिल्चर ।

1	2
3. आंध्र प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), अन्नत-पुर (शक्ति का बढ़ाना) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि०वा०) तिरूपति ।
4. बिहार	का० नि० सु०, मुजफ्फरपुर का० नि० सु, डाल्टन गंज उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), डाल्टन गंज (शक्ति का बढ़ाना)।
5. जम्मू और कश्मीर	ट्रांसपोजर, सुरानकोट ट्रांसपोजर, नागरोटा ।
6. कर्नाटक	का० नि० सु०, गुलबर्गा उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), धारवाड़, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), शिमोगा ।
7. मध्य प्रदेश	का० नि० सु, रायपुर, स्टूडियो भोपाल । उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि० वा०), जगदलपुर ।
8. महाराष्ट्र	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), अम्बा-जोगाई ।
9. मणिपुर	स्टूडियो, इम्फाल ।
10. मेघालय	स्टूडियो, शिलांग, स्टूडियो, तुरा ।
11. मिजोरम	स्टूडियो, आइजोल ।
12. नागालैण्ड	स्टूडियो, कोहिमा ।
13. उड़ीसा	स्टूडियो, भुवनेश्वर, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), भवानीपटना ।
14. पांडिचेरी	का० नि० सु०, पांडिचेरी ।
15. सिक्किम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (1 कि० वा०) गंगटोक ।
16. त्रिपुरा	स्टूडियो, अगरतला ।
17. उत्तर प्रदेश	का० नि० सु०, बरेली । उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि० वा०), बरेली । ट्रांसपोजर, मसूरी ।
18. पश्चिम बंगाल	ट्रांसपोजर, टाईगर हिल ।

शीर्षक 1. का० नि० सह-फी० के० : कार्यक्रम निर्माण-सह-फीडिंग केन्द्र ।

2. का० नि० सु० : कार्यक्रम निर्माण सुविधा ।

3. उ० श० ट्रां० : उच्च शक्ति ट्रांसमीटर ।

वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा अर्जित धनराशि

3742. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री बलराज पासी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से वर्ष 1990-91 के दौरान गत दो वर्षों की तुलना में कितनी आय अर्जित की गयी; और

(ख) उन दस वाणिज्यिक कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे वर्ष 1990-91 के दौरान अधिकतम आय अर्जित हुई तथा इनसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वाणिज्यि विज्ञापनों से अर्जित कुल आय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

1990-91	253.05 करोड़ रुपए
1989-90	210.13 करोड़ रुपए
1988-89	161.26 करोड़ रुपए

(ख) वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान दूरदर्शन द्वारा जिन प्रथम 10 विज्ञापन एजेंसियों से अधिकतम राजस्व प्राप्त हुआ, उनके नाम इस प्रकार हैं :

एजेंसी का नाम	कुल एकत्र आय
1. लिंटास इंडिया लि०	38.27 करोड़ रुपए
2. हिन्दुस्तान थामसन एसोसिएट्स	27.06 करोड़ रुपए
3. ओगिलवी एण्ड मैदर	18.40 करोड़ रुपए
4. मुद्रा कम्युनिकेशस	12.93 करोड़ रुपए
5. एवरेस्ट एडवरटाईजिंग	11.54 करोड़ रुपए
6. रीडिफ्यूजन एडवरटाइजमेंट	10.30 करोड़ रुपए
7. त्रिकाया ग्रे	7.48 करोड़ रुपए
8. कान्ट्रेक्ट एडवरटाईजिंग	6.81 करोड़ रुपए
9. उल्का एडवरटाईजिंग	5.97 करोड़ रुपए
10. पूर्णिमा एडवरटाईजिंग	5.92 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट का कारखाना स्थापित करना

3743. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के सतना जिले में 1.1 मिलियन टन क्षमता का सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के० बी०/जेड आरक्षित क्षेत्र को अनारक्षित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) वर्ष 1991 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए नया एकक लगाने/मौजूदा एककों का विस्तार करने के लिए 6 प्रस्ताव पास हुए थे। सितंबर, 1990 में 11 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए पूर्व प्रस्ताव को नामंजूर करने के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। पहले के 6 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव के संबंध में आशय पत्र जारी किया गया था और एक अन्य प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया था।

हाल ही में घोषित नयी औद्योगिक नीति के अनुसार सीमेंट के निर्माण के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1990 में मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज इत्यादि वाले कुछ आरक्षित क्षेत्रों को अनारक्षित करने के लिए इन खनिजों पर आधारित नये उद्योग लगाने से संबंधित था। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश को लागत पूंजी अनुदान

3744. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में औद्योगिक विकास निगमों को लागत पूंजी अनुदान दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसंबर, 1989 तक मध्य प्रदेश को उसकी कितनी राशि दी गयी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्रीय निदेश राजसहायता योजना, 1971, जो 30-9-1988 तक लागू थी, के तहत राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को राजसहायता की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

(ख) इसके लागू होने के समय से वित्तीय वर्ष 1989-90 के अंत तक मध्य प्रदेश को इस योजना के अधीन 72.49 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

रुग्ण लघु चीनी उद्योग

3745. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : **क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1991 तक पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में रुग्ण लघु चीनी उद्योगों की क्या संख्या थी; और

(ख) इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार क्या सहायता दे रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्रियां, जो केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लघु उद्योगों की श्रेणी में नहीं आतीं। खांडसारी और गुड़ उद्योग को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित किया जाता है तथा इस क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की संख्या से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र में संगठनों की लाभप्रदता

3746. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के प्रथम छह महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की लाभप्रदता में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक लाभप्रद बनाने हेतु इनके कार्य संचालन में सुधार करने संबंधी ठोस उपायों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1990-91 की प्रथम छमाही के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 181 उपक्रमों ने 481.28 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जबकि 1989-90 की तदनुरूप अवधि के दौरान 176 उद्यमों ने 1103.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।

(ख) लाभकारिता में गिरावट आने के कुछ मुख्य कारण हैं—काम में आने वाली सामग्री की कीमतों में वृद्धि होने के अनुरूप लोहे तथा इस्पात की कीमतों में वृद्धि न होना, बिजली बंद होने के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आना, बम्बई में तेलशोधक कारखाने (हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड) में हड़ताल होना तथा मई, 1990 में तूफान आने के कारण विशाखापत्तनम तेलशोधक कारखाने के 132 के० वी० ए० उप-बिजलीघर में पानी भर जाना, बिक्री में कमी होना तथा महाराष्ट्र गैस क्रैकर कम्प्लैक्स (इण्डियन पैट्रो केमिकल्स कारपोरेशन) से 55 करोड़ रुपये के प्रचालन खर्च भी भारित करना जिसने अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है, ए-320 वायुयानों की उड़ान बंद होना, अमरीकी डालर की विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन होना, विमान पत्तन प्राधिकरण (इंडियन एयरलाइंस) द्वारा उतराई तथा नौपरिवहन शुल्कों में वृद्धि होना, समुद्री जहाजों की कीमत तथा लागत के बीच न पाटा जा सकने योग्य अंतर तथा अत्यधिक ब्याज-दायित्व (कोचीन शिपयार्ड) आदि।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यचालन को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। अलग-अलग उद्यमों के लिए सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कदम उठाये जाते हैं। किये गये कुछ उपाय, उत्पाद-मिश्र, प्रौद्योगिकी समुन्नयन, बेहतर अनुरक्षण प्रबंध पद्धतियां, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिकीकरण एवं पुनर्स्थापन, संगठनात्मक पुनर्गठन, समझौता ज्ञापन लागू करना आदि हैं।

ऐलूर, कोचीन स्थित हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स का आधुनिक कीटनाशी संयंत्र

3747. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐलूर, कोचीन में हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स का आधुनिक कीटनाशी संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) कीटनाशियों जैसे डी० डी० टी०, वी० एच० सी० और इंडोसुल्फान और उनके सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए मेसर्स हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि० का कोचीन के निकट ऐलूर में एक एकक है। इस स्थान पर कोई अन्य आधुनिक संयंत्र लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरसों के तेल के उपयोग पर प्रतिबंध

3748. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनस्पति के उत्पादन हेतु सरसों के तेल का उपयोग किए जाने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ग) क्या वनस्पति उत्पादकों ने प्रतिबंध की अवधि को कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 1-8-91 से वनस्पति के विनिर्माण में एक्सपेलर सरसों के तेल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस प्रतिबंध को रबी की अगली फसल के आने तक जारी रखे जाने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर सीधे उपभोग करने हेतु अपरिष्कृत सरसों का तेल उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थिति की समीक्षा रबी की अगली फसल कटने के बाद ही की जा सकती है।

मॉडल बूचड़खानों की स्थापना

3749. **श्रीमती विल कुमारी भंडारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान का विचार कुछ विदेशी संगठनों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मॉडल बूचड़खानों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्किम में भी एक ऐसा मॉडल बूचड़खाना खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान संस्थान (आई० डी० आर० सी०) के सहयोग से आंध्र प्रदेश में एक मॉडल ग्रामीण बूचड़खाने की तकनीकी तथा आर्थिक व्यावहारिकता (अर्थ क्षमता) का अध्ययन करने की केवल योजनाएं ही तैयार की हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक सबसिडी

3750. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू बजट में उर्वरकों पर कितनी सबसिडी हटा दी है;

(ख) इस कार्यवाही से उर्वरकों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार को इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए संशोधित अनुमानों में 4400 करोड़ रु० के प्रावधानों की तुलना में वर्ष 1991-92 के लिए 4000 करोड़ रु० की आर्थिक सहायता का बजट प्रावधान रखा गया है।

(ख) सरकार द्वारा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट आफ पोटाश जैसे कुछ निम्न विश्लेषण उर्वरकों पर नियन्त्रण हटा दिया गया है और अन्य उर्वरकों के मूल्यों में औसतन 30% की वृद्धि की गई है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योगों को बढ़ावा देना

3751. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पूंजी निवेश अनुदान सम्बन्धी कोई योजना आरम्भ की थी और यदि हां, तो इससे राज्यवार कितने औद्योगिक एकक लाभान्वित हुए;

(ख) क्या यह योजना 30 सितम्बर, 1988 से लागू है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन उद्यमियों को अनुदान देने का है, जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1988 तक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये थे, जिन्हें अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना, 1971 के अधीन, केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक लगाने वाले उद्यमी अपने निश्चित निवेशों पर राज-सहायता को क्रमिक दरों के वास्ते पात्र थे। यह योजना लघु एककों में भी लागू थी। इस योजना के अधीन राज-वार लाभ-भोगियों की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। यह योजना 30-9-1988 तक चल रही थी। इस योजना को समाप्त करने के बाद, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि 30-9-1989 तक (गैर-विनिर्माणकारी कार्यकलापों के लिए) और 31-12-1989 तक (विनिर्माणकारी कार्यकलापों) किए गए भुगतानों की केन्द्र सरकार द्वारा अदायगी के पात्र होंगे बशर्ते ये परियोजनाएं 30-9-1988 को अथवा पहले राज्य स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित हों।

सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु जून, 1988 में 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किये जाने के लिए एक विकास केन्द्र योजना की भी घोषणा की थी।

चीनी के लिए कोटे का निर्धारण

3752. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उचित तौल और उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चीनी का कोटा 500 ग्राम प्रति यूनिट निश्चित करने और चीनी को 500 ग्राम के पालीपैक में बांटने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी क्या कठिनाइयां हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी नहीं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लेवी चीनी के कोटे का थोक में आबंटन करती है। लेवी चीनी का आबंटन 1-10-1986 को अनुमानित आबादी के आधार पर प्रति व्यक्ति प्रति महीना 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के प्रतिमान पर किया जाता है। सरकार ने अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक लेवी चीनी के आबंटनों में 5% तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के भीतर लेवी चीनी के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

बहरीन भेजे गए नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड के अभियन्ता

3753. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 में नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड तथा जी०पी० आई० सी० बहरीन के मध्य बीस अभियन्ता बहरीन भेजे जाने सम्बन्धी कोई समझौता हुआ था, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत कितने अभियन्ता बहरीन भेजे गए और वे वहां कितने समय तक रहे;

(ग) उन्हें समय से पहले वापिस बुलाने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा की कितनी राशि का नुकसान हुआ;

(घ) क्या ये अभियन्ता अपना आधा वेतन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को देने के लिए बाध्य किए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस मामले में जिम्मेदार पाए गए लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन०एफ०एल०) तथा गल्फ पेट्रोकैमिकल्स इण्डस्ट्रीज कम्पनी (जी० पी० आई० सी०) बेहरीन के बीच किसी सीधे करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। तथापि, इंजीनियर्स इंडिया लि० (ई० आई० एल०) तथा एन० एफ० एल० के बीच एक करार पर 10 नवम्बर, 1989 को हस्ताक्षर किए गए थे जो एन० एफ० एल० के कार्मिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए जी० पी० आई० सी० की आवश्यकतानुसार बेहरीन भेजने के सम्बन्ध में था। करार के अन्तर्गत कुल पांच इंजीनियर/कैमिस्ट जी० पी० आई० सी० भेजे गए जिनमें से तीन अधिकारी उनके पास एक वर्ष से अधिक समय तक रहे, एक पांच महीनों की अवधि के लिए रहा और एक एक महीने के लिए रहा।

(ग) भेजे गए अधिकारियों में से किसी को भी एन० एफ० एल० द्वारा वापस नहीं बुलाया गया था। तथापि, जी० पी० आई० सी० ने अपने कारणों से एक वर्ष पूर्ण करने से पूर्व दो अधिकारियों को वापस भेज दिया।

(घ) जी, नहीं। सभी कर्मचारियों ने अपना पूर्ण मूल वेतन भारत में प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सम्बोधित कर्मचारी ने बेहरीन में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान प्रतिमास बी० डी० 400 निर्वाह भत्ता तथा निःशुल्क सुसज्जित आवास, निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा तथा वाहन प्राप्त करना था।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में पठानमार्थट्टा में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

3754. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में पठानमार्थट्टा जिले में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) क्या त्रिवेद्रन्म दूरदर्शन प्रसारित अन्तर्गत प्रसारित होने वाले मलयालम के कार्यक्रमों को पठानमार्थट्टा जिले में नहीं देखा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) केरल में पत्तनमथिट्टा में यू० एच० एफ० बैण्ड पर एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर सितम्बर, 1989 से कार्य कर रहा है ।

(ख) और (ग) यद्यपि पत्तनमथिट्टा का ट्रांसमीटर उपग्रह के माध्यम से दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम रिले करता है, तथापि पत्तनमथिट्टा जिले के कुछ भाग त्रिवेन्द्रम और कोचीन के उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के कवरेज क्षेत्र के किनारे पर आते हैं । इन ट्रांसमीटरों से राष्ट्रीय सेवा के अतिरिक्त, मलयालम में क्षेत्रीय कार्यक्रम भी रिले किए जाते हैं । पत्तनमथिट्टा जिले के कवर न हुए भागों में क्षेत्रीय सेवा का और विस्तार, इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को सहायता

3755. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश** : क्या **योजना और कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को 1990-91 और 1991-92 में पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपलब्धि रही ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) केरल में पश्चिम घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं । केरल के पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वार्षिक योजनाओं 1990-91 तथा 1991-92 हेतु इन दो वर्षों में प्रत्येक के लिए 605.22 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि आवंटित की गई है ।

(ख) एक वितरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल को सहायता उपलब्धि

क्रम संख्या	क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक/स्कीम	यूनिट	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5
1.	**मृदा संरक्षण**	हैक्टे०	1319	1021
2.	**पौधों का वितरण**			
	(I) नारियल पौध	सं०	17775	33118
	(II) मिर्च कलन	सं०	48486	68050

1	2	3	4	5
	(III) काजू पौध	सं०	18000	10180
	(IV) अन्य पौध	सं०	38000	60965
3.	**लघु सिंचाई**			
	(I) रोक बांध/क्रासबार/वीयर	सं०	17	43
	(II) निर्मित कुएं/तालाब	सं०	193	31
	(III) लाभान्वित क्षेत्र	सं०	1100	700
4.	**डेयरी विकास**			
	(I) चरागाह विकास	हैक्टे०	363	85
	(II) पशुग्रहों का निर्माण	सं०	261	422
5.	**वानिकी एवं वन्य जीवन**			
	(I) जलसंभरों में वनरोपण	हैक्टे०	363	416
	(II) बांस खेती			
	(क) रोपण क्यारियां	सं०	—	674
	(ख) नर्सरी निर्माण	हैक्टे०	—	257
	(III) विजातीय वन वनस्पति			
	(क) बकाया कार्य	हैक्टे०	862	2250
	(ख) नया कार्य	हैक्टे०		2475
	(IV) वनों का संरक्षण तथा सुरक्षा अग्निरेखा सीमांकन	कि० मी०	2143	1337
6.	निर्मित पैदल पुलों की संख्या	सं०	188	153
7.	शहतूत खेती के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	हैक्टे०	140	143
8.	**जल आपूर्ति**			
	लाभान्वित परिवार	सं०	2050	2250
9.	**विविध मदें**			
	मृदा सर्वेक्षण	हैक्टे०	25200	8517

गड़बड़ी वाले राज्यों पर रिपोर्ट

3756. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् के एक दल ने जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब, दो गड़बड़ी वाले राज्यों में जन-संचार की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या सिफारिशें दी गयी हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब पर दी गई मुख्य सिफारिशें क्रमश: संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई हैं।

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को नोट कर लिया है।

विवरण-I

भारतीय प्रेस परिषद् की, कश्मीर समिति की सिफारिशें

1. प्रेस कर्मियों को, और विशेषकर उन पत्रकारों को जिन पर सम्पादन, निर्देशन, रिपोर्टिंग और कार्यक्रम बनाने की मुख्य जिम्मेदारी होती है या जिन्हें अन्यथा जोखिम उठाना पड़ता है और जिनकी आलोचना हो सकती है, अनिवार्य रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेषकर उस स्थिति में, जब संचार माध्यम संगठनों अथवा प्राधिकृत संचार माध्यम प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा की मांग की जाए।

2. तथापि, यह सही है कि भले ही हम कितना भी चाहें, सम्पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती और पत्रकारों को ऐसे जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उनके पेशे का अभिन्न अंग होते हैं। इसलिए पत्रकारों का चयन बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। एक पत्रकार के स्थान पर दूसरे पत्रकार को भेजने या उन्हें बारी-बारी से भेजने में सावधानी बरतनी चाहिए तथा उन्हें संस्था की ओर से सम्पूर्ण समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए।

3. सुरक्षा दलों को चाहिए कि वे पत्रकारों के नाम जारी किए गए पहचान-पत्रों और कर्फ्यू पासों को हमेशा स्वीकार करें। चाहे पत्रकारों की तलाशी लेनी हो या उन्हें पूछताछ के लिए रोका जाना हो, उनका निरादर नहीं किया जाना चाहिए या उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए तथा ऐसी स्थिति में उनके कार्यालयों को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए।

4. ऐसे पत्रकारों को जो बहुत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं या जिन्हें जोखिम भरे कार्यों के लिए तैनात किया जाता है उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दो स्थानों पर परिवार रखने की स्थिति में, उन्हें परिवार से अलग रहने और यात्रा का भत्ता दिया जाना चाहिए। उनका उदारता से सामूहिक बीमा कराया जाना चाहिए और उन्हें दंगा भत्ता, अतिरिक्त छुट्टी अथवा ऐसे अन्य लाभ दिए जाने चाहिए, जिनके वे पात्र हों, या जो उन्हें दिए जा सकते हों। बताया गया है कि अब बहुत-सी विशेष सामूहिक बीमा पालिसियां उपलब्ध हैं अथवा ऐसी पालिसियों के लिए सरकार की सहायता के बारे में बातचीत की जानी चाहिए।

5. मृत्यु, शारीरिक क्षति, अस्पताल अथवा सम्पत्ति की हानि की सूरत में क्षतिपूर्ति की रकम अदा की जानी चाहिए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी अथवा पेंशन दी जानी चाहिए।

6. जिन पत्रकारों को रात-बेरात काम करना होता है, उनके लिए आवश्यकतानुसार परिवहन और आवास के अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान, अथवा सामूहिक स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

7. पत्रकारों और समाचारपत्रों को तभी पक्षों और घटनाओं की सभी पहलुओं की समुचित और वस्तुपरक रिपोर्ट देनी चाहिए जिसमें स्रोतों की जानकारी दी गई हो। उन्हें तथ्यों की जांच करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार सन्दर्भगत पृष्ठभूमि भी देनी चाहिए और यथासम्भव आंखों देखा हाल भी बयान करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, पत्रकार मोरचाबन्दी के चाहे किसी ओर खड़ा हो, उसके वास्ते हर समय ऐसी व्यावसायिक कठोरता तथा हिम्मत की अपेक्षा होती है जिसकी अन्यथा जरूरत नहीं होती।

8. समाचारपत्र और समाचार एजेंसियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीर में केवल अनुभवी पत्रकारों को तैनात किया जाए। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए बहुत तनाव में काम करना पड़ता है। इस कार्य में समाचार एजेंसियों का विशेष दायित्व है क्योंकि वे समूचे राष्ट्रीय प्रेस को, व्यक्तिगत आक्षेप किए बिना, अपने समाचार देती हैं। उन्हें जम्मू में यू० एन० आई० की भांति किए गए प्रबन्धों से बचना चाहिए जिसमें एक प्रख्यात स्थानीय सम्पादक को ब्यूरो के प्रमुख के रूप में लम्बे अरसे से नियुक्त किया हुआ है जिससे हितों की टकराहट हो सकती है।

9. समाचार माध्यमों में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इनमें साम्प्रदायिक और प्रादेशिक आधार पर ध्रुवीकरण हो गया है जो विगत परम्पराओं के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस प्रवृत्ति को सभी स्तरों पर विवेकपूर्ण प्रयास कर बदला जाना चाहिए। अविश्वास के वातावरण में स्वतन्त्र और निष्पक्ष प्रेस कभी फल-फूल नहीं सकता।

10. समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीति और प्रवृत्ति की मात्र आलोचना और मात्र यह आधार संदेह का कारण नहीं माना जाना चाहिए कि कुछ स्थानीय संवाददाता पाकिस्तानी समाचार-पत्रों या अन्य विदेशी पत्रिकाओं के लिए लिखते हैं। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्थानीय प्रेस और स्थानीय पत्रकारों को उग्रवादियों के दबाव में काम करना पड़ता है। उनकी कठिनाइयों को भी समझा जाना चाहिए।

11. "आपत्तिजनक लेख" की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। यदि आपत्तिजनक समाचारों को वास्तव में रोकना है तो पूर्व सेंसर उसका कोई विकल्प नहीं है। इससे बचना चाहिए। इसका हल यह है कि इस मामले में देश के साधारण कानून के तहत कार्रवाई की जाए जिसमें अपील करने का प्रावधान भी हो। यह वांछनीय है कि ऐसे सभी मामलों में प्रेस परिषद् को भी सूचित किया जाए।

12. अत्यंत दर्दनाक घटनाओं का वर्णन संयम के साथ किया जा सकता है और इन्हें बड़ी सादगी के साथ चित्रित किया जा सकता है ताकि उससे ऐसे समय में तनाव न बढ़े जब भावनाएं पहले से ही बहुत उग्र हो चुकी हों। घिसे पिटे समाचार बहुत गलत हो सकते हैं जब उनमें अपराध भी शामिल हो। सभी मामलों में स्रोतों और घटनाओं तथा उत्प्रेरणाओं का मूल्यांकन करते समय

औचित्य और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार वास्तविक समाचार से अफवाह और गलत सूचना को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए ।

13. शुद्धियां, खण्डन और स्पष्टीकरण प्रकाशित किए जाने चाहिए तथा अधिकारियों को अपनी बात समाचारपत्रों तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत और पहल करनी चाहिए और विसंगतियों को दुरुस्त करने तथा समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करना चाहिए ।

14. संचार माध्यमों को सूचित करने की वर्तमान व्यवस्था बहुत धीमी और असन्तोषजनक है । पुलिस महानिरीक्षक का प्रेस नोट बिल्कुल अपर्याप्त होता है क्योंकि पुलिस महानिरीक्षक एक एक बहुत व्यस्त अधिकारी होता है जिसका मुख्य काम समाचार माध्यमों की बात सुनना नहीं हो सकता है । कश्मीर के लिए एक उच्चस्तरीय "मीडिया प्रवक्ता" होना चाहिए जिसकी पहुंच श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में सूचना के सभी स्रोतों और निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाओं तक हो और जिसे प्रेस को सूचित करने का आवश्यक प्राधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त हो और जो व्यापक रूप से समाचारपत्रों के साथ संपर्क स्थापित कर सकता हो और जो प्रेस सम्बन्धी समूची नीति तैयार कर सकता हो और उस पर अमल कर सकता हो ।

15. ऐसे अधिकारी तक और उसके सहायकों तक पहुंचना बहुत आसान होना चाहिए और वह पत्रकारों को व्यापक सूचना दे सकता हो जो मात्र सुरक्षा सम्बन्धी विषयों तक सीमित न हो और जो घटनास्थल तक पहुंचाने में सहायता पहुंचा सकता हो, चाहे वह घटनास्थल सीमा पर स्थित हो या दूरस्थ हो । ऐसे काम के लिए एक हेलीकाप्टर और कुछ जीपें होनी चाहिएं ।

16. जिस प्रकार ऊपर मीडिया प्रवक्ता का सुझाव दिया गया है, इसका अभिप्राय: यह नहीं है कि पत्रकार राज्यपाल, सलाहकार, पुलिस महानिरीक्षक और अन्य उत्तरदायी अधिकारियों से नहीं मिल सकेंगे ।

17. मीडिया प्रवक्ता को कश्मीर सम्पादक सम्मेलन, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ (कश्मीर इकाई), कश्मीर पत्रकार सम्मेलन और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ विचारों का आदान-प्रदान करना चाहिए जो प्रेस सलाहकार परिषद् की पुनर्स्थापना के लिए सहायक हो सकते हों । यह परिषद् विज्ञापन, अखबारी कागज, छोटे समाचारपत्रों की सहायता आदि और नीति सम्बन्धी व्यापक मामलों के बारे में शिकायतों पर विचार करने के लिए एक उचित मंच होगा ।

18. राज्य अन्तर-माध्यम प्रचार समन्वय समिति का और सार्थक ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और उसका दर्जा बढ़ा दिया जाना चाहिए । प्रस्तावित मीडिया प्रवक्ता को इस समिति का प्रमुख बनाया जाना चाहिए ।

19. अधिकारियों तथा सम्पादकों और प्रसारण निदेशकों को चाहिए कि वे विकास सम्बन्धी समाचारों और मानवीय रुचि के समाचारों को प्रोत्साहन दें ।

20. समाचारपत्रों को चाहिए कि वे अपने समाचार सम्पादकों को अपनी प्राथमिकताओं, चित्रों, शीर्षकों, फोटोग्राफों और कथित "सामान्य" (साफ्ट) समाचारों के महत्त्व के बारे में बताएं। उन्हें अपने सम्वाददाताओं को घटनास्थल पर जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या अपने या अपने वरिष्ठ सहयोगियों को वहां भेजना चाहिए ताकि स्थिति का सही-सही मूल्यांकन किया जा सके ।

21. जम्मू और कश्मीर की घटनाओं की कवरेज के लिए राष्ट्रीय संवाददाताओं तथा तार सेवाओं को घाटी तथा जम्मू में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। श्रीनगर से पहले, जम्मू से समाचार दिए जाने और जम्मू तथा श्रीनगर दोनों से पहले दिल्ली से समाचार दिए जाने की नीति चाहे वह महत्त्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हो या कवरेज के बारे में, भ्रांतिपूर्ण है और इससे उन लोगों का मनोबल गिरता है जो वास्तविक घटनाओं के बिल्कुल पास होते हैं और जो जोखिम उठा सकते हैं तथा बाद में जिन्हें "बाहरी व्यक्तियों" की तुलना में अलग कर दिया जाता है।

22. किन्तु, दिल्ली में और राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस के लिए विभिन्न स्तरों पर उचित ब्रीफिंग की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित मीडिया प्रवक्ता द्वारा इसका समन्वय किया जा सकता है।

23. रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन के समाचार कक्षों को तत्काल श्रीनगर वापस भेज दिया जाना चाहिए। इस मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है। उचित योजना बनाकर और स्टॉफ के लिए व्यवस्था कर अप्रत्याशित जोखिम का मुकाबला किया जा सकता है। स्थानीय प्रसारण कार्मिकों में यह भावना नहीं होनी चाहिए कि उनकी संख्या अपर्याप्त है अथवा उन पर शक नहीं किया जाना चाहिए।

24. जम्मू और कश्मीर में रेडियो और दूरदर्शन में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उपकरणों की मंजूरी भी दी जानी चाहिए। समाचारपत्रों के सन्दर्भ में सुरक्षा सुविधाओं, प्रोत्साहनों और बीमे के जो समस्त उपाय किए जाते हैं वे प्रसारण कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

25. चाहे श्रीनगर हो या जम्मू या दिल्ली, रेडियो और दूरदर्शन से और अधिक कल्पनाशील प्रसारणों की काफी गुंजाइश है। स्थानीय शिकायतों, अलगाववाद के कारणों और यहां तक कि उग्रवादियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा करने के लिए प्रसारण माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। इस दिशा में एक साहसिक नीति निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है और यह निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

26. जम्मू और कश्मीर की घटनाओं को कवर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों को सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जनवरी, 1990 में श्रीनगर से सभी विदेशी सम्वाद-दाताओं को निकाल देना एक भूल थी। अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को जीतने के लिए खुली नीति को अपनाना लाभप्रद होगा, चाहे कुछ पत्रकारों के समाचारों के प्रेरित होने की आशंका ही क्यों न हो।

27. जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारी अपना ऐसा दृष्टिकोण, जिसे स्थानीय प्रेस न छापना चाहती हो, श्रीनगर से रेडियो कश्मीर और दूरदर्शन के माध्यम से विशेष बुलेटिन द्वारा स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम होने चाहिए।

28. इसके अलावा, सरकार को इश्तहारों, वाल पेपरों और चित्रों जैसे गैर-परम्परागत माध्यमों का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए जिन्हें लोग पढ़ सकते हैं और जिनके जरिए अपना दृष्टिकोण रखा जा सकता है, चाहे उग्रवादी दल उन्हें फाड़ ही क्यों न दें।

29. सिनेमाघरों को फिर से खोलने का प्रयास किया जाना चाहिए और शुरू में, उचित सुरक्षा के साथ, कम-से-कम सिनेमाघर फिर से खोला जा सकता है।

30. आकाशवाणी ने जम्मू कम्मीर के लिए लक्षित पाक अधिकृत कश्मीर और रेडियो पाकिस्तान तथा टी० वी० के प्रचार का निराकरण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रसारित किए हैं। इस प्रयास को विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए और व्यापक बनाने तथा इसका विविधीकरण करने की आवश्यकता है। स्वतन्त्र वीडियो समाचार पत्रिकाएं भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभा सकती हैं और देश में उपयोग के लिए और विदेशों में सूचना के लिए सामग्री उपलब्ध करा सकती हैं।

31. पत्रकारों का अन्तर प्रादेशिक आदान-प्रदान एक ऐसा वांछनीय उपाय है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर के पत्रकार देश के विभिन्न भागों में यात्रा कर सकते हैं। इससे शेष भारत के पत्रकारों को कश्मीर की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इस प्रयोजन के लिए जम्मू और कश्मीर शासन को राज्य में व्यावसायिक पत्रकार संघों के अधिवेशन बुलाने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

32. उपर्युक्त में से कोई भी उपाय तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक संचार माध्यमों के लिए कोई एक व्यापक नीति तैयार नहीं कर ली जाती और यह नीति सुरक्षा की बात बताने के साथ-साथ न केवल राष्ट्र की कश्मीर नीति का एक अंग होनी चाहिए बल्कि इसमें इसके अलावा भी और बहुत कुछ होना चाहिए। इसके लिए राज्य के अन्दर और राज्य से बाहर, विभिन्न स्रोतों से समाचार आने चाहिए। हमने जिस मीडिया प्रवक्ता की सिफारिश की है, वह ऐसी संचार माध्यम नीति विषयक योजना दल का केन्द्र-बिन्दु हो सकता है।

33. प्रेस परिषद् को आगामी शरद ऋतु में एक अधिवेशन बुलाने की संभावना पर विचार करना चाहिए ताकि जम्मू और कश्मीर में प्रेस के सभी वर्गों के साथ सम्पर्क स्थापित किया जा सके और राज्य में प्रेस की आजादी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया जा सके।

विवरण-II

भारतीय प्रेस परिषद् की पंजाब समिति की सिफारिशें

1. यद्यपि पूर्ण सुरक्षा हो ही नहीं सकती, तथापि सुरक्षा के सामान्य वातावरण में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इन परिस्थितियों में पंजाब के पत्रकारों को अपने व्यवसाय के साथ जुड़ी जोखिमों की चुनौतियों और प्रेस की आजादी के प्रति अपनी वचनबद्धता को स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें नागरिकों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार निहित है।

2. फिर भी, पत्रकारों को उनके कार्यालयों में तथा यदि वे चाहें तो उनके रिहायशी परिसरों में उपयुक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए।

3. यदि खतरे वाले किसी विशेष स्थान को अस्थायी तौर पर गैर-पारिवारिक स्टेशन बना दिया जाता है तो उन्हें विशेष पारिवारिक तथा यात्रा भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।

4. मृत्यु, घायल हो जाने या अस्पताल में भर्ती हो जाने अथवा सम्पत्ति का नुकसान हो जाने की सूरत में उनके निकट सम्बन्धी को नौकरी/पेंशन के आश्वासन के साथ भरपाई की जानी चाहिए।

5. जोखिम वाले अंचलों में कार्य कर रहे सभी पत्रकारों का सामूहिक बीमा किया जाना चाहिए। समाचारपत्रों के संगठनों को चाहिए कि वे विशेष जोखिम बीमा पालिसियां जारी करने के लिए जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम को इस कार्य के लिए जारी करने के वास्ते सरकार से विचार-विमर्श करें।

6. स्थिति को देखते हुए, आवश्यकतानुसार, रात्रि ड्यूटी स्टॉफ को सशस्त्र गार्ड के साथ घर छोड़ा जाए।

7. संवाददाताओं को शवों की गिनती के मामले में और अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए या अनुमान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें किसी घटना अथवा स्थिति के सभी पहलुओं को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए।

8. समाचारों का उचित स्रोत होना चाहिए और समाचार में सम्पादकीय टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

9. अति वीभत्स तथा संवेदनशील घटनाओं को संयत भाषा और संयत शीर्षकों का प्रयोग करते हुए, अत्यधिक भड़काऊ अथवा सनसनीखेज प्रदर्शन से बचते हुए यथार्थ रूप में प्रकाशित किया जा सकता है, जिससे जनता को न तो डर पैदा हो और न ही तनाव।

10. आतंकवादियों से प्राप्त बन्द के नोटिस तथा प्रेस नोट को सम्पादित किया जाये और उन्हें कम महत्त्व दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, सकारात्मक घटनाओं का उल्लेख किया जाये और स्थिति के अनुसार उन्हें बढ़ाकर दिखाना चाहिए।

11. समाचार एजेंसियों तथा समाचारपत्रों को चाहिए कि वे संवेदनशील तथा जोखिम वाले कार्य के लिए कार्मिकों का बहुत सावधानी से चयन करें तथा किसी एक व्यक्ति के भार को कम करने के उपाय के रूप में उनकी बारी-बारी ड्यूटी लगाएं। नए व्यक्ति पुरानी समस्याओं तथा स्थितियों को नई दृष्टि से देख सकते हैं।

12. समाचार एजेंसियों को चण्डीगढ़ में अपने क्षेत्रीय समाचार एककों को सुदृढ़ करना चाहिए और उनके ये एकक वरिष्ठ व्यक्तियों के अधीन होने चाहिएं। समाचारपत्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संवेदनशील स्थलों से संवेदनशील समाचारों की प्रति को ले जाने के लिए उनके वरिष्ठ तथा बहुत ही जिम्मेदार गेट कीपर हों।

"शांति काल" में कार्मिक और कार्य पद्धति "युद्ध काल" के लिए उपयुक्त नहीं होती।

13. आकाशवाणी और दूरदर्शन को जालंधर और चण्डीगढ़ केन्द्रों पर केन्द्र निदेशकों की नियुक्ति करनी चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये सभी रिक्तियां भर ली जाएं तथा इन पदों पर कल्पनाशील और नए-नए प्रयोग करने वाले अधिकारी रखे जाने चाहिए।

14. ऐसे अत्यन्त गतिशील वीडियो और आडियो दल होने चाहिए जो एक घण्टे की सूचना पर राज्य के किसी भी भाग में पहुंच सकते हों। उनके लिए सभवत: हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है, ताकि किसी अच्छे प्रयोजन का सीधा प्रसारण किया जा सके।

15. पंजाब (और कश्मीर) में एक उच्च स्तरीय मीडिया की आवश्यकता है जो स्वयं राज्यपाल और पुलिस महानिदेशक के पूरे प्राधिकार से बोल सके। ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से

ब्रीफ किया जाना चाहिए या वह हर तरह की सूचना प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए सक्षम होना चाहिए। चण्डीगढ़ के अलावा ऐसे अधिकारी या एजेंसी की उपस्थिति जालंधर और अमृतसर जैसे प्रमुख केन्द्रों में भी होनी चाहिए।

16. केन्द्र को एक सुसंगत और व्यापक मीडिया नीति तैयार करनी चाहिए तथा पंजाब (और कश्मीर) के लिए इस प्रयोजन से एक उच्चाधिकार प्राप्त बहु-विषयक मीडिया नीति सेल की स्थापना करनी चाहिए। आतंकवाद और विद्रोह का मुकाबला सिर्फ बन्दूक से नहीं किया जा सकता। इसके लिए न्यायोचित प्रशासन और विचारों की आवश्यकता होती है जो राज्य के क्षत-विक्षत करने वाले लोगों के वैचारिक आक्रमण के खिलाफ लोगों के दिल और दिमांग को जीत सके। व्यावसायिकों की सेवाएं ली जानी चाहिए और मौजूदा सरकारी लोगों या मीडिया प्रतिभाओं पर ही पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए।

17. पंजाब प्रैस सम्पर्क सीमित का विस्तार करके इसे मीडिया सम्पर्क समिति बनाया जाना चाहिए जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन भी शामिल हो। इसकी नियमित रूप से विभिन्न बड़े समाचार केन्द्रों में बैठकें होनी चाहिए ताकि सदस्यों को स्थानीय स्थितियों के बारे में जानकारी दी जा सके तथा वे फील्ड स्टॉफ से सीधे विचारों का आदान-प्रदान कर सके।

18. सम्पादकों और व्यावसायिक पत्रकारों और मालिकों/प्रबन्धकों के संघों को वस्तुस्थिति की वास्तविकता को समझने के लिए मिल-जुलकर उपाय करने चाहिएं तथा क्षेत्रीय स्टॉफ की सहायता करनी चाहिए।

19. लन्दन और अन्य विदेशी केन्द्रों से विदेशी पत्रिकाओं जैसे देश परदेश, बांगर इत्यादि के नि:शुल्क वितरण को रोका जाना चाहिए या विघटनकारी या देशद्रोही सामग्री होने की सूरत में उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसी कई पत्रिकाएं डाक द्वारा आ रही हैं और चुने लोगों में बांटी जा रही हैं।

20. सैंसर का, चाहे वह सीमित ही क्यों न हो, या जैसा कि कभी-कभी सुझाव दिया जाता है, समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशन स्थगित कर दिए जाने के उपाय का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। जबकि आतंकवादी "प्राणवायु" (श्रीमती थैचर) पर फलते-फूलते हैं, लेकिन उपचारात्मक नियंत्रणों से मीडिया शून्यता आ जाती है जो रोग से भी अधिक भयंकर होती है। पंजाब के लिए विशेष प्रेस कानून की आवश्यकता नहीं है और न ही यह वांछनीय है। दोषी समाचारपत्रों या पत्रकारों पर आवश्यकतानुसार देश के कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है या ऐसे मामलों को प्रेस परिषद् को भेजा जा सकता है। परिषद् को ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की प्रक्रिया का विकास करना होगा। अजीत पर मुकदमा चलया गया था लेकिन मामले पर बाद में जोर नहीं दिया गया। इस ओर ऐसे ही मामलों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ताकि कमियों को या प्रक्रियात्मक बाधाओं को बिना किसी पक्षपात के और निष्पक्ष रूप से दूर किया जा सके।

21. आतंकवादी गुटों द्वारा जारी "प्रेस नोटों" के प्रचार में उचित सावधानी बरतते हुए प्रेस को सरकारी समाचारों के लिए इस्तेमाल किए जाने के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। मीडिया किसी की रखेल या मोहरा नहीं हो सकता। महत्त्वपूर्ण बात इनकी विश्वसनीयता है।

22. ताजा समाचारों के अलावा, पंजाब में जरूरत इस बात की है कि अधिक खोजपूर्ण और विश्लेषनात्मक रिपोर्टिंग की जाए जिसमें राज्य की मानव त्रासदी तथा सामान्य नागरिकों

और समुदायों, की वीरता और भाई-चारे की गाथाओं को प्रमुख स्थान दिया जाए, जिन्हें धमकियां मिलीं तथा जिन पर कातिलाना हमले हुए तथा जो डटे रहे और जिन्होंने अपने उसूलों को नहीं छोड़ा। पंजाब संघर्ष के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं को समझा जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए।

23. यदि मीडिया की कवरेज सन्तुलित और ईमानदाराना। होगी तो उसे डर की सम्भावना कम होंगी। सच्ची व्यावसायिकता का सभी आदर करते हैं चाहे प्रतिपक्षी भी क्यों न हों। समिति कोई अन्य संहिता निर्धारित नहीं कर सकती। इसके कम अधूरा होगा और इससे अधिक अनावश्यक।

नए उद्योग लगाने के लिए लंबित प्रस्ताव

3757. **श्री विलासराव नागनाथ राव गुंडेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात सरकार के नये उद्योगों के पंजीकरण के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी, 1990 से जून, 1991 की अवधि के दौरान उक्त राज्य के पंजीकृत किए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लंबित पड़े प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) इस समय गुजरात में नये औद्योगिक एककों के पंजीकरण का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। नई औद्योगिक नीति के अनुसार, लाइसेंस मुक्तिकरण/छूट प्राप्त उद्योगों/तक० वि० महानिदे० पंजीकरण संबंधी योजनाएं समाप्त हो जाती हैं।

(ख) गुजरात राज्य में जनवरी, 1990 से जून, 1991 की अवधि के दौरान लाइसेंस मुक्तिकरण/छूट प्राप्त उद्योगों/तक० वि० महानिदे० पंजीकरण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत पजीकृत आवेदन-पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

पंजीकरणों की संख्या

वर्ष	लाइसेंस मुक्तिकरण उद्योग पंजीकरण	छूट प्राप्त उद्योगों का पंजीकरण	डी० जी० टी० डी० पंजीकरण
1990	88	159	66
1991 (जून तक)	70	102	24

सभी पंजीकरणों के संबंध में उपक्रम का नाम, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की मद(दें) तथा क्षमता जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन उद्योग

3758. **श्री विलासराव नागनाथ राय गुंडेवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पेट्रो रसायन उद्योगों का विस्तार एवं विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) पेट्रो-रसायन क्षेत्र की अधिकांश मदों को नई औद्योगिक नीति में लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है और यह आशा की जाती है कि इससे महाराष्ट्र सहित राज्यों में उद्योग के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

भवानी पटना में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र

3759. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में भवानी पटना में 10 के० वी० दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जी, नहीं। भवानी पटना की इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने में कुछ देरी हुई है। परियोजना स्थल पर बिजली और पानी की पर्याप्त सप्लाई न होने तथा स्थल का दूरदर्शन इलाके में स्थित होने और वहां पर आंदोलन होने के कारण 10 किलोवाट दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना में देरी हुई है। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने स्थल से गुजरने वाली 33 कि०वा० फीडर लाइन को वहां से हटाने में काफी समय लगा दिया जिसके कारण रेडियो स्टेशन की स्थापना में देरी हुई।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार भवानी पटना के दूरदर्शन ट्रांसमीटर को वर्तमान वर्ष के दौरान चालू करने की योजना है। दूसरी ओर रेडियो स्टेशन के वर्ष 1992 तक तकनीकी रूप से तैयार हो जाने का कार्यक्रम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार योजना

3760. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे अब तक कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्य दल ने आठवीं ओजना के अंत तक 22.50 लाख ग्रामीण दस्तकारों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में सातवीं योजना के अंत तक खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में 47.39 लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराया गया है।

[हिन्दी]

पुराने कागज कारखानों का बंद होना

3761. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित किये गये बहुत ही पुराने कागज कारखाने या तो बंद पड़े हुए हैं और या कुछ अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने कारखाने हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी क्षमताओं को बहाल करने की दृष्टि से इन कारखानों का आधुनिकीकरण करने के लिए उनका प्रबंध अपने हाथ में लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए धनराशि आवंटित की गई है; और

(च) यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) देश में स्वतंत्रता से पहले लगाए गये बहुत पुराने कागज कारखाने जो या तो बंद पड़े हैं या अपनी पूरी क्षमता में कार्य नहीं कर रहे हैं, के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, 77 कागज एकक, जो इस समय उत्पादन नहीं कर रहे हैं, की सूची विवरण में संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	एकक का नाम
	पश्चिम बंगाल
1.	मै० टीटागढ़ पेपर मिल्ल लि०—मिल नं० 1
2.	" " " —मिल नं० 2

क्रम संख्या	एकक का नाम
3.	मै० बंगाल पेपर मिल्स कं० लि०
4.	मै० नेपचून पेपर मिल्स लि०
5.	मै० यूनीवर्सल पेपर मिल्स लि०
6.	मै० पेपीरस पेपर इंडस्ट्रीज,
7.	मै० विमको पेपर्स
8.	मै० एवरेस्ट पेपर मिल्स (पी) लि०
9.	मै० ग्लोब पेपर मिल्स (पी) लि०
10.	मै० प्रिती पेपर मिल्स प्रा० लि०
11.	मै० पी० जी० पेपर मिल्स कं० प्रा० लि०
12.	मै० ईस्ट कोस्ट पेपर प्रा० लि०
13.	मै० गोपीनाथ पेपर मिल्स
	उत्तर प्रदेश
14.	मै० संगल पेपर लि०
15.	मै० शीवलिक सेलूलोज लि०
16.	मै० सर्वोदया पेपर मिल्स लि०
17.	मै० पी० वी० के० पेपर्स लि०
18.	मै० अयोध्या पेपर मिल्स लि०
19.	मै० कालिका बोर्ड एण्ड पेपर मिल (पी) लि०
20.	मै० सकमबरी पेपर मिल्स प्रा० लि०
21.	मै० स्वतंत्र भारत पेपर
22.	मै० अपर इंडिया कोपर पेपर मिल्स
23.	मै० अरीहन्त पेपर प्रा० लि०
24.	मै० ज्ञेवर्धन कागज उद्योग
25.	मै० मंजूश्री पेपर मिल्स प्रा० लि०
26.	मै० गोपाल पेपर एण्ड बी० डी०
27.	मै० सिंघल पेपर प्रा० लि०
28.	मै० बसन्त पेपर मिल्स
	गुजरात
29.	मै० वूड पेपर मिल्स
30.	मै० सुगम पेपर मिल्स

क्रम संख्या	एकक का नाम
31.	मै० पटेल पेपर मिल्स लि०
32.	मै० गणपथि पल्प और पेपर मिल्स लि०
33.	मै० वलोद अन्त्यादया पेपर मिल्स लि०
34.	मै० धवलगिरि पेपर मिल्स (प्रा०) लि०
35.	मै० प्रकाश पेपर मिल्स लि०
36.	मै० कदोदरा पेपर इंड० प्रा० लि०
	बिहार
37.	मै० रोहतास इंडस्ट्रीज लि०
38.	मै० अशोक पेपर मिल्स लि०
39.	मै० नार्थ बिहार सुगर मिल्स लि०
40.	मै० ठाकुर पेपर मिल्स लि०
41.	मै० बरूनि पेपर इंडस्ट्रीज
42.	मै० श्री बिश्वनाथ पेपर मिल्स
	राजस्थान
43.	मै० सराफ पेपर मिल्स
44.	मै० सतसुवन पेपर मिल्स इंडस्ट्रीज
45.	मै० प्रीमियर पेपर और बोर्ड मिल्स (प्रा०) लि०
46.	मै० एडवांस पेपर मिल्स लि०
47.	मै० बंसी लाल पेपर लि०
	महाराष्ट्र
48.	मै० जी० टी० पेपर मिल्स
49.	मै० परसराम पेपर मिल्स
50.	मै० बंबई पल्प और पेपर मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०
51.	मै० सेन्ट्रल (इंडिया) स्पीनिंग और वीविंग मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०
52.	मै० मयूर पेपर मिल्स लि०
53.	मै० प्रोविडेंस पेपर मिल्स लि०
	आंध्र प्रदेश
54.	मै० श्री लक्ष्मी सरस्वती पेपर्स लि०
55.	मै० नागार्जुन पेपर मिल्स लि०

क्रम संख्या	एकक का नाम
56.	मै० चाररीनार पेपर्स लि०
57.	मै० पैनर पेपर लि०
	कर्नाटक
58.	मै० बदेका पेपर मिल्स
59.	मै० रपेड लि०
60.	मै० काबरिवी पेपर इंड०
61.	मै० अन्ना पुरन पेपर मिल्स
	तमिलनाडु
62.	मै० गंगप्पा पेपर मिल्स लि०
63.	मै० विशालकृषि पेपर मिल्स
64.	मै० बालाजी पेपर मिल्स प्रा० लि०
	हरियाणा
65.	मै० सहगल पेपर मिल्स लि०
66.	मै० वीनस पेपर मिल्स
67.	मै० सूरी पेपर एंड केमिकल्स प्रा० लि०
	उड़ीसा
68.	मै० टीटागढ़ पेपर मिल्स लि० मिल नं० 3
69.	मै० सेवा पेपर मिल्स
	असम
70.	मै० अशोक पेपर मिल्स लि०
71.	मै० नामरूप पेपर मिल्स
	पंजाब
72.	मै० जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंड० लि०
73.	मै० स्वाति पेपर मिल्स (प्रा०) लि०
	हिमाचल प्रदेश
74.	मै० लालजी पेपर मिल्स प्रा० लि०
75.	मै० सराव पेपर्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०
	केरल
76.	मै० पुनालूर पेपर मिल्स लि०

क्रम संख्या एकक का नाम

मध्य प्रदेश

77. मै० एक्मे पेपर मिल्स, सहरो

औषध उद्योग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण

3762. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विटामिनों का 70 प्रतिशत से भी अधिक विपणन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रणाधीन है और क्या उनके द्वारा बेची जा रही दवाओं के दाम बहुत ऊंचे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का ध्यान ऐसे कितने मामलों की ओर आकर्षित किया गया है और क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इनका मूल्य ढांचा निर्धारित करते समय सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है; और

(ङ) इन मदों को नियंत्रित करने के लिए और तदनुसार प्रतिजीवाणु दवाएं तथा विटामिन सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ङ) ओ० आर० जी० द्वारा प्रकाशित विपणन आंकड़ों के आधार पर विटामिनों पर आधारित सूत्रयोगों के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बाजार अंश 70 प्रतिशत से भी अधिक है । विटामिनों पर आधारित सम्मिश्रण सूत्रयोगों के मूल्य डी० पी० सी० ओ०, 1987 के अंतर्गत नियंत्रित होते हैं और तदनुसार मूल्य निर्धारित किये जाते हैं । उल्लंघन के मामलों पर डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

कास्टिक सोडा संयंत्र

3763. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कास्टिक सोडा के कितने संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) वे किन-किन स्थानों पर स्थापित हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या देश में कास्टिक सोडा के कुछ और अधिक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ विदेशी फर्मों ने भारत में कास्टिक सोडा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए सरकार से बात की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) कास्टिक सोडा के 40 लाइसेंस शुदा संयंत्र हैं जिनमें से केवल 33 काम कर रहे हैं ।

(ख) स्थापना स्थलों और स्वीकृत उत्पादन क्षमता बताने वाली एक सूची संलग्न है । 1990-91 के दौरान लगभग 10.18 लाख टन कास्टिक सोडा का उत्पादन हुआ था ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों, एस० आई० ए० (ई० आई० आर०) पंजीकरण प्रदान करके 40 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। देश में विभिन्न स्थानों पर जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 15.26 लाख टन की है।

(घ) देश में मंजूर की गई नई परियोजनाओं और उनके स्थापना स्थलों को बताने वाला विवरण-I और II संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण-I

विद्यमान कास्टिक सोडा संयंत्र

क्रम सं०	पंजीकृत कार्यालय सहित एकक का नाम	स्थापना स्थल	लाइसेंसशुदा/ अधिष्ठापित क्षमता
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	मै० आंध्रा सूगर लि०	कोबर	46200
2.	मै० सिरपुर पेपर मिल्स	कंगजिनगर	6270
3.	मै० श्री रेलसिमा	कुरनोल	33000
	आसाम		
4.	मै० हिन्दुस्तान पेपर कार्पो०	नौगांव	20000
	बिहार		
5.	मै० बिहार कास्टिक और केमि० लि०	रेहला	33000
	दिल्ली		
6.	मै० श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज	नई दिल्ली	49500
	गुजरात		
7.	मै० अतुल प्रोडक्ट्स लि०	बुलसर	16900
8.	मै० टाटा केमि० लि०	मीठापुर	11400
9.	मै० सौराष्ट्र केमिकल्स	पोरबंदर	20400
10.	मै० गुजरात एलकलीज एण्ड केमि० लि०	बड़ौदा	103425
11.	मै० अहमदाबाद एम०एफ०जी० एण्ड केलिको प्रिंटिंग कंपनी लि०	अहमदाबाद	2915

1	2	3	4
	हरियाणा		
12.	मै० बालापुर इंडस्ट्रीज लि०	जगाधरी	11550
	कर्नाटक		
13.	मै० बलारपुर इंडस्ट्रीज लि०	करवार	59400
	केरल		
14.	मै० ट्रावनकोर कोचीन केमि० लि०	इलोर	57750
	मध्य प्रदेश		
15.	मै० ग्रीसिम इंडस्ट्रीज लि०	नागदा	80578
16.	मै० हुकमचन्द जूट मिल्स लि०	अमली	36680
17.	मै० नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर मिल्स लि०	नेफानगर	8280
	महाराष्ट्र		
18.	मै० बलारपुर इंडस्ट्रीज लि०	बलारपुर	11550
19.	मै० सेंचुरी केमि० इंड०	कल्यान	18000
20.	मै० नेशनल रेयन कार्पो० लि०	मोहोन	26400
21.	मै० स्टेण्डर्ड एलकलीज एण्ड केमि० लि०	थाणे	76750
	उड़ीसा		
22.	मै० जै श्री केमिकल्स लि०	गनजम	16500
23.	मै० ओरियण्ट पेपर मिल्स	बुजराजनगर	3300
	पाण्डिचेरी		
24.	मै० केमफेब एलकलीज लि०	पाण्डिचेरी	16320
	पंजाब		
25.	मै० पंजाब एलकलीज केमिकल्स लि०	नयानॉगल	40730
	राजस्थान		
26.	मै० मोदी एलकलीज एण्ड केमिकल्स लि०	अलवर	41250
27.	मै० श्रीराम विनायल एण्ड केमि० इण्ड० लि०	कोटा	42900
	तमिलनाडु		
28.	मै० डी० सी० डब्ल्यू० लि०	साहापुरम	60000
29.	मै० साउथर्न पेट्रो केमिकल्स इन्ड० कार्पो०	मद्रास	66000

1	2	3	4
30.	मै० मीटर केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज कार्पो० लि०	मीटरडम	42900
	उत्तर प्रदेश		
31.	मै० केनारिया केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०	रेनूकोट	33000
	पश्चिम बंगाल		
32.	मै० दुर्गापुर केमिकल्स लि०	दुर्गापुर	10500
33.	मै० हिन्दुस्तान हेवी केमिकल्स लि०	खरदाह	9000

विवरण-II

क्र० सं०	संयंत्र के प्रस्तावित स्थापना स्थल सहित पार्टी का नाम	वार्षिक क्षमता टनों में
1	2	3
	औद्योगिक लाइसेंस	
1.	मै० रोहतास इण्डस्ट्रीज, दालमिया नगर (बिहार)	2400 (एकक बंद हो गया कार्यान्वयन होने में संदेह)
2.	मै० श्रीराम फर्टिलाइजर एण्ड केमि० कोटा (राजस्थान)	33000
3.	मै० गुजरात फ्लोर एलकली इण्डस्ट्रीज लि० जिला भडोच (गुजरात)	33000
4.	मै० हिन्दुस्तान पेपर कार्पो० नौगांव (आसाम)	20000
5.	मै० हिन्दुस्तान पेपर कार्पो० कटिहार (आसाम)	16500
	आशयपत्र	
6.	मै० डेलआ पेपर मिल्स लि० भीमा बोरा, जिला प० बंगाल	1650
7.	मै० श्रीराम फूड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० दिल्ली	33000
8.	मै० हरियाणी एलकलीज एण्ड केमिकल्स लि०	23100
9.	के० एस० आई० डी० सी०, कर्नाटक	33000
10.	मै० चेमफेब एलकलीज एण्ड केमिकल्स पाण्डीचेरी	16500
11.	मै० इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लि० डलविया, जिला मिदनापुर, कलकत्ता	20000
12.	मै० रिलायंत पैट्रो केमिकल्स लि०, चोरस जिला सूरत, गुजरात	78000 (66,000 क्षमता वाले क्लोरिन संयंत्र से उपोत्पाद के रूप में)

1	2	3
13.	मै० गुजरात एलकलीज एण्ड केमि० लि० बडौदा, गुजरात	33000
14.	मै० वेरिन्दर एग्रो केमिकल्स रामगढ़, जिला गून, एम०पी०	33000
15.	मै० केमफेब एलकलीज लि० पाण्डीचेरी	33000
16.	मै० वेरिन्दर एग्रो केमिकल्स इटावाह, उ० प्र०	41500
17.	मै० कोठारी सूगर एण्ड केमि० लि० पाण्डीचेरी	33000
18.	मै० श्री एसिडर्स एण्ड केमिकल्स लि०, जिला अलीगढ़, उ० प्र०	33000
19.	मै० फिनोलेक्स केबल्स लि०, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र	85000
20.	मै० पेस्टीज फाइबर्स लि०, मुजफ्फर नगर, उ० प्र०	33000
21.	मै० यू० बी० पेट्रो केमिकल्स लि०, विशाखापटनम, आ० प्र०	75000
22.	मै० श्रीराम फाडबर्स लि०, गुजरात	33300
23.	मै० एमीनेक्स केमिकल्स लि०	33000
24.	मै० बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, पाण्डीचेरी	33000
25.	मै० बालाजी पेट्रो केमिकल्स प्रा० लि०, गया	33000
26.	मै० श्री रयालासिमा एलकलीज एण्ड सिलायड केमिकल्स लि०, जिला करनोल, ए० पी०	16500
27.	मै० हिन्दुस्तान डेव० कार्पो० लि०, हल्दिया, जिला हिदनापुर, पं० बंगाल	49500
28.	मै० एस० आर० एफ० लि०, तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान	16500
29.	मै० जै श्री केमिकल्स लि० गन्जम (उड़ीसा)	13500
30.	मै० पंजाब एलकलीज एण्ड केमिकल्स लि०, नया नांगल, जिला रूपर, पंजाब	
	एस० आई० ए० पंजीकरण (ई० आई० आर०)	
31.	मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, जिला राजगढ़ (एम० एस०)	33000
32.	मै० प्लूटो केमिकल्स लि०, जयगढ़, रत्नागिरि, महाराष्ट्र	34000
33.	मै० अशोक आर्गेनिक इण्ड० जिला भरूच, गुजरात	15000
34.	मै० नन्दकिशोर, जयगढ़, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र	16500
35.	मै० इटाची पेट्रो केमिकल्स लि०, चन्द्रापुर, महाराष्ट्र	33000

1	2	3
36.	मै० श्री धरम गोयल, खुरजा, बुलन्दशहर, उ० प्र०	33000
37.	मै० श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, भरूच, गुजरात	34000
38.	मै० केमफेब एलकलीज लि०, पाण्डीचेरी	33000
39.	मै० अनिल सिक, बुलन्दशहर, उ० प्र०	33000
40.	मै० अशोक एलकली लि०, बडौदा	30000
41.	मै० श्री शरद इन्दू गोयल, जिन्द, हरियाणा	33000
42.	मै० श्री हंसराज गोयल, जिला मथुरा, उ० प्र०	33000
43.	मै० लमिलनाडु इण्ड० डेवल० जिला तन्जाबूर, टी० एन०	33000
44.	मै० तुंगभद्रा फर्टिलाइजर लि०, तह०/जिला रेचुर (कर्नाटक)	3300
45.	मै० एडवांस केमिकल्स, जिला भरूच, गुजरात	33000
46.	मै० इटाची पेट्रो केमिकल्स लि०, मलाद, तह०/जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र)	33000
47.	मै० श्री एसिड एण्ड केमिकल्स लि०, तह०/जिला, भरूच (गुजरात)	33000
48.	मै० जेनिथ एलकलीज प्रा० लि० तह०/जिला धार, एम०पी०	30000

बिहार में उर्वरक संयंत्र

3764. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं और कहां-कहां;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र में उर्वरक का वर्ष-वार और संयंत्र-वार उत्पादन क्या रहा;

(ग) क्या सकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में कुछ और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों का चयन किया गया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) बिहार में नौ उर्वरक संयंत्र हैं । उनके स्थान तथा गत तीन वर्षों के लिए उत्पादन नीचे दिए गए हैं :—

000 मी० टन में उत्पादन

क्रमांक	उर्वरक संयंत्र का नाम तथा स्थान	उत्पाद	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
1.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० सिन्दरी	यूरिया	269.0	209.2	230.5
		अमोनियम सल्फेट (ए०एस०)	58.0	0.5	15.1

1	2	3	4	5	6
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी	यूरिया	142.3	79.8	114.1
3.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, बोकारो	ए.एस.	16.2	17.6	20.5
4.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर	ए.एस.	13.3	10.5	10.0
5.	बिहार स्टेट सुपरफोस, सिन्दरी	सिंगल सुपर फास्फेट	0.6	(उत्पादन नहीं कर रहा)	
6.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, अमझोर	,,	नया संयंत्र	61.1	130.1
7.	श्री कृष्णा फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स, मुजफ्फरपुर	,,	2.7	2.8	7.6
8.	सूर्या फास्फेट, कोडर्मा	,,	4.2	0.7	0.6
9.	तुलसी फर्टिलाइजर्स, पटना	,,	6.0	2.3	3.0

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान को आबंटित की गई आवश्यक वस्तुएं

3765. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को वर्ष-वार और वस्तु-वार आवश्यक वस्तुओं का कितना कोटा आबंटित किया गया;

(ख) क्या यह आवंटन राज्य सरकार को मांग से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) ; (क) 1989, 1990 और 1991 में (अगस्त, 91 तक) राजस्थान को आबंटित मुख्य आवश्यक वस्तुओं की मात्राएं निम्नवत हैं :—

(हजार मी० टन में)

	1989	1990	1991 (जनवरी से अगस्त)
चावल	39.20	38.40	26.60
गेहूं	790.00	840.10	665.00
लेवी चीनी	208.06	208.06	135.31
आयातित खाद्य तेल	2.70	10.00	1.74
मिट्टी का तेल	251.16	263.70	173.41

(ख) और (ग) हालांकि केंद्रीय सरकार, राजस्थान सहित, विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के लिए मांग को ध्यान में रखती है, तथापि खाद्यान्नों का आबंटन केन्द्रीय पूल में स्टाक, बाजार में उपलब्ध मात्रा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर मांग जैसी अन्य बातों को भी ध्यान में रखकर माह-दर-माह आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं तथा ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की समग्र जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजन से नहीं किए जाते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उद्योग की स्थापना

3766. **श्री राम नारायण बैरवा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(ग) राज्य के कितने जिलों में ऐसे उद्योग स्थापित किए जाएंगे और कब तक ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग के कार्यक्रम राजस्थान के सभी 27 जिलों में लागू किये जा रहे हैं। खादी संबंधी कार्यकलाप "न लाभ न हानि" के आधार पर राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थानों और सहकारी समितियों द्वारा किये जाते हैं। ग्रामोद्योग के कार्य प्राथमिक रूप से अनेक व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किये जाते हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान में सभी ग्रामोद्योगों को प्राप्त होने वाली आय के आंकड़े नहीं रखता।

उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना करना

3767. **श्री राम बदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य के आजमगढ़ और माऊ जिलों में नये उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

दिल्ली में उचित दर की दुकानों का कार्यकरण

3768. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री 6 मार्च, 1991 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1707 और 1746 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उचित दर दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपुओं आदि तथा विभाग के उन कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी गई है;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) इन मामलों पर अन्तिम निर्णय लिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन्हें शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) खाद्य और आपूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के विरुद्ध पक्षपात करने तथा नियमों और विनियमों की अनदेखी करने की कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) तत्संबधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को ठीक करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा नही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मोटरकार कलपुर्जे

3769. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरकार कलपुर्जों के निर्माताओं द्वारा अविश्वसनीय कलपुर्जे सप्लाई किये जाने के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सकार का देश में केवल विश्वसनीय मोटरकार कलपुर्जों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) तथा (ख) मोटरवाहन कलपुर्जों के किसी भी लाइसेंसधारी/पंजीकृत निर्माता द्वारा अविश्वसनीय पुर्जे सप्लाई किये जाने के बारे में कोई विशिष्ट रिपोर्ट मंत्रालय को नहीं मिली है ।

पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

3770. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : इस मंत्रालय ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं । राज्य

सरकारों द्वारा राज्य सरकार के सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, सहकारी समितियों आदि को, उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर योजना स्कीमों को तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ऐसी एक स्कीम के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी फल तथा सब्जी संसाधित उत्पादों से संबंधित विपणन स्कीम के लिए 3.68 लाख रु० की राशि की स्वीकृति दी गई थी। यह स्कीम राज्य सरकार के एक अभिकरण "दि टीस्टा फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसिंग लि०" द्वारा कार्यान्वित की जानी है।

राष्ट्रीय केबिल प्राधिकरण की स्थापना

3771. **श्री के० वी० तंगाबालू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में केबिल दूरदर्शन के लिए लाइसेंस देने और इसके विकास को नियमित करने के लिए राष्ट्रीय केबिल प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) केबिल टी०वी० नेटवर्क तथा डिस्क एण्टिना प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने हेतु स्थापित अंतर विभागीय समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय केबल प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

3772. **श्री वी० के० तंगाबालू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी धनराशि निवल लाभ के रूप में अर्जित की गई और यह धनराशि इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी की कितनी प्रतिशत है :

(ख) क्या इन उपक्रमों में निवेश की गई पूंजी पर दिये जा रहे ब्याज की धनराशि उनके निवल लाभ की धनराशि से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में ब्याज की धनराशि कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान 233 चालू उद्यमों द्वारा अर्जित निवल लाभ की राशि 3781.73 करोड़ रुपये है जो पूंजी निवेश का 4.06% है। 1990-91 के लेखे, सरकारी क्षेत्र के भिन्न-भिन्न उद्यमों में तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) जी, हां। 1989-90 के दौरान कुल देय ब्याज की राशि 4245.30 करोड़ रुपये थी।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रत्येक उद्यम द्वारा देय ब्याज की राशि 27-2-91 को सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1989-90 के खंड-III में दी गई है।

साधारण नमक का औसत खुदरा मूल्य

3773. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1990 तथा जुलाई, 1991 में सामान्य नमक/आयोडीन युक्त नमक का खुदरा मूल्य कितना-कितना था;

(ख) क्या औसत मूल्य को पुनः जुलाई, 1990 के स्तर पर लाना संभव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जुलाई, 1990 तथा जुलाई, 1991 में सामान्य नमक का औसत खुदरा मूल्य क्रमशः 1.20 रु० और 1.50 रु० था। जुलाई, 1990 तथा जुलाई, 1991 में आयोडीन युक्त नमक का औसत खुदरा मूल्य 1.87 रु० था।

(ख) और (घ) सामान्य नमक का औसत खुदरा मूल्य में मामूली वृद्धि हुई है जबकि जुलाई, 1990 तथा जुलाई, 1991 में आयोडीन युक्त नमक के औसत खुदरा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि नमक के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है फिर भी सरकार मूल्यों की दैनिक मॉनिटरी, विनिर्माताओं के साथ बैठकें करना तथा लाने-ले-जाने के लिए रेलवे के साथ समन्वय करने जैसे विभिन्न उपाय कर रही है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि खाद्य नमक के मूल्य स्थिर रहें।

नमक का उत्पादन और मांग

3774. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (जुलाई अंत तक) साधारण और आयोडीन युक्त नमक का अलग-अलग कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में निजी उद्योग के लिए साधारण नमक/आयोडीन युक्त नमक की प्रतिवर्ष औसत मांग कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान साधारण/आयोडीनयुक्त नमक की औसत उत्पादन लागत कितनी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण तथा आयोडीकृत नमक का उत्पादन इस प्रकार है :—

(मी० टन में)

वर्ष	साधारण नमक	आयोडीकृत नमक
1989-90	83,41,400	22,56,800
1990-91	101,41,100	25,04,400
1991-92 (मई, 1991 तक)	32,52,800	4,83,600

(ख) साधारण और आयोडीकृत नमक की घरेलू उपयोग के लिए औसत वार्षिक मांग क्रमशः 24,41,000 और 26,16,000 मी० टन है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान साधारण और आयोडीकृत नमक के उत्पादन की लागत निम्न प्रकार है :

(आंकड़े रुपये प्रति टन में)

वर्ष	साधारण नमक	आयोडीकृत नमक
1989-90	100-140	130-185
1990-91	120-165	155-215
1991-92	135-180	175-235

[हिन्दी]

मेहसी के सीप से बटन और आभूषण निर्माताओं को प्रोत्साहन

3775. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी-चम्पारण जिले में मेहसी के सीप से बटन और आभूषण बनाने वाला कोई कुटीर उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो इस समय उसके कितने एकक कार्य कर रहे हैं और उसमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कितनी दैनिक मजदूरी दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने उनके और विकास के लिए उपाय सुनिश्चित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० के० कुरियन) : (क) जी हां।

(ख) सीप से हस्तनिर्मित आभूषण बनाने वाली लगभग 10 इकाइयां हैं और इस व्यवसाय में लगभग 110 कारीगर लगे हैं। दैनिक मजदूरी 20 रु० से 25 रु० प्रतिदिन है।

(ग) और (घ) विकास आयुक्त (हस्त शिल्प) के कार्यालय ने कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए मधुबनी में एक विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र स्थापित किया है। उक्त केन्द्र द्वारा मेहसी के कारीगरों को अनेक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं जैसे—सीधे विपणन के अवसर, कच्चे माल संबंधी सहायता, ऋण सुविधाएं, उन्नत औजार संबंधी सहायता तथा तकनीक व डिजाइन से संबंधित सहायता।

संसद समीक्षा का आकाशवाणी से प्रसारण

3776. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले आकाशवाणी पर समाचारों से पूर्व संसद समीक्षा का प्रसारण किया जाता था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आकाशवाणी से संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन, 20.30 बजे हिन्दी में "संसद समीक्षा" और अंग्रेजी में "टू डे इन पार्लियामेंट" का प्रसारण बराबर जारी है।

वर्ष 1988 से पहले दूरदर्शन के प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा संसद सत्र के दौरान सप्ताह में एक बार हिन्दी में "संसद समीक्षा" और अंग्रेजी में "वीकली रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट" प्रसारित किया जाता था। दिल्ली दूरदर्शन से दिल्ली अल्प शक्ति ट्रांसमीटर नेटवर्क पर क्रमश: 19.30 बजे हिन्दी में "संसद समाचार" और 23.05 बजे अंग्रेजी में "पार्लियामेंट न्यूज" का नियमित प्रसारण किया जाता था।

(ख) से (घ) 1988 के बजट सत्र से हिन्दी में "संसद समाचार" और अंग्रेजी में "पार्लियामेंट न्यूज" राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्रमश: 21.50 बजे और 22.30 बजे प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी पर इन कार्यक्रमों के प्रसारण समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों में पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाएं

3777. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटक में तथा देश के अन्य स्थानों पर अपनी परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इनके लिए किन स्थलों का चयन किया गया है और इन्हें कब तक स्थापित किया जाएगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता

3778. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान संघ सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) योजना आयोग राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में केन्द्रीय सहायता देता है और योजना-वार आधार पर नहीं होती।

कर्नाटक के लिए उसकी वार्षिक योजना 1990-91 हेतु 1120 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है जिसमें ग्रामीण तथा लघु क्षेत्र सहित उद्योगों के लिए 75.75 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। वार्षिक योजना 1991-92 के लिए 15.10 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी गई थी जिसमें ग्रामीण और लघु क्षेत्र सहित उद्योगों के लिए 95.97 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। कर्नाटक को वर्ष 1990-91 के लिए 235.13 करोड़ रुपए और 1991-92 के लिए 270.25 करोड़ रुपए की सामान्य केन्द्रीय सहायता (कुल) प्रदान की गई थी।

विकास केन्द्रों की नई योजना के अन्तर्गत भी कर्नाटक राज्य को 1990-91 के दौरान धारवाड़, हसन ओर गिलेसूगढ़ में विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए 150 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है और दे दी गई है।

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3779. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय कर्नाटक में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चल रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सीधे स्थापित नहीं करता है। परन्तु, इस मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए, राज्य सरकारों, राज्य सरकार के निगमों, सहकारी समितियों, संयुक्त सैक्टर की परियोजनाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें तैयार की हैं। वर्ष 1990-91 में कर्नाटक सरकार को विपणन सहायता स्कीम के लिए 2.20 लाख रु० की राशि की स्वीकृति दी गई।

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों ही सेक्टरों में हैं। इसलिए यह सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। फिर भी, सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संलग्न भारतीय और विदेशी कम्पनियां

3980. **श्रीमती बासव राजेश्वरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उन भारतीय और विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में संलग्न हैं;

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इन विदेशी कम्पनियों की तुलना में भारतीय कम्पनियों ने कितना अच्छा कार्य किया है;

(ग) क्या सरकार केवल भारतीय कम्पनियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों ही सैक्टरों में हैं और, इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती। यद्यपि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर से संबंधित सभी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के रूप में भारत में पंजीकृत हैं, मैं० हिन्दुस्तान लीवर को छोड़कर, जिसकी विदेशी इक्विटी होल्डिंग 51% है, कुछ कम्पनियों की 40% की स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत विदेशी इक्विटी होल्डिंग हैं। भारतीय और विदेशी कम्पनियों के नामों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस मंत्रालय ने इस संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कम्पनियों को नई औद्योगिक नीति के अनुसार अनुमति देगी।

सामाजिक वानिकी के लिए धनराशि का आबंटन

3781. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में लगभग कितने वृक्ष लगाए गए और कितने क्षेत्र को सामाजिक वानिकी के अंतर्गत लाया गया;

(ग) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में किन-किन एजेंसियों का सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे और अधिक प्रभावी तथा उत्पादन योग्य बनाने के लिए इसकी समीक्षा करने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के तहत राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र को आयोजित कुल संसाधनों में से 20% संसाधन दस लाख कुओं की योजना, 6% इन्दिरा आवास योजना तथा 2% प्रशासनिक खर्च के लिए निर्धारित किए जाते हैं। शेष संसाधनों में से 80% संसाधन ग्राम पंचायतों में वितरित किए जाते हैं तथा 20% जिला स्तर पर रखे जाते हैं। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान जिला-स्तर पर जवाहर रोजगार योजना

की निधियों में से सर्वप्रथम उपलब्ध कराई गईं। जिला स्तर पर शेष निधियों का 25% सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित किया गया था।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के लिए इस तरह का कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि ये दोनों कार्यक्रम क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम होने के नाते वन-रोपण तथा चारागाह विकास इन दोनों कार्यक्रमों के तीन मुख्य क्षेत्रों में से एक हैं तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आबंटन का 25% तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आबंटन का 40% वन-रोपण तथा चारागाह विकास पर खर्च किया जाना आपेक्षित है।

1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत इस्तेमाल की गई निधियां, कवर किया गया क्षेत्र तथा लगाग गए वृक्ष और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन-रोपण एवं चारागाह विकास के लिए निर्धारित निधियों तथा कवर किए गए क्षेत्र को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है।

(ग) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन-रोपण तथा चारागाह विकास के कार्यक्रम को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, उनमें सुधार किया जाता है।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी			1990-91 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वनरोपण तथा चारागाह विकास		
		इस्तेमाल की गई धनराशि (लाख रु० में)	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	लगाए गए वृक्ष (संख्या लाख में)	वनरोपण तथा चारागाह विकास के लिए निर्धारित निधियां (लाख रु० में)	इस्तेमाल की, गई धनराशि (लाख रु० में)	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	259.95*	5562.88*	516.37*	301.00	299.39	9454
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.93*	134.54*	0.09*	—	—	—
3.	असम	55.64	178.23	0.84	—	—	—
4.	बिहार	असूचित*	14154.23*	249.74*	248.00	139.97	3180
5.	गोआ	41.42	175.00	असूचित	—	—	—
6.	गुजराज	492.02	6248.22	90.38	313.00	386.73	5135
7.	हरियाणा	53.12	78.11	9.05	204.00	220.85	2628

1 2	3	4	5	6	7	8
8. हिमाचल प्रदेश	9.42	70.00	2.05	103.00	76.77	716
9. जम्मू व कश्मीर	227.48	1732.00	49.50	103.00	159.27	647
10. कर्नाटक	422.48	4889.90	126.94	325.00	300.31	5995
11. केरल	44.31	13.02	21.50	—	—	—
12. मध्य प्रदेश	37.45**	10425.96**	20.55**	257.00	201.61	4539
13. महाराष्ट्र	307.65*	51245.00*	111.88*	336.00	406.28	23929
14. मणिपुर	20.88	582.83	11.11	—	—	—
15. मेघालय	3.80	65.91	असूचित	—	—	—
16. मिजोरम	129.99	899.00	6.60	—	—	—
17. नागालैंड	65.34	1306.88	13.06	—	—	—
18. उड़ीसा	527.15	15926.77	60.04	155.00	58.64	5505
19. पंजाब	10.02*	129.00*	असूचित	—	—	—
20. राजस्थान	39.69*	1479.38*	237.00*	2047.00	2362.75	10979
21. सिक्किम	1.52**	118.00**	0.96**	—	—	—
22. तमिलनाडु	677.57	10711.39	3.62	164.00	192.41	5657
23. त्रिपुरा	120.55	3252.45	2.81	—	—	—
24. उत्तर प्रदेश	427.67	4922.20	5.82	349.00	313.19	9602

1 2	3	4	5	6	7	8
25. पश्चिम बंगाल	2347.72*	23761.00*	481.84*	135.00	131.12	5854
26. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
27. चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	—	—	—
28. दादर व नगर हवेली	8.82	53.50	असूचित	—	—	—
29. दमन व द्वीप	1.78	असूचित	0.15	—	—	—
30. दिल्ली	0.01*	असूचित	0.15*	—	—	—
31. लक्षद्वीप	15.54	60.86	असूचित	—	—	—
32. पांडिचेरी	37.22	49.60	1.82	—	—	—
अखिल भारत	6393.14	158224.96	2023.87	5110.00	5249.29	93820

* आंकड़े केवल दिसम्बर, 1990 तक के हैं।

** आंकड़े केवल सितम्बर, 1990 तक के हैं।

[हिन्दी]

उड़ीसा को औद्योगिक विकास के लिए सहायता

3782. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू योजना में उड़ीसा में औद्योगिक विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) राज्यों के साथ जांच तथा परामर्श के बाद उनसे प्राप्त हुई परियोजनाओं के आधार पर राज्य योजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया जाता है।

दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के पारिवारिक सदस्यों को रोजगार

3783. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जबकि मृत व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य बेरोजगार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार मारे गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार देने की कोई योजना नहीं है। ऐसी योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किन्तु उपयुक्त मामलों में ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/नजदीकी रिश्तेदार को अनुकम्पा आधार पर नियुक्त करने की एक योजना है, जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है तथा उसके परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है।

रत्नागिरि आकाशवाणी केन्द्र

3784. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रत्नागिरि स्थित आकाशवाणी केन्द्र कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) आकाशवाणी, रत्नागिरि के केन्द्र निदेशक की कार्य प्रणाली के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में लघु उद्योगों के लिए उपकरण यूनिटों की स्थापना

3785. **श्री राजा रवि वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु में लघु उद्योगों के लिए 'कम्प्यूटर एडेड डिजाइन' और 'कम्प्यूटर एडेड मशीन सेंटर (सी० ए० डी०/सी० ए० एम०) व्यासन टूल रूम्ज' और प्रोटोटाइप डिजाइन सेंटरों की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) इटली सरकार की सहायता से लघु उद्योग क्षेत्र में धातु निर्माण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मद्रास में एक सी० ए० डी० सी० ए० एम० केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहार की प्रति व्यक्ति आय

3786. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-91 तथा 1990-91 के दौरान बिहार की अनुमानत: प्रति व्यक्ति आय क्या थी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मूल्य स्थिर रहने की हालत में प्रति व्यक्ति आय घटी या बढ़ी है;

(ग) इसी अवधि के दौरान सम्पूर्ण देश में मूल्य स्थिर रहने की हालत में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) इसी अवधि के दौरान राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि अंकित करने वाले राज्यों मे मूल्य स्थिर रहने की हालत में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) बिहार सरकार द्वारा किए गए संकलन के अनुसार बिहार की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1989-90 के लिए प्रचलित मूल्यों पर 2122 रु० तथा स्थिर (1980-81) मूल्यों पर 981 रु० है। वर्ष 1990-91 के लिए इसके अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) पूर्व वर्ष की तुलना में, बिहार की प्रति व्यक्ति आय के स्थिर (1980-81) मूल्यों पर 1987-88 में गिरावट (8.1%), फिर 1988-89 में वृद्धि (6.4%) और 1989-90 में दुबारा गिरावट (5.9%) पंजीकृत की।

(ग) सम्पूर्ण देश के लिए स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि (कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान क्रमश: 2.0, 9.2 तथा 3.1 है।

(घ) उन राज्यों की, जिन्होंने राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की है, प्रति व्यक्ति आय में स्थिर मूल्यों पर पूर्व वर्ष की तुलना में राज्यवार प्रतिशत वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	1987-88	क्र० सं०	राज्य	1988-89	क्र० सं०	राज्य	1989-90
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	समस्त भारत	2.0			9.2			3.1
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.1	1	उड़ीसा	13.1	1	केरल	3.9
2.	पंजाब	2.7	2	हरियाणा	21.6	2	उड़ीसा	4.3
3.	कर्नाटक	3.1	3	गुजरात	35.5	3	पंजाब	6.9
4.	असम	3.2	4	राजस्थान	42.1	4	महाराष्ट्र	8.4
5.	तमिलनाडु	3.8				5	असम	8.8
6.	मणिपुर	3.9				6	हिमाचल	9.2
7.	गोआ	4.2					प्रदेश	
8.	मेघालय	6.3						
9.	महाराष्ट्र	6.4						
10.	नागालैंड	6.7						
11.	आन्ध्र प्रदेश	7.3						
12.	मध्य प्रदेश	12.7						
13.	सिक्किम	16.6						

टिप्पणी : जम्मू तथा कश्मीर और मध्य प्रदेश को छोड़कर जो स्थिर (1970-71) मूल्यों पर हैं, सभी राज्यों के लिए स्थिर (1980-81) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों में से वृद्धि दरें निकाली जाती हैं। जम्मू तथा कश्मीर और मध्य प्रदेश के अनुमान अन्य राज्यों के साथ तुलनीय नहीं है। मिजोरम स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार नहीं करता है, अतः इसे उपरोक्त तुलना में शामिल नहीं किया गया है।

स्रोत : राज्य अनुमानों के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय तथा समस्त भारत प्रति व्यक्ति आय (कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

शीतल पेयों के उत्पादन और विवरण में कार्यरत गैर-"फेरा" कम्पनियां

3787. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्री 24 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग वाली उन गैर- "फेरा" कम्पनियों के नाम क्या हैं जो भारत में शीतल पेयों के उत्पादन और वितरण में कार्यरत हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी की लाइसेन्स शुदा क्षमता कितनी है:

(ग) प्रत्येक कम्पनी में विदेशी इक्विटी कितनी है; और

(घ) विदेशी इक्विटी के कारण गत तीन वर्षों में, कम्पनी-वार, प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि विदेशों में जमा की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इलैक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात्

3788. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक उद्योग को रुपये के अवमूल्यन के कारण निर्यात में फायदा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक समान के निर्यात् में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक सामान का अनुमानत: कुल कितना निर्यात् किया जाएगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) रुपये की विनिमय दरों में अवमूल्यन से सामान्य मुद्रा क्षेत्र (जी० सी० ए०) को निर्यात् की दृष्टि से इलैक्ट्रॉनिक उद्योग को लाभ होने की संभावना है लेकिन रुपया भुगतान क्षेत्र (आर० पी० ए०) को निर्यात की संभावनाओं पर इसका प्रतिकूत प्रभाव पड़ा है ।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि और इसके फलस्वरूप कुल निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाना इस समय कठिन है ।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्त कलाकारों की पेंशन

3789. **श्री साइमन मरांडी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई, 1991 को जनसत्ता में "पेंशन की दोहरी नीति के शिकार कलाकार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का सेवानिवृत्त कलाकारों की पेंशन रोकने के अपने निर्णय की समीक्षा करने का विचार है;

(ग) क्या निकट भविष्य में उनकी पेंशन जारी की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो जिन कलाकारों की पेंशन रोक दी गई है उनकी वर्षवार तथा राज्यवार संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार द्वारा 1982 में लागू की गयी स्कीम के अनुसार विभागीय कलाकारों की कुछ श्रेणियों को जिन्हें "कलाकार" की पदसंज्ञा दी गई थी, 6 मार्च, 1982 से इस स्कीम के अन्तर्गत पेंशन सम्बन्धी लाभों का पात्र बना दिया गया था। सरकार ने ऐसे किसी "कलाकार" की पेंशन नहीं रोकी है। तथापि, उपर्युक्त स्कीम को चुनौची देने वाले एक मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर सरकार ने उक्त स्कीम की पुनरीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गयी है और सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है।

[अनुवाद]

पं० गोविन्द बल्लभ पंत और सरदार पटेल पर कार्यक्रमों का दूरदर्शन से प्रसारण

3791. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पं० गोबिन्द बल्लभ पंत और सरदार पटेल पर उनके जन्मशती वर्ष के दौरान दूरदर्शन से कितनी बार कार्यक्रम प्रसारित किये गये;

(ख) पं० गोविन्द बल्लभ पंत और सरदार पटेल पर दूरदर्शन से कार्यक्रमों के प्रसारण में अलग-अलग कुल कितना समय लगा;

(ग) क्या सरकार का सरदार पटेल और पं० पंत पर दूरदर्शन से और अधिक कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) पं० गोबिन्द बल्लभ पंत शताब्दी समारोह के दौरान दूरदर्शन ने 10-9-87 से 15-12-88 के बीच अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर 15 कार्यक्रम प्रसारित किए। इन कार्यक्रमों की अवधि 6 घंटे 18 मिनट थी। सरदार बल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी 1974-75 के दौरान मनायी गयी थी। इस अवधि के दौरान प्रसारित किए गये कार्यक्रमों का ब्यौरा आसानी से उपलब्ध नहीं है। तथापि सरदार पटेल के जीवन और नामों पर एक विशेष कार्यक्रम दिनांक 12-7-91 को उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के अवसर पर प्रसारित किया गया था। दिनांक 31 अक्तूबर, 1991 को सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में नेटवर्क से एक कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना है।

(ग) और (घ) पं० गोबिन्द बल्लभ पंत और सरदार पटेल पर भविष्य में कार्यक्रम प्रसारित करना कार्यक्रम की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को हल्दिया डी० ए० पी० इकाई

3792. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1991 की इकानामिक टाइम्स में छपी हजीरा डी० ए० पी० यूनिट की हिन्दुस्तान उर्वरक निगम योजना के "पी० आई० बी० रिजेक्टस हल्दिया डी० ए० पी० यूनिट" एच० एफ० सी० फार प्लान, हल्दिया नामक शीर्षक की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर संघ सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या हिन्दस्तान उर्वरक निगम, हल्दिया की डी० ए० पी० यूनिट में पांच वर्ष से अधिक से 1700 श्रमिक बेकार हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इसमें अनुमानत: कितनी हानि हुई है; और

(च) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने हल्दिया में डी० ए० पी० संयंत्र को स्थापित करने के प्रस्ताव को रद्द नहीं किया है ।

(ग) और (घ) एच० एफ० सी० की हल्दिया परियोजना (हल्दिया में एच० एफ० सी० का कोई डी० ए० पी० एकक नहीं है) के प्रारम्भ कार्य-कलाप बारम्बार उपस्कर खराबियों के कारण अक्तूबर, 1986 से बन्द करने पड़े । सामान्य परीक्षण और रख-रखाव के अलावा अमोनिया भण्डारण जैसी कुछ सुविधाएं, जल सेवाएं आदि चालू हैं । इस प्रकार श्रमिकों के एक भाग का उपयोग किया जा रहा है ।

(ङ) संयंत्र के रखरखाव और परिरक्षण और कर्मचारियों के वेतन के लिए स्थायी प्रभारों के रूप में लगभग 18.25 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जा रहा है ।

(च) चूंकि हल्दिया संयंत्र की समस्याएं किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के नियंत्रण से बाहर हैं इसलिए किसी भी अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

राजस्थान की पेयजल सप्लाई योजनाएं

3793. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई पेयजल सप्लाई की कुछ योजनाएं लम्बे समय से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) राजस्थान की राज्य सरकार से प्राप्त पेयजल सप्लाई की विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

क्रम सं०	परियोजना प्रस्ताव	दिनांक	मौजूदा स्थिति
1.	नागपुर जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल की सप्लाई	25-3-91	परियोजना के ग्रामीण घटक की तकनीकी जांच की जा रही है ।

क्रम सं०	परियोजना प्रस्ताव	दिनांक	मौजूदा स्थिति
	हेतु 107.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना ।		
2.	धौलपुर जिले के 56 गांवों को कवर करने हेतु 331.82 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली 12 क्षेत्रीय जल सप्लाई योजनाओं के माध्यम से पेयजल सप्लाई परियोजना ।	30-6-91	द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने के लिए परियोजना को स्वीडिश दूतावास के समक्ष पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) को अग्रेषित कर दिया गया है ।
3.	कोटा जिले के रामगंज मंडी तथा सुकेत क्षेत्र के दो कस्बों तथा 18 गांवों के लिए 11.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पेयजल सप्लाई परियोजना ।	30-6-91	वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने द्विपक्षीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना को 31 जुलाई, 1991 को स्वीडिश दूतावास को भेज दिया है ।
4.	पशुओं के लिए पेयजल की सप्लाई का प्रबन्ध करने हेतु 13.63 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली परियोजना ।	5-7-91	परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।
5.	फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में ग्रामीण पेयजल सप्लाई हेतु 688.20 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाला परियोजना प्रस्ताव ।	16-7-91	परियोजना की तकनीकी जांच की जा रही है ।
6.	बीकानेर जिले में रामभीसर सुरजदा तहसील कलायेत में 23.56 लाख रुपए की अनुमानित लागत से पेयजल सप्लाई बढ़ाने की योजनाएं ।	24-7-91	योजना की तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है ।
7.	बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर के 4 सीमावर्ती जिलों में 93.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पेय जल सप्लाई बढ़ाने की योजनाएं ।	3-8-91	परियोजना की तकनीनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है ।

बासमती चावल के मूल्य में वृद्धि

3794. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसके मूल्य में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अगस्त, 90 से जुलाई, 91 तक चुने हुए केन्द्रों पर बासमती चावल के मासान्त थोक तथा खुदरा मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) बासमती चावल का उपभोग सामान्यतया समृद्ध वर्गों द्वारा किया जाता है और यह निर्यात की जाने वस्तु भी है । बासमती चावल केन्द्रीय पूल के लिए एकत्र नहीं किया जाता । अत: बासमती चावल के मूल्यों की खाद्य मंत्रालय द्वारा न तो परिवीक्षा की जाती है और न ही इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

1. **चुने केन्द्रों पर बासमती चावल के मासान्त थोक मूल्य**

(रुपये प्रति क्विंटल)

माह	रोहतक	सोनीपत	बम्बई	अमृतसर	बटाला	सहारपुर	हापुड़	दिल्ली
अगस्त, 90	1200	1275	1500	1425	1340	1000	900	1050
सितम्बर, 90	1210	1285	1525	1420	1300	1000	925	1070
अक्तूबर, 90	1225	1275	1500	1420	1400	950	990	1080
नवम्बर, 90	1225	1225	1500	1420	1400	950	915	1150
दिसम्बर, 90	1225	1300	1550	1385	1450	900	1000	1220
जनवरी, 91	1225	1350	1550	1400	1450	1100	1170	1140
फरवरी, 91	1250	1450	1575	1400	1500	1150	1200	1125
मार्च, 91	1275	1500	1600	1400	1530	1150	1100	1200
अप्रैल, 91	1275	1600	1600	1460	1730	1225	1400	1270
मई, 91	1275	1600	1600	1450	1820	1300	1200	1250
जून, 91	1275	1550	1600	1465	1800	1300	1200	1280
जुलाई, 91	1275	1530	1600	1490	1800	1365	1220	1420

2. चुने केन्द्रों पर बासमती के मासान्त खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति किलोग्राम)

	बम्बई	कानपुर	दिल्ली
अगस्त, 90	17.00	12.50	14.00
सिमम्बर, 90	17.00	13.00	14.00
अक्तूबर, 90	17.00	13.00	15.00
नवम्बर, 90	18.00	13.00	15.00
दिसम्बर, 90	18.00	13.00	15.00
जनवरी, 91	18.00	13.00	15.00
फरवरी, 91	18.00	13.00	15.00
मार्च, 91	20.00	13.00	15.00
अप्रैल, 91	20.00	13.00	17.00
मई, 91	सू०न०	13.00	17.00
जून, 91	सू०न०	13.00	17.00
जुलाई, 91	सू०न०	14.00	17.00

सू०न० = सूचना नहीं दी गई।

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय।

कम्प्यूटर हार्डवेअर का निर्यात

3795. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर के निर्यात में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कम्प्यूटर हार्डवेअर के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात मूल्य की दृष्टि से वर्ष 1989 में 243 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1990 में 297.5 करोड़ रुपये हो गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 13 अगस्त, 1991 को लोक सभा में सरकार द्वारा घोषित व्यापार नीति से कम्प्यूटर हार्डवेयर को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। इस दिशा में जो विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं उनमें से कुछ नीचे दिये अनुसार हैं :—

(I) कम्प्यूटर "इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग, जिसमें कम्प्यूटर भी शामिल हैं, 10% बिन्दुओं के अतिरिक्त" एक्जिम स्क्रिप प्राप्त करने का पात्र होगा, और इस प्रकार कुल एक्जिम स्क्रिप की दर जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 40% हो जाएगा ।

(II) निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ई० ओ० यू०) तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों (ई० पी० जेड०) के साथ-साथ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के मामले में एक्जिम स्क्रिप की पात्रता को शुद्ध विदेशी मुद्रा का 30% कर दिया गया है ।

(III) लाइसेंस के लिए अग्रिम आवेदन-पत्रों पर विचार करने की पद्धति को सरल बनाया गया है ताकि अग्रिम लाइसेंस 15 दिनों के भीतर जारी करने का सुनिश्चय किया जा सके ।

(IV) अग्रिम लाइसेंस बिना किसी वित्तीय सीमा के लेकिन वैध शपथ-पत्र के बदले में निर्यात/व्यापारिक/बड़े व्यापारिक घरानों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए जाएंगे । जिन निर्माणकारी इकाइयों का पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार कम-से-कम 5 करोड़ रुपये है, वे सभी इकाइयां भी अपने वार्षिक उत्पादन के 50% तक के मूल्य की सीमा के वैध शपथ-पत्र के बदले ऐसी अग्रिम लाइसेंस की सुविधा प्राप्त कर सकेंगी ।

(V) निर्यातोन्मुखी इकाई (ई० ओ० यू०) तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई० पी० जेड०) द्वारा अर्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा को मूल अथवा संबद्ध कंपनियों को निर्यात घराने/व्यापारिक घराने/बड़े व्यापारिक घराने का दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी आय के साथ मिलाया जा सकता है ।

(VI) प्रतिष्ठित निर्यातकर्त्ताओं को अनुमोदित बैंकों में विदेशी मुद्रा के खाते खोलने की अनुमति दी जायेगी तथा निर्यात से संबंधित वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए निर्यातकर्त्ताओं को बाह्य ऋण जुटाने की अनुमति दी जाएगी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय भी किए गये हैं :—

(I) कम्प्यूटर हार्डवेयर के निर्यात के लिए मूल्य वृद्धि के न्यूनतम प्रतिशत को कम करके 15% कर दिया गया है । यह उपाय दुर्लभ मुद्रा के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।

(II) इकाइयों को अपनी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार करने तथा अपने उत्पादों की शृंखला में और अधिक वस्तुओं को शामिल करने की अनुमति दी जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन हासिल हो सके और प्रतिष्ठापित पूंजीगत उपस्करों का अधिक-से-अधिक इस्तेमाल किया जा सके ।

शुद्ध घी का मूल्य

3796. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुद्ध घी की कीमतें आकाश को छू रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का घी का मूल्य कम करने के लिए अमेरिका से "बटर ऑयल" का आयात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो बाजार में कम कीमत में घी उपलब्ध कराने के लिए अन्य कौन से प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) अगस्त, 90 और जुलाई, 91 में चुने केन्द्रों पर घी का मासान्त खुदरा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) घी का मूल्य इसकी मांग व आपूर्ति की स्थिति तथा साथ ही तरल दूध की उपलब्धता पर निर्भर करता है । तथापि, घी की उपलब्धता की स्थिति को आंकने के वास्ते कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । यह संभावना है कि प्रचुरता का मौसम शुरू होने पर घी की उपलब्धता की स्थिति में सुधार आएगा ।

विवरण

(रुपये प्रति किलोगाम)

निम्नांकित तारीखों को घी का मासान्त खुदरा मूल्य

केन्द्र	अगस्त, 90 (31-8-90)	जुलाई, 91 (26-7-91)
हैदरावाद	68.00	80.00
बंगलौर	75.00	76.00
नागपुर	80.00	84.00
मद्रास	80.00	93.00
कानपुर	67.00	84.00
दिल्ली	52.00	85.00

स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय ।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों को धनराशि

3797. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि दी गई है और इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में दी गई धनराशि से कितने लोग किस रूप में लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) स्थायी नौकरियों को उपलब्ध कराने में व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित/रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में उक्त राज्य/संघ शासित क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) जवाहर रोजगार योजना के संसाधनों का उपयोग केवल टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की निगरानी रोजगार के सृजित श्रम दिनों के रूप में की जाती है न कि लाभान्वित लोगों की शिक्षा के रूप में। जवाहर रोजगार योजना के आरम्भ होने से लेकर राजस्थान में टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए उपयोग किए गए संसाधनों तथा सृजित रोजगार का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिन)	उपयोग किए गए संसाधन (लाख रुपये में)
1989-90	443.71	10648.94
1990-91	506.01	17029.54
1991-92 (जुलाई, 91 तक)	139.09	5233.81

विवरण

1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज/आवंटित की गई केन्द्रीय निधियों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1989-90 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	1990-91 के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	1991-92 के दौरान आवंटित की गई केन्द्रीय निधियां
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	15455.61	15637.71	15332.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	245.72	251.31	264.54

1 2	3	4	5
3. असम	4223.12	3887.08	4091.67
4. बिहार	30969.53	29234.83	30773.42
5. गोवा	303.00	142.91	285.82
6. गुजरात	6363.83	5712.05	6472.57
7. हरियाणा	1654.55	1496.76	1541.46
8. हिमाचल प्रदेश	922.80	862.81	908.22
9. जम्मू व कश्मीर	1421.94	1600.00	1289.21
10. कर्नाटक	10086.29	8550.77	9647.76
11. केरल	5892.81	4332.78	5116.95
12. मध्य प्रदेश	20495.03	19927.61	21122.00
13. महाराष्ट्र	16795.12	15522.87	16339.88
14. मणिपुर	353.38	296.60	339.06
15. मेघालय	366.50	99.18	396.73
16. मिजोरम	149.93	666.92	167.12
17. नागालैण्ड	403.99	483.80	425.26
18. उड़ीसा	10144.33	10048.47	10475.94
19. पंजाब	1286.93	1273.49	1340.52
20. राजस्थान	10269.70	10481.46	10244.22
21. सिक्किम	158.26	112.36	154.83
22. तमिलनाडु	14632.81	13778.93	13778.93
23. त्रिपुरा	477.96	391.42	440.39
24. उत्तर प्रदेश	41364.90	38830.87	40874.62
25. पश्चिम बंगाल	18692.28	15856.92	17429.55
26. अंडमान व निकोबार	163.14	78.29	156.57
27. चंडीगढ़	40.77	28.14	38.81

1 2	3	4	5
28. दादर व नगर हवेली	83.80	80.74	84.99
29. दमन व द्वीप	52.18	25.04	50.08
30. दिल्ली	187.42	92.09	184.18
31. लक्षद्वीप	81.95	87.01	78.49
32. पांडिचेरी	172.36	223.79	153 25
अखिल भारत :	213911.94	200095.01	210000.00

[अनुवाद]

जाली उर्वरक निर्माताओं पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के छापे

3798. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल में कुछ जाली उर्वरक निर्माताओं का पता लगाया है जिसमें राज सहायता के रूप में करोड़ों रुपयों का भुगतान शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ होने का भी पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि भविष्य में इस प्रकार के घोटाले फिर न हों ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि सी० बी० आई० ने नवम्बर, 1988 में मैसर्स पंजाब फास्फेट्स प्रा० लि०, छेराहता, अमृतसर तथा 33 अन्यों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। यह आरोप लगाया गया था कि दिसम्बर, 1980 से अप्रैल, 1987 तक की अवधि के लिए लगभग 338 करोड़ रु० की केन्द्रीय सरकार की राजसहायता की राशि का बिना किसी सिंगल पुपर फास्फेट (एस० एस० पी०) उर्वरक का उत्पादन किए जाली दस्तावेजों के आधार पर दावा किया गया।

दर्ज किए गए मामले में अनेक सरकारी अधिकारियों पर भी आरोप लगाया गया है। मामला, जांच के अन्तिम चरण में है।' एककों को राजसहायता का भुगतान निर्धारित प्रपत्र में दिए गए उनके दावों, जो चारटर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणित होते हैं, की जांच के पश्चात् की जाती है। प्रतिधारण मूल्य तथा राजसहायता की योजना में शामिल करने से पूर्व एस० एस० पी० के नए एककों को उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ० आई० सी० सी०) के अधिकारियों तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के कृषि और उद्योग निदेशालय के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।

(घ) एस० एस० पी० एककों के अनियमित कार्यकरण के मामले सम्बन्धित राज्य सरकार को कृषि और उद्योग निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण के लिए भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, एस० एस० पी० तथा अन्य एककों को निरीक्षण एफ० आई० सी० सी० के अधिकारियों द्वारा भी किए जाते हैं। 1987 से आज की तारीख तक 146 ऐसे निरीक्षण किए गए हैं।

[हिन्दी]

अहमदनगर किले पर वृत्त चित्र

3799. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदनगर किले के ऐतिहासिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए इस किले की पांचवीं शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष एक वृत्तचित्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं। इस अवसर पर अहमदनगर किले पर वृत्तचित्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, फिल्म प्रभाग के माध्यम से बजट में निर्धारित धनराशि के भीतर राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र बनाता है। फिल्म प्रभाग को जब धनराशियां दी जाती हैं, तो वह केन्द्रीय सरकार के कई विभागों, राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रायोजित विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्रों/लघु फिल्मों का भी निर्माण करता है। अहमदनगर किले पर एक फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

तटीय और तट-दूर गतिविधियां

3800. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के आस-पास फैले उन विस्तृत समुद्री क्षेत्रों में, जहां कुछ स्रोतों का उपयोग नहीं किया जा रहा, तटीय और तट-दूर गतिविधियों में वृद्धि करने की बड़ी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजना बनाई गई है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन गतिविधियों को शुरू करने हेतु कितनी धनराशि निश्चित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) चूंकि इस कार्य को करने में विभिन्न मन्त्रालय शामिल हैं, सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यूरोपियन स्पेस एजेन्सी सैटेलाइट को प्रयोग में लाना

3801. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महासागर और तटीय मापदण्डों/मानकों सम्बन्धी आंकड़ों के एकत्रित करने हेतु यूरोपियन स्पेस एजेन्सी सैटेलाइट को प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम सम्बन्धी नीतियां तैयार कर ली गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह ई० आर० एस० सैटेलाइट कब प्रयोग में लाया जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष विभाग की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी (एन० आर० एस० ए०), हैदराबाद और यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेन्सी के बीच महासागर, तटीय और भूमि सम्बन्धी उपयोगों के लिए भी, प्रायोगिक आधार पर यूरोपियन सुदूर संवेदन उपग्रह (ई० आर० एस०-1) में रखे संश्लेषित द्वारक राडार (एस० ए० आर०) से आंकड़ों के अभिग्रहण, संसाधन और वितरण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी ने इस बाबत अपनी सुविधाओं को पहले ही तैयार कर लिया है। अन्तरिक्ष विभाग ने महासागर विकास विभाग के साथ संयुक्त रूप में भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के साथ-साथ ई० आर० एस०-1 से प्राप्त आंकड़ों के उपयोगों के लिए महासागर सम्बन्धी उपयोगों पर एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है।

(ग) 1991 की अन्तिम तिमाही तक, जैसे ही ई० आर० एस०-1 से आंकड़े उपलब्ध होते हैं, के उपयोग की तथा भूमि, जल और महासागर सम्बन्धी संसाधनों के विकास में इनके उपयोग की संभावनाओं की स्थापना की योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

बिहार की माही सिंचाई परियोजना को मंजूरी

3802. **श्री राम शरण यादव** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बिहार की माही सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान को सस्ती दरों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आवंटन

3804. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को सस्ती दरों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की वर्षवार कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) इसमें से राज्य सरकार ने वर्षवार कितना कोटा उठाया; और

(ग) क्या इन वस्तुओं का आवंटन समय पर किया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्न (गेहूं और चावल) सप्लाई करने में राज-सहायता के रूप में भारी राशि खर्च करती है। समेकित आदिवासी विकास परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए बनाई गई एक योजना के तहत उक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न और अधिक राज-सहायतायुक्त दरों पर वितरित किए जाते हैं।

राजस्थान सरकार को 1989, 1990 तथा 1991 में आवंटित की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की मात्रा तथा उक्त राज्य द्वारा उनकी उठाई गई उनकी मात्रा निम्नवत है :

(हजार मी० टनों में)

	1989		1990		1991	
	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन	उठाई गई मात्रा	आवंटन (जन०-अगस्त)	उठाई गई मात्रा (जन०-जून)
चावल	39.20	7.40	38.40	13.30	26.60	8.00
गेहूं	790.00	619.40	840.10	571.10	665.00	447.4
लेवी चीनी	208.06	*	208.06	*	135.31	*
आयातित खाद्य तेल	2.70	0.42	10.00	3.92	1.74	1.22
मिट्टी का तेल	251.16	253.37	263.70	266.48	173.41	112.76**

** मई, 1991 तक

* लेवी चीनी की लगभग शत-प्रतिशत मात्रा उठा ली जाती है।

(ग) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के आवंटन सामान्यतः ठीक समय पर कर दिए जाते हैं।

सीमेंट का मूल्य

3805. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किन-किन तारीखों को सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की गई थी तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उद्योगपतियों द्वारा सीमेंट के मूल्यों में बार-बार तथा कभी-कभी तो एक महीने में दो बार भी वृद्धि की गई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक बोरे की उत्पादन लागत तथा उस पर लगाए गए विभिन्न करों और उद्योगपतियों द्वारा अर्जित लाभ का समय-समय पर विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) निविष्ट लागत में वृद्धि की उद्योग को क्षतिपूर्ति करने के लिए 1988-89 के दौरान लेवी वर्ग की खुले सीमेंट के एफ० ओ० आर० मूल्य में 47 रु० प्रति मी० टन की वृद्धि की गयी थी। सीमेंट से मूल्य व वितरण नियन्त्रण 1-3-1989 से हटा लिया गया था और अब सीमेंट के बाजार मूल्य अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन की लागत, परिवहन लागत और स्थानीय मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सीमेंट के उत्पादन की लागत हर क्षेत्र में और हर सीमेंट एकक में अलग-अलग होती है, इस समय सीमेंट के मूल्य और वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। सीमेंट उद्योग को लाभ की दरों आदि के बारे में सरकार ने हाल में कोई अध्ययन नहीं किया है।

[अनुवाद]

योजना आयोग का पुनर्गठन

3806. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग का पुनर्गठन कब तक किये जाने का विचार है; और

(ख) इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) योजना आयोग का अब पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चावल की खरीद

3807. **डॉ० सी० सिलवेरा** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान चावल की खरीद में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 की स्थिति की तुलना में उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1990-91 में 16 अगस्त, 1991 तक 126.06 लाख मी० टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली कर ली गई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 117.44 लाख मी० टन चावल की वसूली की गई थी।

पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति दर्शाने वाली फिल्म का प्रसारण

3808. **डॉ० सी० सिलवेरा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति दर्शाने वाली फीचर फिल्म प्रसारित करने के लिये कुछ मानक विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वीय राज्यों के प्रत्येक अलग-अलग राज्य की संस्कृति पर आधारित जो फीचर फिल्म प्रसारित की गई उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी नहीं । पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृत्ति दर्शाने वाली फीचर फिल्मों के प्रसारण हेतु अलग से कोई मापदण्ड नहीं है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर दस असमिया, चार मणिपुरी, दो बोडो तथा एक कारबी फीचर फिल्म प्रसारित की गई । इसी अवधि के दौरान, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी से पुनः प्रसारित फिल्मों सहित पचास असमिया फीचर फिल्में दिखाई गईं ।

टायरों के मूल्य

3809. **डॉ० सी० सिलवेरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सभी प्रकार के टायरों के मूल्यों में 6 से 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने टायरों के मूल्य कम करने का वायदा किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) आटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा भेजी गयी जानकारी के अनुसार कुछ टायर कंपनियों ने मूल उत्पादन शुल्क पर अतिरिक्त सरचार्ज लग जाने के कारण टायरों की कीमतें 5% तक बढ़ा दी हैं । इसके अलावा, अभी हाल ही में टायर की कीमतें नहीं बढ़ी हैं ।

(ग) और (घ) आटोमोटिव टायरों की कीमतों पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं है । अतः कीमतें बढ़ाने के लिए टायर कंपनियों को सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ती । फिर भी बसों और ट्रकों के टायरों की कीमतों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से, सरकार ने इनकी विशिष्ट श्रेणियों पर आयात शुल्क कम करके उन्हें ओ० जी० एल० के अधीन रखा है यदि उनका आयात बल्क उपभोक्ताओं द्वारा किया जाए । आटोमोटिव टायरों और ट्यूबों के उत्पादनार्थ नयी क्षमताओं के सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन)अधिनियम के अधीन इस उद्योग को लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है । निरंतर मानिटरिंग तथा नियमित संपर्क के द्वारा सरकार ने टायर उत्पादन को अधिकतम करने का भी निश्चय किया है ।

प्लास्टिक उद्योगों के लिए कच्चा माल

3810. **श्री श्याम लाल कमल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिस्टर, प्लास्टिक आसजक और पालिस्टर स्याही जैसे कच्चे माल के मूल्य में असामान्य वृद्धि होने के कारण गैर सरकारी क्षेत्र के प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल के मूल्य में कमी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) खाड़ी संकट के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और हाल ही में विनियम दर में समायोजन तथा केन्द्रीय बजट के बाद अन्य राज्यकोषीय उपायों के परिणामस्वरूप प्लास्टिक सहित सभी पेट्रो-रसायन सामग्री की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है ।

(ख) प्लास्टिक सहित पेट्रो-रसायन मदों पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है ।

दोषी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर दायित्व डालना

3811. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करना ही स्वास्थ्य और सुरक्षा स्तर को बढ़ाने का उत्तम तरीका है;

(ख) यदि हां, तो भोपाल गैस रिसाव कांड का अनुभव होने के बाद सरकार का कंपनियों पर किस प्रकार का दायित्व डालने का विचार है; और

(ग) सरकार यह कैसे सुनिश्चित करना चाहती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना दायित्व अनिवार्य रूप से पूरा करें ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) कारखाना (संशोधन) अधिनियम के अंतर्गत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करना दखलकार की जिम्मेदारी है। अत: मुख्य बल निर्दिष्ट दृष्टिकोण से स्वत: विनिमयकारी दृष्टिकोण में बदल गया है । यह देखने के लिए कि मालिक ने अपनी सांविधिक जिम्मेदारी निभाई है, प्रवर्तन एजेंसी को तकनीकी मार्गदर्शन देना चाहिए और समझाने-बुझाने के तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए । गम्भीर और लगातार चूक करने की हालत में दखलकार के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण जो बहुराष्ट्रीय सामूहिक जिम्मेदारी सहित सामूहिक जिम्मेदारी की देखभाल करेगा, को स्थापित करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एक विस्तृत कानून लाने का प्रस्ताव कर रहा है ।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में अनियमितताएं

3812. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में वर्ष 1978 में इसकी स्थापना के समय से ही घाटा चल रहा है;

(ख) क्या उपर्युक्त उपक्रम में 13 वर्ष की अवधि के दौरान 8 चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की गई और इनमें से किसी को भी पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में अब तक हुआ कुल घाटा इसके कुल पूंजीगत परिव्यय से अधिक हो गया है;

(घ) क्या निदेशक (वित्त), यद्यपि गैर-तकनीकी व्यक्ति होता है परन्तु स्थापित परम्परा के विपरीत वह चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में उनकी बगैर हैसियत से कार्य करता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के संपूर्ण कार्य निष्पादन की एक जांच कराने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (घ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के आरम्भ से उसमें एक प्रबन्ध निदेशक तथा छः अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इन सात में से, दो ने वार्धक्य को आयु प्राप्त होने पर, एक ने अपनी सेवा अवधि पूर्ण होने पर इसे छोड़ा तथा चार ने इस्तीफा दिया।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का पद रिक्त है और उनकी नियुक्ति होने तक निदेशक (वित्त) कार्यवाहक अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) एच० एफ० सी० की हानियां मुख्यतः इसके संयंत्रों की निम्न क्षमता उपयोगिता के कारण हुई है जो अप्रमाणित प्रौद्योगिकी तथा उपस्कर, पावर तथा श्रमिक समस्याओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। 1986 में सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने एच० एफ० सी० के कार्यकरण की जांच की ओर इसी निर्णय पर पहुंची। चूंकि हानियां किसी अनियमितता के कारण नहीं हुईं, इसलिए जांच करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सीमेंट की उपलब्धता

3813. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट फैक्टरियों द्वारा उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण बाजार में आम पोर्टलैंड सीमेंट की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के सीमेंट के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) बाजार में जनता के लिए आम पोर्टलैंड सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाये गए या उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) सरकार को सीमेंट फैक्टरियों द्वारा उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के कारण बाजार में आम पोर्टलैंड सीमेंट की कमी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1990-91 में सीमेंट उद्योग में कुल मिलाकर औसत क्षमता उपयोग अधिष्ठापित क्षमता 82% था। किंतु, अभावग्रस्त क्षेत्रों में सीमेंट की कमी के उदाहरण देखने में आए हैं जो मुख्यत: परिवहन संबंधी कठिनाइयों और स्थानीय बाधाओं के कारण थे।

(ग) 1988 से 1990 के दौरान भिन्न-भिन्न किस्मों के सीमेंट का उत्पादन और उत्पादन में वृद्धि का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा बाजार में जनता के लिए आम पोर्टलैंड सीमेंट की अधिकाधिक उपलब्धता के बारे में किये गये कुछ प्रयास इस प्रकार हैं :

(I) सीमेंट उद्योग को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है अर्थात किसी नये एकक की स्थापना हेतु अथवा पर्याप्त विस्तार हेतु लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है।

(II) सरकार सीमेंट उद्योग के लिए कोयला, रेलवे वैगनों की उपलब्धता और अन्य आधारभूत सहायता के बारे में कड़ी निगरानी करती है तथा जहां आवश्यक होता है उपचारात्मक कार्यवाही करती है।

(III) क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के उद्देश्य से रेलवे को सीमेंट बहुल क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों को नियमित रूप से सीमेंट ले जाने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

1988 से 1990 के दौरान उत्पादन में वृद्धि की किस्मवार उत्पादन तथा प्रतिशत

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन		उत्पादन			पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में परिवर्तन का प्रतिशत				
	आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट	पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट	पोर्टलैंड प्लास्ट फरनेस सीमेंट	विशेष किस्म का सीमेंट	योग	आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट	पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट	पोर्टलैंड प्लास्ट फरनेस सीमेंट	विशेष किस्म का सीमेंट	योग
1988	266.55	88.95	48.89	2.91	407.30	24.08	(—) 17.6	9.79	14.57	10.10
1989	299.42	74.67	43.67	3.31	421.07	12.33	(—) 16.05	(—) 16.67	13.74	3.38
1990	315.88	84.69	44.38	3.98	448.93	5.50	13.42	1.63	20.24	6.62

"एस० सी० आर्डर ऑन पब्लिक सेक्टर रेक्रूटमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3814. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 मई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "एस० सी० आर्डर ऑन पब्लिक सेक्टर रेक्रूटमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय के उक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये चयन का कोई मूल्यांकन किया है/करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अनुसरण करने का आदेश/दिशा निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ङ) उक्त समाचार सरकार के ध्यान में आया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधकों को निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के सभी पदों के लिये भर्ती करने के मामले में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। प्रत्येक उद्यम द्वारा प्रत्येक श्रेणी के पद के लिये योग्यता, दक्षता तथा कार्यकुशलता की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार भर्ती नियम बनाये जाते हैं और प्रक्रियायें निर्धारित की जाती हैं। चूंकि उन उद्यमों में, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पदों के लिये एक समान नियम बनाना तथा प्रक्रियायें निर्धारित करना संभव नहीं है, इसलिये सरकार का इस संबंध में उद्यमों को सामान्य मार्गनिर्देश जारी करने का कोई विचार नहीं है।

मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिया गया विज्ञापन

3815. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बजाज आटो लिमिटेड द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिए जा रहे उस विज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें विज्ञापनदाता उत्पादन की गुणवत्ता, बिक्री के पश्चात् प्रदान की गई सेवा के बारे में प्रकाश नहीं डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री पश्चात् सेवा के बारे में विज्ञापन-दाता द्वारा कुछ कहने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) माल और सेवाओं में खरीददारों की रुचि बढ़ाने के लिए विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन का डिजाइन तैयार करने में स्वतन्त्र है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों यह सुनिश्चित करते हैं कि इन विज्ञापनों से, सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक माध्यमों पर विज्ञापनों का विनिमय करने के लिए तैयार की गयी वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा सप्लाई किए गए गेहूं और चावल की गुणवत्ता

38 6. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में विभिन्न उचित दर की दुकानों को बहुत सस्ते और घटिया स्तर के निम्न गुणवत्ता वाले राशन (गेहूं, चावल आदि) की सप्लाई कर रहा है;

(ख) क्या अधिकारियों ने इस तथ्य के बावजूद कि इन दुकानदारों ने लगातार उनसे शिकायत की है, कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ग) उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार ने दिनांक 29 जुलाई, 1991 के हिन्दी दैनिक "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार शीर्षक "उचित दर दुकानों के गेहू अब जानवरों के लायक भी नहीं" को भी देखा है; यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस सम्बन्ध में और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है कि उचित दर की दुकानों को उत्तम प्रकार की चीनी, चावल, गेहूं की सप्लाई हो;

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम इन दुकानदारों को पूरा कोटा नहीं दे रहा है और अधिकांश कार्डधारकों को अपने कोटा की चीनी नहीं मिलती है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सभी राशन कार्डधारकों को चीनी का निर्धारित कोटा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय खाद्य निगम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अन्तर्गत आने वाले तथा उचित औसत गुणता के खाद्यान्न, उनकी गुणता की जांच करने का अवसर देने के बाद दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को जारी करता है। दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ये वस्तुएं अर्थात् चावल, गेहूं तथा चीनी उचित दर दुकानधारकों को उनकी दुकान तक सप्लाई करता है।

(ख) और (ग) खराब गुणता की वस्तुओं को बदलने के लिए कार्यवाही की जाती है। शिकायतों को दूर करने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

(घ) जी हां। निरीक्षणों से पता चला है कि सप्लाई किए गए 81 क्विंटल गेहूं में से दो बोरे उचित औसत गुणता के नहीं थे। इन प्रभावित बोरों में से उपभोक्ताओं को कोई आपूर्ति नहीं की गई।

(ङ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राधिकृत उचित दर दुकान के दुकानधारी गोदामों में जा सकते हैं तथा जारी की जाने वाली सामग्री की गुणता की जांच कर सकते हैं। जहां कहीं उचित होता है, वस्तुएं बदल दी जाती हैं। प्राधिकारियों द्वारा नियमित रूप से उचित दर की दुकानों का निरीक्षण व उनकी जांच की जाती है।

(च) और (छ) चीनी का आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन को किया जाता है, जो आगे उपभोक्ताओं को उसके वितरण की व्यवस्था करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं तथा ये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पूरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नहीं होते हैं ।

सिंदरी विद्युत संयंत्र

3817. **श्रीमती रीता वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन क्षमता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका सामान्य कार्यकरण बहाल करने के लिए उठाये गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां ।

(ख) कम पावर उत्पादन के निम्न कारण हैं :—

(I) सिंदरी स्थित केपटिव पाव संयंत्र 40 वर्ष से अधिक पुराना है और अपनी उपयोगी आयु पार कर चुका है ।

(II) आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवता अत्यन्त घटिया है जिसमें राख की मात्रा 33-37% तक होती है जबकि 18.5% राख की मात्रा वाला कोयला अपेक्षित है । कोयले की घटिया किस्म से बायलर का उत्पादन घट जाता है, बारम्बार खराबी होती है और व्यापक/खर्चीला रख-रखाव होता है ।

(ग) एफ० सी० आई० द्वारा इसके सामान्य कार्यकरण को पुन: स्थापित करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय/प्रस्तावित उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(I) 10 करोड़ रु० के निवेश पर वर्तमान पावर संयंत्र का पुनरुद्धार ।

(II) कम्पनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में अच्छे कोयले की आपूर्ति के लिए मैसर्स बी० सी० सी० एल के साथ जोरदार कार्यवाही की जा रही है ।

(III) दीर्घावधिक उपाय के रूप में एफ० सी० आई० ने 142.64 करोड़ रु० की लागत पर 2 × 19 मेगावाट के केपटिव पावर संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सम्बन्ध में 14-8-91 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के उत्तर को संशोधित करने वाला विवरण

दिनांक 14-8-91 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के उत्तर के भाग (ख) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए :

के लिए	पढ़ा जाए
(ख) जी, हां ।	संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, जबकि सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 50 प्रतिशत से कम है ।

———

[हिन्दी]

12.00 मध्याह्न

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान जो सरकारी मीडिया, रेडियो और टी० वी० है, जो पांजा साहब के अधीन है, इसलिए विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित करता चाहता हूं कि जो लोक सभा की प्रोसिडिंग्स होती हैं, उनको जानबूझकर यदि मीडिया दबाने का काम करता है, तो उसके खिलाफ प्रिवलेज आता है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा अक्सर नहीं होता है। यह गलत है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हाउस की प्रोसीडिंग्स को सप्रैस्ड यदि जानबूझकर करता है, तो उसके खिलाफ प्रिवलेज का मामला बनता है, लेकिन, सर, मैं उससे अलग बात कह रहा हूं कि कल लौंगोवाल का शहादत दिवस था और हम कई दल के लोग जिनमें सी० पी० आई० और सी० पी० एम० के लोग भी थे, लौंगोवाल गांव में गए थे। लौंगोवाल गांव संगरूर जिले में पड़ता है, जो एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टिविटीज का केन्द्र आजकल बना हुआ है। वहां एक लाख से अधिक लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि इसी दिन लौंगोवाल राजीव गांधी का समझौता भी हुआ था, इसलिए वह बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन उनके इस छठे शहीदी दिवस पर जो लाखों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां इकट्ठे हुए और उन्होंने उस दिन को पंजाब की उन्नति के लिए मनाया, तो कम-से-कम रेडियो और टेलीविजन को उसे कवर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब ऐसा नहीं किया गया तो सरकारी मीडिया खासकर दूरदर्शन का पक्षपाती रवैय्या स्पस्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, परसों यहां पर चह्वाण साहब ने मेरे ऊपर हुए हमले के सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दिया था और हमारी पूरी सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन आपके टी० वी० रेडियो ने समाचार को बिल्कुल नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं बोली। जब आपके मन्त्री की बात होती है, तो आपका मीडिया काफी समय उनको देता है। माधव राव सिंधिया या चिदम्बरम की बात होती है, तो आपका मीडिया उस पर 5 मिनट का समाचार देता है, लेकिन जब अपोजीशन का मामला आएगा, राम विलास पासवान का मामला आएगा, तो उसके लिए एक लाइन भी नहीं, मिनिस्टर हाउस में स्टेटमेंट देते हैं और उसका कोई हवाला नहीं। यहां मन्त्री जी बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पार्टी की लाइन पर रेडियो और टी० वी० को मत चलाइए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अजीत पांजा) : क्या मैं प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं ? जब से यह सरकार सत्ता में आई है, रेडियो और टी० वी० का प्रयोग पार्टी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया गया है। (**व्यवधान**) श्री बसुदेव आचार्य बंगाल में मुझ पर रोक लगाने का प्रयास कर सकते हैं किन्तु वे यहां संसद में ऐसा नहीं कर सकते। टेलीविजन और

रेडियो के प्रसारण के सम्बन्ध में, कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनके अनुसार समाचारों की महत्ता के अनुसार उसका निर्णय लिया जाता है कि प्रसारण का कितना समय सत्तारूढ़ दल को दिया जाये और कितना विपक्षी दलों को दिया जाये। यद्यपि हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते फिर भी मैंने इस ओर ध्यान दिया है। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि नियमों का पालन किया जाये ताकि यदि किसी भी समय कोई सदस्य इस बात को उठाये तो मैं स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकूं कि राष्ट्रीय प्रसारण में कितना समय दिया जाता है और क्षेत्रीय प्रसारण में कितना समय दिया है। सदस्य इस बात से आश्वस्त रहें। हो सकता है कि समय की कमी के कारण संसदीय चर्चाओं में भाग लेने वाले एक-दो सदस्यों का नाम प्रसारण में न आ पाया हो। किन्तु हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि चर्चाओं में भाग लेने वाले सदस्यों तथा सदन में घटने वाली अन्य घटनाओं का जितना अधिक सम्भव हो सके उतना उल्लेख किया जाये···(**व्यवधान**) कृपया एक मिनट मेरी बात सुनें। (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है ?

श्री अजीत पांजा : मेरा कहना है कि ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है···(**व्यवधान**) किसी भी दिन, जब भी आवश्यकता हुई तो मैं इस सदन में इस सरकार के सत्ता में आने के बाद आज तक जो हुआ है और पिछली दो सरकारों ने जो किया है, उसका विस्तृत विवरण दूंगा। मुझे पूरे ढांचे का ध्यान रखना है। उसके लिए, मैं एक बात का आश्वसन दे सकता हूं। एक समय टेलीविजन और रेडियो के सम्बन्ध में काफी कम शिकायत थीं। किन्तु अब एक परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि जो भी समाचार हो उसे प्रसारण में सम्मिलित किया जा सके। हम इस सब का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहां तक मानवीय निर्णयन का सम्बन्ध है, उसमें अवश्य कुछ गलती हो सकती है। अतः, हम सम्पूर्ण क्षेत्र, 25 राज्यों और 7 केन्द्र-शासित प्रदेशों का कम्प्यूटरीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे सभी क्षेत्र के लोगों को न्याय मिल सके। सदस्यों की शिकायत के सम्बन्ध में मुझे दुःख है, कि सभी सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सका। (**व्यवधान**)

मुझे जवाब देने दीजिए। बाद में, आप बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको हमें बताना होगा कि जब पंजाब में इस तरह का खतरा है तो समस्त कार्यक्रम क्यों नहीं दिखाया गया। (**व्यवधान**)

श्री अजीत पांजा : श्री बसुदेव आचार्य, मैं जानता हूं आपको मेरा भाषण सुनने की आदत नहीं है। किन्तु मैं यहां पर भाषण नहीं देता हूं। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां तक सम्भव है हम न्याय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि इसके बारे में कोई खबर क्यों नहीं दी गई।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : हां, कल पूरे राष्ट्र ने हाल ही के समय के बड़े नेताओं में से एक, श्री राजीव गांधी, को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए जिन्होंने देश की एकता के लिये अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। कल हमने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धा-सुमन अर्पित किए जिन्होंने देश की एकता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। किन्तु कल ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई

थी कि बंगलौर के समीप मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसकी महिला साथी शुभा ने आत्महत्या कर ली। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। विशेष जांच दल शिवरासन को जीवित नहीं पकड़ सका। विशेष जांच दल ने शिवरासन को जीवित पकड़ने के हर सम्भव प्रयास किये थे किन्तु अन्ततः वह शिवरासन को पकड़ने में असफल रहा। मैं माननीय मन्त्री जी से मांग करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें तथा मेरी मांग है कि भारत सरकार पूछे···

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक, शायद इस विषय को कल उठाया गया था।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, कृपया इस प्रकार की बात न करें।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : आज शाम 5-30 म० प० पर मैं इन दोनों मुद्दों पर वक्तव्य दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। वर्मा आयोग, जो सुरक्षा व्यवस्था की कमियों की जांच कर रहा है, उसकी समयावधि समाप्त···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर इतनी जल्दी मत आ जाइये। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : मैं एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इससे अधिक अनुमति नहीं दूंगा। कृपया इस प्रकार बात न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। यदि आप एक सीमा विशेष से आगे जायेंगे, मैं इसके पश्चात् इसे प्राथमिकता नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अपनी सरकार से कहिये, श्रीलंका की सरकार से क्यों कहते हो ? **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : खुराना जी, यह कांग्रेस की ही सरकार है जिसने कि शिवरासन को ढूंढ निकाला और बता दिया कि शिवरासन कहां छिपा हुआ था ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वासनिक, आप कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वासनिक, आप सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपसे प्रश्न नहीं पूछा था, गवर्नमेंट से पूछा था । आप रिप्लाई मत करिये, कापसे जी को बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यहां जो कर रहे हैं उसे सब देख रहे हैं । हमें इस प्रकार करना चाहिए···

(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : श्री खुराना के बारे में आप क्या कहते हैं ? वे ऐसा क्यों कर रहे हैं ? वे प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी ऐसा ही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है कि यह सरकार टोटली फेलियर रही है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, यह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात शान्त तथा शिष्ट तरीके से कहिये । डाक्टर कापसे ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तलासरी में आदिवासी वसतिगृह में 200 लोग घुस गये और वसतिगृह के अधीक्षक, उनकी पत्नी और विद्यार्थियों से मारपीट की । इसके अलावा वहां के दो कर्मचारियों को जलाने की कोशिश की । वहां की ऑटो-

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

रिक्शा, साइकलें और बर्तन तोड़ दिये और बाबा साहेब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज आदि आदरणीय व्यक्तियों के छाया-चित्र तोड़ दिये। आदिवासियों पर किए गये इस हमले के बारे में गृह मंत्री अपना बयान दें और आदिवासियों को पूरा संरक्षण दिया जाये ऐसा महाराष्ट्र शासन को निर्देश दें। तलासरी में बरसों से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के इशारे पर इसी तरह के हमले होते आये हैं···(**व्यवधान**)···यह हमला भी इन्हीं नेताओं ने करवाया है···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको इतनी जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि उन्हें तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुदीन चौधरी (कटवा) : अगर वे हमारे दल के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें यह जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को खेती करने नहीं दे रही। (**व्यवधान**)

श्री राम कापसे : उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। मैं उस स्थान पर गया हूं। (**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारे दल के कार्यालय पर हमला किया गया है और किसानों को उनकी जमीन पर खेती नहीं करने दी गई। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, आपने अपना वक्तव्य दे दिया है। आपने इसके विपरीत कहा है।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। श्री कापसे ने इस मुद्दे पर काफी बल दिया है।

(**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : गृह मंत्री को वक्तव्य अवश्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपसे सभा में एक क्रूर अमानवीय घटना का उल्लेख करने की अनुमति देने की प्रार्थना कर सकता हूं जो 14 अगस्त को मेरे चुनाव क्षेत्र में हुई।

एक महिला को निर्वस्त्र करके जबरदस्ती घुमाए जाने की घटना ने स्वतन्त्र भारत के 45वें स्वतन्त्रता दिवस को बहुत शर्मनाक दिवस बना दिया है। आन्ध्र प्रदेश में नालगोंड़ा जिले के चाल-कुर्ती गांव में एक पिछड़ी जाति की महिला के साथ एक जघन्य अपराध किया गया। तीन कुख्यात अपराधी जमींदारों अर्थात् बी० नारायन रेड्डी तथा अन्य ने 13 अगस्त को उस महिला को गांव में एक लड़की को भगाने के मामले में उसके कथित रूप से शामिल होने के कारण उसे बुरी तरह पीटा। 14 अगस्त को 2 बजे म० प० के लगभग इन्हीं अपराधियों ने उसे बाजार में घसीटा और भीड़ के सामने उसके वस्त्र उतारकर उससे दो घण्टों तक बलपूर्वक परेड करवाई।

इन गुण्डों के आपराधिक रिकार्ड के कारण गांव के लोग भी भयभीत होकर उसे बचा नहीं पाए। उस महिला ने ऐसी नृशंस और असहनीय बर्ताव से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया। किन्तु उसके नाबालिग पुत्र और अन्य लोगों ने उसे सान्त्वना दी तथा उसे करने से रोका।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में वर्तमान कांग्रेस शासन के दौरान निर्धन, विशेषतया महिलाओं पर इन हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

यह केवल प्रजातन्त्र पर ही नहीं अपितु एक सभ्य समाज पर भी कलंक है अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केन्द्र के माध्यम से आप राज्य सरकार को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दें। दोषी व्यक्तियों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए और श्रीमती मुथम्मा को नालगोण्डा में आवश्यक पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं व उसके पुत्र को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाया जाए तथा उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए। यह आपसे मेरा अनुरोध है। (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अभी कुछ दिन पहले, हमने पूरे देश में हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में चर्चा की थी। किन्तु ऐसी घटनाएं बार-बार हो रही हैं। क्या गृह मन्त्री इस पर वक्तव्य देंगे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम उद्योग मन्त्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। अब हमारा बजट सत्र है। हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम अनुदान मांगों पर चर्चा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सके। अब मैं अगला विषय लेना चाहूंगा और इस बात को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.18 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : मैं श्री अनिल कुमार पांजा की ओर से सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 423/91]

केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड), नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 और केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

1. (एक) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

   (दो) केन्द्रीय भण्डार (केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

2. उपर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 424/91]

3. (एक) केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

   (दो) केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक तथा खेल-कूद बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

4. उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 425/91]

5. परमाणु ऊर्जा विभाग की 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 426/91]

6. संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में श्री विजय नवल पाटिल द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3037 के 14 अगस्त, 1991 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 427/91]

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० जे० कुरियन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार संस्थान, हैदराबाद के 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 428/91]

पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डॉ० चिन्ता मोहन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 429/91]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सदन के नेता और रेलवे मन्त्री ने सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, नौकरियों से निकाले गए रेलवे कर्मचारियों को बहाल करने का आश्वासन दिया था। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह आश्वासन सभा में दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। मैं आपको कल अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री, श्री एम० एम० जेकब का वक्तव्य—वक्तव्य देने का समय 1 बजे निर्धारित कर दिया गया है। वे उस समय पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

12.19 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

कॅयर बोर्ड

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कॅयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4(1) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कॅयर बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी कृपया बैठ जाएं। मैं उन सदस्यों के हितों की रक्षा का प्रयास कर रहा हूं, जो शान्त बैठे हैं और सदन में कोई मामला नहीं उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : लेकिन यह मामला बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम अनेक बार इसे पहले भी उठा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपके पास सीमित समय है, आप चाहें तो उसमें मांगो पर चर्चा कर सकते हैं या उन मामलों को कार्य सूची में नहीं लिया गया है। उद्योग मन्त्रालय से संबंधित मागें जैसा मामला जिसमें दो या तीन नई औद्योगिक नीतियां भी हैं, बहुत महत्त्वपूर्ण है। मैं यह चाहूंगा कि इस मामले पर ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इस कार्य के लिए आठ घण्टे का समय पर्याप्त नहीं है। हम यह चाहेंगे कि इस मामले पर और अधिक समय मिलना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम छः बजे के बाद भी बैठ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप छः बजे के बाद तक बैठिये, यदि आवश्यक हो तो भोजनावकाश को भी शामिल किया जा सकता है। मैंने सदन में आश्वासन दिया था कि इस पर चर्चा के लिए आपको अधिक समय दिया जायेगा। लेकिन साथ ही आपको यह समझना चाहिए कि यदि आप उद्योग

मन्त्रालय से संबंधित मांगों पर चर्चा नहीं करते हैं तब आप महत्त्वपूर्ण नीतिगत मामलों पर चर्चा नहीं कर रहे होते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप जो कह रहे हैं, वह महत्त्वपूर्ण नहीं है। लेकिन शायद हमें प्राथमिकताओं को निर्धारित करना होगा। हमें प्रथम मुद्दे पर पहले विचार करना होगा, फिर दूसरे विषयों पर विचार करना चाहिए। अत: यदि कोई महत्त्वपूर्ण मामला है तो उसे उठाने की अनुमति मैं आज नहीं कल दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आज से हजारों लोग आमरण अनशन तक पर बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले।

12.23 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए गेहूं आदि के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में ग्रामीण जनता को उचित दर की दूकान से इस समय प्रतिमाह प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। आज की भयंकर महंगाई को देखते हुए पिछड़ा आदिवासी क्षेत्र के लिए यह मात्रा बहुत कम है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र में खाद्य तेल और सस्ते कपड़े की भी बहुत कमी है। जनजाति क्षेत्र के गरीबों की इतनी आय नहीं है कि वे बाजार से राशन, खाद्य तेल एवं कपड़ा खरीद सकें। मेरी भारत सरकार से मांग है कि राज्य सरकार को आदिवासी क्षेत्र में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु अतिरिक्त कोटा केन्द्र से दिया जाए ताकि इस अकालग्रस्त क्षेत्र की जनता भुखमरी के कगार से बच सके।

(दो) उड़ीसा में तालचेर का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं नियम 377 के अधीन निम्न विषयों को उठाना चाहता हूं।

उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के किनारे स्थित तालचेर जहां कोयले के विशाल भंडार हैं इस शहर को राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है।

कुछ कोयले की खानों में कार्य हो रहा है और कुछ कोयले पर आधारित उद्योग जैसे ताप विद्युत संयंत्र, खाद्य संयंत्र भारी पानी की परियोजनाओं को तालचेर में स्थापित किया गया है और

कनिहा में एक उच्च ताप विद्युत संयत्र निर्माणाधीन है। तालचेर उपखंड के बहुत से लोगों की भूमि इन परियोजनाओं के लिए ले ली गई है। लेकिन इन लोगों के पुर्नवास और विस्थापितों के लिए रोजगार की व्यवस्था और इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास विशेषकर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, संचार, जल वितरण और पर्यावरण और पर्यायिकी की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि लोगों की निम्नलिखित वास्तविक मांगों को पूरा करने की ओर उचित कदम उठाया जाए :—

1. तालचेर में कोयला खंड की स्थापना;
2. इस क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और तकनीकी विद्यालयों की स्थापना;
3. कोयला खानों, उच्चताप विद्युत और नालको इत्यादि से प्रभावित लोगों को रोजगार;
4. एस० ई० सी० एल० और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तालचेर महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों के आवश्यक भवनों इत्यादि का निर्माण; और
5. तालचेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन पर चेनीपाल पर एक नोडल रेलवे स्टेशन का निर्माण।

(तीन) दांव लगाने/घुड़दौड़ी पर आयकर से छूट वापस लेने के लिए प्रस्ताव की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपीनाथ गजपति (बहरामपुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन लोक महत्त्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं :—

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों विशेषकर 10 अगस्त, 1991 के हिन्दू में सरकार को दांव लगाने/घुड़दौड़ पर मिलने वाली छूट को वापिस लेने के संबंध में प्रस्ताव की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आयकर अधिनियम की धारा 10(3) और 194 बी० बी० के अंतर्गत घुड़दौड़ पर मिलने वाली 5,000 रुपये की छूट को हटा देने के प्रस्ताव से पड़ने वाले असर को 'टर्फ आथिरिटी आफ इण्डिया' के चेयरमैन ने बड़े स्पष्ट रूप से बताया है।

यदि इस प्रस्ताव को लागू किया गया तो इससे देश के 'टर्फ क्लब' बंद हो जायेंगे और संकरण उद्योग भी इससे समाप्त हो जायेगा जिससे गरीब वर्ग के लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि पूरे मामले पर नये सिरे से गहन विचार-विमर्श किया जाए और इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाये।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) "हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985" को संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : मैं निम्न मामले को नियम 377 के अंतर्गत उठाना चाहूंगा।

लगभग एक करोड़ लोग हथकरघा उद्योग में कार्यरत हैं। कुल कपड़ा उत्पादन का तीस प्रतिशत इसी क्षेत्र से आता है और राष्ट्र के 98 लाख परंपरागत बुनकरों को यह उद्योग रोजगार उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 लागू किया। इस अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने में और राष्ट्र में हथकरघा बुनकरों के संरक्षण और विकास के लिए दिल्ली, पुणे और कोयम्बटूर में तीन क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की है। यह प्रयास किए जा रहे हैं कि हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 को समाप्त किया जाये और पुणे के क्षेत्रीय कार्यालय को वहां से हटाकर कहीं और ले जाया जाये। यदि यह दोनों कार्य किये जाते हैं तो एक करोड़ गरीब हथकरघा बुनकरों के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी।

अतः निवेदन है कि इस मामले को (1) पुणे के क्षेत्रीय कार्यालय को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने से रोका जाए, (2) हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

(पांच) बुन्देलखंड अंचल, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिले सम्मिलित हैं, का सर्वांगीण विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : मान्यवर, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों एवं मध्य प्रदेश के 18 जिलों में, जिसे बुन्देलखंड के नाम से पहचाना जाता है, का क्षेत्रफल कई प्रदेशों के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। आबादी में भी दुगना है। यह समूचा पठारी क्षेत्र सिंचाई, पेयजल, उद्योग एवं शिक्षा के लिहाज से पिछड़ा है।

क्षेत्रीय असंतुलन अभिशाप बनकर रह गया है। क्षेत्र में असंतुलन तोड़ने के लिए भारत सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

सिंचाई साधन मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश का एक संयुक्त सिंचाई बोर्ड बनाया जाये और चूंकि दोनों राज्यों के जल स्रोत एक हैं, इसलिए सम्मिलित लाभ के लिए जल स्रोतों को बांधने की सख्त जरूरत है।

भूमि सुधार योजना तेजी से शुरू की जाए। कृषि योग्य भूमि का समतलीकरण किया जाए। आधुनिक तकनीक से खेती उपायों को प्रोत्साहन दिया जाए।

क्षेत्र में उद्योग-धंधों के विकसित करने के लिए विशेष रूप से फैक्ट्रियां और बड़े और छोटे उद्योग-धंधों को स्थापित किया जाये।

कुछ स्थानों पर भारी उद्योग स्थापित किये जाएं। लघु उद्योग-धंधों को स्थापित करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जाये।

भारत सरकार को चाहिये कि इस पठारी क्षेत्र के समुचित व समन्वित विकास के लिये ऐसी कोई भी योजना क्रियान्वित की जाये, जो विकास की एक रोशनी फैला सके।

(छः) बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में वृक्षों की अवैध कटाई को रोके जाने की आवश्यकता

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बिहार के अंतर्गत राजगीर बिहार राज्य का एक ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन केन्द्र है। यह देशी और विदेशी पर्यटकों के लिये महत्त्वपूर्ण केन्द्र है।

यहां पांच पहाड़ियां एवं जंगल हैं। इन पहाड़ियों एवं जंगल के उत्तर में नालंदा जिला और दक्षिण में नवादा एवं पश्चिम में गया जिला है।

इस जंगल में चोरी छिपे वृक्षों का काटा जाना अबाध गति से जारी है। पट्टा जमीन का लिया जाता है पर इसी को आधार बनाकर वृक्षों को काटा जाता है।

वृक्षों की कटाई का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव इस क्षेत्र पर पड़ रहा है।

पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण भयंकर रूप से प्रभावित हो रहा है तथा यहां स्थित गरम पानी के झरनों के भी सूख जाने का खतरा है।

वृक्षों की अबाध गति की कटाई एवं फलस्वरूप गरम पानी के झरनों के प्रभावित होने से राजगीर का पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण समाप्त हो जाएगा। इससे सरकार को भी प्राप्त हो रही आय विशेषकर विदेशी मुद्रा पर भी असर पड़ेगा।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वृक्षों की कटाई को अविलंब सख्ती से रोका जाए और इस क्षेत्र में जमीन का पट्टा रद्द किया जाए।

(सात) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मुहीराम सेकिया (नोगोंग) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कर्मचारी एसोशियशन ने धमकी दी है कि यदि उन्हें सगठन और बोर्ड ऑफ गवर्नर में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता और यदि संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे० सी० एम०) का गठन नहीं किया गया और चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारशों को तत्काल स्वीकार नहीं किया गया तो वह पुनः आंदोलन प्रारम्भ कर सकते हैं।

पिजले सत्र के दौरान न तो कोई भर्ती की गई और न ही कोई पदोन्नति की गई है। 188 केन्द्रीय विद्यालय बिना प्रधानाचार्यों के कार्य कर रहे हैं। अध्यापकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं और तदर्थ नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं।

पिछले सत्र के दौरान किए गए स्थानान्तरणों को अभी पूरा किया जाना बाकी है। नये सत्र के लिए अभी आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किये गये हैं। स्थापना समिति द्वारा निर्णय किये गये स्थानान्तरणों को रोक दिया गया है। उन विद्यार्थियों को जो पात्रता मानदण्डों को पूरा करते हैं प्रवेश से वंचित किया जा रहा है जबकि हजारों अयोग्य छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह अपील करूंगा कि वह एक उच्च स्तरीय या संसदीय समिति का गठन करके मामले की छानवीन कराये ।

(आठ) सम्भल और मुरादाबाद के बीच रद्द की गई यात्री रेलगाड़ियों को पुनः चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 733 के अधीन इस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

सम्भल लोकसभा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । सम्भल नगर से मुरादाबाद के लिए ब्रांच लाइन है । इस लाइन पर 6 पैसेंजर ट्रेन्स आती जाती थीं । डी०आर०एम० मुरादाबाद ने इन में से 4 ट्रेन्स 1 एस० आर०, 2 एस० आर०, 3 एस० आर० एम०, 4 एस० आर० एम० को अचानक बंद कर दिया है जिससे जनता में बहुत बड़ा आक्रोश उत्पन्न हो गया है । गरीब मजदूर लोग बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उक्त 4 गाड़ियों को अविलंब चलाया जाए ताकि जनता को रेल सुविधाओं से वंचित न रहना पड़े ।

12.35 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

उद्योग मंत्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब मद संख्या 9 पर विचार करेगा जिसके अंतर्गत उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जायेगा । श्री जीवरत्नम ।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं ।

नेशनल अरोमेटिक्स और पेट्रो केमिकल्स परियोजना जो मद्रास के निकट मनाली में है, उस पर काम चल रहा है । इस परियोजना को 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ आरम्भ किया गया है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना का कार्य समय पर शुरू हो सके । मैं माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस परियोजना के लिए धन का आवंटन कर उसे तुरन्त जारी करें ।

1981 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म ने ऊटी में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक रंगीन पोजिटिव फिल्म इकाई की स्थापना की थी । लेकिन यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उद्योग मंत्रालय ने न तो इस योजना को स्वीकृति दी थी और न ही इस इकाई के लिए धन का आवंटन किया था ।

---

* मूलतः तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अत: मैं माननीय उद्योग मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस पर उचित ध्यान दें और इस मामले को शीघ्र निपटायें ।

हमारे प्रथम प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे उद्योग और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से भारी उद्योगों की स्थापना की थी । उनके इस योगदान के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था आज इतनी सुदृढ़ हुई है । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस सरकार ने प्राथमिकताएं बदल दी हैं और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है । लेकिन निजी क्षेत्र में कौन निवेश करता है ? कौन पूंजी एकत्र करता है ? या बैंकों से प्राप्त करता है ? या फिर सरकार पूंजी निवेश के लिए आवश्यक धन उपलब्ध करायेगी ।

मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्री इसे स्पष्ट करें । इसके अलावा, निजी क्षेत्र के लिए एक सीमा निर्धारित की जाए । निजी और सरकारी क्षेत्र, दोनों के लिए उद्योगों के नाम या सूची निर्धारित करने के लिए एक स्पष्ट निर्णय लिया जाए । निजी और सरकारी क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और इसे सही भावना से विकसित किया जाए । इससे हमें देश में मूल्यों में वृद्धि कम करने में मदद मिलेगी ।

लोहे की छड़ों और तारों के मूल्य बढ़ रहे हैं । सरकार मूल्यों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए । मुक्त बाजार के नाम पर तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के नाम पर अगर सरकार अब हस्तक्षेप नहीं करती है तो इससे निर्माण कार्य उद्योग तथा अन्य उद्योगों और अन्ततः आम आदमी पर असर पड़ेगा । मैं यह सुझाव देता हूं कि इन लौह छड़ों के मूल्य कारगर रूप में कम करने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या प्रत्येक ब्लाक में लौह छड़ों और तारों का निर्माण करने के लिए सरकार छोटी इकाइयां स्थापित करने पर विचार करे । इन इकाइयों का लक्ष्य 20 से 50 टन उत्पादन प्रतिदिन करने का हो, ताकि उस विशेष क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके । इस उत्पादन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता है । लोहा और सीमेंट नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाए । माननीय उद्योग मंत्री ने हमें बताया कि सीमेंट को मुक्त बाजार में बेचने की अनुमति दे दी गई है । उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सीमेंट इकाइयों और उनके उत्पादन पर नियंत्रण रख रही है, लेकिन उनके सीमेंट बिक्री मूल्य से उसका कोई सरोकार नहीं है । अगर यही स्थिति जारी रही तो जो सीमेंट 110 रुपये या 120 रुपये में बिक रही है वह और महंगी हो सकती है । ऐसी स्थिति में आम लोग तथा मध्य श्रेणी से लोग मकानों का निर्माण कैसे कर सकते हैं । अगर सरकार इसके उत्पादन में निजी क्षेत्र को अनुमति देती भी है तो मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए और इस पर नियंत्रण रखा जाए ।

जनता दल के शासन के दौरान सीमेंट के मूल्य बढ़ कर 110 रुपये हो गए । उस समय मैंने यह मुद्दा उठाया था । आज भी यही स्थिति है और अब इसका मूल्य और अधिक हो गया है । हमने अपने चुनाव घोषणा-पत्र के माध्यम से लोगों से वायदा किया है कि हम मूल्यों में कमी लाएंगे । सीमेंट और लोहा दोनों ही बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे ध्यान में रखें ।

होटल उद्योग न केवल हमारे देश में बल्कि विश्वभर में अनेक देशों में एक महत्त्वपूर्ण उद्योग है । आजकल होटलों और लॉजों को चलाने में अनेक दिक्कतें आती हैं । सरकार लॉजिंग आवासों के निर्माण के लिए 15% राज सहायता दे रही थी । जनता दल के शासन के दौरान पहले से दी

जा रही राज सहायता को बन्द कर दिया गया था। तब मैंने यह मामला एक प्रश्न के माध्यम से उठाया था और सरकार से उत्तर मिला था। माननीय उद्योग मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही लॉजों को भी राज सहायता मिलेगी लेकिन इसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

लॉजिंग और होटल उद्योग जिस रूप में लोगों की आवश्यकता बन रहे हैं, उससे देश में उनकी स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। लॉजिंग हाऊसिस निजी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब हमारे अधिकांश लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग में यात्रा कर सकते हैं और आरामपूर्वक ठहर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र सभी लॉजिंग हाऊसिस को नहीं चला सकता। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में गौर करें और लॉजिंग हाऊसिस को चलाने वालों तथा लाज बनाने वालों को कुछ सुविधाएं देने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करें। इस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस उद्योग को प्राथमिकता देते हुए कुछ सुविधाएं प्रदान करें।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र अर्कोनम एक पिछड़ा क्षेत्र है जो लोग आरकर जैसे स्थानों पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकार कुछ रियायतों की घोषणा करने वाली है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में एक स्कूटर निर्माण करने वाली इकाई स्थापित करे। भारी उद्योगों की अधिकांश इकाइयां उत्तर भारत में हैं। उदाहरण के लिए मारूति कार निर्माण इकाई उत्तर भारत में ही है।

तमिलनाडु के अधिकतर भाग अभी भी पिछड़े हुए हैं। भूतपूर्व उद्योग मंत्री श्री एन० डी० तिवारी ने आश्वासन दिया था कि तमिलनाडु में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। यह वायदा भी कार्यान्वित नहीं हुआ है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आर्कोनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित की जाए।

बी० एच० ई० एल० की एक इकाई रानीपेट में है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ही भाग है। लेकिन यह एक छोटी इकाई है और इसमें लगभग दो हजार या इससे कम कर्मचारी हैं। जबकि बी० एच० ई० एल० की हरिद्वार इकाई में लगभग 20 हजार लोग नियुक्त हैं। हाल ही में मैं वहां गया था और मैंने वहां से जानकारी एकत्र की। बी० एच० ई० एल० की रानीपेट इकाई में कम लोग हैं और यह स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देती। इसलिए मैं चाहता हूं कि उद्योग मंत्रालय बी० एच० ई० एल० की रानीपेट इकाई का विस्तार करे और स्थानीय लोगों को और अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराए। बी० एच० ई० एल० की रानीपेट इकाई में काफी भ्रष्टाचार है और मैंने यह मामला जनता दल शासन के दौरान सभा में उठाया था और मुझे उस सरकार से उत्तर भी मिला था। इसलिए मैं प्राधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस इकाई के अधिकारियों के कार्य की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करें और स्थानीय लोगों को और अधिक नौकरियां प्रदान करने के लिए एक इकाई का विस्तार करें। जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें भी भर्ती में कोई प्राथमिकता नहीं जा रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में ऐसी और इकाई नहीं हो सकती, जहां इतना अधिक भ्रष्टाचार हो।

मैं पूर्व वित्त मंत्रियों के ध्यान में अन्य मुद्दा लाया था। जब श्री वी० पी० सिंह थे तब उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक टकसाल स्थापित करने के लिए कदम उठाए थे। एक इकाई स्वर्गीय

श्री राजीव गांधी के नाम पर उनके गृह राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। एक अन्य वित्त मंत्री श्री जनार्दन पुजारी ने भी यह सुनिश्चित किया था कि ऐसी एक इकाई उनके गृह राज्य में स्थापित हो। जबकि इस मामले में तमिलों की उपेक्षा की जाती रही है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में टकसाल स्थापित की जाए, इस राज्य की जनसंख्या लगभग साढ़े पांच करोड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय : जीवरत्नम जी, आपका निर्धारित समय समाप्त हो गया है।

***श्री आर० जीवरत्नम** : महोदय, क्योंकि मुझे दो महीने के बाद बोलने का अवसर मिला है इसलिए मुझे कुछ मिनट और दें।

रानीपेट में तथा इसके आसपास अनेक चर्म शोधन इकाइयां हैं। हाल में निर्यात कार्यों में ठहराव आया है बल्कि निष्क्रियता आई है। इस समस्या के समाधान हेतु चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग को राजसहायता दी जा सकती है। अगर यह कार्यवाही तत्काल नहीं की गई तो चीन और बंग्लादेश विश्व बाजार में हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राजसहायता दी जाए। वहां क्षेत्र के आस-पास के हजारों लोग चमड़ा उद्योग पर निर्भर हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अति आवश्यक है कि इस क्षेत्र में चर्म शोधन इकाईयों को राज सहायता दी जाए।

औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में निवेश की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए। निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र को पूंजी निवेश के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जाए, जिससे वे अपना काम चलाएं। यह राशि 200 करोड़, 300 करोड़ या 500 करोड़ रुपए होगी, इस बारे में माननीय उद्योग मंत्री स्पष्ट रूप से बताएं। छोटे उद्योग अब तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम के माध्यम से लगभग 35 हजार रुपए का ऋण प्राप्त करते हैं। मूल्य वृद्धि के कारण अब यह अपर्याप्त हो गया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे बढ़ाकर 70 हजार रुपए कर दें। तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम के माध्यम से दिए जा रहे आई० डी० बी० के विभिन्न ऋणों पर अब एक सीमा है। इस सीमा को बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ कर दिया जाए।

इस समय देश में अनेक रुग्ण इकाइयां हैं। मैंने सभा में एक प्रश्न किया था। मुझे हाल में सरकार से उसका उत्तर मिला है। मुझे पता लगा कि लगभग 200 रुग्ण इकाइयां हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री, उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा कारगर रूप से चलाने के लिए उपचारात्मक उपाय करें। इन इकाइयों में निवेशित कई करोड़ रुपया व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इनमें से अनेक रुग्ण इकाइयां अब अनेक वर्षों से बन्द पड़ी हुई हैं। जब श्री एन० डी० तिवारी हमारे उद्योग मंत्री थे तब उन्होंने इन रुग्ण इकाइयों की कठिनाईयों का अध्ययन करने के लिए एक समिति भी स्थापित की थी।

मौजूदा उद्योग मंत्री एक योग्य व्यक्ति हैं और उन्हें अपने मंत्रालय को व्यवस्थित करके रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिएं।

हाल में कार के मूल्यों में वृद्धि हुई है। अब मध्यम वर्ग के लोगों को कार खरीदने में बहुत अधिक कठिनाई होगी। अगर स्वतन्त्रता के लाभ इन लोगों तक पहुंचाने हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की जाए कि वे कार खरीद सकें। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे वाहन उद्योग से सम्बन्धित उत्पाद शुल्क तथा अन्य करों में वृद्धि में कमी करें।

मुझे इतना बोलने की अनुमति देने के लिए मैं उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो नई औद्योगिक नीति है वह उदारवाद का रास्ता अख्तियार किए हुए है। हमारे देश में पूंजी की कमी नहीं है। 1984-85 में जब कांग्रेस (आई) की हुकूमत थी और उन्होंने ओपन जनरल लाइसेंस की प्रणाली शुरू की जिसके चलते 1984 से 90 तक हमारे देश के ऊपर 40 हजार करोड़ रुपए का कर्जा हुआ। सरकार ने चुनाव के समय जनता के सामने वादा किया था कि हमारी जो नई औद्योगिक नीति होगी उसमें पण्डित नेहरू का जो सपना था, जो उनकी औद्योगिक नीति थी उसके मुताबिक काम करने जा रहे हैं। लेकिन 1956 में पण्डित नेहरू जी ने जिस औद्योगिक नीति का संकल्प लिया था उसके विपरीत यह औद्योगिक नीति है। नेहरू जी ने सामाजिक क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करके हम देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी नीति बनाई थी जिससे देश दूसरों पर निर्भर न करे, आत्मनिर्भर हो। जिससे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से खड़ा हो सके। इसी के तहत उन्होंने यह उद्योग नीति बनाई थी लेकिन अभी इस सरकार ने जो नीति दी है, यदि सीधे शब्दों में यह कहा जाए कि इन्होंने आई० एम० एफ० के सामने, देश के पूंजीपतियों और विदेशी पूंजीपतियों के सामने घुटने टेक दिए और उन्हीं के इशारे पर यह औद्योगिक नीति बनाई है। यही कारण है कि आई० एम० एफ० और देश के एवं विदेशी पूंजीपतियों ने जो शर्त रखी है, उसको मानकर उसके मुताबिक उद्योग नीति बनाई गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक हमारे देश के 60 प्रतिशत लोग हैं, उनके पास श्रम शक्ति के अलावा बाजार में कुछ भी बेलने के लिए नहीं है। केवल 8-10 करोड़ लोग ही खुशहाल हैं जो टी० वी० खरीद सकते हैं और दूसरी तरह की विलास की वस्तुएं खरीद सकते हैं। देशी और विदेशी पूंजीपतियों ने इसी बाजार का शोषण करने के लिए एक समझौता किया है और देश के सबसे बड़े एकाधिकार इन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में है। यदि इनका विस्तार होगा तो एक तरह से समाज का शोषण होगा और विदेशी पूंजीपतियों का बोलबाला हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे देश में 244 इकाइयां हैं जो बड़े उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में चलते हैं। इसमें भी 100 बन्द हैं और इनमें 50 इकाइयां ऐसी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने ताला लगा दिया और सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। दूसरे 50 उद्योग वे हैं जिनको एकाधिकार से पूंजीपतियों ने लूटा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो विदेशी कम्पनियां हैं, जो सबसे बड़े उद्योग इस तरह के हैं, उनको छोड़ दिया जाए नहीं तो बी० एच० ई० एल० (भेल), सेल आदि कम्पनियां घाटे में पड़ जाएंगी और उनका विकास रुक जाएगा। आप जानते हैं कि 1956 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने जब औद्योगिक नीति बनाई थी तो हटिया, बोकारो, राउरकेला, भिलाई जैसे सैकड़ों बड़े उद्योगों की स्थापना हुई थी। लेकिन पं० नेहरू के बाद कांग्रेस की हुकूमत में जो आए, चाहे श्रीमती इन्दिरा गांधी आईं, चाहे राजीव गांधी आए, एक भी इस तरह का उद्योग स्थापित नहीं किया गया बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा लेकर, विदेशी पूंजीपतियों के सामने घुटने टेककर इस तरह की उद्योग नीति को खोखला बनाया है जिससे देश सचमुच खोखला हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अभी जो सार्वजनिक उद्योग हैं, वे घाटे में चल रहे हैं। लगभग दो हजार करोड़ रुपए का घाटा प्रतिवर्ष हो रहा है लेकिन यह घाटा क्यों हो रहा है। इस पर आपको विचार करना होगा। इन उद्योगों में चाहे ए० टी० ए० सी० हो, सोटू हो, इंटक हो, तमाम ट्रेड यूनियनों ने और इनके नेताओं ने सरकार से बार-बार अनुरोध किया कि सार्वजनिक उद्योग में जो घाटा हो रहा है, इस पर मीटिंग बुलाएं, इस पर एक सेमिनार करें और इस पर विचार करें कि यह घाटा क्यों हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे खत्म किया जाए लेकिन कभी नहीं सोचा बल्कि जानबूझकर सार्वजनिक उद्योगो को लूटा जा रहा है। जब तक अफसरशाही है चंगुल से मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक आप यही देखते रहेंगे। चाहे किसी सैक्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर को रखना हो, उसकी पोस्टिंग करनी हो, उसको नियुक्ति करनी हो या किसी चेयरमैन को बहाल करना हो। इनमें कोल इण्डिया हो या भेल हो या सेल हो, सब में यही बात होती है। कई करोड रुपया खर्चा करने के बाद ही मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनते हैं। जहां इस तरह की पद्धति होगी सार्वजनिक उद्योग की कुर्सी पर ये जाएंगे तब सार्वजनिक उद्योगों में घाटा दूर नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सार्वजनिक उद्योगों को घाटे से मुक्त करने के लिए सबसे पहले अफसरशाही पर दबाव डालना होगा, अफसरशाही से उसे मुक्त करना होगा इनके खर्चे के कटौती करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि मजदूरों को प्रबंधन में साझेदारी देनी होगी, भागीदारी दी जाएगी परन्तु कांग्रेस के लोग बराबर चुनाव घोषणा-पत्र में देते रहे, बराबर चर्चा करते रहे लेकिन इस संबंध में कभी भी कोशिश नहीं की गई। इस बार की जो उद्योग नीति है, उसमें एक लाइन नहीं लिखी गई है कि मजदूरों को भागीदारी दी जाएगी। पिछली जनता दल की सरकार में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कोशिश की थी। अभी श्री राम विलास पासवास यहां बैठे हुए थे, जिन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की थी लेकिन तब तक सरकार टूट गई जिसके कारण वह बिल नहीं लाया जा सका। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब तक मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी नहीं दी जाएगी, जब तक उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक नीचे से ऊपर तक की अफसरशाही से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उद्योग नीति में यह बहुत बड़ा पहलू है जिसको आपने छोड़ा है। इसको आप जोड़िए और मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी दीजिए, तभी जो सार्वजनिक उद्योग हैं, उसे घाटे से मुक्त किया जा सकता है।

आप जानते हैं कि विश्व बैंक ने 1990 में 13% अवमूल्यन की बात की थी और अभी वह अवमूल्यन 21% हो गया। हमारे यहां महंगाई है, बेकारी है। बेकारों की फौज है। क्या सरकार बता सकती है कि इस उद्योग नीति से जो बेकारों की फौज है उसको कैसे काम दिया जाएगा, उसको कैसे दूर किया जाएगा? चाहे विश्व बैंक हो, चाहे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, उसी के सहारे पर हमारी बेकारी बढ़ती जाएगी और हम गरीब होते जाएंगे। इसको कांग्रेस की सरकार ने बढ़ावा दिया है और इसीलिए इस तरह की उद्योग नीति लाई है। आप जानते हैं कि अभी उन्होंने उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया है। भोपाल में गैस कांड हुआ। यह अभी तक पता नहीं चला कि भोपाल में शहर के बीच में ऐसी गैस का कारखाना खोलने के लिए किसने इजाजत दी। शहर के बीचों-बीच वह कारखाना था, जहां हजारों लोग मारे गए और पचास हजार आदमी आज भी गैस पीड़ित बीमारियों से ग्रसित हैं। वे लोग आज भी सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने अधि-

कारों के लिए धरना देकर बैठे हैं कि उनको सहूलियत मिले। इस तरह की घटना लाइसेंस में छूट देने से हो सकती हैं। अगर इस तरह की छूट दी जाएगी तो उद्योगपति जहां चाहेगा वहां कारखाना खोल देगा। जब तक उस पर किसी तरह का शिकंजा, किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा, तब तक यही हाल रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए हम कहते हैं कि यह जो लाइसेंस फ्री करने की बात है, यह गलत है। हम कहते हैं कि जो लाइसेंस दिया जाता है उसमें बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत परेशान किया जाता है, लेकिन सरकार को कहीं-न-कहीं उस पर दबाव डालने के लिए कोई-न-कोई विचार करना चाहिए, किसी-न-किसी तरह का प्रावधान होना चाहिए जिसकी चर्चा इस उद्योग नीति में नहीं है।

आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं, कंपनियां हैं, उनकी सरकार सब तरह की सहूलियत देती है लेकिन कभी उनका हिसाब-किताब क्या होता है इसकी जांच नहीं करती। कितनी वह आमदनी करते हैं इसको चैक नहीं करती। आप जानते हैं कि हमारी जो पुरानी उद्योग नीति थी और एम० आर० टी० पी० ऐक्ट जो था, उसके बावजूद भी टाटा, बिड़ला और डालमिया, जितने भी एकाधिकारी पूंजीपति हैं, पांच-पांच साल में उनकी पूंजी दुगनी हो गई और कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा हो गई, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं है। स्वीडन एक देश है जहां पर सबसे बड़ी आमदनी के लोग हैं और छोटी आमदनी के भी लोग हैं। उनका उत्तर दुनिया में सबसे कम है। इसका एकमात्र कारण यह है कि बाजार पर सरकार का नियंत्रण है और वह सरकार इतना टैक्स लगाती है, नियंत्रण रखती है कि सीधे-सीधे सारा मुनाफा सारे पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाता है और इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि सरकार को बाजार पर नियंत्रण रखना होगा नहीं तो इस तरह से जो उद्योग नीति बनी है, यह हमारे देश को कहां ले जाएगी, पता नहीं।

जहां तक लघु उद्योगों की बात है, आप जानते हैं कि हमारे देश में 9 लाख लघु उद्योग चल रहे हैं। 80 लाख लोग उनमें काम कर रहे हैं, लेकिन इन लघु उद्योगों में 60 लाख रुपया पूंजी की सीमा दी गई है। जब 60 लाख तो हमारे यहां जो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने रिपोर्ट दी है कि 90 से 95 प्रतिशत जो लघु उद्योग हैं उनमें दो लाख से पांच लाख तक पूंजी लगी है। अगर उनको इस तरह से सहूलियत दी जाएगी, जो सहूलियत बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी जाती हैं, वही सहूलियतें छोटे-छोटे लघु उद्योगों के लोगों को दी जाएंगी तो उससे बेकारी तो खत्म होगी ही और गांव-गांव में लघु उद्योग चलाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने सीमा बढ़ाई है, फिर से उसमें टाटा, बिड़ला और डालमिया जैसे जो एकाधिकारी पूंजीपति हैं, जो पीछे के रास्ते से चले आ रहे हैं, इनके कारण लघु उद्योग खत्म हो जाएगे। इसीलिए सरकार जो ढिंढोरा पीट रही है कि हम लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, लघु उद्योगों में मदद करेंगे, यह महज बकवास है, बल्कि लघु उद्योगों को खत्म करने की एक साजिश है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां तक यह उद्योग नीति है, मैं और हमारा तमाम दल इसका विरोध करते हैं क्योंकि यह सार्वजनिक उद्योगों को सही मायने में खत्म करेगा। एकाधिकार और पूंजीपतियों की सही मायनों में मदद करने के लिए, आई० एम० एफ० को बढ़ावा देने के लिए और उसकी शर्तों को स्वीकार करने के लिए यह काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले में कोयला उद्योग है। उसमें जो लूट है, बड़े-बड़े अफसर, मैनेजिंग डाइरेक्टर और जी० एम० रहते हैं। हम समझते हैं कि जो जी० एम० का ठाट है किसी मिनिस्टर का नहीं होगा, जो चेयरमैन का ठाट-बाट है वह प्रधान मंत्री का नहीं होगा।

1.00 म० प०

इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है लेकिन फिर भी कोयला उद्योग घाटे में चलता है। वैसे अभी हमारे यहां सी० सी० एल० में 20 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया गया है लेकिन उसे यदि सही मायनों में चलाया जाये और कोयले की लूट को बंद किया जाये तो कहीं ज्यादा लाभ मिल सकता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने नये उद्योग खोले जाते हैं, उनमें किसी को बिजली देने की व्यवस्था नहीं की जाती। हमारे जिले में दो-तीन प्रोजैक्ट्स हैं—अशोका प्रोजैक्ट, पीपरवार प्रोजैक्ट और मगध प्रोजैक्ट—इनके साथ-साथ एक योजना यह भी थी कि नार्थ करमपुरा में एक थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाएगा लेकिन उसे भी खटाई में डाल दिया गया। पता नहीं ये प्रोजैक्टस बनेंगे भी या नहीं। यदि बनेंगे भी तो उन्हें बिजली नहीं मिलेगी। जब प्रोजैक्ट को बिजली नहीं मिलेगी तो वह चलेगा कैसे। इस तरह कोयले का उत्पादन नहीं हो पायेगा। मेरा कहना कि सरकार जिस तरह से योजना बनाती है, प्लानिंग करती है, कल-कारखाने लगाने की बात सोचती है, वह दोषपूर्ण है। वह यह नहीं देखती कि जो कारखाना हम लगाने जा रहे हैं, उसे बिजली भी मिलेगी या नहीं, दूसरी सहूलियतें मिलेंगी या नहीं। इसी कारण हमारे सारे उद्योग घाटे में चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जिले और गिरिडीह में, छोटा नागपुर में अभ्रक के कारखाने लगने की काफी गुंजाइश है।

श्री कालका दास (करौलबाग) : उपाध्यक्ष जी, अभी कल पटेल नगर में जो कांड हुआ था, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट देना है। आप उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए कहिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास बोलने के लिए तीन मिनट और हैं। क्या आप इस दौरान अपना भाषण समाप्त कर लेंगे ?

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : हमारे यहां अभ्रक की लगभग 500 खदानें थीं। उनमें लगभग एक लाख मजदूर काम करते थे और 10 हजार डीलर्स थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते, मात्र 10-15 खदानें ही चल रही हैं बाकी सारी की सारी खदानें बंद हो गयी हैं। एक लाख मजदूर दर-दर की ठोकरें खा रहा है, भूखों मर रहा है और उसे 5-7 रुपये पर भी काम नहीं मिलता। अभ्रक उद्योग से सही मायनों में सरकार को अरबों रुपयों की विदेशी मुद्रा मिलती थी, लेकिन आज वह उद्योग ठप्प हो गया है। सरकार ने कभी सोचा नहीं कि यह उद्योग बंद क्यों हो गया, क्या कारण है। मेरा निवेदन है कि सरकार को सोचना चाहिये कि कैसे अभ्रक उद्योग को फिर से चालू किया जाये, जो खदानें बंद हैं, उन्हें कैसे फिर से चालू किया जाये ताकि एक लाख मजदूरों को, जो बेकार बैठे हैं, काम मिल सके। आज वे दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गये हैं।

हमारे जिला हजारीबाग में एक आयुध कारखाना खोला जाना था। उसके लिये जमीन की नपाई वगैरह सब कुछ हो गयी थी, जमीन का अधिग्रहण भी बिहार सरकार ने कर लिया था लेकिन वह योजना कहां पड़ी है, कुछ पता नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां विशाल जंगल हैं। वैसे तो जंगलों का राष्ट्रीयकरण हो गया है लेकिन हमारे जो आदिवासी गरीब लोग हैं, जो पहले पत्ते बेचकर, फल और लकड़ी बेचकर अपना गुजारा करते थे, सरकार ने जंगल तो ले लिये, लेकिन उन गरीबों के लिये वन सम्पदा पर आधारित कारखाने अभी तक नहीं खोले ताकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने में मदद मिल सके। आदिवासियों को उन कारखानों से ही रोजगार मिल सकता है। हमारी सरकार से मांग है कि वन सम्पदा पर आधारित उद्योग तुरन्त चालू किये जायें ताकि छोटा नागपुर, संथाल परगना जैसे इलाकों का विकास हो सके।

आपको शायद जानकारी होगी कि हमारे यहां बहुत से उद्योग सिक हैं, उन्हें चालू करने की नई औद्योगिक नीति में कहीं कोई चर्चा नहीं है।

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बजे होम मिनिस्टर साहब ने अपना स्टेटमेंट देना है, पटेल नगर की घटना के बारे में। आप उन्हें बुलवाइये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में पूर्णतया सजग हूं। मैं उनका भाषण समाप्त होने का इन्तजार कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : हमारे यहां एक डालमिया पेपर मिल थी, वह भी आज बंद है और उसमें काम करने वाले 15-20 हजार मजदूर भी परिणामस्वरूप बेकार पड़े हैं। उस फैक्टरी कैसे फिर से चालू किया जाये, कैसे बेकार पड़े मजदूरों को रोजगार दिया जाये, सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है और नई औद्योगिक नीति में इस सम्बन्ध में कुछ उपाय बताये गये हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने, गांधी जी ने जो स्वप्न देखा था कि हिन्दुस्तान अपने पैरों पर खड़ा होगा, हिन्दुस्तान दूसरों की तरफ नहीं देखेगा, हिन्दुस्तान एक महान् और बड़ा देश है, हम छोटे-छोटे देशों की कल्पना करते हैं, जैसे ताईवान, सिंगापुर, जिनकी आबादी बहुत छोटी है, लेकिन आज जो सरकार गद्दी पर है, वह हिन्दुस्तान की परिस्थितियों के अनुसार नहीं सोचती, हिन्दुस्तान की आवश्यकता के अनुसार योजनाएं नहीं बनाती। इस देश के गरीबों, मजदूरों को कैसे काम मिले, देश आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, इस बारे में विचार नहीं करती। इसीलिये मैं कहता हूं कि नई औद्योगिक नीति भारत जैसे देश के लायक नहीं है। इस पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें तुरन्त सुधार लाये जाने की आवश्यकता है, फिर से विचार करने की आवश्यकता है ताकि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग विकसित हो सकें। आज जो साजिश चल रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को खत्म करके ज्यादा-से-ज्यादा एकाधिकार पूंजीपतियों के हाथ में, टाटा, बिड़ला और डालमिया के हाथों में सौंप दिया जाये, यह कार्यवाही बंद होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री एम० एम० जैकब पुलिस हिरासत में संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित एक वक्तव्य दें।

1.07 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

19-8-1991 को पटेल नगर, नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को 19-8-1991 को पटेल नगर, नई दिल्ली में पुलिस हिरासत में एक संदिग्ध व्यक्ति की दुखद मृत्यु के बारे में अवगत कराता हूं।

श्रीमती अमरजीत कौर, निवासी सिविल लाइन, करनाल, हरियाणा ने पुलिस को शिकायत की कि सामुदायिक केन्द्र पटेल नगर से, जहां वह एक शादी में गई थी, 18-8-1991 को उसका एक पर्श चोरी हो गया, जिसमें लगभग 1,000 रुपया नकद, सोने की एक जंजीर और मंगल-सूत्र था। उनकी इस शिकायत पर पुलिस ने थाना, पटेल नगर में एक मामला दर्ज किया और इस बारे में मनोज नामक लगभग 12 वर्ष के एक लड़के को गिरफ्तार किया। मनोज को इससे पहले भी चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस के कथनानुसार उसने यह स्वीकार किया कि उसने पर्स चुराया है और उसे अपने पिता श्री जयराम को दे दिया है। उसके बाद श्री जयराम को लगभग 11 बजे अपराह्न पुलिस स्टेशन लाया गया और वहां उप-निरीक्षक सतवीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक सिरीराम और कांस्टेबल सतवीर सिंह ने उससे पूछताछ की।

19-8-91 को लगभग 2.30 बजे पूर्वाह्न उप-निरीक्षक सतबीर सिंह श्री जयराम को नजदीक के खेड़ा नर्सिंग होम ले गए। नर्सिंग होम में श्री जयराम को दो इंजेक्शन लगाए गए। लगभग 4.15 बजे पूर्वाह्न श्री जयराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। पटेल नगर के पुलिस सहायक आयुक्त ने भी पटेल नगर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से दं० प्र० सं० की धारा 176 के अंतर्गत इस बारे में तहकीकात करने का अनुरोध किया है। शव को शव-परीक्षा के लिए सब्जी मंडी शवगृह ले जाया गया।

लगभग 10.30 बजे पूर्वाहन श्री जयराम के परिवार के सदस्यों सहित उस क्षेत्र के कुछ निवासी पुलिस स्टेशन, पटेल नगर के बाहर एकत्रित हुए और लगभग 12-30 बजे अपराह्न तक भीड़ में बढ़कर लगभग 400/500 लोग हो गए। वे पुलिस का विरोध कर रहे थे और उनको शांत करने के प्रयत्न असफल हो गए। भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया और पथराव किया और यातायात रोक दिया। उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम की एक बस को आग लगा दी और चार बसों की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने शीतल-पेय की बोतलें ले जा रहे एक वाहन को रोका और बोतलें पुलिस पर फेंकी। लगभग 1.00 बजे अपराह्न भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस के गोले छोड़े और लाठी चार्ज किया। दंगा-फसाद, आगजनी, इत्यादि के आरोपों में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और एक मामला दर्ज किया।

इसी बीच पुलिस अपर-आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना-स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की और घटना के बारे में प्रथम-दृष्ट्या जांच भी कराई। लगभग 11-00 बजे पूर्वाह्न तीनों संबंधित पुलिस अधिकारियों, नामतः उप-निरीक्षक सतवीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक सिरीराम तथा कांस्टेबल सतवीर सिंह, को

निलंबित कर दिया गया। पुलिस आयुक्त भी लगभग 1.30 बजे अपराह्न पटेल नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। मामले की जांच-पड़ताल करने के बाद संबंधित तीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हत्या का एक मामला दर्ज करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार उप-निरीक्षक सतवीर सिंह, सहायक उप-निरीक्षक सिरीराम तथा कांस्टेबल सतवीर सिंह के विरुद्ध भा० दं० सं० की धारा 302/342/341 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। जांच-पड़ताल का कार्य अपराध-शाखा को सौंपा गया।

श्री जयराम की मृत्यु की जांच-पड़ताल का कार्य एस०डी०एम० द्वारा किया जा रहा है।

सरकार इस दारुण घटना के बारे में माननीय सदस्यों की मनोव्यथा को समझती है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है जो अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे अथवा उसका दुरुपयोग करेंगे।

(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : महोदय, मैं स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया नियमों के नियम 372 के अन्तर्गत किसी स्पष्टीकरण के लिए अथवा किसी प्रश्न को पूछने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। नियम में यह दिया गया है कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : आप मेरे अधिकारों की रक्षा कीजिए। जितनी भी स्टेटमेंट्स हुई हैं हमेशा पाइंट ऑफ क्लैरीफीकेशन्स दिए गए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका सन्देह दूर कर दूंगा। हम सभा के नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसके लिए एक सुस्थापित प्रक्रिया है। नियम 372 के एक विशेष प्रावधान के अन्तर्गत मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर किसी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण अथवा प्रश्न पूछने पर प्रतिबन्ध है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : इसमें क्योंकि पुलिस अपराधी है इसलिए सारी बात गढ़कर बता दी है। मैं उस क्षेत्र का नुमाइन्दा हूं, मैं वहीं पर था, पुलिस ने अपने अपराध को छुपाने के लिए कहानी गढ़कर बता दी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने ही नियम बनाये हैं तथा उन्हें स्वीकार किया है। यदि आप वास्तव में यह समझते हैं कि सदस्यों के लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान हो कि वे कुछ स्पष्टीकरण अथवा कुछ जानकारी मांग सकें, तो इसके लिए आपको नियमों में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : यदि चोरी की है तो क्या उसके बाप को थाने में ले जाकर मार दें।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : इस हाउस में यह परिपाटी रही है कि अगर सदस्य चाहें तो आपकी अनुमति से क्लैरीफिकेशन पूछ सकते हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कल श्री पासवान कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे परन्तु पीठासीन अधिकारी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी, क्योंकि नियम 372 के अन्तर्गत सदस्यों को इसकी अनुमति नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : यह आपकी डिसक्रीशनरी पावर है कि सदस्य पाइंट ऑफ क्लैरीफीकेन्स पूछ सकते हैं ताकि मामला साफ हो जाए । आप कृपा करके मेरे अधिकारों का प्रोटैक्शन करके, अपनी डिसक्रीशनरी पावर इस्तेमाल करके मुझे कुछ पूछने का मौका दें ।.....(**व्यवधान**)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उसको अस्पताल क्यों ले जाया गया, पुलिस ने उसको मारा यह बात स्टेटमैंट में मिसिंग है ।

श्री कालका दास : थाना लोगों की रक्षा के लिए बनाया गया है, क्या वहीं पर हत्या की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसी सत्र में ही एक बार बैंक डकैती के सम्बन्ध में मन्त्री के वक्तव्य के पश्चात पांच सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मुझे दो-चार क्लैरीफीकेशन्स पूछने हैं क्योंकि मैं वहां का प्रतिनिधि हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हर बात ठीक तथा सही है । परन्तु आपको प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार ही कार्य करना है ।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : बैंक डकैती केस में पांच पाइंट ऑफ क्लैरीफीकेशन्स एलाऊ किए थे ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : नियम समिति ने पहले ही इस संशोधन को स्वीकार कर लिया है ।

श्री मदन लाल खुराना : मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इसके लिए दो अथवा तीन स्पष्टीकरण की अनुमति दे दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी के लिए जो नियम कल था वही आज आप पर भी लागू होगा, क्योंकि अभी 24 घण्टे का समय भी व्यतीत नहीं हुआ है ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि रूल्स यह कहते हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि मामला इतना गम्भीर है कि पुलिस स्टेशन पर ही हत्या की जा रही है। इसलिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर मेरे अधिकारों की रक्षा करें ताकि मैं ठीक बात सदन को बता सकूं। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मामला खैर चला गया, मैंने उस दिन भी कहा था कि यदि आप देखेंगे तो इस सदन में इसी सत्र में 1-2 ओकेशन्स ऐसे आए हैं जब चेयर ने कैलेरिफिकेशन्स के लिए एलाऊ किया है और यही बात मैं उस दिन कह रहा था और आज फिर कह रहा हूं। दूसरे सदन में पूरा का पूरा दिन क्लैरिफिकेशन्स में चला जाता है, वह भी अति है और यहां उसको बिल्कुल रोके हुए हैं, यह भी अति है। इसलिए रूल्स कमेटी ने कहा था कि 1-2 क्लैरिफिकेशन्स पूछा जा सकता है लेकिन चेयर की अनुमति से। इस कारण अब भी कलैरिफिकेशन्स के लिए इजाजत दी जाए। (**व्यवधान**)

श्री कालका दास : मान्यवर, बैंक डकैती का मामला भी गम्भीर था और यह मामला उससे कम गम्भीर नहीं है। लोगों को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाए और वहां पर हत्या कर दी जाये इससे गम्भीर और क्या बात हो सकती है। यह एक गलत बात है। चोरी हुई, पुलिस उनके घर मे जेवर निकाल कर और पैसे निकालकर ले गए। जयराम जो कि मनोज का बाप है, उसको वहां बुलाकर इतना मारा कि उसको प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाना पड़ा और वहां उसकी हत्या हो गई।

श्री मदन लाल खुराना : हम यह जानना चाहते हैं कि पुलिस आफिसर अरैस्ट हुआ या नहीं। इसी थाने के अन्दर पिछले दो सालों में यह पांचवा केस हुआ है। थाने के अन्दर बुलाकर उनको मारा गया। इसके बारे में स्पैशल मैजर्स क्या उठाये जा रहे हैं। अगर समय पर ऐक्शन लिया होता तो बाद में बसें जलती नहीं और डिमांस्ट्रेशन होता नहीं।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट में यह नहीं है कि उसको मारा गया है। अगर उसे मारा नहीं जाता तो अस्पताल ले जाने की क्या आवश्यकता थी।

[अनुवाद]

यह एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य है जिसे इस वक्तव्य में छुपाया गया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आप होम मिनिस्टर से कहिए कि वह दिल्ली के एम० पीज० को बुलाकर लॉ एण्ड आर्डर के बारे में मीटिंग करें। यह पुलिस स्टेशन के अन्दर घटना हुई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उत्तर देंगे ?

श्री एम० एम० जैकब : दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की सामान्य स्थिति के बारे में संसद सदस्यों के साथ चर्चा करने में मेरी हमेशा रुचि रही है। मैं वास्तव में आपसे अर्थात् जन-प्रतिनिधियों से और अधिक जानकारी चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें से दो बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं—एक तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है और इसका किन परिस्थितियों में अस्पताल में उस अभियुक्त को ले जाया गया है और किस बात के लिए दो इंजेक्शन दिए गए ?

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : आप दिल्ली के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाइये ।

श्री एम०एम० जैकब : मैंने पहले ही श्री खुराना के सुझाव का स्वागत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें एक और बात है । जहां तक इस वक्तव्य का सम्बन्ध है, निश्चित रूप से कई सदस्यों को इस बारे में कुछ पूछना है । उस उद्देश्य के लिए मेरा अनुरोध है कि आप बाद में अपनी सुविधानुसार श्री जैकब से मिल लीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : वह नर्सिंग होम हार्ट का है—

श्री कालका दास : उस व्यक्ति को प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाया गया । उसको सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया । इस कारण कि नर्सिंग होम वाले मिले हुए थे और उनसे बनावटी रिपोर्ट ले ली जाती । मैंने कल भी मांग की थी कि इस परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का क्या सरकार ने तय किया है ? दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि क्राइम और विजिलेंस पुलिस के ही विभाग हैं तो इसकी जांच सी० बी० आई० से कराई जायेगी ? क्या सरकार ने इस बात को माना है या नहीं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उत्तर देंगे ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यदि आप चाहें तो मैं अपने माननीय मित्रों द्वारा कही गयी दो एक बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं । पहला मुद्दा इन व्यक्तियों के बारे में है, जिन्हें उस इलाके से गिरफ्तार किया गया है । उन्हें छोड़ दिया गया था । जैसा कि मैंने बताया था कि जिन तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि वे दंगा कर रहे थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया था ।

दूसरी बात यह है कि यह नर्सिंग होम एक प्राइवेट नर्सिंग होम है न कि सरकारी नर्सिंग होम । इसी के साथ ही मैं यह भी कह रहा था कि इस मामले को वरिष्ठ जिला मजिस्ट्रेट के पास इस मामले की जांच के लिए भेज दिया गया है तथा इसकी जांच की जिम्मेवारी अपराध शाखा को सौंप दी गई है । ये सभी कार्य किए जा रहे हैं । यदि फिर भी कोई ऐसी जानकारी है जो कि माननीय सदस्य मुझे बताना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं । वे उन बातों को मेरे ध्यान में ला सकते हैं·····**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कालका दास : मैं वही पूछ रहा हूं कि जब सरकारी हास्पिटल है तो प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाने की क्या आवश्यकता थी ?

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : आप दिल्ली के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाइये·····

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जीलिंग) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी दिल्ली के सांसदों से मिलने के लिए तथा मामले का हल निकालने के लिए पहले ही तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस विषय पर सभा का और अधिक समय लेना चाहिए।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की तो प्रशंसा करनी चाहिए कि सरकार ने धारा 302 के अन्तर्गत इन अभियुक्तों को दण्ड देने के लिए कदम उठाए हैं। प्रथम-दृष्ट्या ही सरकार ने उन पर आरोप लगाए। अतः इसकी भी सराहना की जानी चाहिए। इसका यह अभिप्राय: नहीं है कि मन्त्री को सांसदों से मिलने की आवश्यकता ही नहीं है, माननीय संसद सदस्य मन्त्री जी के साथ इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं परन्तु उन्हें सरकार के निर्णय का भी स्वागत करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : गृह राज्य मन्त्री जी ने वह रिपोर्ट दे दी और वह रिपोर्ट दे दी जो उनको पुलिस कर्मचारियों ने बनाकर दी थी तो मैं यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि साधारण चोरी के आरोप में पकड़कर लाकर क्या थाने में पिटाई करने का कोई नया कानून बना दिया गया है ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है तथा माननीय मन्त्री जी·····

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : जनता को भी मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है ? इस तरह से पुलिस लोगों को पुलिस स्टेशन में लाकर मार दे और जो कुछ बयान पुलिस बनाकर दे दे, उसको गृह राज्य मन्त्री जी यहां पढ़ दें, यह ठीक नहीं है। क्या इस केस की जांच सी० बी० आई० से कराएंगे या नहीं ? क्या इस परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा या नहीं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पूछा है तथा माननीय मन्त्री जी ने इसका उत्तर भी दिया है। मेरा अनुरोध केवल इतना है कि पीठासीन अधिकारी को उन नियमों के अनुसार चलना होगा जो इस सम्माननीय सदन ने नियम बनाए हैं। यदि वास्तविकता का पता लगाने में कोई बाधाएं

उत्पन्न होती हैं जैसा कि पासवान जी, राजवीर सिंह जी ने सुझाव दिया है, इसके लिए संशोधन प्रस्ताव लाने होंगे तथा जब ऐसा हो जाए निश्चित रूप से आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार नियम 372 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं है। मुझे आशा है कि आप सन्तुष्ट होंगे।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : यह तो बताएं कि सी० बी० आई० से इसकी जांच कराई जायेगी या नहीं। क्योंकि क्राइम ब्रान्च पुलिस की है, वहां से न्याय नहीं मिलेगा। इसकी सी० बी० आई० से जांच कराई जायेगी या नहीं और 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जायेगा या नहीं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी वास्तव में ही इस बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं तथा आप उनके साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे, इसका उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया है। अतएव उन्होंने जो अपनी सेवाएं हमें देने के लिए हमसे कहा है, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए।

श्री कालका दास : महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

1.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

उद्योग मन्त्रालय—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आगे चर्चा जारी करें। श्री विलास मुत्तेमवार जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्रालय की अनुदान की मांगें और उद्योग नीति, लघु उद्योग नीति, इसकी यह संयुक्त चर्चा हो रही है।

हमारे देश पर और हमारे देश की उद्योग नीति पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है इसलिए कि यह बहुत बड़ा मार्केट है और उसको मद्देनजर रखते हुए, जैसी कि कई सदस्यों ने यह अपनी भावना व्यक्त की, यह महत्त्वपूर्ण विषय था और इस उद्योग नीति पर अगर अलग से चर्चा होती, व्यापक चर्चा होती तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम होता ! एक बात तो सही है कि इस नीति का बड़ा व्यापक स्वागत हुआ है, इस देश के उद्यमियों द्वारा और इस देश विद्वानों ने भी इसका स्वागत किया है तथा आम लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। सरकारी पक्ष जो भी नीति रखता है, उसका विरोध करना विरोधियों का कर्त्तव्य हो गया है। यह देखते हुए मुझे दुःख हुआ है कि इस सदन में कुछ गैर जिम्मेदार पक्ष भी हैं। हमारे आचार्य जी और उनकी पार्टी के लोगों ने कल इस उद्योग नीति की चर्चा करते हुए डर व्यक्त किया और कहा कि हम इस देश को विदेशियों के हाथों में बेचने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको डरना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूं

कि यह देश डेढ़ सौ वर्षों तक गुलामी में था और इस देश को आजादी इस देश की आम जनता ने दिलाई है और आज हम स्वतन्त्र भारत में हैं। मैं उन्हीं जनता की तरफ से हमारे जो डरे हुए साथी हैं, उनको विश्वास दिलाऊंगा कि आने वाले दिनों में इस देश की जनता किसी भी चीज के लिए किसी के हाथ में गुलाम नहीं होगी, क्योंकि इस देश की जनता उसके लिए तैयार नहीं है। यह बात सही है कि·····(व्यवधान)···

श्री बसुदेव आचार्य : जनता इसका विरोध करेगी।

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं जनता की तरफ से ही बोल रहा हूं। मैं आपको भरोसा दे ही नहीं रहा हूं। इस नीति को देखते हुए, यह कहा गया है कि आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के प्रैशर पर ये सब चीजें की गई हैं। मेरी राय में इन सब बातों में कोई बात नहीं है। आज जो रशिया को मानने वाले पार्टी के कुछ साथी हैं, वे अपने दिल पर हाथ रख कर·····(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : पार्टी के कौन-कौन साथी हैं ?·····(व्यवधान)···

श्री विलास मुत्तेमवार : पूरी पार्टी मानती है, वे अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि आज वहां की अर्थव्यवस्था किस दौर में जा रही है और उस देश के विकास के लिए इस बात की जरूरत समझी गई कि उनको विदेशी धन मिले। इस बात को समझा गया कि उनके देश में औद्योगीकरण करने के लिए मल्टी-नेशनल्स आएं और फिर इस प्रकार की चर्चा करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस बात की भी यहां चर्चा की गई कि नेहरू जी ने यहां समाजवाद की रूप-रेखा रखी थी, वह एक ढकोसला है और आज यह उसी का परिणाम है कि हम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर हम ईमानदारी से आंकड़े देखें, तो दुनिया में जो देश हमारे साथ स्वतन्त्र हुए थे, उनकी तुलना में हमारे देश में काफी प्रगति हुई है, औद्योगीकरण के क्षेत्र में। पिछले साल हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद औद्योगीकरण में तकरीबन आठ प्रतिशत से भी ज्यादा प्रगति हुई है और यह पिछली पंचवर्षीय योजनाओं से ज्यादा है। इसके बावजूद भी विपक्ष के लोगों के द्वारा आरोप लगान कोई सही बात नहीं है हम लोग फिर विदेशियों के हाथ में जा रहे हैं, इस प्रकार का डर वे अपने मन से निकालेंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अर्ज करता हूं।

इस नीति में एक बात सही कही गई है कि निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस देश में जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनकी एफिशियेंसी को बढ़ाने की बात इस उद्योग नीति में कही गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जा सके और उनके इन्वाल्वमेंट की बात इस नीति में कही गई है। इतना सब कुछ होते हुए भी, नीति को कंडैम करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी प्रकार उदारीकरण यानि नीति को उदार बनाने की बात कही गई है। उद्योग नीति जो कल तक थी, जिसमें लाइसैंस राज था, अगर उस लाइसैंस प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और आज किसी को भी लाइसैंस मिलने में दिक्कत नहीं होती है, तो क्या यह अच्छा कदम नहीं है। वास्तविक रूप में तो उद्योग नीति का स्वागत होना चाहिए था, लेकिन इसका स्वागत नहीं हुआ और सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी इस विचारधारा को बदलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस देश की प्रगति में हम सब लोगों का अच्छा योग-दान होगा। यहां विदेशी उद्यमियों के लिए वेलकम किया गया है उनको यहां आ करके उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है और इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ लोगों ने, कुछ जिम्मेदार

सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि वे अगर यहां आ गए तो वे हमारा मार्केट ड्राप कर देंगे । लेकिन आज जो वर्ल्ड मार्केट की स्थिति है, मैं नहीं समझता कि रियायतें देने के बाद पूरे झुंड के झुंड हमारे देश में आ जाएगा । (**व्यवधान**) दुनिया के तमाम मल्टीनेशनल हमारे देश में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है । जो भी प्रयोग करके देखा है कि इस तरह से हमारे देश में भी कुछ विदेशी धन आए, तो मैं समझता हूं कि आज दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जिन्होंने मल्टीनेशनल को अपनी तरफ एट-रेक्ट करने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन दिए हैं । उनकी तुलना में अगर हमको उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है तो हमारे यहां पर जो इनफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योग लगाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, उस इनफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है और उसकी तरफ अगर सब सदस्य इस नीति के चर्चा करते तो मैं समझता हूं कि अच्छा कदम होता ।

उद्योग मंत्री को मैं अर्ज करूंगा कि इनफ्रास्ट्रक्चर को जब तक हम उद्योग नीति से कोआर्डी-नेट नहीं करते, मैं समझता हूं कि तब तक कहीं हमारी उद्योग नीति फिर से पिछड़ न जाए, इस ओर आपको ध्यान देना होगा । एक बात और है कि इस उद्योग नीति का जो अप्रोच है वह मार्केट ओरियेंटेड है और एक ही बात तय है कि अगर हम आज अपने देश के मार्केट को लें तो आज हमारे देश का 60 प्रतिशत जो बाजार है उस पर हमने आज तक क्या काम किया है । 10 करोड़ लोग जिनकी परचेसिंग वेल्यू है उसकी तरफ भी हमारी नजर है और जो हमारी उद्योग नीति है उसके तहत जिस विदेश नीति को हम यहां लाना चाहते हैं, 10 करोड़ लोगों को देखते हुए हमने इस उद्योग नीति को फाइनलाइज किया है, लेकिन आज जो 60 परसेंट हमारी विदेशी मार्केट है उसका भी इनवाल्वमेंट करने की जरूरत हमें करनी होगी और उस दिशा में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि नीति का कोई उपयोग होगा ।

एक बात और है बह यह है कि विदेशी आय या हमने एम० आर० टी० पी० को लिवरल कर दिया है और इसकी वजह से हमारे देश के जो मल्टीनेशनल हैं और दुयिया के जो मल्टीनेशनल हैं, उनके आने से, उद्योग लगाने से एक बात तय है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है और अगर प्रति-स्पर्धा बढ़ेगी तो उद्यान का दर्जा बढ़ेगा और उद्योग का दर्जा बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्ट का दर्जा बढ़ेगा और आज हमारे देश के उद्यमी, जोकि हमारे देश की ही मार्केट का त्याग करने को देते हैं, यह बात तय होगी प्रतिस्पर्धा करने की वजह से कि ये सब लोग विदेशी मार्केट में जाकर स्पर्धा कर सकेंगे और यह सिद्ध होता है कि इस स्पर्धा में जो छोटे उद्योग हैं या जिनकी एफिशिएंसी नहीं है या जो अपना उद्योग ठीक ढंग से चला नहीं सकेंगे वे पिछड़ जाएंगे । उनकी तरफ अगर ध्यान दिया या उद्योग मंत्रालय में कोई योजना बनाई तो उन लोगों को भी इनके साथ रखने का काम हो सकता है ।

51 परसेंट इक्विटी का जो हमने एक फार्मूला रखा है मैं समझता हूं कि उससे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन 51 परसेंट इक्विटी का जो फार्मूला है अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हो सकता है तो मैं कहूंगा कि आपने 51 परसेंट इक्विटी तक जो मर्यादा रखी है आप सौ परसेंट तक इक्विटी रख दीजिए, लेकिन उसके साथ बंधन लगा दीजिए कि सौ परसेंट इक्विटी लाइये और ऐसे कुछ उद्योग लगाने के लिए आप क्षेत्र निर्धारित कर दीजिए । जो बैकवर्ड लोग हों, जिनका विकास न हुआ हो और उनको उद्योग लगाने के लिए आप बोलिए, उनको खुद इनफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए बोलिए । तो मैं समझता हूं कि वहां जाकर वे उद्योग लगाएगे और इस तरह से 51 परसेंट इक्विटी लगाने की जो बात है तो वह सौ परसेंट कर दीजिए, जिसको 50 परसेंट इक्विटी निर्माण करना हो

तो वह हमारे देश मे से निर्माण करना है। जो हम अपने आप में इक्विटी के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो उस कमजोरी को दूसरी जगह पैसा लगाकर दूर कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा की वजह से हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ने वाली है और बार-बार उद्योग नीति में एक बात साफ तरीके से कही गई है कि जो भी हमारे देश का उद्योग हो या विदेशी उद्योग हो उसमें हमने एक आशा रखी है एक्सपोर्ट परमोशन की। इस दृष्टि से हमारा निर्यात बढ़ता है तो हमारे यहां आज जो फारेन करेंसी की कमी आई है, उसको दुरुस्त करने में यह कारगर कदम साबित हो सकता है।

दोस्तो, यहां सार्वजनिक उद्योग की बात हुई। मैं समझता हूं कि यह सब लोगों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में क्षमता का बराबर उपयोग नहीं हो रहा है, चाहे बी० जे० पी० के मेंबर हों या सी० पी० आई०, सी० पी० एम० या कांग्रेस के लोग हों, सबको इस बात से सहमत होना चाहिए कि हमारी जो क्षमता है, उसका बराबर उपयोग होना चाहिए। आज इस बात की जरूरत है, समय की मांग है कि क्षमता का बराबर उपयोग होना चाहिए। इसके लिए सबको साथ देना चाहिए। यदि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होगा तो जो हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं, उसको दूर नहीं किया जा सकेगा और क्षमता का पूरा उपयोग न करना नेशनल वेस्ट होगा और एक तरह का देशद्रोह मैं इनको मानता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आत्म-निर्भरता की नीति है और इसमें मैंने अब तक जो बात कही है कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और देश के उद्योग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात थोड़ा डर कर कही गई है। जब तक हम स्माल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देते, जैसा कि हमारा रिकार्ड है कि 40 परसेंट उद्योग का उत्पादन स्माल स्केल सेक्टर से होता है, एक्सपोर्ट में इसका योगदान 25 परसेंट है, लेकिन नई उद्योग नीति की वजह से मुझे डर लग रहा है कि हमारी जो स्माल स्केल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग हैं, उसका दम घुटने वाला है। इनको संरक्षण देने का काम आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी से करना होगा।

छोटे उद्योगों के सामने एक तो बैंक ऋण का सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल मार्केटिंग असिस्टेंस का है। मार्केटिंग असिस्टेंस देने में हम आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात हमने विदेशियों को यहां आमन्त्रित किया है और देश के बड़े उद्योगों को भी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया है, लेकिन इसमें छोटे उद्योग पिछड़ने वाले हैं। वैसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, लेकिन इसमें उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई सुविधा नहीं दी है, जिससे छोटे उद्योगों का दम घुटने वाला है। आप टाटा को नमक बनाने की परमीशन देते हैं, साबुन, साईकल, ट्रक बनाने की परमीशन देते हैं, बिड़ला को कार बनाने की परमीशन देते हैं, आज सिंघानिया जूते निर्माण कर रहा है, बड़े घराने जूते, बटन, साबुन का निर्माण करते हैं, इन सब चीजों का निर्माण छोटे उद्योगों द्वारा हो सकता है, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा है। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी में थोड़ा फर्क है। आपने छोटे पहलवान को और बड़े पहलवान को एक साथ अखाड़े में उतार दिया है और कह रहे हैं कि बाहर रह कर छोटे पहलवान को चीयर-अप करें। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं होगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : क्या आप औद्योगिक नीति का विरोध कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं सी० पी० एम० का मैम्बर नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने आपकी बात कही है।

[अनुवाद]

हमें भी अपने देश के बारे में चिन्ता है।

[हिन्दी]

तो मैं समझता हूं कि आपको लघु-उद्योगों को संरक्षण देना होगा। बैक-वर्ड रीजन में इंडस्ट्री लगाने की कल तक की योजना थी, उसका सही ढंग से और सीधा-सीधा उल्लेख अपनी उद्योग नीति में नहीं किया है। इस बात को आपने जस्ट ऐसे ही कह दिया है। पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया है।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : यहां बैठे भी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं, लघु उद्योग वाले मिनिस्टर चले गए हैं। (**व्यवधान**)

श्री विलास मुत्तेमवार : मैं मन्त्री महोदय से विनती करूंगा कि उन्हें पिछड़े इलाकों को देखना चाहिए। आज पिछड़े इलाकों को हमने विकास की दृष्टि से नहीं देखा। इसलिए अलग-अलग तरह के आतंकवाद फैल रहे हैं। इसको हमने इस बार भी इग्नोर कर दिया। मैं समझता हूं कि आपने हिन्दुस्तान के दूसरे कोने में चाहे कितना भी विकास किया हो, उस आतंकवाद को आप रोक नहीं सकते हैं और जो हम समाजवाद और देश को ठीक ढंग का शासन देने की बात करते हैं उन इरादों में भी कमी आ जाएगी। इसलिए आपको पिछड़े इलाकों को देखना पड़ेगा ताकि रीजनल इम्बैलेंस न बढ़े। आपने रीजनल इम्बैलेंस की बात नहीं कही। हमारी कोई भी नीति हो उसका मुख्य उद्देश्य रीजनल बैलेंस का होना चाहिए और रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करने की बात होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजायी इसलिए दो मुद्दों को फिर से [illegible] समझता हूं। मैं उद्योग मन्त्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि आज हमारी नीति का मुख्य [illegible] ग्रामीण बेरोजगारी को खत्म करने का होना चाहिए। लेकिन इसको देखते हुए आपने कोई बात नहीं कही है। आज ग्रामीण बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो अच्छे-अच्छे उद्योग हैं उनको इस औद्योगिक नीति में समावेश करने की जरूरत थी। यहां फारचूनेटली तरुण गोगई साहब हैं, जो मिनिस्टरी को देखते हैं, मेरी इनसे अर्ज है, लेकिन यहां उद्योग मन्त्री भी हैं, मैं इनसे कहूंगा कि ग्रामीण रोजगारी देने वाले जो उद्योग हैं उसमें शूगर फैक्टरियां हैं। आज उसका एकाधिकार है। इसलिए वह सहकारी क्षेत्र में हैं। लेकिन आपने उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी, यह डिटरमेंटल पॉलिसी है कि आपने शूगर फैक्टरी लगाने के लिए को-आपरेटिव सैक्टर को बोल दिया है। लेकिन उसकी क्षमता पिछले पांच साल पहले साढ़े बारह सौ टन प्रति दिन की थी, अचानक उसको 2500 टन कर दी है। नया उद्योगपति अगर उद्योग लगाने के लिए जाता है, उसका प्रोजैक्ट अगर 25 लाख का है तो आप

कहते हैं कि आप 10 लाख से शुरू कीजिए। लेकिन सहकारी क्षेत्र का यह उद्योग है, आप चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिले, लेकिन आपकी नीयत साफ नहीं है। आप चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिले, लेकिन जो नए उद्योग स्थापित होने वाले हैं, वे इकोनॉमिकली वायबल नहीं हैं, ऐसा कहते हुए उसकी क्षमता साढ़े बारह सौ टन से उठाकर 2500 टन कर दी है। 2500 टन क्षमता करने के लिए शेयर कैपिटल 7 करोड़ रुपए लगती है। बैकवर्ड रीजन में जहां लोग अभी-अभी अपनी खेती ठीक ढंग से करने लगे हैं, जो गन्ना लगाना चाहते हैं, उन पर आप इतनी सख्ती करेंगे तो में समझता हूं कि ठीक कदम नहीं है। आज साढ़े बारह सौ टन की फैक्टरी के लिए 12 करोड़ रुपए लगते थे, 2500 टन की फैक्टरी के लिए आज 25 करोड़ रुपए लगते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी नीति दुरूस्त नहीं है। आपके सामने परपोजल है आप इसमें दुरूस्ती करेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूं।

दूसरी बात, उद्योग मन्त्री जी से कहूंगा कि यह जो हमारा मानसून सैशन चल रहा है, इसमें उद्योग नीति आयी, स्माल स्केल के लिए नीति आयी, व्यापार की नीति आयी, निर्यात की नीति आयी और ये सब नीतियां अगर नोडल एजेंसी बनाकर क्रियान्वित नहीं कीं तो मैं समझता हूं कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सही ढंग से आगे बढ़ें तो आपको एक नोडल एजेंसी की स्थापना करनी होगी। नोडल एजेंसी के माध्यम से सब लोगों को एकत्र करना होगा और आपको उद्योग नीति के निर्वाहन के लिए काम करना होगा।

मैंने अब तक देश की बात की, जिस क्षेत्र में आता हूं वह आदिवासी डोमिनेटिड क्षेत्र है, तीसरी बार यहां से आया हूं। उस क्षेत्र की बात करना मेरा कर्त्तव्य है। मैं उद्योग मन्त्री जी से कहूंगा कि हम महाराष्ट्र से आते हैं, जब भी औद्योगीकरण की बात होती है तो यह कहा जाता है कि आपका महाराष्ट्र तो बहुत आगे बढ़ चुका है। हमारे महाराष्ट्र में बम्बई, ठाणा, पूना, जलगांव, नासिक और औरंगाबाद क्षेत्रों में ही औद्योगीकरण हुआ है। अगर आप डिटेल में आंकड़े देखेंगे तो मराठवाड़ा और विदर्भ पिछड़े हुए इलाके हैं। इन इलाकों को औद्योगीकरण की दृष्टि से सामने लाने की बात करनी होगी। आज महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए लैटर ऑफ इंटैंड लिए जाते हैं, लेकिन उद्योग सिर्फ बम्बई के पास लगते हैं। इसी तरह विदर्भ और मराठवाड़ा पिछड़े रह गए हैं। आज मांग हो रही है इसके विकास के लिए। इसके विकास के लिए आपको काम करना होगा।

उ[illegible] मैं आपसे कहूंगा कि सेन्ट्रली बैकवर्ड करके नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रीक्ट कीजिए। मेरे क्षेत्र में [illegible] विदे[illegible] जिला है। आपने 1983 में नो-इंडस्ट्री डिस्ट्रीक्ट घोषित किया [illegible] दिया [illegible] मैं, सातवीं और आठव[illegible] सभा में लगातार यह कोशिश करता रहा। मैं इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की कन्सलटेटिव कमेटी में रहा। वहां उद्योग लगाने की बात हुई। आपने कहा कि लैटर ऑफ इंटेन्ट दे दिया है, वहां उद्योग लगने वाले हैं। वहां पर राइस मिल और छोटे कागज की मिल लगी। तीन-चार सौ करोड़ की रेयान फैक्ट्री का लाइसेंस दिया। लेकिन, बाद में उसको हटाकर दूसरी जगह ले गए। लैटर ऑफ इंटेन्ट देने के बाद वहां उद्योग लगे या नहीं, यह देखने का कोई परिणाम आपके पास नहीं है। इसी तरह जो बैकवर्ड रीजन हैं, वह बैकवर्ड रह चुके हैं। गढ़चिरौली जिला नक्सलवाद की गिरफ्त में चला गया है। आए दिन वहां पर नक्सलवादी गतिविधियां होती रहती हैं। अब नागपुर के पास और यवतमाल में आ गए हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वहां के क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। इन सब चीजों का को-आर्डिनेट करते हुए रेल मन्त्रालय को पीछे रखकर नहीं चलना चाहिए। आप पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर वहां रेल

लाइन नहीं होगी तो वह तैयार नहीं होगा। जिस क्षेत्र में विकास हुआ है तो वहीं पर उद्योग लगेंगे। इसलिए, उद्योग नीति में रेलवे को को-आर्डिनेट करने की जरूरत है। वही करेंगे तो हमारी नीति सफल हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योग नीति का व्यापक स्वागत हुआ है। नेहरू जी ने 1956 में इस देश में राजकीय, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट आपके सामने रखा था। रशिया वाले जो बात कहते हैं तो हम दूसरों की गिरफ्त में जाते हैं। हमने पंचवर्षीय योजना का जो फिनोमिनन है, वहीं से लिया है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी, उन्होंने उसको बदलने की बात कही थी। आज दुनिया भर में स्वाभिमान के साथ हम खड़े हैं। आप उद्योग नीति के लिए सजेशन दीजिए, लेकिन उसको कंडेम मत कीजिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात बताना चाहता हूं। जिनको आरम्भ में ही बोलने का अवसर मिलेगा, उनको अधिक समय मिलेगा तथा बाद में बोलने वालों को कम समय मिलेगा, क्योंकि समय समाप्त होने की घण्टी नियमानुसार बजती रहेगी, जिसका परिणाम यह होगा कि सदस्यों में इससे असन्तोष व्याप्त होगा। प्रारम्भ में दस मिनट के पश्चात् घण्टी बजेगी तथा उसके बाद पांच मिनट का और समय दिया जायेगा। इससे हर किसी को इस सदन में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। अतएव इस नियम का हमें पालन करना चाहिए।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : पीठासीन अधिकारी ने समय बढ़ाने का आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : समय और दिया जा सकता है। परन्तु यदि आप केवल पन्द्रह मिनट ही और बोलेंगे तब कई और माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जायेगा।

श्री अनिल बसु : यह एक नयी नीति है जो कई सारे मुद्दों से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परन्तु हर कोई इस सदन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। अतः किसी को भी बोलने से नहीं रोका जा सकता। अतएव मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप समय का ध्यान रखें। अब मैं श्री के० पी० रेड्डय्या यादव को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्रालय के अधीन अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस नयी औद्योगिक नीति के बारे में सभी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने बोला है। इस विषय पर चर्चा करने में मुझे कुछ कठिनाई हो रही है कि क्योंकि जब मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र में गया था, सभी दलों के कार्यकर्ता मछलीपटनम में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने मुझसे नयी औद्योगिक नीति के बारे में अपने विचार व्यक्त करने को कहा है; मेरी अपनी भाषा में नहीं, न ही दल तथा दल के नेता की भाषा में बल्कि वे जनता की भाषा में ही अपने विचारों को रखना चाहते थे। अतः आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे इस सम्माननीय सदन में ग्रामीण जनता की आवाज बुलन्द करने के लिए कुछ और अधिक समय दे दें ताकि न्याय किया जा सके।

इस देश की जनता ने नयी औद्योगिक नीति को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। वे इस बात से भी सहमत हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश की औद्योगिक नीति तथा बड़े औद्योगिक आधार की स्थापना करने में उनकी दूरदर्शिता के कारण ही देश काफी सम्पन्न हो सका था। इसमें कोई सन्देह नहीं है। दूसरे, पिछले दस वर्षों के दौरान पूरी व्यवस्था ही बदल चुकी है तथा खेद की बात यह है कि पण्डित नेहरू जी ने जो स्वप्न देखा था उसे कांग्रेस के बाद के नेताओं द्वारा पूरा नहीं किया गया है। (व्यवधान)

वर्ष 1956 के दौरान पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उन्होंने एक नई औद्योगिक तथा कृषि नीति बनाई थी। महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि इस देश के सभी व्यक्तियों को स्वतन्त्रता का लाभ मिलना चाहिए। गांधीजी की इच्छाओं के अनुसार ही कांग्रेस सामाजिक सुधार कार्यान्वित करने सम्बन्धी मुद्दे पर चर्चा कर रही थी। तत्पश्चात् पण्डित जी ने उन्हें बताया था कि यदि वे किसी समय विशेष पर ही सम्पत्ति वितरित करना चाहते थे तो यह निर्धनता है जिसे बांटा सकता था जैसा कि अभी हमने हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी तथा इस अवधि के दौरान धन सम्पत्ति में कुछ भी वृद्धि नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था, "हमें अभी और दस अथवा पन्द्रह वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए तथा हमें अपने देश में धन सम्पत्ति बढ़ानी चाहिए ताकि हम बाद मे इसे बांट सकें। चूंकि हम इस स्वतन्त्र देश के शासक हैं तथा हम किसी भी समय ऐसा कर सकते हैं।" इसके पश्चात् वर्ष 1956 में इस देश की चालीस करोड़ जनता ने कांग्रेसी नेताओं को इस देश की सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति तथा सम्पन्नता का अभिरक्षक बनाया था। उन्होंने क्या किया ? जनता ने एक के बाद एक योजना की प्रतीक्षा की थी। देश का धीरे-धीरे विकास हो रहा था। इस देश के किसानों तथा कामगारों के कठोर परिश्रम से उत्पन्न की गई सम्पदा के सामाजिक वितरण सम्बन्धी कार्यान्वयन को वे हमेशा आगे के लिए टाल रहे थे। इसके बाद जो हुआ था वह सर्वविदित है। अनेक बार श्री राजगोपालाचारी ने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि कांग्रेस सरकार लाइसेंस राज लाना चाहती थी तथा इसका कारण यह था कि ग्रामीण भारत का कृषि सम्प्रदाय तथा शिल्पकार इत्यादि औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें। यही कारण है कि वर्ष 1956 में जब औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसी समय से ही कांग्रेस ने लाइसेंस पद्धति को आरम्भ कर दिया था।

केवल वे ही व्यक्ति जो लिख सकते हैं, जो कि दिल्ली, बम्बई तथा हैदराबाद जा सकते हैं, केवल वे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से ही कांग्रेस ने उद्योगपतियों, जो कि देश की कुल जनता का केवल 0.1 प्रतिशत ही हैं, के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है ताकि ने व्यवस्थित रूप से देश की सम्पत्ति को लूट सकें। महोदय, इस समय वह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने इस देश का धन लूट लिया है तथा देश की सारी सम्पत्ति केवल कुछ ही व्यक्तियों के पास केन्द्रित हो गई है। भारत की ग्रामीण जनता की कांग्रेस सरकार के बारे में यही भावनाएं हैं। मैं आपके समक्ष यही कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाद में मैं अन्य बातों के बारे में भी कहूंगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पैंतालीस वर्षों के दौरान क्या हुआ है ? लोगों के पास असंख्य, अगणित धन सम्पदा एकत्रित हो गई है जिसे स्विजरलैंड तथा स्वीडन के बैंकों में जमा किया गया है। पिछले दो तीन वर्षों के दौरान जनता अमरीका, स्वीडन तथा स्विटजरलैंड की सरकारों पर काफी दबाव डाल रही थी कि उन्हें दूसरे देशों के व्यक्तियों को अवैध रूप से अर्जित किए गए धन को गुप्त खानों में जमा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उन्हें इन व्यक्तियों के नाम बताने चाहिए तथा उन्हें किसी को भी गुप्त खातों में धन रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस भय

से कि भारत सरकार ऐसे धन को तुरन्त वापस लाना चाहती है, यही कारण है कि उन्होंने नई औद्योगिक नीति, 1991 बनाई है अन्यथा नई औद्योगिक नीति, 1991 बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी सिवाय इसके कि वे इस काले धन को वापस लाना चाहते हैं। इस समय वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजीनिवेश करना चाहते हैं, क्यों ? इसके क्या कारण हैं ? इस काले धन को वापस लाने के लिए उन्हें कोई-न-कोई तरीका तो दिखाना ही है तथा इसीलिए अनिवासी भारतीय, राजनीतिज्ञों, अधिकारी तंत्र तथा व्यवसायी व्यक्ति जिनके गुप्त खातों में काला धन जमा है तथा जिन्होंने इस काले धन को स्वीडन तथा अन्य देशों में जमा कर दिया है, इन लोगों को शेयर बेचे जा रहे हैं। वे कोई तरीका दिखाना चाहते हैं। अत: एक आदर्श व्यक्ति के सदृश उन्हें अपना काला धन वहां से लाकर सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में निवेश करना है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऐसा कोई विचार नहीं था। नई औद्योगिक नीति, 1991 के बारे में आम आदमी की यह धारणा है।

महोदय, अब मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। मैं कोई भाषण करने नहीं जा रहा हूं। नए वित्त मंत्री तथा अन्य कांग्रेसी मित्रों ने कहा है कि हम औद्योगिक रूप से विकसित देशों में साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं तथा इस प्रकार से हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास अपने हितों की गिरवी रख रहे हैं। यदि महात्मा गांधी को यह ज्ञात हो गया होगा कि कांग्रेसी नेताओं की यह इच्छा है तो उन्होंने स्वतंत्र भारत की इच्छा नहीं की होती। बल्कि उन्होंने ब्रिटिश लोगों से यह कह दिया होता कि "ठीक है, मेरे प्रिय मित्रों, आप हमारे देश का हमारे औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन का विकास कीजिए तथा मेरे देश के पुरुषों तथा महिलाओं के जीवन की राशि मूल, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते रहिए तथा हम आपसे आपके अधिकार, शक्तियां छीनना नहीं चाहते तथा हम स्वतन्त्र भारत भी नहीं चाहते।"

महोदय, इस समय ये ही लोग कह कह रहे हैं कि यह अधिक अच्छा होगा यदि कोई विदेशी यहां आए तथा यहां पर इस्पात उद्योग अथवा किसी अन्य भारी उद्योग की स्थापना करे। कांग्रेसी नेताओं ने स्वाभिमान का अर्थ भुला दिया है। स्वाभिमान का यह अभिप्राय नहीं होता कि हम किसी के सामने धनराशि अथवा सम्पत्ति की सहायता के लिए किसी के भी आगे झुक जाएं अथवा आत्म-समर्पण कर दें। इसका यह अर्थ नहीं है। मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। जनता ने मुझे संसद सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है तथा मैंने एक ऐसे करोड़पति को पराजित किया है जिसने लगभग सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को लूटा है। इस बात को आप नहीं समझते। इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में धन की कोई भूमिका नहीं हो सकती। यह सरकार अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी पूंजी निवेशकों के पास यहां पर अपना धन लगाने का प्रस्ताव भेज रही है तथा उन्हें 51 से 100 प्रतिशत तक इक्विटी छोड़ने की अनुमति दे रही है। कभी-कभी वे रूस तथा चीन के बारे में भी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनिवासी भारतीयों ने भारतीय बैंकों में लगभग 20,000 करोड़ रु० तक की राशि जमा कर दी है। श्रीलंका तथा सिंगापुर जैसे छोटे देशों के लिए यह राशि सम्भवत: बड़ी राशि भी हो सकती है परन्तु भारत जैसा देश, जिसमें 90 करोड़ लोग रहते हैं उसके लिए यह केवल ऑक्सीजन के समान है जो मृत्यु शैया पर पड़े किसी रोगी को इसलिए दी जाती है ताकि वह जीवित रह सके। परन्तु उसके पश्चात् आप क्या करने जा रहे हैं यही वह प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त थोड़े से कर्ज से काम चला रहे इस देश को बचाने के लिए क्या आपके पास कोई नया बुनियादी ढांचा तैयार है ?

2.00 म० प०

नए बुनियादी ढांचे के बारे में उनके पास कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। वे केवल यही कहते हैं कि वे इस देश में उद्योग तथा कृषि प्रणाली का विकास करना चाहते हैं। वे वर्तमान बुनियादी ढांचा जो कि भ्रष्टाचार तथा अक्षमता से परिपूर्ण है, इसके साथ इस नई औद्योगिक नीति को आंकना चाहते हैं। इसीलिए हम इस सरकार की विश्वसनीयता पर सन्देह कर रहे हैं कि क्या वे इस देश में समृद्धि, सम्पन्नता ला सकेंगे ?

वे चीन के बारे में बात कर रहे हैं। परन्तु चीन के बुनियादी ढांचे के बारे में क्या हमें बताया जाएगा ? अभी हाल ही में वर्ष 1985 में हमने चीन को तम्बाकू से भरे एक जहाज का निर्यात किया है। वहां पर उन्होंने देखा कि तम्बाकू अच्छा नहीं है तथा तम्बाकू के स्थान पर हमारे देश के लोगों ने कुछ पत्थर तथा पत्तियां इत्यादि रख दिए हैं। चीन के वे अधिकारी जो यहां पर आए थे तथा जहाज में माल लदवाते समय जिन्होंने माल का निरीक्षण किया था उन्हें चीन की सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। परन्तु वे व्यक्ति जिन्होंने उस माल को यहां से भेजा था, उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री* द्वारा कई करोड़ रु० के नए आर्डरों से पुरस्कृत किया गया है। आपका यही बुनियादी ढांचा है। आप यह शान बघार रहे हैं कि हम इस देश को अमरीका तथा चीन के स्तर तक ले जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनके भाषण के संबंध में ही बोल रहा हूं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग रेलवे मंत्री के घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे थे और जिनकी अगुवाई यशवंत सिन्हा और हरीश रावत कर रहे थे, उन पर आर० पी० एफ० के जवानों पर लाठी चार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया जबकि उनकी मांगें आपके सामने हैं। इस सदन में तब के मंत्री जी ने इनकी मांगों का समर्थन करने का वचन दिया था और उन्होंने यह नोटिस दिया था कि 21 तारीख से यह उनके घर के सामने भूख हड़ताल करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि···**(व्यवधान)**

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उन पर लाठी-चार्ज हो रहा है और मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी एक नोटिस दिया था। मुझे वहां से एक सन्देश मिला है। सैकड़ों आर० पी० एफ० के जवानों पर लाठी चार्ज किया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : आर० पी० एफ० के जवानों के साथ धरने पर बैठे हुए हमारे कुछ संसद् सदस्यों तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों पर लाठी चार्ज किया गया है। यह एक गम्भीर मामला है। इस सदन के एक मत से पारित संकल्प के आधार पर ही सरकार ने आर० पी० एफ० एसोसियेशन को मान्यता देने का निर्णय किया था। इस आदेश को तुरन्त ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में बोल रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। आर० पी० एफ० एशोसियेसन की मान्यता बहाल करने का निर्णय गत सरकार ने लिया था। तत्कालीन रेल मन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र ने सदन में यह घोषणा की थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनें। अगर आप इस मुद्दे को प्रश्न काल के तुरन्त बाद उठाना चाहते थे तो आपको वैसा करना चाहिए था।

श्री विलास मुत्तेमवार : हमने आज भी अपनी बात कही है। अभी-अभी, वहां बैठे लोगों पर लाठी चार्ज हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या हम जब भी चाहें तब ऐसे मामले उठा सकते हैं। नियम इसकी अनुमति बिल्कुल नहीं देते हैं। असामान्य परिस्थितियों में ऐसे मामले को प्रश्न काल के तुरन्त बाद उठाया जा सकता है। बाहर अनेक गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन हम सब इस सभा के नियमों व विनियमों से बंधे हैं और हमें उनकी अनुपालना करनी है।

श्री बसुदेव आचार्य : मन्त्री महोदय यहां पर हैं; वह इसका उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या खड़े हुए हैं। मन्त्री महोदय बाहर नहीं जा रहे, वह यहां पर ही बैठे हैं। इसलिए पहले उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें, थोड़ा धैर्य रखिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इतने भयभीत हैं कि अभी मन्त्री महोदय चले जाएंगे ? माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह निर्णय मन्त्रालय, मन्त्रिमण्डल द्वारा लिया गया था। अब हम यह जानना चाहते हैं कि वह पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को कब लागू करेंगे। (व्यवधान) महोदय, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। इस बारे में सभा की सर्वसम्मति है। (व्यवधान) मंत्री महोदय यहां पर हैं और वह अब इसका उत्तर दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री रेड्डय्या बोल रहे हैं; उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

(व्यवधान)

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती बासव राजेश्वरी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। हम उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनेंगे।

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं श्री रेड्डय्या का भाषण सुन रही थी। वह नई औद्योगिक नीति पर बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि कांग्रेसी लोगों के पास तो केवल आशय पत्र और लाइसेंस

हैं। क्या उनका अभिप्राय यह है कि तेलुगुदेशम के लोगों को कोई लाइसेंस और मांग पत्र नहीं मिला है ? मेरा पहला मुद्दा यही है।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि वह पूर्व वित्त मन्त्री के खिलाफ आरोप लगा रहे थे* वह सभा में नहीं है तो कैसे अपना बचाव कर सकते हैं ? क्या माननीय सदस्य नाम बता सकते हैं ?

महोदय, मैं इन दो मुद्दों पर आपका विनिर्णय चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर कोई आरोप लगाए गए हैं तो मैं उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाण्डेय ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न किया है। हमें उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न सुनना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष जी, इस सदन की कार्यवाही उन नियमों और प्रक्रिया के आधार पर चलती है जो यहां इस पुस्तिका में निहित हैं। मैं नहीं समझता कि आज से 4 दिन पहले, उस समय के सभापति ने, जो उस समय सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे, जब कश्मीर के विस्थापितों पर लाठी-चार्ज से सम्बन्धित मामला सदन में उठाने का प्रयत्न किया तो यह कहकर मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि यह नियमसंगत नहीं है। उसी प्रकार जब भी कोई मामला सदन के सामने आए, भले ही वह कितना महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, प्रत्येक विषय की अपनी गम्भीरता हो सकती है, उसे हम मानते हैं, सहमत हैं, लेकिन हम सदन में कुछ प्रक्रियाओं में बद्ध हैं और हमें उन प्रक्रियाओं के अनुसार चलना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसके पूर्वोद्धारण हैं। विगत में हमने ऐसे मामले उठाए हैं और मामले की अनिवार्यता के कारण मन्त्री महोदय ने उनका उत्तर दिया है। इसलिए जब मन्त्री महोदय यहां पर मौजूद हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यद्यपि उन्होंने लाठी-चार्ज नहीं कराया है फिर भी वह इसका उत्तर तो दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यह तो मन्त्री महोदय के खिलाफ सभा के अन्दर ही एक प्रकार का लाठी चार्ज हो गया।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, मुझे क्षमा करें। मान लीजिए अगर मन्त्री महोदय इसका उत्तर भी दें तो क्या मैं माननीय सदस्य को अपना भाषण रोकने के लिए कहूं, ताकि मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ माननीय सदस्य : हां, आप कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं होगा। पहले वह अपना भाषण समाप्त कर लें और बाद में हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

2.09 म० प०

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : सभापति महोदय, आपने सारे व्यवधान सुने हैं। इसलिए मुझे पर्याप्त समय दिया जाए।

महोदय, वे केवल डींग मार रहे हैं कि अन्य देश अपनी सारी प्रौद्योगिकी और सहायता देंगे और वे भारत में हजारों करोड़ डालर का निवेश करेंगे। यह गलत है। हमें यह समझना चाहिए कि वे दक्षिण कोरिया की मदद कर सकते हैं; सिंगापुर की मदद कर सकते हैं; श्रीलंका की मदद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या चीन के समक्ष भारत को एक सम्भावित राजनैतिक खतरे के रूप में लेते हुए इन देशों को डर है कि अगर एक बार भारत आत्म-निर्भर बन गया तो इस विश्व का एक नेता बन जाएगा, आप यह अपेक्षा न करें कि पश्चिमी देश यहां आएंगे और आपको आत्म-निर्भर बनने में मदद करेंगे। आज हमारे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास न तो प्रौद्योगिकी है और न ही आवश्यक धनराशि है। हमने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष 25-30 प्रतिशत तक उत्पादित तेल में भागीदारी का प्रस्ताव रखा है।

वे मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे ? इसका मतलब यह है कि वे हमारी इस सीमा तक मदद नहीं करेंगे कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बन जाए। वे एकाधिकारी हैं और अपनी शर्तों के अनुसार चलेंगे। आप इस देश की 80 प्रतिशत जनता के आत्म-सम्मान की उपेक्षा कर रहे हैं। आपके पास आत्म-सम्मान नहीं है। आपकी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पास आत्म-सम्मान नहीं है। लेकिन भारतीय लोग तो राष्ट्रीय गरिमा और अखण्डता के लिए प्राणों का बलिदान भी दे देंगे।

गत 40 वर्षों से झोंपड़ियों में रह रहे और एक रोटी से ही निर्वाह कर रहे लोगों ने आपको इस देश का संरक्षक इसलिए बनाया है ताकि आप देश के हितों की रक्षा करें। फिर भी आप हरिजनों, मुस्लिम या कोई अन्य अर्थात् असम्पन्न लोगों सहित इस देश की ग्रामीण जनता द्वारा किए गए बलिदानों को महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप यह अत्यधिक अनुमान मत लगाइए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आएंगी और इस देश को मजबूत बनाएंगी, यह तो उनके लिए खतरनाक है। आप अपनी पार्टी के अन्दर ही एक निष्ठावान सही व्यक्ति को राजनैतिक मैदान में नहीं आने दे रहे हैं। हर जगह प्रतिस्पर्धा है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां या अन्य देश आपको सभी क्षेत्रों में आत्म-निर्भर बनने में कभी भी मदद नहीं करेंगे। आप कृपया इस विचार को त्याग दें। जो भी सम्भावित मुद्दे हैं आप अपने आप ही एक नई योजना या औद्योगिक योजना को तैयार कीजिए।

अब वे कह रहे हैं कि जैसे ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और अनिवासी भारतीय हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और हमारे उद्योगों को खरीदेंगे, जो घाटे हो रहे हैं उनकी वसूली हो जाएगी।

श्री ई० अहमद : इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : आप पब्लिक शेयरों के निवेश को खराब क्यों कर रहे है; इसका भी यही अभिप्राय है । हमारा अपना दृष्टिकोण है । गांव में कहते हैं कि आप जब भी गलती करें, जब भी अपने क्षेत्र या व्यवसाय में घाटा उठाएं तो मारवाड़ी आर्थिक कानून को लागू करें।

श्री ई० अहमद : इसमें तबदीली हुई है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : इसलिए आपको बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास जाने और नए आर्थिक सिद्धान्तों को जानने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है । हमारे अपने सिद्धान्त हैं । एक मारवाड़ी कहता है कि जब हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो आप 50 प्रतिशत लाभ पा रहे हैं । जब आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो आपको प्रदत्त पूंजी अर्थात् मूलधन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप इसे बिल्कुल भी न छुएं ।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, उन्होंने 10 मिनट लिए हैं । यह मेरा भाषण नहीं है । यह लोगों का भाषण है ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सबका समय निकालकर आपने 15 मिनट ले लिए हैं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : नहीं, नहीं, महोदय । मैंने केवल पांच मिनट लिए हैं । उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया है । और उन्होंने विचारों का आदान-प्रदान किया है । अब मैं उन सभी बातों को नहीं उठा रहा हूं । सी० पी० आई०, सी० पी० आई० (एम०), तेलुगु देशम और जनता दल के कार्यकर्ताओं ने मुझे सम्माननीय सदन के समक्ष जो कुछ रखने को कहा है। (**व्यवधान**) अप्रवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के सम्बन्ध में लोग बहुत बेचैन हैं । हमारा विचार यह है । सार्वजनिक उपक्रमों में लगातार हानि हो रही है । कुछ उद्योगों को लाभ हो रहा है । क्या सरकार अथवा सचिवों या उन विशेष उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों ने लगातार होने वाली हानि का विश्लेषण किया है और क्या उन्होंने इस बात का पता लगाया है कि गलती कहां है । यही समस्या है और मच्छलीपट्टनम के कार्यकर्त्ताओं ने इस सभा के समक्ष यह बात बताने के लिए कहा है कि राजनैतिक हस्तक्षेप और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण ही ये सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम घाटे में जा रहे हैं । देश का मुखिता प्रधान मंत्री है और राज्य का मुखिया, मुख्य मंत्री है तथा उद्योग में मुखिया, सी० एम० डी० अर्थात् अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। जब तक सी० एम० डी० पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, कर्मचारी भी कार्य नहीं करेंगे और यहां तक कि कभी-कभी मशीन भी आरम्भ होने तथा रुकने के लिए उसके निर्देश पर काम नहीं करेंगी । अत: महोदय, यदि इस देश में किसी संस्था का मुखिया एक वर्ष तक ईमानदारी से काम करेगा तो देश की समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। मैं भारी उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

(व्यावधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, यदि आप ग्रामीण जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो वे आपको बददुआ देंगे । मैं आपके समक्ष कर्मचारियों की समस्याएं रख रहा हूं ।

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कह रहे हैं, वह सब अपनी जिम्मेवारी पर कह रहे हैं। ऐसा मत कहिए कि चूंकि आपके कर्मचारियों ने कह दिया है कि सब भ्रष्ट हैं, अतः सभी भ्रष्ट हैं। आप यहां पर अपने अधिकार से बोलते हैं ।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मेरा निवेदन है कि मैं कान्वेंट की भाषा में नहीं बोलना चाहता और इसीलिए मैं आसान भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

महोदय, कुछ उपक्रम हैं, जैसे भेल, जिसने देश की प्रसिद्धि में योगदान दिया है और हमें इस तथ्य से सहमत होना चाहिए । ऐसे कुछ उद्योग हो सकते हैं जो घाटे में चल रहे हैं । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें ऐसे सभी उद्योगों को बन्द कर देना चाहिए । व्यापार उद्योग सदा ही हमारे अर्थात् सार्वजनिक उपक्रमों के रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करेगा ।

इस स्थिति में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । एन० बी० सी० सी०, एन० टी० पी० सी०, ई० सी० आई० एल०, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हैं जो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं । यहां तक कि विश्व बैंक ने भी एन० बी० सी० सी० और एन० टी० पी० सी० की बहुत प्रशंसा की है किन्तु जैसे ही 1985 में एक मंत्री विशेष ने कार्य-भार सम्भाला उन्होंने उनकी प्रदत्त पूंजी भी खा ली। इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या इसके लिए वैज्ञानिक उत्तरदायी हैं, सी० एम० डी० उत्तरदायी है अथवा कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? नहीं । ऐसा राजनैतिक हस्तक्षेप तथा उन लोगों के कारण हुआ था जो इन सार्वजनिक उपक्रमों को तंग करना चाहते थे तथा वे चाहते थे कि वे घाटे में जाएं । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक उपक्रम है । और आई० पी० सी० एल० एक अन्य उपक्रम है जिसकी स्थापना 153 करोड़ रुपयों के साथ हुई थी और यह ठीक चल रहा था । जिन मंत्री जी ने कार्य-भार सम्भाला था उन्होंने कहा था कि वे हर निजी उद्योगपति को 10 लाइसेंस देंगे, मैं उस सबका वितरण नहीं देना चाहता कि उन्होंने लाइसेंस देने के बाद क्या किया । आ० पी० सी० एल० को एन० सी० एल० के कच्चे माल की आपूर्ति करनी पड़ती है । यह अन्य सार्वजनिक उपक्रम की सहायक कम्पनी है । उन्होंने कहा था कि वे कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करेंगे किन्तु वे निजी कम्पनियों, के० टी० एल०, यू० पी० सी० ओ० एम०, टेलि लिंक, निक्को-फिनोलीज इत्यादि को दुर्लभ माल उपलब्ध कराएंगे । (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, नाम लिया जा रहा है, नाम नहीं लिया जाना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : ठीक है, मैं कोई नाम नहीं लूंगा । हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड पिछले दो वर्षों से भारी नुकसान में चल रहा है । इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या आप आई० पी० सी० के लोगों को नौकरी से हटा सकते हैं ? एच० सी० एल० की स्थापना 1953 में हुई थी और यह ठीक चल रहा था । किन्तु इसी बीच आपने निजी उद्यम को पेश किया था । आप उन निजी लोगों को सभी कच्चा माल देना चाहते थे । आप इस प्रकार सभी मुद्दों का विश्लेषण करें ।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें। आप अपने साथी रमैय्या जी का समय ले रहे हैं। यदि आप और अधिक समय लेंगे, तो उन्हें बोलने का समय नहीं मिलेगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। विगत 42 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने मेरे चुनाव क्षेत्र मछलीपट्टनम पर एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया है। केन्द्र सरकार ने विशाखापत्तनम में 8,000 करोड़ रुपयों का निवेश किया है। हैदराबाद में 15,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे। विजयवाड़ा में, एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। दुर्भाग्य से, मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ भी खर्च नहीं किया गया, यद्यपि यह स्थान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रपति पट्टाभी सीतारमैय्या का जन्म स्थान है। अतः माननीय सभापति महोदय को यह मेरा सविनय निवेदन है। आप कृपया अपने प्रभाव का प्रयोग करें और उन्हें समझाएं कि केन्द्र मच्छलीपत्तनम में कम-से-कम एक बड़ी परियोजना स्थापित करे। यह चाहे कोई पेट्रो-केमिकल परियोजना हो या नमक पर अथवा कृषि पर आधारित परियोजना, जिसे मेरे चुनाव क्षेत्र में तुरन्त स्थापित किया जाए।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं और फिर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मेरे वुय्युरू विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक चीनी की फैक्टरी है। आप कहते हैं कि वे किसानों, मजदूरों और अन्य सभी के हितों की रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं वे किन की रक्षा कर रहे हैं। मैं 50 सैकेण्डों के भीतर यह कहानी बताऊंगा। इस चीनी की फैक्ट्री की स्थापना काफी समय पहले हुई थी और आज इसे करोड़ों रुपयों की आमदनी है। यहां तक कि इसकी आरक्षित राशि भी बढ़कर 35 करोड़ रुपए हो गई है। किन्तु, विगत दस वर्षों से मजदूरों को दिहाड़ी पर नौकरी पर रखा जाता है। यदि कोई चाय की दुकान का मालिक अथवा किसी कपड़े की दुकान का मालिक किसी व्यक्ति को 6 महीनों से अधिक के लिए काम पर रखता है तो उसे उस व्यक्ति को स्थायी कर्मचारी बना देना चाहिए। पिछले दस वर्षों से, ये गरीब मजदूर जो गन्ने के भार को अपने सिरों पर लाद रहे हैं वे दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं और उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। उन्हें कोई आय या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती हैं। एक भूमिहीन किसान भी जब किसी खेत में काम करता है तो उसे 30 रुपए मिलते हैं, जबकि इन मजदूरों को प्रतिदिन केवल 12 रुपए मिलते हैं। इसका क्या कारण है ? कारण आसान है। मुख्य प्रबंध निदेशक के सम्बद्ध मंत्री, सम्बद्ध सचिव और सम्बद्ध अधिकारियों, जैसे श्रम निरीक्षक, श्रम आयुक्त, इत्यादि, सभी के साथ सीधे सम्पर्क हैं। क्या यही लोग ग्रामीण जनता के हितों की रक्षा करेंगे ! मैं इस प्रकार कैसे विश्वास कर सकता हूं ?

मैं एक अन्य मुद्दे का उल्लेख करना चाहता···।

सभापति महोदय : वह अन्तिम मुद्दा था, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : मैं अप्रवासी भारतीयों के संबंध में एक शब्द कहूंगा और फिर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महोदय, क्या आप जानते हैं कि ये अप्रवासी भारतीय क्या हैं ? मेरे जिले में लगभग एक हजार अप्रवासी भारतीय हैं। ये वे लोग हैं जो दान के रूप में रुपया देकर बंगलौर मेडिकल कॉलेज, बंगलौर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं। तब वे अमरीका चले गए और वहां बहुत पैसा कमाया। यह काला धन अब इन अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से देश में भेजा जा रहा है। ये लोग गरीब लोगों के धन से चलाए जा रहे कॉलेजों में पढ़े हैं। हर विद्यार्थी पर,

वे लगभग एक लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप इन अप्रवासी भारतीयों के साथ देवदूतों की भांति व्यवहार करना चाहते हैं और आप देश में अपने भाई-बहनों के साथ दूसरी श्रेणी के नागरिकों के समान व्यवहार करना चाहते हैं। हमने उनकी कॉलिज की पढ़ाई के खर्च को वहन किया है। हम अप्रवासी भारतीयों और बहु-राष्ट्रीयों···*का धन नहीं चाहते।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। मेरे विचार में आप इस शब्द का प्रयोग करने से बच सकते हैं, क्योंकि यह असंसदीय है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, मैं अपने जीवन में आपके पास इस निवेदन के सिवाय अन्य कोई निवेदन लेकर नहीं आऊंगा। इन पांच वर्षों के दौरान, यदि यह सरकार जारी रहती है तो मैं आपको किसी भी बात पर अपना पक्ष लेने के लिए नहीं कहूंगा, कृपया मुझे केवल एक और मिनट दे दें।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार ने इन सभी सम्भावनाओं की जांच की थी कि क्या स्वर्ण को बेचे बिना, और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिए बिना देश का गुजारा नहीं हो सकता। हम निर्यात से प्रति वर्ष लगभग 32 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और साथ-ही-साथ 42 करोड़ रुपए के मूल्य के सामान का आयात कर रहे हैं। व्यापार का अन्तर लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। आपने हमें ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यदि हम 10,000 करोड़ रुपयों के पूंजीगत आयात में एक या दो वर्ष के लिए कटौती कर देते तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता था।

आप उर्वरकों के आयात पर लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारे पास एक स्थापित मुर्गी-पालन केन्द्र है। भारत में इसका बहुत अच्छी प्रकार से विकास किया गया है। हमें इस मुर्गी-पालन से 3.8 लाख टन के समतुल्य उर्वरक प्राप्त होते हैं। यदि आप गुजरात और रायलसीमा के किसानों को मूंगफली उगाने के लिए प्रेरित करें तो हम खाद्य तेलों के आयात को समाप्त कर सकते हैं। हम 2000 करोड़ के मूल्य के कपास का निर्यात कर सकते हैं। हम दो वर्षों के लिए पूंजीगत सामान के आयात में कटौती क्यों नहीं कर सकते जो 10,000 करोड़ रुपयों के मूल्य के बराबर है ?

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे तब उन्होंने यह विनिणय दिया था कि जब माननीय सदस्य अपना चयन समाप्त कर ले तब अति महत्त्वपूर्ण मामला उठाया जाए।

सभापति महोदय : आप या तो मूल प्रस्ताव करते अथवा माननीय अध्यक्ष महोदय को सुबह लिखित में देते।

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने सूचना भी दी थी और मैं इसे शून्य काल में उठाना चाहता था लेकिन दूसरी घटना घट गई। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : यह आज की कार्यवाही में सूचीबद्ध नहीं है।

*पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : रेलवे सुरक्षा बल के सैकड़ों जवानों के साथ भूतपूर्व मंत्री पर लाठियां चलाई गई थीं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसा कोई विनिर्णय नहीं दिया। यह कर्मचारी सूची में शामिल नहीं है। मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि चार व्यक्ति एक साथ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रेल मंत्री महोदय उत्तर दे रहे थे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें, उसके बाद रेल मंत्री उत्तर देंगे।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि इसे आज की कार्यवाही सूची में शामिल नहीं किया गया है और उपाध्यक्ष महोदय ने ऐसा कोई विनिर्णय नहीं दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह अति महत्त्वपूर्ण मामला है। इस सभा के भूतपूर्व सदस्य और भूतपूर्व मंत्री सहित रेलवे सुरक्षा बल के सैकड़ों कार्यकर्त्ताओं पर लाठियां चलाई गईं।

सभापति महोदय : मैं इसे अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लाऊंगा और यदि वह इसे कल के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो आप इसे उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, रेल मंत्री महोदय यहां हैं। वह इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि यह घटना उनके घर के सामने घटी है। मैं भी वहां मौजूद था।

सभापति महोदय : यह आज की कार्य सूची में शामिल नहीं है और अध्यक्ष महोदय ने इस मुद्दे को अस्वीकार कर दिया था। किसी भी परिस्थिति में मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जब माननीन सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें तो हम इस मामले को उठा सकते हैं।

सभापति महोदय : आपने यह मुद्दा तब उठाया था जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और यदि वह चाहते तब वह रेल मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कह सकते थे। लेकिन उन्होंने मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करने के लिए कहना उचित नहीं समझा।

यदि आप मूल प्रस्ताव देना चाहते हैं अथवा इसे लिखित में देना चाहते हैं तो मैं उसे अध्यक्ष की जानकारी में ला सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप कार्यवाही देख सकते हैं। उन्होंने यही कहा था। जब मैंने कहा कि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हैं तब उन्होंने कहा कि ऐसा तब किया जा सकता है जब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लें।

सभापति महोदय : मैं यहां उपस्थित था। आप जैसा कह रहे हैं कि जब सदस्य अपना भाषण समाप्त कर लेगा तब वह उत्तर देंगे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने ऐसा ही कहा था। जब मंत्री महोदय यहां हैं तब उन्हें उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान) यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। पिछली सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन को फिर से मान्यता दी जाए और मंत्रिमंडल द्वारा भी यही निर्णय लिया गया था तथा इसे क्रियान्वित नहीं किया गया था··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अद्यतन जानकारी देना चाहता हूं। श्री यशवन्त सिन्हा, राज्य सभा सदस्य·····(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आचार्य द्वारा यह मुद्दा तब उठाया गया था जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे और उपाध्यक्ष महोदय ने विनिर्णय दिया था·····

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, वैसा सुबह था। वह धरने की रिपोर्ट के बारे में था और रेल मंत्री महोदय अथवा जो भी व्यक्ति हो उससे उत्तर मांगा गया था। अब अद्यतन रिपोर्ट यह है कि 55 व्यक्तियों को श्री हरीश रावत जो भूतपूर्व संसद सदस्य हैं और श्री यशवन्त सिन्हा, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, तुगलकाबाद थाने भेजा गया है। वहां पर उप पुलिस अधीक्षक और अन्यों ने उन पर लाठियां चलाईं। वहां ऐसा ही हुआ था। हम इस बारे में सुबह नहीं जानते थे। इस प्रकार उनके अपने सदस्य को जो भूतपूर्व संसद सदस्य हैं, और अन्यों को हिरासत में लिया गया और वहां उन्हें पीटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है यदि वह सच है तो मेरे विचार से सरकार को कुछ कहना चाहिए, क्योंकि श्री हरीश रावत इस सभा के सदस्य थे और श्री यशवन्त सिन्हा राज्य सभा के सदस्य हैं, यदि उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और लाठी चार्ज किया गया तब तो रेल मंत्री महोदय को इसका जवाब देना चाहिए।

सभापति महोदय : आप जो कुछ कहना चाहते थे आपने कह दिया है। यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं तब तथ्य एकत्र करने में उन्हें कुछ समय लगेगा। वह···

(व्यवधान)

डॉ० असीम बाला (नवद्वीप) : वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाइए।

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, आज जो कुछ हुआ वह सुनकर मुझे बहुत दुख पहुंचा है। आपने सही कहा है कि मेरे पास पूरे तथ्य नहीं हैं। मुझे तथ्य एकत्र करने हैं। कुछ दिन पहले ही संसद भवन के गलियारे में श्री यशवन्त सिन्हा ने मुझसे बात की थी। मैंने उनसे कहा था कि "सत्र समाप्त होने दें। हम बैठकर इस पर बात कर लेंगे।" श्री हरीश रावत मेरे दल

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के सदस्य हैं। वह भूतपूर्व संसद सदस्य हैं। उन्होंने भी मुझसे बात की थी। मैंने उन्हें भी ऐसा ही आश्वासन दिया था। न केवल मैंने उनको लिखा था···

श्री बसुदेव आचार्य : आपने क्या लिखा है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : सत्र चल रहा है। हम अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। सत्र समाप्त होने दें तब हम बैठकर इस पर चर्चा कर लेंगे, कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। यह मामला अनुशासित बल से संबंधित है। इस बारे में हमें गृह मंत्रालय और अन्य लोगों से चर्चा करनी होगी। कृपया मुझे समय दीजिए। उस समय यह माना गया था कि यह मामला यहीं समाप्त कर दिया जाए तथा सत्र समाप्त होने के बाद हम बैठकर इस पर चर्चा कर लेंगे। मुझे इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि आज सुबह वह मेरे घर पर आ रहे हैं। मैं अपने घर पर था। मैं बहुत से लोगों, रेलवे कर्मचारियों, आम जनता तथा सबसे मिला। मैं अपने कार्यालय लगभग 11 बजे आया। उस समय तक कोई नहीं आया था। जब मैं अपने कार्यालय में एक सम्मेलन में था, तब मुझे यह बताया गया कि कुछ रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी, कुछ दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी, कुछ ट्रेड यूनियन मजदूर तथा कुछ अन्य लोग वहां गए हैं। वे मेरे घर के पास गए है। वे वहां धरने पर बैठे हैं। मैंने यह संदेश भेजा कि उन्हें बैठने दीजिए। उन्हें परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे हमारे लोग हैं, उन्हें बैठने दीजिए। मैं नहीं जानता कि बीच में ही पुलिस वहां क्यों चली गई और उन्हें वहां से क्यों ले गई ? मेरी तरफ से पुलिस को कोई निर्देश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाद में मुझे बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। तब मैंने पुलिस से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ? उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। यदि वह प्रतिबंधित क्षेत्र था तब पुलिस को उन्हें वहां आने नहीं देना चाहिए था। यदि उन्हें मेरे घर के पास आने दिया गया तब उन्हें वहां से ले जाना नहीं चाहिए था। मुझे पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। मुझे इस बारे में पता करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि मेरे मित्र भी बसुदेव आचार्य ने यह मांग की है मान्यता के संबंध में पिछली सरकार ने निर्णय लिया था।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इसे उद्धृत कर सकता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह उनका निर्णय है। कुछ अन्य मुद्दों पर आपने कुछ कार्यवाही करने की मांग की थी। मैंने कहा, "ठीक है, मैं मंत्रिमंडल को अपनी सिफारिशें भेज रहा हूं।" मैंने वह भेज दीं।

अब इस मुद्दे पर आते हुए मेरा कहना है कि हम सबको यह समझना चाहिए कि चुनाव हुए थे। अब पिछली सरकार यहां नहीं है। हम जनादेश से यहां आए हैं। पिछली सरकार ने जो कुछ किया वह हमारे लिए बाध्यकारी नहीं है। उस मामले में पिछली सरकार ने लोगों को अनेक निःशुल्क पास दिए। क्या आप उसे जारी रखना चाहते हैं ? (व्यवधान) पर उन्होंने वक्तव्य देने की मांग की तब उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए और व्यवधान नहीं डालना चाहिए। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्य कर रहे हैं। सरकारें आती-जाती रहती हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल को लाभ मिलेगा और वह जनादेश से आता है तथा देश की सरकार चलाता है। मेरे लिए जनता का हित और इस प्रणाली का हित अधिक महत्त्वपूर्ण है न कि पिछली सरकार का निर्णय। पिछली सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं वही बात यहां कहने नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं बीच का रास्ता निकाल लूंगा। अतः कृपया यह न कहें चूंकि किसी ने यह निर्णय लिया है इसलिए हमें उसका पालन करना

चाहिए। मैं यहां किसी के निर्देश लेने के लिए नहीं हूं, मैं यहां सरकार के चलाने के लिए हूं और जनता के हित में यह प्रणाली चलाने के लिए हूं। यह मेरा निजी प्रतिष्ठान या सम्पत्ति नहीं है। मैं यहां जनता की सेवा करने, संसद सदस्य के रूप में, जन-प्रतिनिधियों के रूप में आपकी बात मानने के लिए हूं।

[अनुवाद]

···लेकिन हमें यह बताते रहिए चूंकि किसी ने निर्णय ले लिया है तो हमें इसे लागू करना चाहिए। मैं इस प्रकार की किसी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं हूं।

सभापति महोदय : सभा, किसी प्रकार की अफवाह जो फैलाई गई है, सुलने की स्थिति में नहीं है। जब आप इसके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल कर लें फिर बचाव कल पर बात उठा सकते हैं। कल तक मंत्री महोदय को भी तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी और वह आपको उनके बारे में कुछ बताएंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यह अफवाह है ? आप हमारा साथ दें। हम चाहते हैं कि वह वक्तव्य दें।

सभापति महोदय : आपने कुछ अफवाह सुनी है या कुछ प्रमाणिक जानकारी प्राप्त की है, इसकी कल जांच-पड़ताल की जाएगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल ही क्यों ? यह घटना मद्रास की नहीं है; यह दिल्ली की है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के पास जो जानकारी थी वह वे दे चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूं तो कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। सभा में अनुशासन बनाए रखिए। जैसे ही मंत्री महोदय को सही और निश्चित जानकारी मिलेगी तभी वे उसे सभा के सम्मुख रखने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन अभी वह जो जानकारी देने के लिए सहमत हुए हैं, वह उससे अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने जो कहा है, उसे हम मानेंगे पर कृपया हमारा साथ दें। हम यह चाहते हैं कि उन्होंने कहा है कि वह पूर्व सरकार के निर्णय मानने को बाध्य नहीं है, वह ठीक कहते हैं; वह बाध्य नहीं हैं। लेकिन इस बात पर हम कुछ समय से वाद-विवाद कर रहे हैं। उन्हें एक वक्तव्य देने दीजिए कि वे बाध्य नहीं हैं; वह उसे मान्यता देने के विरुद्ध हैं; फिर हम सोचेंगे कि क्या किया जा सकता है; वह अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक हैं कि वह बाध्य नहीं हैं। उन्हें वक्तव्य देने दीजिए कि वह मान्यता नहीं देंगे; फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उन्हें इस मुद्दे पर समय मत दीजिए। जैसा कि 691 कर्मचारियों के मामले में हुआ है, उन्हें और समय नहीं लेना चाहिए। जब संसद का सत्र चल रहा है तो उन्हें निर्णय लेने दीजिए।

दूसरे, हमने इसे अफवाह के रूप में नहीं सुना है। हमें घटनाओं के बारे में थाने से ही पता चला कि इन लोगों को नजरबन्द किया गया है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। जानकारी प्राप्त करना तथा इससे पहले कि हम कार्य शुरू करें हमें यह बताओ कि वह अफवाह है या नहीं। उनका कर्त्तव्य है, सरकार का कर्त्तव्य है, रेल मंत्री अथवा उसका जो सत्ता में है, पता लगाने की जिम्मेदारी हो सकती है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि सभा के स्थगन से पहले वह उसके बारे में जानकारी दें। हमारा केवल यही अनुरोध है।

सभापति महोदय : आपका कहना ठीक है। आप इस मुद्दे को काफी लम्बे समय से उठा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इस वक्त इसकी क्या अनिवार्यता आ पड़ी है। क्या इस संबंध में आपको कोई विशेष जानकारी मिली है। क्या वह जानकारी प्रामाणिक है। मैं देख रहा हूं कि मंत्री महोदय यहां दो घंटे से बैठे हुए हैं। अभी आपको क्या जानकारी मिली है, यह स्पष्ट है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके पास इस जानकारी की पुष्टि करने का वक्त नहीं था। मैं नहीं कह सकता·····तीन बजने वाले हैं···सभा के स्थगित होने तक वे सम्बन्धित तंत्र से सम्पर्क स्थापित करके जानकारी देने की स्थिति में होंगे। मैं कह नहीं सकता। मेरा केवल यही कहना है कि सुबह आपने यह बात उठाई थी और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सरकार को तैयार रहने के लिए कहें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कल के लिए ?

सभापति महोदय : मैं सरकार को 5 बजे तक जानकारी देने और आपको जानकारी प्राप्त होने का अनुचित निदेश सरकार को नहीं दे सकता। यह सम्भव नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमारा अनुरोध अनुचित नहीं है। हमारा कौन-सा अनुरोध अनुचित है ? हम सिर्फ यह बता रहे हैं कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। मात्र टेलीफोन करके वह थाने से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जानकारी प्राप्त करने दीजिए।

अतः हमारा यह अनुरोध है कि शाम को सभा के स्थगित होने से पहले रिपोर्ट देना सम्भव है।

सभापति महोदय : श्रीमान् चटर्जी, आप अपनी बात कह चुके, जिसे मेरा विचार है कि मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है तथा मुझे विश्वास है कि प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा और इस बारे में कार्यवाही की जाएगी।···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब श्री सरताज सिंह बोलेंगे।

14.44 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

उद्योग मंत्रालय—जारी

[**हिन्दी**]

श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद) : माननीय सभापति महोदय, नई औद्योगिक नीति के बारे में, जो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि अभी तक जितनी भी नीतियां बनाई गईं, उनमें गलतियां थीं। 1956 की औद्योगिक नीति, जिसकी शुरूआत इस देश में हुई है, उसको पूरी तरह से नई औद्योगिक नीति में नकारा गया है। सरकार ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि 1956 में सार्वजनिक उद्योगों को प्राथमिकता देने की जो नीति अपनाई गई थी, उसका परिणाम देश को अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं हुआ है और यह गलत नीतियों का ही परिणाम है कि आज देश को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्जा बेहिसाब हो चुका है, विदेशी सहायता की जरूरत पड़ रही है और यहां तक कि कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए इसको सोना भी बेचना पड़ रहा है। (**व्यवधान**)

आज सरकार सुविधा में है, जहां एक तरफ 1956 को औद्योगिक नीति को नकारा जा रहा है वहां यह कहने में संकोच होता है कि उस समय जिन नेताओं द्वारा इस नीति का प्रतिपादन किया गया···उनके निर्णय गलत थे···जिसके परिणाम आप देश को भुगतने पड़ रहे हैं। बार-बार इस बात की चर्चा की जाती है कि देश ने बहुत तरक्की की, प्रगति की। आज हमारे आसपास के पड़ौसी देश हैं उनकी तुलना में बहुत प्रगति हुई है। अभी हमारे विलास जी भी इस बात का उल्लेख कर रहे थे। जबकि वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग है। हमारे सरकारी आंकड़ों में, जो हमारी औद्योगिक नीति के साथ लगाए गए हैं, पर-कैपिटा इनकम का हिसाब बताया गया है। इसमें आसपास के जितने भी 8-10 देश हैं उनमें भारत का नम्बर सबसे नीचे है। जहां हमारी पर कैपिटा इनकम 870 डालर है वहीं इण्डोनेशिया में 1820, चीन में 2470, थाईलैण्ड में 3280, ब्राजील में 4660 और यूनान में 6440 है। ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि यहां जो दावा किया जाता है कि हमने बहुत प्रगति की है या हमारी पर-कैपिटा इनकम बढ़ी है, सही नहीं है यहां तक भी दावा किया जाता है कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, यह दावा ठीक नहीं है।

आंकड़ों को यदि देखा जाए, जो इण्डस्ट्रियल आउटपुट के बारे में आंकड़े दिए गए हैं उनमें भारत की प्रगति 5.5 परमेंट हैं। पाकिस्तान की 10.8, थाईलैण्ड की 11.5, ताईवान की 13.2, साउथ कोरिया की 16.5। इस हिसाब से भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने औद्योगिक क्षेत्र में दूसरे देशों की तुलना में कोई बहुत अधिक तरक्की की है, प्रगति की है। एग्रीकल्चरल आउटपुट में भारत की प्रगति 2.1 प्रतिशत, मलेशिया 4.7, थाईलैंड 4.5, इण्डोनेशिया 3.5, फिलीपाइन्स 3.6 प्रतिशत है।

श्री विलास मुत्तेमवार : आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, यह बताइए।

श्री सरताज सिंह : जिस नई औद्योगिक नीति की आपने घोषणा की है, आगे जाने के लिए उसके संबंध में मेरा कहना है कि आपकी जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनती हैं ये विदेशों से प्रभावित होकर बनती हैं। जैसे आपने 1956 की औद्योगिक नीति रूप से प्रभावित होकर बनाई थी। यह बात कहने में कोई संकोच नहीं, यह सच्चाई है कि जो नयी औद्योगिक नीति आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के प्रभाव में आकर बनायी है। आज तक हमने जितनी भी औद्योगिक नीतियां बनायी हैं उसमें हमारे राष्ट्र की क्या आवश्यकता है, हमारे यहां कैसी परिस्थितियां हैं, कैसी समस्याएं हैं, इन बातों का विचार नहीं किया गया। हमने विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर लिया बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए, एम० आर० टी० पी० की सीमा समाप्त कर दी है, लेकिन कुटीर उद्योगों को संरक्षण देने का प्रयास नहीं किया गया।

यह देश गांवों का देश है। कुटीर उद्योग यहां की रीढ़ हैं। लेकिन हमने ऐसे कोई उद्योग सुरक्षित नहीं किए जिनके माध्यम से कुटीर उद्योगों में लोगों को व्यवसाय मिल सके, रोजगार मिल सके। बहुत-सी ऐसी छोटी-चोटी चीजों का उत्पादन जो बड़ी आसानी से कुटीर उद्योग के आधार पर हो सकता है, आज मल्टी-नेशनल इस देश में कर रहे हैं। जैसे अभी बताया गया कि जूते भी बड़ी-बड़ी फैक्टरियां बना रही हैं, बड़े-बड़े कारखानों में बन रहे हैं। यहां तक कि तेल, साबुन, दांत साफ करने की काड़ी भी मल्टी-नेशनल बना रहे हैं। ये चीजें कुटीर उद्योगोंमें आनी चाहिएं। यह हमारी गलत नीति का परिणाम है। इस देश में बेरोजगारी फैली है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी गलत औद्योगिक नीति। हमने ऐसे उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया जो लोगों को रोजगार दे सकें।

अगर किसी कुटीर उद्योग को संरक्षण देते हैं तो उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। इसका उदाहरण लेना हो तो इस देश के बीड़ी उद्योग का आप उदाहरण ले सकते हैं। बीड़ी उद्योग में बीड़ी मशीनों से बड़े-बड़े कारखानों में नहीं गलती है। उसके कारण देश में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। नयी औद्योगिक नीति में आपको स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि कुछ उद्योग ऐसे होने चाहिए जो कुटीर उद्योग के लिए सुरक्षित हों तभी देश के लोगों को व्यवसाय मिल सकेगा। हम पिछड़े हैं, इसके लिए हमारी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन जिस प्रकार भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण हमारे उद्योगों की जो स्थिति हैं, उनके बारे में हमारा रवैया इस प्रकार का है जिससे हमको समस्याएं पैदा होती हैं।

आज हम विदेशी मुद्रा की बात करते हैं। विदेशी मुद्रा की कमी है, इसका उल्लेख करते हैं। मैं अपने क्षेत्र के सरकारी उद्योग का उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश का एकमात्र नोट बनाने के कारण का कारखाना मेरे क्षेत्र होशंगाबाद में स्थित है। वहां केवल नोटों का कागज बनाया जाता है। वहां उत्पादन दस टन प्रतिदिन होना चाहिए, केवल सात टन हो रहा है। उसके पीछे हास्यास्पद कारण हैं। कल, बघेला जी अपने भाषण में इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि रेलवे वैगन प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेना पड़ता है। उसका रखाने में उत्पादन इसलिए कम हो रहा है कि उनके पास जो नोट का कागज बनाकर रखा हुआ है, उसके बुकिंग के लिए वैगन उपलब्ध नहीं है। कागज कारखाने के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें चार चैनल काम करते हैं। कागज स्टाक करने की जगह कम पड़ने के कारण कभी एक या दो चैनल बन्द करने पड़ते हैं। एक तरफ तो उस कारखाने में उत्पादन नहीं कर रहे है और दूसरी ओर वहां के कर्मचारी बोनस के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम पूरा उत्पादन नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम नोटों का कागज विदेशों से आयात करने के लिए ग्लोबल टैण्डर जारी करते हैं। अभी टैन्डर जारी हुआ है। पांच हजार मीट्रिक टन नोट बनाने का कागज विदेशों से आयात करने का टैण्टर जारी हुआ है जबकि यह हमारे देश में बन सकता है। उसके बाद भी विदेशों से लाते हैं। हमारे देश का कारखाना ठीक ढंग से चल सके इस बात का प्रभाव चर्चा नहीं करेंगे, यह जांच का विषय है। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उस कारखाने का पूरा उत्पादन हो। उस कारखाने से हमारी आवश्यकता पूरी हो सके, इस बात का भी प्रयास करना चाहिए। यह भी जानकारी का विषय है कि इस देश में कितने नोट छापे जाते हैं। नोट छापने का कारण उसी हिसाब से बनाया जाता है। उसका और कोई उपयोग नहीं हो सकता। उसको बनाने की प्रक्रिया में ही वाटर मार्क है और उसका अलग अंक बनाना होता है और उसमें धागे भी कागज बनाते समय डाला जाता है। इसलिए उस कागज का अन्य कोई उपयोग नहीं हो सकता। सात टन प्रतिदिन का कागज हमारे देश में बन रहा है। उसके लिए पांच हजार मीट्रिक टन कागज आयात करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसकी जानकारी दी जानी चाहिए कि नोट छापने का काम कितनी बड़ी मात्रा में होता है। इसी प्रकार देश में बहुत से उद्योगों में इस भ्रष्टाचार के कारण और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के षड्यंत्र के कारण आम जनता को महंगाई के चक्कर में फंसना पड़ रहा है। अभी हम प्रश्नोत्तरकाल में सीमेंट की चर्चा कर रहे थे। जब सीमेंट तीस रुपये बोरी था तब भी एक्साइज ड्यूटी उतनी थी जितनी आज है और वह एक सौ दस रुपए बोरी हो गया है। क्या कारण है कि तीस रुपए बोरी से आज एक सौ दस रुपए दाम हो गए हैं। ऐसी कौन-सी परिस्थिति बन गई कि आज सीमेंट की बोरी तीस रुपए से बढ़कर एक सौ दस रुपए हो गई। जबकि उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है, उस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई गई है। इसका

एकमात्र कारण यही है कि देश में उत्पादन करने वाली कम्पनीज मिलकर षड्यंत्र कर रही हैं और मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उन्हें इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वह अधिक उत्पादन बढ़ायें। उत्पादन बढ़ाने का मतलब यह नहीं कि उनको खुली लूट की छूट दे दी जाए। ट्रांसपोर्ट के कारण भाव बढ़े हैं, ऐसा भी बताया जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के कारण कितने भाव बढ़ गए, दो-चार रुपए बढ़ सकते हैं, लेकिन तीस से एक सौ दस रुपए का जो अन्तर है इतने दाम नहीं बढ़ सकते हैं। इस तरह का जो षड्यंत्र जो आज देश की आम जनता के साथ किया जा रहा है इसको रोकने का काम होना चाहिए।

यही स्थिति टायर उद्योग की है। वे भी मनमाने तरीके से भाव बढ़ा रहे हैं और उद्योगपति षड्यंत्र करके मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं। लेकिन शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो इस भ्रष्टाचार को सुधारना होगा। मल्टी नेशनल कंपनीज को आप साधारण चीजों के उत्पादन की अनुमति देते हैं जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट आदि, इन चीजों का उत्पादन बड़ी-बड़ी कंपनीज या मल्टी नेशनल कंपनीज को नहीं करने देना चाहिए। हम साधारण पेय बनाने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं और उनको पेप्सी कोला बनाने की इजाइत देते हैं। अगर आयात करना है तो कम-से-कम और खास चीजों के लिए उनको बुलाया जाये, जिनकी बहुत आवश्यकता है। जो छोटे-छोटे उद्योग देश में चल सकते हैं, कुटीर उद्योग के आधार पर चल सकते हैं इनमें इनको न आने दिया जाये। अगर हम कुटीर उद्योग को पूरी तरह से संरक्षण दे दें, बड़े उद्योगों का कुछ उत्पादन इनको दे दें तो निश्चित रूप से देश का उत्पादन बढ़ेगा और देश से बेरोजगारी भी दूर होगी। नई औद्योगिक नीति में इन सब बातों की विशेष व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस नई औद्योगिक नीति से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। औद्योगिक नीति में कई तरह के खतरे हैं, इसका लाभ खास-खास बड़े-बड़े उद्योगों या मल्टी नेशनल कंपनीज को मिलेगा। छोटे उद्योगपतियों को हो सकता है अपनी इंडस्ट्रीज चलाने में दिक्कत आये या वह अपना उद्योग बन्द कर दें। नई औद्योगिक नीति में कुटीर उद्योगों या छोटे उद्योगों के संरक्षण की कोई बात नहीं है इसलिए मैं इस नई औद्योगिक नीति का विरोध करता हूं।

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है उसके प्रति आपका आभारी हूं। हमारे सामने बैठे हुए भाई हमारी औद्योगिक नीति पर बड़ी टीका-टिप्पणी करते हैं। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिस देश में स्वतंत्रता के पूर्व सुई भी नहीं बनती थी वही देश आज डिफेंस के बारे में टैंक, शिप्स और हवाई जहाज ये सभी बनाने में सम्पूर्ण हो गया है। डिफेंस की कोई भी चीज हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं जो हमारी जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं अनाज जो कि 1970 तक हम बाहर से मंगाते थे, मगर आज हमारी इसी औद्योगिक नीति का फल है कि हम अनाज के बारे में सम्पूर्ण हो गए हैं। इतना ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। यह हमारी नीति का एक अच्छा प्रभाव है। इतना ही नहीं, कपड़ा, दवाइयां आदि जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं ये सभी बनाने में हमारी इस नीति की वजह से हम सम्पूर्ण हो गये हैं। जो मशीनरीज इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम आयात करते थे आज वही मशीनरीज जैसे स्टील प्लांट, सूगर प्लांट, पेट्रो केमिकल्स प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट, आयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर प्लांट ये सब चीजें बनाने में आज हम सम्पूर्ण हैं और ये सब मशीनरीज जो इन इंडस्ट्रीज में काम आती हैं भारत में तैयार होती हैं।

3.00 म० प०

और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिये कि हमें बाहर से कोई भी चीज मंगाने की जरूरत नहीं है। ये सभी चीजें हम खुद यहां पर बना सकते हैं। हमारी उद्योग नीति का ही अच्छा फल है।

सभापति महोदय, स्कूर्स, कैमिकल्स, इलैक्ट्रानिक्स गुड्ज इत्यादि पूरी दुनिया में सबसे अधिक प्रॉडक्शन भारत करता है, इस बात पर हमें फख्र होना चाहिए। ये बातें कहते हुए, जो नई नीति हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने बनायी है, मैं उसका पूरी तरह से स्वागत करता हूं। यह बात जरूर है कि जब यह नीति बनेगी, इसके फल भी जल्दी मिलने लगेंगे। इसमें ज्यादा-से-ज्यादा इंडस्ट्रीज लग जायेंगी, जो रेड-टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, वह दूर हो जायेगी। इंडस्ट्रीज के परिणामस्वरूप हमारे ज्यादा-से-ज्यादा बेकार लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा नौकरियां मिल जायेंगी और इसमें फॉरेन-एक्सचेंज को भी बढ़ोत्तरी जरूर होने वाली है।

सभापति महोदय, मैं इस नई नीति के बारे में सरकार के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। अभी जहां इंडस्ट्रीज है, नीति के लिबरलाईज होने के कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सभी बातों की सुविधा मिलेगी और इंडस्ट्रीयलिस्ट्स अपनी इंडस्ट्री वहां लेकर जायेंगे। मैं महाराष्ट्र से आया हुआ एक सदस्य हूं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग है। यह माना जाता है कि महाराष्ट्र उद्योग सम्पन्न राज्य है लेकिन देखा जाये तो महाराष्ट्र के सभी रीजन्स में, एरियाज में ऐसा नहीं है। जैसे बम्बई और पूना बैल्ट है, वहां सभी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होने की वजह से सभी उद्योग वहां आ गये हैं जिससे पॉलूशन की प्राब्लम हो गयी है। लेकिन जहां तक मराठवाड़ा और विदर्भ की बात है, ये पिछड़े हुए ऐरियाज हैं और इनके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से जो नये उद्योगपति हैं, वे वहां जायेंगे या नहीं, इस बात का मुझे डर लगता है और यह भी ख्याल आता है कि वे इंडस्ट्रीयलिस्ट्स वहां उद्योग लगायेंगे या नहीं ? यहां पर रीजनल इम्बैलेंस है, यह दूर होगा या नहीं, इसका भी मुझे डर रहता है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मराठवाड़ा का क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहां नेशनल हाईवे क्या होते हैं, मालूम नहीं है। यहां पर ब्रॉड गेज की एक किलोमीटर लाइन नहीं है, कम्युनिकेशन्स गैप है। इसी कारण नई नीति को लिबरलाईज करने के बाद इन बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपनी इंडस्ट्रीज लगायेंगे या नहीं, इसका भी डर है। इसलिए यह बात आपके माध्यम से सरकार के ख्याल में लाना चाहता हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम पिछड़े हुये एरियाज में देने चाहियें नहीं तो जहां पहले ही ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, वहीं और भी इंडस्ट्रीज ले जायेंगे और वहां पर प्राब्लम खड़ी हो जायेगी। इसलिए इस रीजनल इम्बेलेंस को दूर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी जरूरत है और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अभी हमारे साथी श्री विलास मुत्तेमवार ने एक बात ठीक ही बताई कि जहां ब्रॉडगेज नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ देने की जरूरत है। ये बातें न देखकर उद्योगपति हिम्मत नहीं करते हैं। इसलिए इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं एक शूगर को-आप्रेटिव चीनी इंडस्ट्रीज में काम करने वाला एक कार्यकर्त्ता हूं। मैं आपने ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि अब वहां 27 नई इंडस्ट्रीज को नये लाइसेंस मिले हैं। ये को-आप्रेटिव चीनी मिलें हैं। यहां पर छोटे-छोटे किसानों ने हजार-हजार रुपया जमा करके डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपया जमा किया है। इनको लाइसेंसेज मिले हैं, अभी इनकी मशीनरी

की सप्लाई का आर्डर हुआ है और इनके काम में कुछ अच्छी प्रगति भी हुई है किन्तु जो टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन्स हैं—आई० एफ० सी० आई०, आई० डी० आई०—इन्होंने उनको एक लैटर भेज दिया कि आगे काम मत करो क्योंकि आपके यूनिट्स फिजीबल नहीं हैं, आपके यूनिट्स वॉयेबल नहीं हैं और कहा गया कि आपका काम बंद कर दिया जायेगा । जब लाइसेंस देते हैं, तभी आपको यह बात सोचनी चाहिये ।

आज यह बात जो वॉयेबल नहीं है, फीजीबल नहीं है, यह बात ठीक है कि इंसेन्टिव्स बहुत कम हैं । फूड मिनिस्टर से हमने बात की है मगर अभी जितना भी उसमें डिले करेंगे उतना प्रोजेक्ट कॉस्ट ज्यादा-से-ज्यादा बढ़ जाएगी और यह प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर बढ़ गई तो ये पूरी यूनिट्स बॉर्न सिक होने की संभावना है और इसलिए फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशंस को भी यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, नई इंडस्ट्रीज के बारे में जो नीति अपनाई गई है, उसमें जो 18 आइटम्स हैं, उसमें शुगर की आइटम है और मैं अभी बोला कि मैं शुगर कोआपरेटिव चीनी मिल का एक कार्यकर्ता हूं । हमारे महाराष्ट्र में सभी कोआपरेटिव चीनी मिलें हैं । इनमें एक अच्छी पॉलिसी जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तब से चली आ रही है । पहले एप्लीकेशंस स्टेट में मंगवाई जाती थीं, उसके ऊपर ख्याल करके वह स्टेट फूड डिपार्टमेंट को रिकमेंड करता था, फूड डिपार्टमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी उसके ऊपर पूरा ध्यान देती, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमेंडेशन होने के बाद ही ये लाइसेंस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जारी होते थे । मगर बीच में वी० पी० सिंह की सरकार आई, उसने यह पूरी बात चेंज की । अब उन्होंने बीच में डायरेक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से एप्लीकेशंस मंगवाना शुरू किया था । उसमें यह बात देखी नहीं गई कि जहां आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां शुगरकेन है या नहीं, पहली इंडस्ट्री से दूसरी मिल कितनी दूर आ रही है । इन सभी बातों को हटाते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट है उसके पास उन्होंने डायरेक्ट एप्लीकेशन मंगवाई । उनके राज में जो लाइसेंस दिए गए चीनी मिल के, उसके ऊपर अगर आप ध्यान दें तो जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो मिलियनेयर हैं, जो कोआपरेटिव नहीं हैं, पब्लिक सेक्टर नहीं हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को उस टाइम सभी लाइसेंसज दिए गए थे और अभी अगर उसमें तब्दीली नहीं की गई तो मुझे डर है कि और भी कोआपरेटिव और पब्लिक सेक्टर के बजाय सभी बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ये लाइसेंस होंगे और इसलिए आप जब भी शुगर इंडस्ट्री की पॉलिसी के बारे में नये उपबंध जारी कर रहे हैं, इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकार का जो प्रस्ताव था, जो प्रोसीजर था, वही अपनाया जाए । सरकार को एप्लीकेशन मंगवाना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट, स्क्रीनिंग कमेटी को देना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन के बाद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइसेंस देने की जो बात है वही अच्छी बात है । बीच में एक बात और हम पर इम्पोज की गई । कोआपरेटिव चीनी मिल पहले साढ़े बारह सौ टन से शुरू होता था । अब जो नये-नये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपना इंन्फ्लुएंस जारी किया और उसकी बदौलत ये सभी चीनी मिल ढाई हजार टन में देनी शुरू हो गई । इसलिए हमारी जो फैक्टरी है वह 35 करोड़ की हो गई है । इसलिए हमारा यह सुझाव है कि जो नई फैक्टरीज हैं, अब जो नई नीति अपनाई जाएगी उसमें सिर्फ साढ़े बारह सौ नहीं तो पन्द्रह सौ टन टी०सी०डी० के ही प्लांट आप शुरू कीजिए और जिनका जैसे-जैसे गन्ना बढ़ेगा, वैसे-वैसे उसमें एक्सपेंशन करेंगे । इसलिए ढाई हजार का जो इनफोर्स किया था उसको डिलीट करके नई इंडस्ट्रियल पॉलसी बनाएंगे तो उसमें पन्द्रह सौ टन वाली बात आपको रखनी चाहिए । यह बात मैं आपके ख्याल में लाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हैजारडस कैमिकल्स में क्योंकि आजकल बायप्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं और मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट होते जा रहे हैं, आजकज डिस्टलरीज को बहुत इंपोर्टेन्स दी जा रही है। यह जो मोलेसेज होता है, मोलेसेज से जो डिस्टीलरीज बनता है, यह डिस्टलरीज को भी हैजारडस कैमिकल्स में, 18 आइटम में डाल दिया है। मेरी यह रिक्वेस्ट है हमारे मिनिस्टर साहब को कि यह जो बाय प्रोडक्ट है, कम-से-कम इसको डीलाइसेंस कीजिए। शुगर की हद तक तो ठीक है। शुगर 18 आइटम्स में आती है मगर जो शुगर बाय प्रोडक्ट है, जैसे आपने बागास बेस्ड इंडस्ट्री को डीलाइसेंस किया, वैसे ही मोलेसेज इंडस्ट्री को भी आप डीलाइसेंस करें तो ज्यादा-से-ज्यादा कोआपरेटिव में डिस्टलरी लग जाएंगी और जरूर अच्छा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यही बात कहते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को ज्यादा-से-ज्यादा प्रायॉरिटी देनी चाहिए। शुगर के बारे में मैंने जो कहा है उसमें भी आप आगे चलकर जो नीति अपनाने वाले हैं उसमें कोआपरेटिव और पब्लिक सेक्टर को आपको प्रायॉरिटी देनी चाहिए न कि प्राइवेट मिलों को। इसलिए यह बात भी मैंने आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर जो है, हमारी कृषि को आप उद्योग बोलकर समझने की नीति कब बनाने वाले हैं। क्योंकि उद्योग की बात तो हम कह रहे हैं, परन्तु हमारे जो उद्योग सिक हो जाते हैं, उसके कारण पूरी फैसिलिटीज हमारी कृषि को और हमारे देश के किसानों को मिल नहीं पाती हैं। किसानों को लाभ नहीं मिलता है। जैसे उद्योग सिक हो गया तो उसे BIRF के अंदर सुविधा मिलती है मगर कृषि (Agriculture) अगर फेल हुआ तो उसे कुछ भी सुविधा नहीं है।

फर्टिलाइजर के बारे में, यहां कई माननीय सदस्यों ने बोला है और मैंने स्वयं कहा था कि फर्टिलाइजर की दो प्राइसेज मत रखिए, दोहरी प्राइस नीति से हमारे छोटे किसानों को लाभ नहीं होने वाला है परन्तु फिर भी फर्टिलाइजर के दो प्राइसेज रख दिए गए। उसका परिणाम हमारा छोटा किसान भुगत रहा है।

इतना ही कहते हुए, मैं चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित पॉलिसी हमें ऐसी बाननी चाहिए जिससे ज्यादा-से-ज्यादा किसानों को फायदा पहुंच सके, ज्यादा-से-ज्यादा किसानों को सुविधाएं मिल सकें। इन शब्दों के साथ, मैं सदन में प्रस्तुत इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से सम्बन्धित डिमाण्ड्स का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, हमारे की औद्योगिक ीति का मकसद इस देश की बेकारी, गरीबी को खत्म करना, अधिक-से-अधिक उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक और समाजवादी भारत का निर्माण करना वगैरह-वगैरह है लेकिन दुर्भाग्य है कि जो नई औद्योगिक नीति इस देश में अपनाई जा रही है, वह हमारी पूर्ववती नीतियों से एकदम डिपार्चर है, उनसे अलग हटना है। हम आधुनिकता के नाम पर उत्पादन को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन इस देश की जो बढ़ती हुई बेकारी है, गरीबी है और भुखमरी है, उसका कोई समुचित इलाज आधुनिकता या औटोमेशन के नाम पर नहीं कर सकते। हमारे देश की औद्योगिक नीति में पिछले दस वर्षों में परिवर्तन आया है, खास तौर जो बुनियादी परिवर्तन आया है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि गत 80 के दशक में जहां हमारे देश के उद्योगों में 3 फीसदी रोजगार बढ़ता था परन्तु जब से हमने आधुनिक और औटोमैटिक मशीनों का निर्माण और उनका आयात अपने देश प्रारम्भ किया, हमारे देश के औद्योगिक

क्षेत्र में लोगों का रोजगार देने की जो दर थी, वह घट कर डेढ़ प्रतिशत रह गयी। इसका मतलब हुआ कि उद्योगों के जरिए रोजगार देने की जो रफ्तार थी, वह लगातार कम होती जा रही है और अब डेढ़ फीसदी रह गयी है। यही कारण है कि हमारे देश के रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 4 करोड़ हो गयी है जिसमें से 1। लाख कुशल मजदूर हैं, यानी डाक्टर, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर हैं। ऐसे शिक्षित बेरोजगार लोगों की संख्या इस देश में 1। से 13 लाख के बीच में है। इसके अलावा गांवों में अनेकों व्यक्ति बेरोजगार हैं परन्तु किन्हीं कारणवश वे सरकार के रोजगार कार्यालयों में अपने नाम नहीं लिखा पाये, नाम लिखाने के लिए पहुंच नहीं पाते हैं। उनकी आदत नहीं है। यदि उन्हें भी जोड़ दिया जाये तो निश्चित रूप से बेकार लोगों की संख्या काफी बढ़ जायेगी, बेरोजगारी का आंकड़ा काफी बढ़ जायेगा। तात्पर्य यह है कि सरकार जो नीति अपना रही है, उसके कारण देश में बेकारी लगातार बढ़ती ही जा रही है।

इसके साथ-साथ उत्पादन की रफ्तार भले ही बढ़ती प्रतीत हो, लेकिन हमारे देश का जिस तरह का औद्योगिक ढांचा होना चाहिए, अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराते हुए उत्पादकता को बढ़ाना, कम पूंजी से अधिक उत्पादकता का विस्तार करना, उससे हम पीछे हटते जा रहे हैं। आज हम उस यूरोपीय पद्धति की नकल करने में लगे हैं, जो कुल 7 देशों द्वारा अपनाई जाती है और जिनकी आबादी दुनिया की आबादी का केवल 17 फीसदी है परन्तु दुनिया के सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन का 75 फीसदी उत्पादन, उन्हीं 7 औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों में हो रहा है। उनका उद्देश्य है कि कम आबादी के होते हुए, अधिक पूंजी से, अधिक उत्पादकता की ओर बढ़ना जबकि हमारे देश का उद्देश्य होना चाहिए, अधिक-से-अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराते हुए, कम पूंजी से अधिक उत्पादकता को बढ़ाना। इस तरह हमने अपने देश की स्थिति को बिगाड़ने का काम किया है। उसका नतीजा यह है कि हमारे देश में विदेशी पूंजी का वर्चस्व बढ़ेगा। कुल हमारी आबादी के तीन फीसदी लोग, करीब 9 से 10 करोड़ के बीच में, जिन्हें हम उपभोक्ता संस्कृति के लोग कहते हैं, जिनके पास अपनी कारें हैं, अपने बंगले हैं, रैफ्रीजरेटर्स हैं, शीत-ताप नियंत्रित मशीनें जिनके घरों में लगी हुई हैं, देश विदेशी की सुख सुविधायें जिन्हें उपलब्ध हैं, हमारा ध्यान केवल उस एक वर्ग तक ही सीमित होकर रह गया है और यही कारण है कि जो मल्टी नेशनल भी हमारे देश में आमंत्रित किए जाते हैं, उनका भी रूझन इस देश में उपभोक्ता सामग्रियों के निर्माण में बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि हमारे देश में बेकारी बढ़ रही है और उद्योग धंधे का विस्तार भी कम हो रहा है। एक डा० स्वामी हैं, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, मल्टी नेशनल के बारे में मैंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी और उसमे उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि 1992 में उन्होंने जब कॉलगेट कंपनी का सर्वे किया तो उसका जो प्रॉमिस टूथपेस्ट है, वह आठ आने गांव में, छोटे-छोटे घरों में तैयार किया जाता है और उस पर ये अपना लैबल लगाकर उसी को साढ़े दस रुपए में बाजार में बेचने का काम करते हैं। यह उन्होंने उस पुस्तक में उल्लेख किया है और उदाहरण दिया है।

सभापति महोदय, हमारे देश में जो विज्ञापन संस्कृति बढ़ रही है; दूरदर्शन के जरिए, विज्ञापन कर के इन उपभोक्ता सामग्रियों को बाजार में पाट कर, ये जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं, ये इस देश के जो छोटे उद्योग हैं, उनको नष्ट करने जा रही हैं। इसलिए हमें साफ तौर से अपनी औद्योगिक नीति में स्पष्ट निर्धारण करना पड़ेगा और ऐसी वस्तु जैसे लक्स साबुन है, लाइफबॉय साबुन है, हम अपने विज्ञापन के जरिए, इस देश में प्रचार करते हैं कि लाइफबॉय साबुन से इस देश में तन्दुरुस्ती

का विकास हो रहा है। जो गांव का नौजवान दूरदर्शन देखता है, वह इस विज्ञापन को देखकर अपने शरीर पर लाइफबॉय मलता है, लेकिन उसकी तन्दुरुस्ती में कोई विकास नहीं होता है। तो यह जो दूरदर्शन की संस्कृति है जिसके जरिए विज्ञापन के द्वारा इस देश में हम अपने छोटे उद्योगों को समाप्त करते चले जा रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना होगा और यदि हम अपने देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाते भी हैं, तो जिन क्षेत्रों में हम कुटीर उद्योग-धन्धे और साधारण ग्रामीण उद्योगों में उनका उत्पादन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में उनको सम्पूर्ण प्रतिबन्धित कर दिया जाना चाहिए। बड़ा उद्योग या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उस क्षेत्र में किसी भी रूप में प्रवेश नहीं कर सकती हैं।

सभापति महोदय, बाटा कम्पनी जो जूते बनाती है, वह बहुत कम पैसे से हमारे देश में आई। इस देश में 30 लाख चर्मकार हैं, वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उनके लिए धन्धा नहीं है, लेकिन हमारे देश में बाटा कम्पनी उन्हीं से जूते बनवाती है और जो जूता 100 रुपए का होता है, उसे विज्ञापन के जरिए 300-400 रुपए में वह कम्पनी बेच रही है और वह हमारे देश की पूंजी को इस प्रकार से हमारे देश से छीन कर बहुराष्ट्रीय कम्पनी के क्षेत्र में ले जा रही है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करना पड़ेगा। जो क्षेत्र केवल कुटीर उद्योग-धन्धे के लिए और लघु उद्योग धन्धे के लिए निर्धारित हो, उस क्षेत्र में बड़ी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जो विज्ञापन का दायरा है, उसको सीमित करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि विज्ञापन देना बिल्कुल ही प्रतिबन्धित कर देना चाहिए। वह कम्पनी ऐसे लघु क्षेत्रों में जो माल बनने वाला है, उसका निर्माण भी न करे और न किसी प्रकार का विज्ञापन दूरदर्शन और टी० वी० पर करे। इस प्रकार से पूर्ण प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

महोदय, भारत सरकार का कानपुर में एक चर्म निगम है, जो चमड़े को मुलायम करने का काम करता है और उसके बगल में जूते बनाने का भी काम इसी निगम द्वारा होता है, किन्तु यह कम्पनी जो सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है यह लगातार घाटे में चल रही है। इसके कारणों पर हमको, आपको, सबको विचार करने की आवश्यकता है। ये जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, ये बीमार क्यों हैं, इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं समझता हूं कि हम सब राजनीतिज्ञ और जो अफसरशाही का भ्रष्टाचार है, वह जिम्मेदार है। इसलिए इस पर सरकार को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, कपड़े की, टैक्सटाइल मिलें जो हमारे यहां 450-500 हैं उनमें पिछले 10 वर्षों में आधुनिकीकरण के नाम लगभग 6 लाख मजदूर कम हो गए हैं, जो बेकार बैठे हैं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि कुटीर उद्योग और करघे पर बढ़िया कपड़ा बुन सकता है, तो टैक्सटाइल मिलों के जरिए, केवल स्पीनिंग का काम ही होना चाहिए और वीविंग का काम हथकरघा उद्योग को करना चाहिए। इस व्यवस्था को करने में सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करें, तो गांव-गांव में बुनकरों को हम काम भी दे सकते हैं और रोजगार का विस्तार भी कर सकते हैं और हमारे देश की औद्योगिक तरक्की भी हो सकती है, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी मिल सकता है।

सभापति महोदय, हमारे देश में इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी पूंजी के प्रभाव के कारण हमारे देश के लोग गरीब और कमजोर होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्क अपने देश में विदेशियों को पूंजी लगाने के लिए आमन्त्रित कर रहे हैं, लेकिन आज इसका क्या परिणाम हो रहा है, उसको भी देखिए। रूस को ही देख लीजिए जिसके बारे में यहां उदाहरण देकर बताया गया है···। इसलिए हमारे देश में भी विदेशी पूंजी लाई जानी चाहिए क्योंकि

रूस और चीन जैसे मुल्क भी अपने देश में विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। लेकिन आज वहां के घटनाक्रम से देख सकते हैं कि अब ऐसा लगता है कि रूस जैसे शक्तिशाली देश में भी राजनीति का अखाड़ा हो जाएगा पश्चिम यूरोप और अमेरिका। वहां किस किस्म की सरकार रहे इसका फैसला रूस और अमेरिका में नहीं होगा, इसका फैसला वाशिंगटन और अमेरिका में होगा। यदि इसी तरह का इन्तजाम हम अपने मुल्क में भी करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम केवल सरकार को सलाह और सुझाव दे सकते हैं। हमारा देश विदेशी कर्जे से निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दस वर्षों में हमारे देश में विदेशी कर्जा एक लाख बीस हजार करोड़ हो गया है। अपने देश में अपने देश का ही कर्जा करीब-करीब दो लाख अस्सी हजार करोड हो गया है। यदि यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होती तो इस कम्पनी पर दिवालियापन का कोई मुकदमा चल रहा होता, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति कर्जे के मामले में हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विदेशी पूंजी और विदेशी निवेश सीमित किया जाना चाहिए। मैं सम्पूर्ण रूप से उसके आमंत्रण के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन यदि उसे आमंत्रित करना आवश्यक ही है तो उसका दायरा निश्चित किया जाना चाहिए जिससे अपने देश की जो 1948 और 1956 की पुरानी औद्योगिक नीति स्वदेशी और स्वावलम्बन की रही है, उसका ठीक-ठीक हम अपने देश में पालन कर सकें और उसकी सुरक्षा कर सकें।

दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में एम० आर० टी० पी० एक्ट के दायरे में वृद्धि की जानी चाहिए। यह एक्ट कुछ निजी घरानों के एकाधिकार में होता चला जा रहा है। पिछले 40-45 सालों का अनुभव यह बताता है कि जिस तरह से कुछ परिवारों में हमारे देश की औद्योगिक पूंजी एकाधिकार के जरिए सिमटती गई उसी तरह कुछ दायरे भी, कुछ इलाके भी, कुछ नगर भी औद्योगिक रूप से विकसित होते चले गए और बाकी इलाके गरीब और कमजोर होते चले गए। इसके दायरे में वृद्धि की जानी चाहिए और यह लिखा जाना चाहिए कि केवल एकाधिकार प्राप्त परिवारों में ही अब नई पूंजी नहीं दी जाएगी, उसकी जगह उन क्षेत्रों में भी जहां पहले से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का कम-से-कम पांच सौ करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है, अब नए लाइसेंस और नए उद्योग स्थापित करने की कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। इसी तरह से हम अपने देश के जो पिछड़े इलाके हैं, औद्योगिक रूप से कमजोर इलाके है जहां के लोग रोजगार की तलाश में बड़े नगरों और औद्योगिक दृष्टि से सम्पन्न इलाकों में भागकर जा रहे हैं जिससे शहरों की समस्याओं में वृद्धि हो रही है, उसमें ऐसा करके हम पिछड़े इलाकों की व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं और इस देश के कमजोर और गरीब व्यक्तियों और इलाकों की हम इमदाद कर सकते हैं।

मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि औद्योगिक नीति में नए सिरे से विचार करने के लिए इस सदन की कमेटी बैठाई जाए। इस सरकार ने जो नई औद्योगिक नीति बनाई है यह नीति इस देश के रोजगार को, इस देश के उद्योग को, इस देश के स्वदेशीपन को खत्म करने की दिशा में सरकार की एक पहल है। मैं उसकी निन्दा और कटु आलोचना करते हुए इसमें परिवर्तन हेतु सुझाव के साथ सरकार ने आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर नए सिरे से विचार करें और इस देश की जो एग्रो-इंडस्ट्रीज हैं, कृषि पर आधारित उद्योग हैं उनकी स्थापना और सुरक्षा की दृष्टि से सरकार नए कानून बनाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि औद्योगिक नीति और औद्योगिक विभाग के बजट पर अपनी बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों और सरकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सरकार की नई औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है तथा उसके पक्ष और विपक्ष में वाद-विवाद हुआ है।

लेकिन मैं सिर्फ यह बताना चाहूंगा कि सारे विश्व में बहुत अधिक आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम पीछे नहीं रह सकते और औद्योगिक क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। मेरा विचार है कि वर्तमान सरकार की नई औद्योगिक नीति नए उद्योगों को प्रोत्साहन देगी तथा यह हमारे देश मे औद्योगिकरण की गति को तेज करेगी। पिछले 30 वर्षों में हम अपने देश के लोगों का जीवन-स्तर नहीं उठा सके। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारी कोई नीति अथवा कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे नेताओं अथवा शासकों को ऐसा करने की इच्छा नहीं है। बल्कि हमारी नीति, हमारे दृष्टिकोण और संदर्शी योजना, जो हमने 1956 तथा उसके बाद भी बनाई थी, में कुछ खामियां थीं। मैं कहता हूं कि नियन्त्रण ···यहां तक कि··· नियन्त्रण को नासूर कहा जा सकता है जिसे सरकार को हमारी आर्थिक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया हुआ है जिसका परिणाम जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस स्थिति के रूप में हमारे सामने है। अतः यह परिवर्तन स्वागत योग्य है। यह स्वागत के योग्य तथा संतोषजनक बात है कि सरकार में इस देश के औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण अपनाया है। अतः नई नीति स्वागत योग्य है।

महोदय, मैंने सुना है कि मेरे कुछ सहयोगी सदस्य जो इसकी आलोचना कर रहे थे और 1956 के औद्योगिक नीति-संकल्प का उद्धरण भी दे रहे थे। 1948 के नीति वक्तव्य वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में 1948 के नीति वक्तव्य में रूपान्तरित संशोधन किया गया था। दुबारा वर्ष 1973, 1977 और 1980 में इसमें कुछ संशोधन किया गया। लेकिन ये लोग जो वर्तमान नीति सम्बन्धी वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन वर्षों के दौरान संशोधित नीति सम्बन्धी वक्तव्य का विरोध किया था t मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि मेरे सहयोगी सदस्य, जो वर्तमान नीति सम्बन्धी वक्तव्य का विरोध कर रहे हैं, वे 1973, 1977 अथवा 1980 के नीति सम्बन्धी वक्तव्य का समर्थन किया हो। यह संशोधन करने अनिवार्य हैं। यह सरकार की मूल नीति से हटकर नहीं है जो सरकार ने वर्ष 1948, 1956, 1973, 1977 और 1980 बनाई थी। हम परिवर्तन काल से गुजर रहे हैं। हमें परिवर्तन के साथ-साथ चलना पड़ेगा। वर्ष 1948 में भारत में यह स्थिति नहीं थी। वर्ष 1991 में भारत में परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 1973 की औद्योगिक स्थिति अलग थी। दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। अतः परिवर्तन अनिवार्य है। अतः इस सम्बन्ध में हमें परिवर्तनों को देखता है और उनका स्वागत करना पड़ेगा।

मेरे कुछ सहयोगी सदस्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका के सम्बन्ध में तथा विदेशी तकनीक के बदलाव के दृष्टिकोण पर आशंका जाहिर की है। जो मैंने नई औद्योगिक नीति

सम्बन्धी वक्तव्य में देखा वे मात्र बिल्कुल अलग हैं। मैं नई नीति पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इस नीति में कहा गया है कि सिर्फ 18 उद्योगों को छोडकर, लाइसेंस की जरूरत किसी उद्योग में नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के मामले में कोई सम्पत्ति सीमा नहीं होगी तथा न ही ऐसी कम्पनियों के लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

[अनुवाद]

इसके अलावा 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी जायेगी और उच्च प्राथमिकता वाले 34 उद्योगों के मामले में विदेशी तकनीक के लिए हुए समझौतों में स्वतः स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी। मैं यहां केवल एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। इस तथ्य के बावजूद कि हमने प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अपने घरेलू उद्योगों को सभी प्रोत्साहन दिए हैं, क्या मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं : क्या हम उद्योग में पेचकस की प्रौद्योगिकी की वर्तमान स्थिति से आगे जा सके हैं ?

3.30 म० प०

[श्री पी० एस० सईद पीठासीन हुए]

इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? इसमें केवल हमारे वैज्ञानिकों की ही गलती नहीं है। बल्कि इसके साथ ही हमारे पास अपनी वैज्ञानिक योग्यता को विकसित करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधायें नहीं हैं जबकि हमारे राष्ट्र के पास प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या उपलब्ध है। अतः नई सरकार की वर्तमान नीति देश में पनप रही वर्तमान स्थिति और समस्या के लिए वास्तविक दृष्टिकोण पर आधारित है। चालीस वर्षों के बाद भी हमारे पास उद्योग बहुतायत में नहीं है बल्कि विनियम उनसे अधिक हैं। और मुझे कहना चाहिए कि सिर्फ एक परिवर्तन स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के शासन काल के दौरान हुआ था। उन्होंने ही इस देश को लाइसेंस राज और परमिट राज में ढील प्रदान की थी लेकिन दुर्भाग्य से, हमारे यहां नियन्त्रण कारण हर स्तर पर देरी, अनैतिकता, लागत वृद्धि और नैतिकता का पतन हुआ। जब हम नियन्त्रण पर विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि नियन्त्रण का प्रत्येक बिन्दू भ्रष्टाचार का बिन्दू बन गया है और हम इसी प्रणाली के साथ पिछले तीस चालीस वर्षों से चिपके हुए हैं। वर्तमान नीति एक परिवर्तन है।

दूसरा विरोध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमिका के बारे में था। लेकिन मेरा विचार है यदि कोई सरकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य और विशेषकर पैरा 15 और 16 पढ़े तो किसी को उसके बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। पैरा 15 में सरकार ने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है और उसे मैं उद्धृत करता हूं :

> "सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उचित भूमिका निभाए। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सार्वजनिक क्षेत्र, जैसा कि 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प में कहा गया है, व्यवसायिक आधार पर चले और राष्ट्रीय महत्त्व के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में नए आविष्कार करे, आगे बढ़े। 5वें और 6वें दशकों में अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को नियन्त्रित करने का मुख्य उपकरण महत्त्वपूर्ण उद्योगों में लगाई गई पूंजी में निहित था। लेकिन आज राज्य के पास हस्तक्षेप के अन्य साधन, विशेष रूप से राजस्व और वित्तीय साधन भी है। राज्य, राष्ट्रीय बचत का एक बड़ा हिस्सा अर्जित करता है।"

अतः नई नीति में भी सार्वजनिक क्षेत्र को उचित स्थान प्राप्त होगा। मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने इसका विरोध किया है कि वे इसे नीति सम्बन्धी वक्तव्य

मानकर चलें न कि एक पैरे को दूसरे से अलग मानकर। नीति सम्बन्धी वक्तव्य के पैरा 16 में श्रम की सुरक्षा सम्बन्धी नीति पर प्रकाश डालती है। मैं उसे उद्धृत करता हूं।

"सरकार प्रौद्योगीकीय परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न अक्षमता का हरेक दृष्टिकोण से मुकाबला करने के लिए, श्रमिकों के कल्याण में वृद्धि के लिए उनके हितों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें रोजगार देगी। सरकार का विश्वास है कि समाज का कोई भी छोटे-से-छोटा वर्ग श्रमिकों को उनके भाग्य के सहारे छोड़कर विकास का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। विकास और समृद्धि में श्रमिकों की समान भागीदारी होगी। प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा। श्रमिकों के सहकारी संघों को, बीमार उद्योगों को सही स्थिति में लाने के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। गहन प्रशिक्षण, योग्यता के विकास हेतु कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे।"

अत: नई नीति सम्बन्धी वक्तव्य के अन्तर्गत श्रम की भूमिका और उसके कल्याण के सम्बन्ध में कोई आशंका नहीं होगी। अत: हम सरकार एवं मन्त्री महोदय को औद्योगिक क्षेत्र में नए नीति सम्बन्धी वक्तव्य को लाने के लिए बधाई देते हैं। चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आयें, हमें और अधिक विकास के लिए संघर्ष करते रहना है। केवल यही एक रास्ता है जिसके द्वारा देश का औद्योगिकीकरण हो सकता है।

औद्योगिक विकास नीति पर चर्चा करते समय मैं अनिवासी भारतीयों की निवेश परियोजनाओं का उल्लेख करूंगा। मुझे उसके बारे में सुनकर दु:ख हुआ कि आंध्र प्रदेश के एक माननीय सदस्य अनिवासी भारतीयों की भूकिका का बड़े अनुचित ढंग से वर्णन कर रहे थे।

मैं इसके बारे में बताना नहीं चाहता। अनिवासी भारतीयों का वर्णन करते हुए उन्होंने··· *शब्द का प्रयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सहयोगी सदस्य को यह जानना पड़ेगा कि देश को विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी राशि प्रदान करने के लिए अनिवासी भारतीय ही जिम्मेदार हैं। वह पूछ रहे थे कि हमारे चिकित्सक बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे इंजीनियर विदेशों में क्यों जा रहे हैं? शायद वे नहीं जानते कि हमारे इंजीनियर और चिकित्सक यहीं थे, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं था। (व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, केवल एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री ई० अहमद : नहीं महोदय। मैं खड़ा हूं और मुझे बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी आप बैठ जाइये। सभा की परंपरा यह है कि अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है और वह अनुमति दे, तभी दूसरा व्यक्ति बोल सकता है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रेड्डय्या, आपका यह तरीका अच्छा नहीं है। अहमद जी, आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ई० अहमद : सभापति महोदय, इन अनिवासी भारतीयों को विदेशों में जाने और काम करने के लिए क्यों मजबूर किया जाता है? यदि उन्हें रोजगार तथा अन्य सुविधाएं यहां दी गई

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होतीं तो क्या आपका विचार है कि कोई भी व्यक्ति इस देश को छोड़ता। केरल में ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो रोजगार की तलाश में हैं? सरकार उन्हें रोजगार प्रदान करने में असफल रही थी। आपने सिर्फ उन्हें डिग्री प्रदान की और आप चाहते हैं कि वे रोजगार की तलाश में घूमते रहें और उनके पास कोई काम-धंधा नहीं है। केवल उनके विदेशों में जाने के बाद ही हम अन्य लोगों को इन कार्यों में लगा सकते हैं।

आज सुबह ही, दिसम्बर, 1979 की स्थिति के अनुसार कुशल और अकुशल बेरोजगारों की सूची माननीय मंत्री महोदय ने सभा-पटल पर रखी है। मेरे राज्य में, वर्ष 1979 के रिकार्ड के अनुसार 29 लाख व्यक्ति रोजगार की तलाश में हैं। अब ये आंकड़ा 35-40 लाख को पार कर चुका होगा। वर्ष 1979 में पश्चिम बंगाल में 45 लाख से अधिक व्यक्ति रोजगार की तलाश में थे। अब यह 55-60 लाख की संख्या को पार कर चुका है। फिर, राज्य सरकार इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में क्यों नहीं हैं? और ये बेचारे इस देश से बाहर अपनी आजीविका की तलाश में गए हैं और हम उन्हें···*अनिवासी भारतीय कहकर बुलाते हैं। महोदय, वे···कौन हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है। मैं इस सभा के एक माननीय सदस्य के लिए···शब्द नहीं कह सकता। अतः मैं उसे कहना नहीं चाहता।

महोदय, ये अनिवासी भारतीय यहां अपनी मातृभूमि में आकर अपना धन निवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिये गये हैं। अतः मुझे माननीय मंत्री महोदय को यह अनुरोध करने का अवसर मिला है कि उन्हें केवल नीति बनाकर और अनिवासी भारतीयों को बुलाकर यही नहीं कहना कि आप आओ और कार्य शुरू करो, बल्कि उन्हें आवश्यक जानकारी भी देनी चाहिए। आपको अवश्य ही उन्हें वहां जहां वे आकर अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, उसके बारे में उन्हें शिक्षित करना चाहिए।

इसीलिए, औद्योगिक विकास मंत्रालय के लिए अप्रवासी भारतीयों को आकर्षित और शिक्षित करने हेतु एक अलग कक्ष बनाना आवश्यक है। क्या आपके पास उनके सम्मुख पेश करने के लिए कोई परियोजना प्रारूप है? क्या आपके पास उन्हें देने के लिए कोई जानकारी है? सरकार का नीति सम्बन्धी वक्तव्य में केवल यही कहना है कि सभी अप्रवासी भारतीयों को यहां आना चाहिए और हम उन्हें सब सुविधायें देंगे। परंतु हम उनके समक्ष कुछ रखने की स्थिति में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से गुजरात सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का अनुकरण करने का अनुरोध करूंगा। गुजरात सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेश प्रावधान किये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को निवेशकों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। निवेशक बहुत बुद्धिमान लोग हैं। वे जानते हैं कि कहां, कब और कैसे निबेश किया जाये। सरकार को उन्हें आकर्षित करने, शिक्षित करने, उनका मार्ग-दर्शन करने और सहायता करने के लिए भी विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। आपके यह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा कि उन्हें सहायता दी जायेगी। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों को भी जब कभी आवश्यक हो, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सभी तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए। तभी सरकार अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने में समर्थ हो सकेगी। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में आवश्यक कदम उठायेगी।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्य मामला जिसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह देश के बीमार उद्योग के पुनर्गठन के बारे में है। हमारे यहां एक निगम है जिसका नाम आई० आर० एफ० है। हमें इसे अंधा निगम कहना चाहिए। जब मैं केरल में उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाले हुए था, उस समय बहुत से उद्योगपति यह कहा करते थे कि यह एक अंधा निगम है। यह निगम कुछ स्टीमरोलर जैसा है जो आवाज तो बहुत अधिक करता है और चलता है कछुए की चाल से। इस निगम का क्या लाभ है? क्या मंत्री महोदय उनकी गतिविधियों की समीक्षा करेंगे? यह अब वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दुर्भाग्यवश वित्त मंत्रालय इसे लाभदायक बनाने के लिए कौन से कदम उठाने हैं, यह जानता ही नहीं। वित्त मंत्रालय उद्योग मंत्रालय से अलग है। अत: बी० आई० आर० एफ० को उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अगर बी० आई० आर० एफ० उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है, तो उद्योग मंत्रालय रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कुछ करेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस मामले में उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निवेश पर दी जाने वाली राज सहायता के बारे में मुझे यह महसूस हुआ है कि केन्द्रीय सरकार समस्या के प्रति संकुचित दृष्टिकोण अपना रही है और औद्योगिक क्षेत्र में दी जाने वाली राज सहायता की अदायगी में देरी कर रही है, जिसे राज्य सरकारें, प्रावधान के अनुसार, उद्यमियों को दे चुकी है। अब केन्द्रीय सरकार कुछ तकनीकी कारणों का बहाना कर रही है। यह केन्द्रीय सरकार के लिए न्योयोचित्त नहीं है। जो भी धनराशि राज्य सरकारों ने उद्योगों को दी है, केन्द्रीय सरकार को इसे अदा करना चाहिए और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। विशेषकर केरल जैसे छोटे से राज्य में जहां हम दैनक जरूरतों को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। अगर केन्द्रीय सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की अदायगी विलम्ब किया जाये तो हम सरकार कैसे चला पायेंगे? मुझे उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार और मंत्री महोदय राज्य को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए आगे कार्यवाही करेंगे।

केन्द्रीय निवेश के बारे में मुझे खेद है कि केरल जैसे राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं किया गया। मेरे पास केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया एक दस्तावेज है। इसमें बताया गया है:

> "31-3-1990 की स्थिति के अनुसार कुल केन्द्रीय क्षेत्र में निवेश और प्रमुख राज्यों को उसमें से प्राप्त हिस्सा तथा उसके मुकाबले केरल को प्राप्त हिस्सा।"

अगर किसी राज्य को अधिक सहायता दी जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मुझे केवल यही शिकायत है कि केरल की अनदेखी की गई है। में 'उपेक्षा' शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता क्योंकि यह सरकार हमारे राज्य की उपेक्षा नहीं करेगी।

इस सम्बन्ध में, मैं पहले बताये गये 1990 के दस्तावेज का जिक्र करता हूं कि महाराष्ट्र को 19,933 करोड़ रुपये जो 17.59% है, की राशि दी गई। मध्य प्रदेश को 12,580 करोड़ रुपये अर्थात् 11.09% दिये गये। आंध्र प्रदेश को 10.6% अर्थात् 11,412 करोड़ रुपये। बिहार को 8.50% अर्थात् 9,638 करोड़ रुपये। उत्तर प्रदेश को 7.76% अर्थात् 8,794 करोड़ रुपये। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और गुजरात के आंकड़े भी उसमें हैं। केरल का हिस्सा केवल

1,701 रुपये है जो 1.5 प्रतिशत है। यह केवल 1.5 प्रतिशत है। महोदय, पिछली बार यह उससे बहुत अधिक था। हर वर्ष केरल का हिस्सा कम हो जाता है और मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। हमारे पास कुछेक उद्योग हैं और इन सभी उद्योगों में निवेश की मात्रा बहुत कम है। ऐसा इस कारण से है कि हम यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं और केरल इतना दूर है कि हमारे अफसरशाह और मंत्री केरल को यहां से देख नहीं सकते ? अगर ऐसा है तो मैं यह कहने का साहस रखता हूं "मानसिकता के साथ-साथ निर्णायक को भी बदल दीजिए।" केरल भी इस देश का एक हिस्सा है। केरल भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री प्रो० कुरियन हैं या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहां केरल राज्य के लिए बोल रहा हूं।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ई० अहमद : महोदय, यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। कुछ साल पहले हमें रेलवे कोच वैगन फैक्टरी दी गई थी। बाद में हमें बताया गया कि इसे कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह कपूरथला या किसी अन्य स्थान पर भेजी गई है। केरल के बारे में आपकी क्या राय है ? कौन से नये उद्योग केरल में स्थापित किये जाने हैं ? कोचिन तेल-शोधक कारखाने अथवा केप्रोलेक्टम फैक्टरी के बेंजाइन तथा ऐसे ही कुछ अन्य उपोत्पादों जैसे कच्चे माल प्रयोग करते हुए सहायक उद्योगों की स्थापना की प्रबल संभावना है। दुर्भाग्य से इसको उपयोग में नहीं लाया गया है। कच्चे माल की कितनी मात्रा, जो बहुत से उद्योगों के लिए उपोत्पाद हो सकती है, व्यर्थ जा रही है। इस देश का बहुत अधिक नुकसान है। इस मामले में सरकार कुछ कार्यवाही क्यों नहीं करती ? केरल बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए एक आदर्श है। लेकिन मैं इस सभा को यह बताना चाहूंगा कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां भारत सरकार पैट्रोलियम तथा रसायन आधारित उद्योगों के विकास के लिए बहुत बड़ी धनराशि निवेश कर सकती है।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : यह एक बहुत छोटा राज्य है।

श्री ई० अहमद : यह एक बहुत ही छोटा राज्य है, परंतु इसकी क्षमता बहुत अधिक है, उससे भी अधिक क्षतमा जितनी उस राज्य की है जिससे हमारे माननीय सदस्य आते हैं।

उद्योग मंत्रालय की अनुदान मागों का समर्थन और इस अवसर का उपयोग सरकार को बधाई देने के लिए करते हुए मैं कहूंगा कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए इस देश को समर्थ बनाने और इसका औद्योगिकरण करने के लिए हमें श्रमिकों, तकनीशियनों और उद्यमियों को सहयोग लेकर कठिन संघर्ष करना है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, मुझे एक बात का स्पष्टीकरण करना है। उन्होंने मेरे विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मैंने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रेड्डय्या अगर आपके या किसी अन्य माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक बात कही होती तो मैं वापिस लेने के लिए उन्हें कहता अथवा मैं उसे कार्यवाही से हटाने का आदेश देता। लेकिन मेरा विचार है कि इस प्रकार की कोई बात कार्यवाही वृतांत में

शामिल नहीं की गईं। इसीलिए, आप कृपया हमारे साथ सहयोग कीजिए। अब श्री मधुकर की बारी है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आरोप लगाया है तो मुझे उसे स्पष्ट करने का पूर्ण अधिकार है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी, आप सभापति पर इस प्रकार दबाव नहीं डाल सकते। मैंने कहा कि किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं की गईं और आपने विरुद्ध तो कुछ भी नहीं कहा गया। अतः आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये और सभा की कार्यवाही में रुकावट मत डालिए। अब श्री मधुकर की बारी है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय और दीजिए। मैं अपनी बात स्पष्ट कर लूंगा। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय, उन्होंने आरोप लगाया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : रेड्डय्या जी आप इस तरह से चिल्ला नहीं सकते। कृपया ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : यह क्या बात है, महोदय ? उन्होंने मेरे विरुद्ध आरोप लगाए हैं और आप उसे स्पष्ट नहीं करने देना चाहते। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नहीं सोचता कि उन्होंने आपके विरुद्ध कोई आरोप लगाए हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : माननीय सदस्य ने सम्पूर्ण भाषण का गलत अर्थ लगाया है। आप मुझे आधे मिनट का समय दे सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर आप मुझे आधे मिनट का समय दें तो मामला निपट जायेगा।

मैंने सिर्फ यह कहा है कि अप्रवासी भारतीय देवदूत नहीं हैं। वे सरकारी महाविद्यालयों में पढ़े हैं, जिनको इस देश में गरीब लोगों के अंशदान से चलाया जाता है। विद्यार्थी के लिए निर्धन व्यक्तियों में से निर्धनतम व्यक्ति द्वारा 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। आप उन्हें बहुत ऊंचे स्थान पर रखकर बाकी सभी भारतीयों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक बना रहे हैं।

सभापति महोदय : आप इस विषय पर भाषण मत दीजिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : अन्य किसी व्यक्ति की तरह वे भी भारत में निवेश कर सकते हैं। (व्यवधान) अप्रवासी भारतीयों को काले धन का प्रयोग करने वाले लोग स्विट्जरलैंड में

अपना पैसा पहुंचाने का माध्यम बना रहे हैं और फिर उसे अप्रवासी भारतीयों के माध्यम से वापिस ला रहे हैं और इसे गुप्त सौदों में लगा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप इस तरह से चिल्लाते हैं तो मुझे आपका नाम लेकर पुकारना पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपको इसे स्पष्ट करने के लिए समय दिया है और आप स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया सभा की कार्यवाही में रुकावट मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : मेरा कहने का कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने अंग्रेजी के 'ब्लडी' शब्द का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप कुछ भी किसी भी समय नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई व्यक्ति इस प्रकार खड़ा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : जब माननीय सदस्य बोल रहे थे, उस समय मैं यहां नहीं था। अगर "ब्लडी" शब्द सचमुच प्रयोग किया गया है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। (व्यवधान) कार्यवाही वृत्तांत की जांच की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : अगर इस प्रकार का कोई आपत्तिजनक शब्द था तो उन्हें या तो वापिस लेने के लिए कहा जायेगा या फिर सभापति उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय सदस्य ने जो शब्द प्रयोग किया, मुझे उस पर आपत्ति है।

सभापति महोदय : वह मामला समाप्त हुआ। अब श्री कमला मिश्र मधुकर बोलेंगे···।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतिहारी) : सभापति जी, मैं सरकार की नयी औद्योगिक नीति का विरोध करता हूं। क्योंकि यह नीति औद्योगीकरण के नाम पर, विज्ञान और टैक्नोलॉजी के नाम

पर सरकार द्वारा स्थापित की गई है, यह मल्टी-नेशनल, बड़े-बड़े उद्योगपति, वर्ल्ड बैंक और आई० एम० एफ० के आधार पर बनायी गई नीति है। हमारे देश में जो स्वावलम्बन की नीति थी उसका परित्याग किया गया है। सरकार भले ही कह रही हो कि हम इस नीति को लागू करने जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर से इससे इस देश में बेकारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, देश के अपने टेलेन्ट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। देखना है कि औद्योगीकरण कितना हो पाता है।

इस विषय में हमारी पार्टी की ओर से मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं छोटे दायरे में अपने जिले पूर्वी चम्पारन की बात करना चाहता हूं। मंत्री महोदय और सदन के तमाम बैठे हुए लोगों ने चम्पारन का नाम सुना होगा, जहां महात्मा गांधी जी ने अफीका से आने के बाद किसानों का आन्दोलन किया था। इसलिए चम्पारन का नाम आपने सुना ही होगा। लेकिन दुःख की बात यह है कि आजादी के 44 सालों के बाद भी चम्पारन में ब्रिटिश राज के जमाने में जो अंग्रेजों ने चीनी मिल स्थापित की थी उसके बाद कोई औद्योगिक विकास नहीं हुआ। चम्पारन जिले में रामाकास इंजीनियरिंग है, जिसमें 1200 मजदूर काम कर रहे थे, वह कारखाना बन्द है। हमने बार-बार प्रयास किया कि वह कारखाना खुल जाए, लेकिन कारखाना खुल नहीं पाया, क्योंकि जब हम अधिकारियों के यहां जाते थे और मंत्रियों के यहां जाते थे तो अन्त में बिरला की बात आ जाती थी कि बिरला का कोई संबंध है, जिसने सरकार से लोन भी लिया। लेकिन चम्पारन में मिल खोलने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। वह मिल नहीं खुली तो बारह सौ मजदूरों को रिक्शा चलानी पड़ी क्योंकि वे बुरी व्यवस्था में गुजर रहे हैं और उनके बाल-बच्चों के लिए कोई साधन नहीं है। चम्पारन कृषि प्रधान इलाका है और वहां पर फल-सब्जियां बहुत मिलती हैं। उनमें लीची, आम और केला मशहूर है। लेकिन वहां पर फूड प्रोसेसिंग उद्योग स्थापित नहीं हुआ। ऐसे उद्योगों को चम्पारन में स्थापित करने के लिए ध्यान दिया जाए। वहां पर तो वर्षों से कुटीर उद्योग चल रहा है। उसमें सीप से बने बटन बनते हैं और बाहर भी भेजे जाते हैं। उस उद्योग से ओरनामेंट भी बनते हैं। सरकार का उस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। चम्पारण के उस उद्योग में रनिंग कैपीटल नहीं है जिससे वह विकसित हो सके। चम्पारण में अंग्रेजों के जमाने से ही चीनी मिल थी। उसके बाद कोई नया उद्योग नहीं खोला गया। यहां पर रामा कास्ट कारखाना बंद पड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए मैं मंत्रियों से और अधिकारियों से मिला और कुछ नहीं हुआ। चीनी मिल में बाय प्रोडक्ट बगास पैदा होता है और वहां की जनता की मांग है कि चीनी मिल में जो छोआ पैदा होता है और उससे स्प्रीट पैदा की जाती है, उसके आधार पर डिस्टीलरी उद्योग लगाया जा सकता है। मैं चौथी बार लोक सभा में आया हूं और मैंने इस सदन में कई बार कहा कि चम्पारण के विकास में बगास का उद्योग खोलने का कोई काम होना चाहिए। चम्पारण में इतना गन्ना पैदा होता है कि वह नेपाल भी चला जाता है। चम्पारण के आदापुर में प्राइवेट सैक्टर में चीनी मिल खोली जाए तो बहुत अच्छा होगा। वहां पर छोटे-छोटे उद्योग भी हैं। वहां पर स्टील के भी छोटे-बड़े कारखाने हैं जिसमें रॉड बनते हैं। पूंजी और बाजार के अभाव में ये कारखाने दम तोड़ रहे हैं। चम्पारण में चमड़ा उद्योग की स्थापना के लिए सरकार ने योजना बनाई थी। लेकिन वह योजना खटाई में पड़ी हुई है। छोटे-मोते जूतों के कारोबार में चकिया कई शहरों में होता है। लेकिन बाजार के अभाव में उनकी स्थिति दयनीय है। उन उद्योगों की मदद की जाए ताकि वे उन्नति कर सके। चम्पारण कृषि प्रधान इलाका है इसलिए कृषि जन्य उद्योगों के लिए वहां पर मदद की जानी चाहिए ताकि उसके आधार पर उद्योग स्थापित हो सके। ऐसी मदद की व्यवस्था

उद्योग विभाग से की जाए। हमारी मांग है कि वहां पर जूट का कारखाना भी होना चाहिए। चीनी मिल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने पैसा दिया है। सरकार को इस बात का पता होना चाहिए कि आधुनिकीकरण का काम इन मिलों का ठीक से हुआ या नहीं। अन्य वित्तीय संस्थाओं ने जो पैसा दिया है, उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। इसके लिए जांच कमेटी गठित की जाए। हम नयी औद्योगिक नीति से स्वावलम्बन नहीं हो पाएंगे, इससे देश में महंगाई भी बहुत बढ़ी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

4.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहूंगा।

देश के समग्र आर्थिक विकास तथा रोजगार-अवसरों के सृजन के लिए औद्योगिक विकास अत्यन्त आवश्यक है। विश्व जनसंख्या का 15.5 प्रतिशत भाग भारत में है जबकि यह समग्र पूंजी का 1.5 प्रतिशत भाग सृजित करता है। स्वतन्त्रता के बाद से हमने औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारा औद्योगिक उत्पादन, वर्ष 1951 के उत्पादन की तुलना में पांच गुणा अधिक हो गया है।

जहां तक वैज्ञानिकों और तकनीशियनों का सम्बन्ध है, विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। लेकिन जब औद्योगिक उत्पादन की बात आती है तो वहां हमारा केवल दसवां हिस्सा है। अतः हमें कठोर परिश्रम, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करके तथा अति आधुनिक तकनीक अपनाकर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा।

मैं वर्तमान औद्योगिक नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देश में तथा देश के बाहर बदलती परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यह बहुत आवश्यक हैं कि नई परिस्थितियों के अनुरूप हम नए तरीके अपनाएं। पहले भी नीति और प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन किए गए थे। 1991 की वर्तमान औद्योगिक नीति के अलावा वर्ष 1948, 1956, 1973, 1977, 1980, 1985 तथा 1986 में भी योजना वक्तव्य दिए गए थे। ये कार्यक्रम और नीति सम्बन्धी वक्तव्य पहली नीतियों और कार्यक्रमों से प्राप्त अनुभव के आधार पर हैं। नई नीति समस्त औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। यह हमारे देश में विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक का प्रवाह भी सरल बनाएगी।

वर्तमान औद्योगिक नीति की आलोचना भी हुई है। यह कहा गया है कि यह नीति अब तक अपनाई गई नीति से कुछ अलग है और यह गांधीवादी सिद्धान्तों से अलग है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये परिवर्तन नई परिस्थितियों के लिए आवश्यक हैं। वर्ष 1991 के नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह बताया गया है कि यह नीति पिछली नीति का ही संशोधित रूप है।

यह देखा गया है कि यह नीति विकास का लक्ष्य निर्धारित करने तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के बारे में भी मौन है। इसमें ग्रामीण औद्योगीकरण का भी फिक्र नहीं है। यह बताया गया है कि यह आत्मनिर्भरता के मार्ग से अलग हटकर है तथा औद्योगिक विकास के लिए यह विदेशी पूंजी पर निर्भर करती है। भारी मशीनों पर आधारित औद्योगिक दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर

बेरोजगारी फैलेगी। इससे पूंजी का कुछेक लोगों के हाथों में केन्द्रीकरण होगा। अतः यह बहुत आवश्यक है कि बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों द्वारा बनाए जाने वाली मदों के बीच सीमा रेखा निर्धारित की जाए।

महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि यह नीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के दबाव का परिणाम है। ऐसा करना उचित नहीं है। नीति के समग्र विवेचन के बाद मालूम होता है कि यह बहुत अच्छा नीति दस्तावेज है जो औद्योगिक प्रगति के लिए आवश्यक है।

18 उद्योगों की सूची को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली की समाप्ति औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। सरकार ने उद्यमियों को उत्पादन करने और समृद्ध होने का मुक्त अवसर प्रदान किया है। औद्योगिक लाइसेंस और अन्य स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के स्थान पर वे देरी किए बगैर उद्योग शुरू कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार दूर होगा तथा अन्य नौकरशाही की रुकावटें और गड़बड़ियां भी दूर होंगी।

नई नीति का उद्देश्य नियन्त्रण करने के स्थान पर दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करना है। इसके पीछे विदेशी निवेश आमंत्रित करने, अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने, उत्पादन बढ़ाने और विदेशों को वस्तुओं का निर्यात करने की इच्छा निहित है। नीति का दूसरा पक्ष यह है कि 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य लोगों को निवेश करने और बड़े उद्योग स्थापित करने में सहायता देगा। यह विदेशी तकनीक के प्रवाह को बढ़ावा देगा। यह निर्यात की गति को तेज करेगा तथा प्रतिस्पर्द्धा माहौल को बढ़ावा देगा।

प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए विदेशी निवेश अति आवश्यक है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए हमें वस्तुओं का नियति करना पड़ेगा और निर्यात करने के लिए हमें उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो लोग चाहते हैं और उसके लिए हमें अनुमति प्राप्त निवेश और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका लाभ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को नहीं बल्कि आम आदमी को मिलना चाहिए।

बिना किसी नौकरशाही अनुमति के विदेशी प्रौद्योगिकी की स्वतः प्राप्त स्वीकृति उद्यमियों को अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए समकक्ष उद्यमियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगी। और इस प्रकार हम भारतीय उद्योगों के विकास के लिए उच्च श्रेणी की तकनीक प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। हमें अति आधुनिक तकनीक प्राप्त करनी चाहिए जो अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों और उद्योगों की उन्नति के लिए अति आवश्यक है।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने अर्थ-व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी। बहुत से सार्वजनिक उद्यम सरकार के लिए अब सम्पत्ति के बजाय एक प्रकार से बोझ बन गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को अपर्याप्त उत्पादन, खराब परियोजना व्यवस्था, अत्यधिक श्रम शक्ति तथा तकनीकी व्यवस्था में सुधार की कमी के कारण बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूंजी निवेश पर बहुत कम आय होती है। सरकारी क्षेत्र की अकुशल इकाइयों को बंद करना पड़ेगा और उन्हें अर्थक्षम नहीं बनाया जा सकता। देश उनका बोझ अधिक समय तक

वहन नहीं कर सकता। यह महसूस किया गया है कि उन्हें उचित अवस्था में लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए।

1956 के उद्योग नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को लाते समय यह सोचा गया था कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अन्य उद्योगों की स्थापना में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके लिए पूर्णतया आरक्षित मदों के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों अथवा बड़ी कम्पनियों को लघु क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इनके द्वारा इस प्रकार प्रवेश करने से व्यापक स्तर पर औद्योगिक रुग्णता उत्पन्न होगी और इसके कारण लघु क्षेत्र में अत्यधिक बेरोजगारी उत्पन्न होगी। नई नीति के वक्तव्य में यह आवश्वासन दिया गया है कि लघु और छोटे कुटीर उद्योगों को अपने कार्य क्षेत्र में फलने-फूलने के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

इस क्षेत्र के लिए आबंटित राशि बहुत कम है। बड़े उद्योग बेरोजगार लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करवा सकते। लघु उद्योग गांवों के लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। इसलिए उन उद्योगों को अपने उत्पादों के लिए बाजार बनाने हेतु सुरक्षा प्रदान करनी होगी। उन्हें उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर से छूट देकर प्रोत्साहन देना होगा। बड़े उद्योगों तथा छोटे उद्योगों के कार्य क्षेत्र के बीच एक स्पष्ट सीमा निर्धारित की जाए। इससे सन्तुलित आर्थिक प्रणाली उत्पन्न होगी और दोनों क्षेत्रों का विकास होगा।

खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि इन उद्योगों से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

रोजगार उन्मुख कुटीर उद्योग गांवों में शुरू किए जाएं। लघु उद्योगों को पर्याप्त कार्य पूंजी तथा अन्य रियायतें भी दी जाएं।

जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को लगाने तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। 1956 की उद्योग नीति के संकल्प के तहत घोषित नीति के अनुसार उद्योगों को महानगरों तथा शहरों से दूर ले जाना है लेकिन शहरों तथा नगरों में उद्योग लग रहे हैं तथा गांवों में उद्योग नहीं लगाए जा रहे।

देश के सम्पूर्ण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकरण अत्यन्त आवश्यक है। हमारी आबादी का अस्सी प्रतिशत गांबों में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

जिस जिले में एक भी उद्योग नहीं है वहां कम से कम एक उद्योग तो अवश्य लगाया जाए।

मेरा क्षेत्र कन्याकुमारी जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है जहां पर सरकारी अथवा निजी क्षेत्र का एक भी उद्योग नहीं लगा हुआ है। वहां पर टिटेनियम उद्योग, जिरकोनियम उद्योग तथा रबड़ पर आधारित उद्योग लगाने की काफी सम्भावना तथा अवसर मौजूद हैं।

जिरकोनियम डायोक्साइड तथा टिटेनियम डाग्रोराइड के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जिरकोन तथा इलमेनाइट कन्याकुमारी जिले में मनवाला कुरिचि तथा अन्य तटीय गांवों में

खनिज रेत में पाई जाती है। कन्याकुमारी जिले में रबड़ का प्रति इकाई उत्पादन सर्वाधिक है। इसलिए इन पिछड़े क्षेत्रों में टिटेनियम अथवा जिरकोनियम या रबड़ पर आधारित उद्योग लगाए जाएं।

श्री आर० कंगा गोविन्दाराजुलु (शिवकाशी) : सभापति महोदय, इस सभा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हू। इसके अलावा मैं हृदय से अपने प्रिय नेता तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का धन्यवाद करता हूं।

मुझे विश्वास है कि मेरी तरह तमिलनाडु के अन्य नए सदस्य भी हमारे नेता के अपेक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं यहां पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के 12 लाख तथा तमिलनाडु के नौ करोड़ लोगों की तरफ से मौजूद हूं तथा सभा में भाग से रहा हूं।

उद्योग मन्त्रालय के तहत अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे गर्व हो रहा है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, एक औद्योगिक क्षेत्र है।

इसके अलावा हमारी नेता तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री ने तमिलनाडु राज्य को भारत में प्रथम स्थान पर लाने का प्रण किया है। उनके नेतृत्व में तमिलनाडु विकास की ओर एक लम्बी छलांग के लिए तैयार है।

प्रधान मन्त्री एवं उद्योग मन्त्री महोदय, हम इस मामले में आपसे अपेक्षा रखते हैं कि भारत में अपने राज्य को एक सफल औद्योगिक राज्य बनाने में आप हमारे प्रयासों में सहयोग दें। एक योग्य प्रशासन के होने से हम तमिलनाडु के लोगों को यह विश्वास है कि हम एक ऐसा समृद्ध राज्य बनाएंगे जिसकी हरेक नागरिक ने कल्पना की है।

सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि तमिलनाडु में लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग पर विशेष ध्यान दें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र, दियासलाई, पटाखा उद्योग तथा छपाई उद्योग हैं जिनके लिए केन्द्र की तरफ से लाभ की विशेष योजनाओं की आवश्यकता है।

लाखों लोग इस लघु क्षेत्र पर निर्भर हैं। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि चर्म-शोधन-शालाओं तथा चमड़ा उद्योग पर ध्यान दिया जाए।

वस्त्र इकाइयों के विकास तथा इसकी उपलब्धियों के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को आशा है कि उद्योग मन्त्री तथा हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री निम्नलिखित परियोजनाओं पर तत्काल कार्यवाही करेंगे :

राष्ट्रीय ऐरोमैटिक्स तथा पैट्रो-रसायन निगम लिमिटेड (एन० ए० पी० सी० ओ०);

मद्रास तेल शोधक कारखाने तथा एस० पी० आई० सी० ने संयुक्त उपक्रम के रूप में एक परियोजना तैयार की जिसमें 1380 करोड़ रुपये की लागत से परिष्कृत टेरीफ्थालिक एसिड (पी० टी० ए०) तथा एरोमैटिक्स (आर्थाक्सिलिन तथा बेन्जीन) का उत्पादन किया जाएगा जिसके फल-

स्वरूप बहुत से सहायक उद्योगों को अवसर मिलेगा और इससे काफी रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे;

1997 में आशय पत्र जारी किया गया; सरकारी निवेश बोर्ड (पी० आई० बी०) ने अपनी स्वीकृति के प्रथम चरण को 1987 में पूरा किया था; इस बोर्ड ने दूसरा चरण 1990 में पूरा किया। लेकिन हम अभी भी पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्री की अन्तिम स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी सिफारिश तथा आदेश अत्यधिक अपेक्षित हैं।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री की दूसरी जरूरत यह है। बम्बई हाई में गैस की उत्पादन संभाव्यता 61 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन है। 1700 किलोमीटर लम्बी हजीरा-बीजापुर जगदीशपुर (एच० बी० जे०) पाइप लाइन के माध्यम से बम्बई हाई से केवल 39.5 एम० सी० एम० पी० डी० गैस लाई गई है।

तमिलनाडु का यह सुझाव है कि बाकी 21.5 एम० सी० एम० पी० डी० गैस को केवल 1290 किलोमीटर दूरी से तमिलनाडु के उपयोग हेतु इसी प्रकार पाइप लाइन के द्वारा लाया जा सकता है। इस गैस को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके विद्युत उत्पादन स्टेशन जैसे उद्योग तथा गैस पर आधारित परिसर विकसित किए जा सकते हैं—इससे रोजगार में मदद मिलेगी तथा तमिलनाडु और सारा भारत फल-फूल सकता है।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा तीसरी आवश्यकता का उल्लेख हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स निर्माण कम्पनी के बारे में किया गया है जिसने रंगीन फिल्म का निर्माण करने के लिए 1981 में आशय पत्र प्राप्त किया था। लेकिन भारत सरकार ने इस परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। हमारा अनुरोध है कि यह स्वीकृति शीघ्र दी जाए।

तमिलनाडु की चौथी जरूरत मद्रास शहर में एक स्थाई व्यापार मेला परिसर स्थापित करने के बारे में है जिसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में तमिलनाडु के चेंगई एम० जी० आर० जिले में नन्दमबक्कम गांव सैदापेट तालुक में 34.56 एकड़ क्षेत्र की शिनाख्त कर ली है। इस स्थल को शुरू में वर्ष 1961 में भारत सरकार के उपक्रम इण्डियन ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को सौंपा गया था। यह निर्णय लिया गया है कि मद्रास में एक स्थाई व्यापार मेला परिसर स्थापित करने के लिए भूमि का पुनः निर्धारण किया जाए। इस आधिगृहीत भूमि का उपयोग नहीं हुआ, तमिलनाडु सरकार ने कुल 207.5 एकड़ भूमि में यह भूमि इस उपक्रम को मुफ्त दी थी। पैट्रो-रसायन विभाग को कहा जाए कि वह व्यापार मेला परिसर के लिए भूमि उपलब्ध कराए।

मैं अपने प्रिय मुख्य मन्त्री के कांग्रेस सरकार के प्रति अत्यधिक विश्वास को देखते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि तमिलनाडु के हितों में सम्बन्धित जो बातें मैंने सभा के सम्मुख रखी हैं, प्रधान मन्त्री और उद्योग मन्त्री इनका ख्याल रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, मैं, जो इण्डस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, इसका विरोध करता हूं। हमारे देश में इण्डस्ट्री बन रही हैं, लेकिन वे किसके लिए बन रही हैं, सरकार को इसका अभी तक ख्याल नहीं है। यहां बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्री बनें, जैसे—बोकारो है,

भिलाई है, राऊरकला है, हल्दिया है, लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि इनके निर्माण से कितने आदमियों को बेघर कर दिया गया जो आज भुखमरी के कगार पर हैं। उनकी अपनी जमीन गई, धंधा गया, कुछ भी नहीं बचा। जब भी हिन्दुस्तान में कोई इण्डस्ट्री बनती है, तो उस इण्डस्ट्री में जिसकी जगह, जमीन ली जाती है, उनको बसाने का कोई काम नहीं किया जाता है और जितने भी किस्म की सजा होती है, वह उन उजड़े हुए लोगों को सरकार दे रही है। इसलिए ये इण्डस्ट्री किसकी भलाई के लिए बन रही हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जो जमीन ली है वह खाली पड़ी है और दूसरी तरफ जिसकी जमीन ली है, वह बेकार घूम रहा है। विशेषकर ट्राइबल इलाकों में बहुत ज्यादती हो रही है। यही कारण है कि आज ट्राइबल इलाकों में आर्म्स रिवोल्यूशन शुरू हो गया है। जगह-जगह पर गोलमाल हो रहा है।

सभापति महोदय, यह सरकार, दिवालिया सरकार है। इसने विदेशी पूंजी और लोगों को अपने यहां आमंत्रित किया है और कहा है कि आप आइए, हमारे यहां आइए। विदेशी मैडम आएंगी और न जाने कौन-कौन आएंगे। दो हजार करोड़ रुपए का विदेशी ऋण है, उसका हम क्या करें। विदेश के लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप आइए और हमें बताइए कि हम इससे कैसे दूर करें। आप हमारे यहां आओ, आप हमारे मालिक हो, हम आपके नौकर हैं। इस प्रकार की बात सरकार कर रही है। वे यहां आएंगे मालिक बनकर और कहेंगे कि हां, हमें दूध लाओ, हमें रोटी लाओ, हमें और चीजें लाओ, इस प्रकार से मालिक की तरह हमें हुक्म देंगे और हम चपरासी की तरह से काम करेंगे। यानी सरकार चपरासी का काम करेगी। इस सरकार में अकल नहीं है, इसकी बुद्धि नहीं है। इसके कारण हिन्दुस्तान का जितना भी ब्रेन है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं और बाहर से विलायती आदमियों को यहां बुला रहे हैं। वे रुपया लेकर आएंगे और उनका हुक्म यहां चलेगा। जैसे आदमी होटल में जाता है, वह बैठता है और आर्डर करता है, हमको मुर्गा लाओ, रोटी लाओ, यह लाओ वह लाओ और जो बैरा होता है, वह लाता है। तो यहां हमारी स्थिति बैरा जैसी हो रही है। सरकार इसी तरह की नीति चला रही है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमारी इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री उसको पूछने जाती है कि कौन-सी बात बोलूं जिससे आप गुस्सा न हों, जिससे आपका सम्मान बढ़े। इसी किस्म की यह नीति है।

इनके पास रुपया नहीं है। जिसके पास रुपया नहीं है वह कैसे बोलेगा, वह तो भिखारी है भिक्षा लेकर आया है। जब कोई आता है तो हमारे मिनिस्टर उसको रिसीव करने के लिए खड़े हो जाते हैं, यदि कोई विलायत से आ रहा है तो प्राइम मिनिस्टर और सभी मिनिस्टर उसकी सेवा करेंगे। यह हमारे देश की बेइज्जती है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि वे लोग हमारे देश में आकर बहुत बड़ी इण्डस्ट्री बनाएंगे और इण्टरनेशल मार्केट में इनका माल बिकेगा। क्या वे लोग कभी अपनी मार्केट छोड़ेंगे। ये समझते हैं कि अंग्रेज व्यवसाय करने के लिए आया है लेकिन व्यवसाय करते-करते हमको आपस में लड़ाया और हमारा सारा राज ले लिया। अभी भी वही होगा।

कांग्रेस पार्टी फौरन से रुपया मंगवाकर इलैक्शन लड़ती है, रशिया से हैल्प लेती है, पूंजीपतियों से हैल्प लेती है। अब क्षेत्रीय भावना जाग चुकी है। तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल में क्षेत्रीय भावना जाग रही है, जातीय भावना जागी हुई है। वे यहां आकर आपकी इण्डस्ट्री नहीं बनाएंगे, वे देश में लड़ाई करवाएंगे और हमारे बीच में भेद करेंगे। वे सबको अंगूठा दिखाकर, जो भी सम्पत्ति है, सोना तो चला गया, और भी जो कुछ बचा है वह भी ले जाएंगे।

इस सरकार की ऐसी व्यवस्था देखकर दुनिया हंसेगी। हम समझते थे कि ये बहुत ज्यादा समझते हैं लेकिन मेरी समझ से तो इस सरकार को कुछ समझ नहीं है।

यहां पर इतनी अनइम्प्लायमेंट है। पब्लिक सैक्टर इण्डस्ट्री में जो नुकसान हो रहा है उसका क्या कारण है। यदि आप नहीं चला सकते हैं तो वहां पर जो मजदूर हैं उनका मैनेजमेंट में सहयोग होना चाहिए। ये लोग हमारे आदमी का सहयोग नहीं चाहते हैं, ये विदेशों का सहयोग चाहते हैं। पहले जो मालिक-मजदूर का सम्बन्ध था उसको मिटाकर, उसका सहयोग कम करके पब्लिक सैक्टर में जो घाटा हो रहा है उसको पूरा करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स का सहयोग लेंगे। मजदूर का सहयोग लेकर बायबल इण्डस्ट्री बनाइए। इन्होंने मजदूर को गुलाम समझा है, ये पैसे के गुलाम हैं, ऑफिसर चोरी करेगा और चौकीदार जेल में जाएगा। करप्शन बहुत बढ़ा है, ये छिपकर, चोरी करके सारा रुपया ले जाते हैं और वही रुपया वहां जमा होता है, उस रुपये का हम लोन लेकर आते हैं। यदि आप पब्लिक सैक्टर को वायबल कराना चाहते हैं तो इम्प्लाइज पार्टीसिपेशन इज ए मैनेजमेंट इज ए मस्ट। मजदूर जो काम करते हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। यदि उनकी सहायता लेंगे तो वे समझेंगे कि हमारा कारखाना है और आठ घण्टे के बजाय दस घण्टे भी काम करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आप जानते हैं कि टॉप लेबल से करप्शन कितना बढ़ा है। यह कैसे बढ़ा है। पब्लिक सैक्टर में जितना भी रुपया है कुछ मिनिस्टर को, कुछ पार्टी को दे दी।

ऐसा करने से कोई इण्डस्ट्री चलेगा। आपको सबका परसेंटेज रखना पड़ेगा। क्या सरकार को मालूम नहीं है कि काम का क्या परसेंटेज है, डेवलपमेंट का क्या परसेंटेज है। राजीव गांधी जी जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि गरीबों को दिया जाने वाला पैसा यानी कि 5 परसेंट पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में दलाल लोग उनको खा जाते हैं। विदेशियों के हाथ में सब देने से 5 परसेंट आपको मिलेगा और 95 परसेंट वह विदेश में चला जायेगा, मैं ऐसा सोचता हूं। कौन दया से आयेगा, यह इतना गर्म देश है, ठंडा देश का आदमी इधर क्यों आयेगा और न ही वह इधर रुपया लगायेगा। अगर उनको लाभ होगा तभी वह यहां आयेंगे। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वे बहुत दयालु हैं और आपकी सेवा करेंगे। आप तो गलतफहमी में हैं।

, यहां हिन्दू मुसलमान की तो लड़ाई है ही, साथ ही साथ हिन्दुओं के भी दो भाग हो गये हैं। जो बी० जे० पी० है वह हिन्दू नहीं है, यह भी पता लग गया है—(व्यवधान)—आपको कुछ विवेक से काम लेना चाहिये। कहा जाता है कि जब तक कोई बी० जे० पी० का मेम्बर नहीं है, वह असली हिन्दू नहीं है। इसी वजह से हिन्दुओं में भी दो भाग हो गये हैं।

आप जगह-जगह झगड़े होते देख रहे हैं। तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर और आन्ध्र प्रदेश में झगड़े हो रहे हैं। जहां कांग्रेस का राज है वहां भी झगड़े हो रहे हैं। आई० एस० एफ० के आपके दोस्त आ रहे हैं। हम लोग तो शत्रु बन गये हैं। हमसे आप राय नहीं लेते हैं। अगर किसी बात में राय लेते भी हैं तो उसको मानते नहीं हैं। आप लोग तो गोरा नया नारी लेकर आये हैं। जब मेम साहब सुन्दर होती है तो उसका मर्द उसका गुलाम बनता है, यही गुलाम आप फिर से ही रहे हैं।

बेरोजगारी की समस्या दिनोंदिन गम्भीर होती जा रही है। आज आप रोजगार विदेशियों को दे रहे हैं। यह कहां की बुद्धिमानी है? विदेशी यहां आकर रोजगार पायेंगे, आराम

से रहेंगे, फाइव स्टार में रहेंगे, एयरकंडीशन्ड घरों में रहेंगे, उनकी विदेशी गाड़ियां चलेंगी, टाउनशिप होगा। वह हम लोगों के लिये गाड़ी बनायेंगे, अप्टूडेट मोटरसाइकल बनायेंगे और खाने-पीने का सामान बनायेंगे। टूथपेस्ट जो कि हम खुद बनाते थे, उसे भी वे बनायेंगे। हम लोग पूरे आराम से रहेंगे। पूरा विदेश का मार्किट इण्डिया को सौंप कर वह हट जायेंगे ऐसा इनका विश्वास है। ऐसा बुद्धुपना कौन करेगा ? क्या आप यह सोचते हैं कि बना-बनाया मार्किट वे आपको दे देंगे। ट्रेडर वैगिग करके लाया, ऋण भी नहीं चुकाया और आज मालिक बन कर बैठा हुआ है। मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार की क्या बुद्धि है ? इस देश को छिन्न-भिन्न करने पर आप तुले हुए हैं। मैं पहले कह चुका हूं कि हिन्दू के दो भाग हो गये हैं, खाली हिन्दू मुसलमान की बात नहीं है, क्षेत्रीय भावना लोगों में जगी हुई है। पंजाब की समस्या है, कश्मीर की समस्या है, तमिलनाडु में भी समस्या शुरू हो गई है, उत्तर पूर्वी राज्यों में समस्या है ही, ट्राइबल एरियाज में बन्दूक चला कर वे लोग अपना हक ले रहे हैं। उस समन मेम साहब आयेगा। सब ठीक हो जायेगा, ऐसा आप सोचते हैं और फिर उनको लाकर तुम हमारा एम्प्लायमेण्ट दे रहे हो। हम कमजोर हैं लेकिन उनको हम जगह दे रहे हैं, उनके लिए सब कर रहे हैं, उनके लिए टाऊनशिप बनाओगे, उनके लिए सब सुख-सुविधा होगी तो बम्बई में, दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, उस दिन हिसाब किया था, 10 लाख या 25 लाख हमारा आदमी झुग्गी-झोंपड़ी में बैठे हैं, उनकी क्या हालत होगी ? बम्बई में उनकी क्या हालत होगी, हर टाउन में हैं, कलकत्ता में हमारी झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, क्या वह हिन्दुस्तानी नहीं हैं।

वोट के समय में जाकर देखता हूं, सब झुग्गी-झोंपड़ियों में तिरंगा झण्डा गड़ा हुआ है, कितनी भक्ति है वहां, महात्मा गांधी का फोटो है और वोट के दिनों में सारे वर्क्स बिल्ला लगाकर घूम रहे हैं, उनके वोट ले लेते हैं लेकिन क्या यह जो वोट बैंक है, यह हमारे इन्सान नहीं हैं ? क्या इनके बैठने के लिए भी कुछ करना है, इनको बैठाने के लिए इण्डस्ट्री मे आप इसके लिए रिजर्वेशन बनाओ। लेकिन इसमें इनको शर्म नहीं लगती है, वह विदेशी आयेंगे और देखेंगे कि झुग्गी-झोंपड़ी में कितना आदमी आपके पास है तो इससे क्या होगा, हमारे देश की हालत हम जो भी थोड़ी बहुत छिपाये रखते थे, वह सारी दुनिया के सामने खोल दी जायेगी, सारी दुनिया के लोग सोचेंगे कि साधारण आदमी से लेकर मिनिस्टर तक वहां सब बेवकूफ हैं, दूसरों के भरोसे चलेंगे। दूसरे इनके लिए नियम कानून बना देंगे, उसके बाद हिन्दुस्तानियों में कोई बुद्धि नहीं है, न यह खुद अपने को ही रूल कर सकते हैं, न यह गवर्नमेंट चला सकते हैं, न इण्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। हां, एक बात में बहुत उस्ताद हैं, नकल कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, करप्शन बढ़ा सकते हैं और अपने हिन्दुस्तान का रुपया बाहर भेजकर वही रुपया सूद पर लेकर इधर सारा वही चलाते हैं। इससे यही प्रकाशित होगा और मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा।

आदिवासी तो अब रद्दी हो गये, रद्दीवासी में आ गये। उसकी कोई खोज खबर ही नहीं है कि कहां जायेंगे, कहां रहेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हू कि और सारे लोगों को भी रद्दी होना पड़ेगा। एक जगह आग लगने से आग की लपटें आपके ऊपर भी आयेंगी और आप भी शान्ति से नहीं रह सकेंगे।

यहां पर कल दिल्ली में सफाई मजदूर हड़ताल पर बैठ गये, भूल हड़ताल पर बैठ गये तो सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया। अब तो सारे में गंदगी होगी, बीमारी फैलेगी। अरे, बीमारी कैसे फेलेगी, तुम भाग गये हो, तुम साफ क्यों नहीं करते। एक आदमी या दो आदमी

हड़ताल पर बैठ गये तो यहां करोड़ों आदमी हैं, आप साफ क्यों नहीं करते। यह इन्सान को समझते नहीं, आपकी इन्सान को जरिया देने की क्या नीति है, उस पर प्रकाश डालो।

हमारे पास थोड़ी पूंजी है तो थोड़े में ही चलाएंगे। बहुत बड़े-बड़े बांध बनाये, बड़े बांध आप क्या करेंगे आप वहां के कितने लाख आदमी उजाड़ रहे हो, उनको कहां रखोगे लेकिन नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए कि सारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बांध है तो सारे वर्ल्ड में सबसे लंका तुम हो उसका भी तो ख्याल करो।

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो नीति है, हमारी जो व्यवस्था है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें परिवर्तन के लिए हम लोग क्या सीखेंगे। वह लोग हम लोगों को सिखाएंगे, कैसे बेईमानी होगी, कैसे कुचरित्र होना होगा, यह सब सिखाएंगे और आप उसको दया से सलाम करेंगे, रुपया आपके पास नहीं है इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए।

मैं कहना चाहता हूं कि इस नीति पर बातचीत करने के लिए सरकार हम लोगों से पूछे, बैठे और इसको बदले, नहीं तो इससे बहुत ही बुरा हाल होगा, इस देश का। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, हमें व्यापार नीति, आयात नीति और बजट के साथ-साथ औद्योगिक नीति और छोटे उद्योगों सम्बन्धी नीति पर विचार करना है। इन सब नीतियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने निर्देश दिए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे उद्योगों का पुनर्गठन करने की मांग की। सरकार ने 1956 में औद्योगिक नीति लागू की जो 1954 में अपनाए गए वक्तव्य पर आधारित थी। वक्तव्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त और संविधान की प्रस्तावना पर आधारित था। उस नीति में परिवर्तन करना है। उस नीति का मुख्य मुद्दा आत्म-निर्भरता था। उस नीति का महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह था कि कुछ क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए। हम सोचते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिस संकल्पना को हमारी सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद अपनाया वह हमारे देश में समाजवाद अथवा समाज के समाजवादी ढांचे के लिए नहीं है। अतः हमारे देश में यह सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना क्यों है ? इसका उद्देश्य क्या है ? क्या यह समाजवाद अथवा हमारे समाज के समाजवादी ढांचे के लिए है।

जब हमें स्वतन्त्रता मिली थी तब हमारे देश के पूंजीपतियों के पास इस्पात मिलें अथवा अन्य बड़े उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। जब पूंजीपतियों के पास बड़े और महत्त्वपूर्ण लगाने के लिए पूंजी नहीं थी तब विदेशी पूंजी देश में उपयोग होने लगी। विदेशी पूंजी के उपयोग को रोकने और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की इस संकल्पना को अपनाया गया। यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि हमारा दल मिश्रित अर्थव्यवस्था का समर्थक नहीं है। हम स्वतन्त्रता के बाद अपनी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी ढांचे को तोड़ना चाहते थे। उस समय ऐसा नहीं किया गया। उस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्म-निर्भरता था और यह नई नीति उस पूर्ववर्ती नीति से पूर्ण रूप से विपरीत है। नीति वक्तव्य में यह दोहराया गया कि यह नीति 1956 की औद्योगिक नीति के विपरीत नहीं है, यह केवल 1956 में अपनाई गई नीति के लाभों को सचित करने के लिए है··· **(व्यवधान)** मैंने पहले ही अपनी बात स्पष्ट कर दी है।

महोदय, सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग है। दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला और विजाग इस्पात संयंत्र हैं। जब बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से सम्पर्क किया गया तब उन्होंने सहायता देने से इंकार कर दिया था। उसके बाद हमें सोवियत संघ से सम्पर्क करना पड़ा और सोवियत संघ सहायता देने के लिए तैयार हो गया। संयुक्त राज्य अमरीका ने यह शर्त लगाई थी कि इसे निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए न कि सार्वजनिक क्षेत्र में। उस समय हमारी सरकार 1956 में अपनाई गई नीति भी छोड़ना नहीं चाहती थी कि कुछ क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाए और निजी क्षेत्र में हमारे कम महत्त्वपूर्ण उद्योग ही रहें।

जिस विदेशी मुद्रा संकट का अब हम सामना कर रहे हैं वह क्यों है? यह चेतावनी 1984-85 में दी गई थी। वर्ष 1984-85 में यह उदारवादी नीति अपनाई गई थी। हमारी नीति विदेशी निदेश के लिए खुली थी। विदेशी निवेश सम्बन्धी उदार नीति 1984-85 में अपनाई गई थी। उस समय हमने यह चेतावनी दी थी कि इससे समस्याएं उत्पन्न होंगीं और संकट पैदा होगा। अब हम विदेशी मुद्रा के संकट का सामना कर रहे हैं।

हमारे राज्य में पटसन उद्योग एक महत्त्पूर्ण उद्योग है जिसमें न केवल 2,30,000 मजदूर लगे हुए हैं बल्कि 40 लाख पटसन उत्पादक भी हैं जो इस उद्योग पर निर्भर हैं। इस उद्योग पर इस उदारवादी नीति का प्रभाव पड़ा क्योंकि सिंथेटिक ग्रेनुल आयात किए जाते थे क्योंकि खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत उसकी अनुमति थी और थैले बनाए जाते थे। इन सिंथेटिक थैलों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपयोग किया जाता था। तब पटसन के थैलों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। सरकार को इस बारे में कानून बनाना था क्योंकि पटसन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा था। अनेक पटसन मिलें बन्द कर दी गई थीं। तब सरकार ने पटसन थैलों के अनिवार्य उपयोग के लिए कानून बनाया। इस कानून के बनने पर सिंथेटिक सरकार के मालिक अपने अधिकार के लिए न्यायालय में चले गए।

सरकारी क्षेत्र बलि का बकरा बन गया है। इस क्षेत्र की समस्या क्या है? दो प्रकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं। एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रारम्भ से ही हैं और दूसरे प्रकार के उपक्रम इस प्रकार के हैं कि किसी रुग्ण एकाक को अपने अधिकार में ले लिया गया और फिर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जैसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम है। 126 वस्त्र मिलें रुग्ण मिलें थीं। यह निजी प्रबन्ध के अन्तर्गत थी। इन्हें रुग्ण बना दिया गया। इन मिलों के मालिकों बैंकों से जो धन मिला वह उन्होंने बेकार कर दिया। उन्होंने इन मिलों को रुग्ण बना दिया और तब सरकार ने इन मिलों को अपने हाथ में लेकर इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया, कार्यचालन पूंजी नहीं दी गई। इसका ज्वलंत उदाहरण मेरे राज्य में है। श्री हाराधन राय के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय साइकिल निगम का एक एकक है। वहां मुश्किल से प्रतिदिन दस साइकिलें बनाई जाती हैं जबकि वहां दो हजार मजदूर कार्य कर रहे है। ऐसा क्यों है? इसमें मजदूरों का कोई दोष नहीं है। मजदूर काम चाहते हैं। श्री निर्मल कान्ति चटर्जी के निर्वाचन क्षेत्र दमदम में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में यही स्थिति है। राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम में 30,000 मजदूर हैं।

मेरा यह कहना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद उद्योगों को विस्तार और विविधीकरण के लिए अर्थक्षम बनाने हेतु कार्यचलान पूंजी देने की आवश्यकता थी जो नहीं दी गई थी। भारतीय साइकिल

निगम में साइकिलें बनाने के लिए अपेक्षित कच्चा माल नहीं दिया गया। अब हम उन्हें दोष दे रहे हैं। प्रतिदिन दस से बीस साइकिलें बनाई जाती हैं। यह अर्थक्षम कैसे हो सकती हैं? यह लाभ अर्जित नहीं कर रहा है।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड का मामला ले लीजिए। आपने उस एकक को अपने हाथ में लेकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। आपने इस एकक को अन्य कम्पनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति नहीं दी। आपने बजाज कम्पनी को अन्य विदेशी कम्पनियों से सहयोग करने की अनुमति दी। यदि आप बेहतर आटोमोबाइल्स के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी को सहयोग करने की अनुमति नहीं देंगे तब यह निजी कम्पनी के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाएगी? तब आपने कितनी कीमत पर इसे राहुल बजाज को बेचने का निर्णय लिया? क्या इसे 5 करोड़ रुपए में बेचा? वहां की भूमि की कीमत ही 15 करोड़ रुपए है और मशीनों की कीमत 200 करोड़ रुपए है। आपने तीन वर्ष पहले इसे राहुल बजाज को बेचने का निर्णय लिया। जब मजदूरों, यूनियन और संसद सदस्यों ने इसका विरोध किया तब आपने इस सौदे को रद्द किया। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : तब भी उनके बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह इस प्रकार के ज्वलन्त उदाहरण हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किस प्रकार जानबूझकर रुग्ण बनाया गया। हल्दिया में हिन्दुतान फर्टिलाइजर्स ने तीन या चार माह ही काम किया। अनेक देशों से मशीनें और कल-पुर्जे बनाए गए और बाद में उनमें खराबियां उत्पन्न हो गई जिन्हें सुधारा नहीं जा सका। अब भी यह कार्य नहीं कर रहा है, यह 1986 से कार्य नहीं कर रहा है। 600 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे। एक समिति गठित की गई थी और उसने इसे पुन: चालू करने की सिफारिश की थी। इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

महोदय, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि किस प्रकार कम्पनियों को अर्थक्षम बनाने की बजाए जान-बूझकर रुग्ण बनाया गया और बाद में बंद कर दिया गया। एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी प्रतिस्पर्द्धा कैसे कर सकती है, जब उदारवादी लाइसेंसिंग नीति बनाई गई है? आपने लाइसेंसिंग नीति को उदारवादी बनाया है तो ठीक है। हम जानते हैं कि लाइसेंसिंग नीति में कुछ कठिनाइयां हैं, हमने भी कभी-कभी महसूस किया कि इसमें कुछ समय लगेगा, इसमें कुछ विलम्ब तो है, इसलिए इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कुछ करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : न केवल यही है बल्कि लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में कोई निवेश करने से इंकार किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : हल्दिया पेट्रो-रसायन की स्वीकृति के लिए हमें 11 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। (व्यवधान) ऐसी उदारवादी नीति नहीं होनी चाहिए, आप इस लाइसेंसिंग नीति को तत्काल समाप्त कर दीजिए। जापान और दक्षिण कोरिया औद्योगिक दृष्टि से बहुत विकसित राष्ट्र हैं, उन्होंने भी कुछ प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं, उनके भी कुछ नियन्त्रणकारी तंत्र हैं। कोई भी उद्यमी कहीं भी कोई भी उद्योग नहीं लगा सकता है। सरकार इस बारे में निर्णय करती है कि किस प्रकार का उद्योग कहां लगाया जाए। वहां इस प्रकार की व्यवस्था है। (व्यवधान) यह लाइसेंसिंग प्रणाली

समाप्त करके, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने से विदेशी उद्योगपति और समस्याएं पैदा करेंगे और 40% से 50% तक और फिर बाद में 100% तक यह सीमा समाप्त करने से निर्यातोन्मुखी वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेप्सी कोला इस प्रकार कार्य कर रहा है (व्यवधान) आप पेप्सी कोला को निर्यात करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पेप्सी कोला के साथ क्या समझौता हुआ था। इसके 60% उत्पाद निर्यात किए जाने चाहिएं, मेरे मित्र श्री गिरिधर गोमांगो यहां बैठे हुए हैं लेकिन वह कम्पनी समझौते मे बंधी हुई नहीं है। 100% निर्यातोन्मुखी कितनी कम्पनियां आपके नियमों और विनियमों से बंधी हुई हैं? यह कहा गया है कि यदि प्रतिस्पर्द्धा है तो उत्पादकता और रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ानी होंगी। वे हमारे देश में किस प्रकार की कम्पनियां स्थापित करेंगे? हमारे देश में 50% में अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, चार करोड़ से अधिक लोगों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। अत: जब आप कोई नीति अपनाते हैं तब आप इन लोगों और इनकी क्रय शक्ति के बारे में अवश्य विचार करें। वे किस प्रकार की प्रौद्योगिकी लाएंगे। हम प्रौद्योगिकी का आयात करने का समर्थन करते हैं क्योंकि हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। हमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता है, लेकिन साथ-ही-साथ हमारी अपनी प्रौद्योगिकी भी विकसित की जानी चाहिए। मैंने अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करने के बारे में नीति वक्तव्य में कुछ भी नहीं पाया है। हम रेल के डिब्बे और इंजन आयात करने पर करोड़ों रुपए क्यों व्यय करें? हम उन्हें उसी हॉर्स पॉवर पर चितरंजन लोकोमोटिव में बना सकते हैं। हम उन्हें विदेशों से क्यों आयात करें?

हमने देखा है कि किस प्रकार से ए० बी० एल० को बन्द करने की अनुमति दे दी गई थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य था तथा जब हमें और अधिक विद्युत तापीय स्टेशनों की स्थापना करनी चाहिए थी उसके स्थान पर ए० बी० एल० की दो इकाइयों को, एक पश्चिम बंगाल में स्थित तथा दूसरी कर्नाटक में, अठारह महीनों के लिए बन्द कर दिया गया था। उन्हें पुन: खुलवाने के लिए हमें सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा था। इसके पश्चात् बॉयलर का आयात करने की अनुमति दे दी गई तथा घटिया बॉयलर का आयात किया गया। यद्यपि वह इकाई निजी क्षेत्र के अन्तर्गत है फिर भी सभी निदेशक वित्तीय संस्थानों से हैं तथा एन० टी० पी० सी० और बी० एच० ई० एल० जैसे सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में सभी प्रबन्ध निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

5.00 म० प०

प्रबन्ध व्यवस्था सरकार की होती है तथा सभी निजी क्षेत्र केवल नाममात्र के हैं क्योंकि 87 से 88 प्रतिशत निधि वित्तीय संस्थानों की लगी होती है। इस उद्योग पर इन वित्तीय संस्थानों के नियन्त्रण को अब यह सरकार समाप्त कर रही है। वे ऋण प्राप्त करते हैं जिन्हें साम्य पूंजी में बदला जा सकता है। ऋण को साम्य पूंजी में बदलने की उस प्रक्रिया वाले खण्ड को भी अब समाप्त किया जा रहा है। निजी उद्योग पर वित्तीय संस्थानों के नियन्त्रण को भी समाप्त किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आपने इस नीति को किस कारण से अपनाया है तथा इन सबके पीछे कौन-सी मजबूरी है।

हमारे पास आपके मन्त्रालय के उदाहरण हैं। आप हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन तथा माइन्स एण्ड मशीनरी कारपोरेशन पर दोष लगा रहे हैं। एम० ए० एम० सी० मेरे राज्य में है। इन दो उद्योगों को रखने का क्या उद्देश्य था ? क्या इसका उद्देश्य खनन मशीनरी का उत्पादन करने का था ? अब हम खुले मुहाने वाली खदानों को शुरू करने जा रहे हैं। एम० ए० एम० सी० भूमिगत खनन मशीनरी कार्य के लिए है। सरकार ब्रिटेन से इस मशीनरी को तथा इसके कई पुर्जों का आयात कर रही है। एम० ए० एम० सी० अच्छी लोंगवाल मशीनरी को बना सकता है। उन्होंने त्रुटिरहित मशीनरी का उत्पादन किया है परन्तु इन हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की एककों को आर्डर देने के बजाए यह सम्पूर्ण उद्योग जो गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, विदेशों से करोड़ों रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा व्यय करके भी इस मशीनरी का आयात कर रहा है।

इस समय ये दो इकाइयां रुग्ण हो गई हैं। वे रुग्ण हो जाएंगी यदि उन्हें आर्डर नहीं मिलेंगे उन्हें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आर्डरों पर निर्भर रहना पड़ता है।

एम० ए० एम० सी० को बिरला तकनीकी सेवा से दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के आधुनिकीकरण के लिए आर्डर मांगने पड़ते हैं तथा निश्चित रूप से वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक दिन रुग्ण हो जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव उस समय इस बारे में विचार करेंगे जब 'इस्को' के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हो जाएगा।

हम सहायता करने के लिए हैं। 'इस्को' तथा दुर्गापुर के आस-पास कई लघु उद्योग हैं। आधुनिकीकरण के लिए दुर्गापुर से उन्हें केवल अठारह प्रतिशत आर्डर ही मिले थे। वे कह रहे हैं कि उनकी क्षमता केवल अठारह प्रतिशत है। यदि यह ठीक नहीं है तो श्री सोमनाथ चटर्जी इस बारे में हमें सही स्थिति बता सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं इस बारे में भी कहूंगा। मैं बैठकों में शामिल हुआ था।

श्री बसुदेव आचार्य : हमने चितरंजन में एक गोष्ठी का आयोजन किया है क्योंकि "इस्को" का यह आधुनिकीकरण करना ही होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सीमेंट उद्योग है। यह एक नई इकाई है। एक वर्ष के अन्दर ही यह रुग्ण हो गई है। यह एक वर्ष में तीन-चार महीने बन्द पड़ी रहती है। यह मजदूरों अथवा किसी आन्दोलन के कारण बन्द नहीं पड़ी हुई है बल्कि इसलिए बन्द पड़ी हुई है क्योंकि इस इकाई को सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया से सीमेंट के लिए क्लिंकर नामक कच्ची सामग्री नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त चूना, पत्थर, झाल्दा जो मेरे जिले में ही एक स्थान है, वहां पर उपलब्ध होता है तथा क्लिंकर प्राप्त करने के लिए इसका दोहन किया जा सकता है। वह स्थान इस इकाई के काफी निकट है। यह सी० सी० आई० के नियन्त्रण में है। यद्यपि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया तथा औद्योगिक विकास निगम, पश्चिमी बंगाल की यह एक संयुक्त क्षेत्र की इकाई है फिर भी सी० सी० आई० का हिस्सा अधिक है। इक्यावन प्रतिशत शेयर इसके हैं। अतः यदि क्लिंकर के लिए चूना पत्थर का दोहन किया जा सकता है तो इसे आर्थिक रूप से एक लाभप्रद इकाई तथा अच्छी इकाई बनाया जा सकता है।

सी० सी० आई० द्वारा दूसरी अन्य इकाई की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि हमारे राज्य में सीमेंट की कमी है। दुर्गापुर में एक और इकाई है जो बिरला की है तथा दुर्गापुर इस्पात कम्पनी से इसे लोह-चून प्राप्त हो रहा है। यह इकाई भी "इस्को" से लोह-चूना प्राप्त कर रही है। अतएव मैं इस्पात मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह लोह-चून के मूल्य को न बढ़ाएं क्योंकि इसकी मूल्यवृद्धि से सीमेंट की लागत पर भी कुछ असर पड़ेगा।

इसके बाद लघु उद्योग तथा छोटे उद्योगों के बारे में भी अन्य वक्तव्य दिया गया है। मैंने देखा है कि हमारा हथकरघा उद्योग को कैसे बरबाद किया गया था जब वर्ष 1986 में तत्कालीन सरकार द्वारा नई वस्त्र नीति की घोषणा की गई थी। सैकड़ों हथकरघा इकाइयां बन्द कर दी गई थीं। उस समय भी हमने स्पष्ट रूप से बता दिया था कि यह वस्त्र नीति कपड़ा मिलों के मालिकों के हितों की रक्षा करने के लिए थी। लघु तथा छोटे उद्योग सम्बन्धी यह नीति भी बड़े उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने के लिए है। प्रश्न यह है कि लघु उद्योगों के लिए एक निश्चित क्षेत्र आरक्षित किया गया था। अब स्वतन्त्रता दी गई है, अब इसे कुछ उदार बनाया गया है। इसमें अब कोई आरक्षण नहीं है। कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। काफी समय पहले उद्योगों को दूर-दूर तक फैलाने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी···(व्यवधान) मैं वस्त्र नीति पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैंने तो केवल उसका उल्लेख किया था। उस समिति ने भी उद्योगों के फैलाव के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस समिति अर्थात् उद्योगों के फैलाव सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई, यह मैं नहीं जानता। उसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का फैलाव करना था। अतएव उसके लिए एक योजना थी। उसमें कुछ कठिनाई थी। हमने पिछड़े क्षेत्रों के लिए उस राहत योजना की भी आलोचना की थी क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र हमेशा ही बना रहता है। 'उद्योगविहीन क्षेत्र' बिना किसी उद्योग के ही बना रहता है। पिछले पन्द्रह वर्षों से ऐसे क्षेत्रों में कोई उद्योग नहीं है। कुछेक क्षेत्रों की 'उद्योगविहीन क्षेत्रों' के रूप में पहचान करने का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना करना है। मैं कूच बिहार का उदाहरण दे सकता हूं। श्री अमर राय प्रधान बता रहे हैं कि मेरे जिले में कोई उद्योग नहीं है···(व्यवधान) किसी जिले का "उद्योग विहीन जिले" के रूप में पता लगाने का उद्देश्य उद्योग की स्थापना करना है। अतएव इसके लिए वह राजसहायता योजना थी। परन्तु उस योजना को समाप्त कर दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रो० कुरियन जी, अच्छा होगा यदि अब आप इस्तीफा दे दें। आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : इसीलिए हमने उसे उदार बनाया है। आप अब ऐसा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : भूतपूर्व वित्त मन्त्री प्रो० मधु दण्डवते ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नई योजना में इसकी घोषणा की जाएगी। अतः जब तक कुछ प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, उद्यमी उन पिछड़े क्षेत्रों में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों जायेंगे जहां पर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मध्य प्रदेश के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उनके क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना नहीं की जा रही थी। जब कोई रेलवे लाइन ही नहीं है तो उद्योग कैसे लगाया जाएगा? जब तक वहां पर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं तो कोई भी वहां पर उद्योग नहीं लगाएगा। जब तक आप कोई प्रोत्साहन नहीं देंगे, कोई उद्यमी किसी पिछड़े क्षेत्र में अथवा किसी जनजातिवासी क्षेत्र में

उद्योगों की स्थापना करने के लिए क्यों जाएगा ?आपको कोई ऐसी योजना बनानी है ताकि उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे कि "उद्योग विहीन जिले" को एक औद्योगिक जिले में परिवर्तित किया जा सके··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अब मैं मजदूरों की सयस्या के बारे में कहूंगा । मजदूरों की समस्या एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह नीति मजदूरों से सम्बन्धित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक है । परन्तु कई और सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री बसुदेव आचार्य : मजदूरों के बारे में दो अथवा तीन वाक्य कहे गए हैं। मजदूरों के हितों की रक्षा की जाएगी तथा उन्हें पुनः काम पर ले लिया जाएगा । बजट भाषण में कहा गया है कि एक नवीनकरण निधि कोष बनाया जाएगा तथा इनको उससे काफी लाभ होगा । प्रो० कुरियन जी, क्या आप गोल्डन हैंड-शेक का अभिप्राय जानते हैं ?···(व्यवधान)

चीन में दो वर्ष पूर्व यह समस्या थी । जब काफी व्यापक स्तर पर आधुनिकीकरण किया गया था, सभी मजदूरों को पुनः काम पर ले लिया गया तथा एक भी मजदूर भी छटनी नहीं की गई थी । सभी मजदूरों को पुनः काम पर ले लिया गया था तथा उन्हें नौकरी दी गई थी··· (व्यवधान)

इसके दो पहलू हैं । जब प्रतिस्पर्धा होगी, तो अनेक एककों को बन्द कर दिया जाएगा तथा इन एककों के मजदूरों तथा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया जाएगा । यदि विदेशी पूंजी तथा बहुराष्ट्रीय निगम के सहयोग से कोई नया उद्योग लगाया जाता है···(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : पश्चिम बंगाल में कितने हैं ?

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आपसे बेहतर जानता हूं । हमारा उन पर नियन्त्रण है, आपकी तरह तथा आपकी नीति की तरह नहीं । आप झुक रहे हैं । हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आघात किया जा रहा है । आप इसे विदेशों को बेच रहे हैं ।

5.14 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि किसी बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा अपनी पुरानी पुरातन प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई नया उद्योग लगाया भी जाता है, तो उस स्थिति में उन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा ? मैंने पहले ही बताया है कि काफी बड़े उद्योगों की स्थापना की जाएगी तथा बहुराष्ट्रीय निगम इस कार्य के लिए आगे बढ़कर आएंगे परन्तु हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दिया जाएगा । चार करोड़ बेरोजगार युवक कहां जाएंगे और उन्हें रोजगार कहां मिलेगा ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है । आपने अपनी नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है । हमारी औद्योगिक नीति को रोजगार से जुड़ा होना चाहिए ।

जब तक यह पहलू नहीं होगा तो समस्याएं बनी रहेंगी, बेरोजगारी होगी और कई इकाइयां बंद हो जाएंगी । इसके कारण हमारे औद्योगिक क्षेत्र में और भी अधिक संकट होंगे ।

बी० आई० एफ० आर० नामक एक संगठन के बारे में मैं कुछ कहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि जहां तक इस रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को बंद करना था। यदि आप बी० आई० एफ० आर० की सिफारिशों और रिपोर्टों को पढ़ें तो पाएंगे कि 98 प्रतिशत मामलों में इसने उद्योगों को बंद करने की सिफारिश की है। केवल पश्चिम बंगाल के ए० बी० एल० के मामले में उसने बहुत अच्छा कार्य किया है, टीटागढ़ कागज मिल यूनिट नं०-2 को फिर से चालू कर दिया गया है वह भी राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के कारण यह संभव हो सका है। इसे 15 अगस्त को पुनः चालू किया गया है। दो को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में उन्होने बंद करने की सिफारिश की है। इसलिए बी० आई० एफ० आर० के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। इस बोर्ड के सृजन का उद्देश्य उद्योगों के पुनर्निर्माण या उन्हें फिर से चालू करने के लिए सिफारिश करना था। लेकिन उस मुख्य उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए मैं इस औद्योगिक नीति का विरोध करता हूं।

इस नीति को सीधे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की देख-रेख में तैयार किया गया है। वे हमारी अर्थव्यवस्था उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करना चाहते थे। मैं इसका विरोध करता हूं और देश की जनता भी इसका विरोध 27 सितम्बर को करेगी। सरकार की इस जनविरोधी नीति का विरोध करने के लिए लाखों लोग दिल्ली आएंगे। इस नीति के कारण हजारों, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और सैकड़ों इकाइयां बंद हो जाएंगी। इसलिए मैं इस औद्योगिक नीति का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा बाढ़ और सूखों की स्थिति पर चर्चा करना चाहेगी। यह मामला हमारे पास काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ा है। आशा है कि माननीय गृह मंत्री 5.30 म० प० बजे अपना वक्तव्य देंगे और तब यदि समय बचा तो हम एक-दो सदस्यों को उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं। उसके बाद यदि आप सहमत हों तो, चूंकि उड़ीसा बाढ़ग्रस्त है और हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं और हम इसे लम्बित भी नहीं रखना चाहते, इसलिए इस पर हम 6.00 बजे चर्चा शुरू कर सकते हैं और इसे 7.00 बजे तक जारी रख सकते हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, इस सभा में पार्टी के अकेले सदस्यों का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : पार्टी के एकाकी सदस्य उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में नई औद्योगिक नीति तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। जहां तक नई औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर, नई औद्योगिक नीति में जहां बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जो कुछ कारणों से समाधानकारक हो सकती हैं, वहीं बहुत-सी बातें उसमें हैं, जिनके कारण विसंगतियां बनी हुई हैं और उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है।

जैसे इस औद्योगिक नीति के द्वारा विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र को भी सुदृढ़ करने की बात कही गयी है। नीति सम्बन्धी बातों के साथ-साथ लाइसेंसेज के सम्बन्ध में भी उदारता बरतने तथा छोटे उद्योगों में अधिक पूंजी निवेश की छूट दिये

जाने की बात भी कही गयी है। इसके बावजूद, औद्योगिक नीति से जो विशेष बात निकलनी चाहिये, उद्योगों के जरिये हम देश के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें, वैसा कहीं इस औद्योगिक नीति में जुडा हुआ हमें दिखायी नहीं देता। मैं समझता हूं कि हमारी औद्योगिक नीति का मूलभूत आधार यह होना चाहिये कि उसके जरिये हम किस हद तक आत्म-निर्भर बन पाते हैं। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि हम अधिकाधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकें। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। औद्योगिक नीति के जरिये हम उसकी सहायता करने में अपनी भूमिका निभा सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक ऐसा स्वस्थ वायुमण्डल बनाना चाहते हैं जिसके कारण न केवल उद्योगपति ही उद्योग लगाने में हमारी ओर आकर्षित हों बल्कि उसके साथ हम अच्छा आकर्षक बाजार भी उन्हें उपलब्ध करा सकें। साथ ही औद्योगिक नीति को हम इस प्रकार प्रसारित कर सकें कि हम पूर्ण आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ सकें। जहां तक उद्योगों के आधुनिकीरण का प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति का सम्बन्ध है, हम चाहेंगे कि नई प्रौद्योगिकी को हम अपनायें। उस प्रौद्योगिकी के आधार पर हमारे उद्योग भी अधिकाधिक आगे बढ़ें। लेकिन वह प्रौद्योगिकी ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसमें औटोमेशन ज्यादा-से-ज्यादा हो, लोगों के रोजगार के अवसर छीन लिये जायें, हमारी बुद्धि कुण्ठित होकर रह जाये। हम चाहते हैं कि हमारी सम्पूर्ण बुद्धिमत्ता बनी रहे। हमारी कर्मठता बनी रहे। हमारा चरित्र भी बना रहे। हम चाहते थे कि वह सच्चे तौर पर कोई समाधानकारक स्थाई उपाय बन सकें। इस रूप में हम औद्योगिक नीति को आधारभूत मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

हमारे उद्योगों के विभिन्न रूप हैं—कुछ बड़े उद्योग हैं, कुछ मझले उद्योग हैं, कुछ छोटे उद्योग हैं, कुछ ग्रामीण उद्योग हैं, कुछ कुटीर उद्योग हैं। इन उद्योगों को अलग-अलग परिभाषित करने के बजाए, यदि हम विकेन्द्रित आधार पर इनकी बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी तक स्थिति यह रही है कि बड़े उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता रहा है और छोटे उद्योग तथा मध्यम दर्जे के उद्योग उससे प्रभावित होते रहे हैं। उन्हें जिस प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिये था, जो गति मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। कहावत है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति उद्योगों के सम्बन्ध में हमारी बनी हुई है। आज बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को निगलते चले जा रहे हैं। इस कारण न तो रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और न हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है—रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और अच्छी शिक्षा—उसे ही हम समाज को उपलब्ध करा पा रहे हैं। इस दिशा में हम कोई कारगर उपाय, कारगर कदम नहीं बढ़ा पाये हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए नीति पत्र में कहा गया है :—

[अनुवाद]

"अधिक निवेश और विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता वाले उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिये ऐसे उद्योगों को 51 प्रतिशत तक समान विदेशी निवेश सीधे प्राप्त करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।"

लेकिन इस आधार पर क्या हम विदेशियों के ऊपर ज्यादा निर्भर तो नहीं हो जायेंगे। क्या मल्टी-नेशनल्स या बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कहीं ऐसा प्रभाव तो हम पर नहीं छोड़ेंगी जिसके कारण

हम अधिकाधिक उन पर निर्भर होते जायें। ऐसा पूंजी-निवेश कहीं भारत की आत्मनिर्भरता को ठेस पहुंचाने का काम तो नहीं करेगा। हमें इसके परिणामों पर भी पहले से विचार कर लेना चाहिये।

हम चाहते हैं कि हमारी नीति इस प्रकार की हो कि व्यापारी या उद्योगपति एक न्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में काम करें। आज उद्योगपति ट्रस्टी के रूप में काम नहीं कर रहा है। उद्योगपति स्वत: इस प्रकार का आचरण करता है जैसे उसका मजदूरों के साथ कोई सम्बन्ध न हो। मजदूरों की प्रबंध में कोई भागीदारी न हो। हमारा मानना है कि मजदूरों की प्रबन्ध में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में ऐसा राष्ट्रीय प्रबन्ध संवर्ग स्थापित हो, जहां प्रबन्ध में आवश्यकता पड़े, एक कैडर यहां ऐसा बनना चाहिये ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध में हम उसे भेज सकें। अन्यथा हमारे पब्लिक सैक्टर की आज दशा क्या है, मैं यहां उसके विस्तार में जाना उचित नहीं समझता लेकिन यदि एक-एक का विचार किया जाये तो कोलइंडस्ट्रीज में हजारों करोड़ रुपये का घाटा है।

हमारी स्टील इंडस्ट्री में घाटा है। टाटा, टिस्को या इस्को को लेकर अगर हम तुलना करें तो टाटा कहीं आगे बढ़ता नजर आएगा और हमारी इंडस्ट्री पीछे रह जाएगी। यद्यपि समान रूप से काम करने वाली दोनों कम्पनियां हैं, लेकिन एक अत्यधिक मुनाफा कमाती है और दूसरी घाटे में जाती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे लोग उद्यमी नहीं हैं। हमारे लोग अत्यधिक उद्यमी हैं, परिश्रमी हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ने बहुत अच्छी साख कायम की है। अपनी गुणवत्ता के आधार पर काफी अच्छी साख है। जैसे भेल को हम कह सकते हैं। बड़ी अच्छी साख जमाई है। बड़े-बड़े जनरेटर्स बनाकर या दूसरी चीजें बनाकर साख जमाई है। एच० एम० टी० ने बड़ी साख जमाई है, लेकिन जहां कोल इंडस्ट्री है, उसने अपनी साख गंवाई है। नैशनलाजेइशन के पूर्व इसकी क्या दशा थी, उससे भी अगर तुलना करें, तो भी कोई कोल इंडस्ट्री खराब हो गई है, उसमें हजार करोड़ का घाटा है। इलैक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री की क्या हालत है। उसमें भी आज हजारों करोड़ का घाटा है। उस घाटे को ठीक करने की दिशा में इस नीति-पत्र में आपने कहा है कि हम इसको ठीक करना चाहते और पब्लिक सैक्टर को हम इस पॉलिसी के आधार पर ठीक दिशा देना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह कहते-कहते आपको लम्बा समय हो गया है, लेकिन अब तक वह ठीक नहीं हुआ है। आज स्थिति क्या है ? मध्य प्रदेश से आयरन ओर बाहर जा रहा है, सस्ते दाम पर और स्टील महंगे दाम पर आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक छोटे उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बड़े उद्योगों की तो स्थिति मैंने आपको बताई, जहां तक छोटे उद्योग की बात है, वे छोटे उद्योग भी प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं। क्या स्थिति है आज हथकरघा उद्योग की ? इस हथकरघा के बारे में हम चाहते हैं कि एक पृथक मंत्रालय की स्थापना आपको करनी चाहिए जिससे छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिले। आज चाहे बढ़ई हो, लुहार हो, कुम्हार हो, छोटा स्वर्णकार हो, इनको प्रोत्साहन हमें देना चाहिए और उनके बारे में समय-समय पर दूरदर्शन के माध्यम से यह प्रचार किया जाना चाहिए कि कुटीर उद्योगों के अंदर ग्रामीण उद्योगों के अंदर इस प्रकार के हमारे कारीगर काम कर रहे हैं और उनकी वस्तुएं बहुत अच्छी हैं। यद्यपि आप ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक जो वातावरण हम अपने देश में बनाना चाहते हैं, हमारे उद्योग रोज-

गार मूलक बने, वे रोजगार मूलक बनेंगे । उनको हम ठीक कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि हमारे देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा होगा या वे उद्योग रोजगार-मूलक बनेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में जहां-जहां बड़े उद्योग हैं, वहां सरकार का यह मानना है कि वहां कर-अपवंचन बहुत होता है । कर-अपवंचन की बातें बहुत चला करती हैं । इसलिए मेरा आग्रह है कि एक कर-जांच-आयोग आपको बनाना चाहिए । ताकि जिस किसी उद्योग के बारे में इस प्रकार की शिकायत हो, तो उसकी जांच की जा सके और वर्तमान में जो कर-रेशो है उसे भी तर्क-संगत बनाना चाहिए ताकि जहां-जहां इस प्रकार की विसंगत बातें हों, वे दूर हो सकें । इस प्रकार की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं । जहां इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हों, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है । इससे कम-से-कम एक फायदा यह तो होगा कि इंडस्ट्रीज में आने वाले लोगों को यह तो महसूस होगा कि वास्तव में वे देश सेवा में लगे हुए हैं और हमारा अपना दायित्व इस प्रकार क्या है ।

अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह हो गई है कि जो उपभोक्ता वस्तुएं सामान्यतः छोटे उद्योगों के पास होनी चाहिए या लघु और कुटीर उद्योगों में जो बननी चाहिए, वे आज बड़े और बहुत बड़े उद्योग बना रहे हैं । अभी यहां उदाहरण दिया गया लाइफबॉय, सनलाइट और लक्स का, या इसी प्रकार की दूसरी चीजें हो सकती हैं, बड़ी कम्पनियां या मल्टी नेशनल कम्पनियां इनको बना रही हैं । क्या हम इनको छोटे उद्योगों के लिए सुरक्षित नहीं कर सकते हैं ? इनको किया जा सकता है, लेकिन आज इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसको भी करने की आवश्यकता है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो निर्यात है, या इससे हमारी जो आय होने वाली है, इसको भी रोजगार मूलक और रोजगारसृजन के योग्य बनाना चाहिए, ताकि हम ज्यारा-से-ज्यादा निर्यात कर सकें और उन चीजों का ज्यादा-से-ज्यादा निर्यात कर सकें, जो वस्तुएं छोटे-छोटे उद्योगों में, ग्रामीण उद्योगों में बनती हैं, उनको हम बाहर निर्यात कर सकते हैं । इन छोटी इंडस्ट्रीज के जरिये ज्यादा पैसा आ सकता है और उसको भी आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है ।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के अंदर कई बातें ऐसी हैं, जो छूट गई हैं । जो संवर्ग तय किए हैं, उनमें इन छोटे उद्योगों के बारे से या कुटीर उद्योग के बारे में कोई बात नहीं कही गई है । मैं सीमेंट इंडस्ट्री का उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे यहां सीमेंट इंडस्ट्री में पुरानी तकनीक चल रही है । जहां सुधार करने की आवश्यकता है, अगर उसको वहां सुधारा नहीं जाएगा तो उत्पादन कम होगा । अगर उसको सुधार दिया जाए, नई तकनीक उसमें अपनाई जाए, तो हम इस इंडस्ट्री को लाभप्रद बना सकते हैं । पब्लिक सैक्टर उद्योग के बारे में जो बात कही जाती है कि इसमें घाटा ही घाटा है, लेकिन अगर हम सीमेंट इन्डस्ट्री में या अन्य इंडस्ट्री में आधुनिक तकनीक अपनाएं, तो हम इस घाटे के सौदे को भी नफे का सौदा बना सकते हैं और इस प्रकार से यह हमारे लिए काफी फायदे की बात हो सकती है ।

महोदय, आज एक सबसे विशेष बात यह है कि जो हमारा उत्पादन होता है, उसके मूल्य में और उपभोक्ता को जो मूल्य देना पड़ता है, यानी प्रॉडक्शन कॉस्ट कंजूमर कॉस्ट में कहीं भी साम-

जस्य या तालमेल नहीं है। प्रॉडक्शन कॉस्ट कम है लेकिन कंजूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है जिसके कारण उसको खरीदने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इसमें भी एक प्रकार की संगति आपको बनाने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा इस नई नीति के आधार पर यह बात सही है कि कुछ क्षेत्रों में निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा लेकिन जिन क्षेत्रों में आज भी काम करने की आवश्यकता है या पूंजी निवेश की आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन देने के लिए आगे आना चाहिए।

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में चर्चा की गई है, उसकी क्या स्थिति है। कुछ समय पहले उसके बारे में चर्चा आई थी कि उसको बेचा जा रहा है। उसमे कितनी बड़ी पूंजी लगी हुई है, कितने शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा लगा हुआ है लेकिन आज उसकी स्थिति दयनीय बन गई है। इसी प्रकार से कई ऐसे उद्योग हैं जिनकी स्थिति दयनीय बन गई है। मैं सोचता हूं कि उनको सुधारने की आवश्यकता है, आप उनको सुधारने में उचित ध्यान देंगे और निश्चित रूप से ऐसा औद्योगिक वातावरण बनाने का प्रयत्न करेंगे जिससे सभी को समान रूप से उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके। छोटे उद्योग अपने क्षेत्र में, मंझले उद्योग अपने क्षेत्र में, लघु उद्योग अपने क्षेत्र में काम करते हुए परस्पर प्रतिस्पर्धा इस प्रकार की रहे जिससे उद्योग पनपें और सभी को समान रूप से अवसर मिले। कुल मिलाकर हमको राष्ट्रीयता के भाव से काम करने की आवश्यकता है तभी हम इस उद्योग नीति में, जो आज यहां पर प्रस्तुत हुई है, सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता विकेन्द्रित करने की है। जहां लोकतांत्रिक दृष्टि से हम सक्षम हैं वहीं आर्थिक लोकतंत्र भी प्राप्त होना चाहिए, अभी हम आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में नहीं बढ़े हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक क्षेत्र को सुदृढ़ किया जाए, छोटे और बड़े उद्योगों को अलग-अलग किया जाए और ऐसा संवर्ग स्थापित किया जाए जिससे उद्योगों में अच्छे से अच्छा प्रबन्ध दे सकें और सुनिश्चित कर सकें कि हमारे उद्योग घाटे में न चलें, नफा देने वाले उद्योग हों। साथ-साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाले उद्योग भी समाज के हित की दृष्टि से, राष्ट्र के हित की दृष्टि से काम करें, उनको भी काम करने का अवसर ठीक से मिलना चाहिए। प्रतिस्पर्धा मे इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो कि एक-दूसरे को फालिज कर देने वाली सिद्ध हो जाए और धीरे-धीरे वह बीमार उद्योगों की संज्ञा ले लें।

इस क्षेत्र में कहा जाता है कि इसको ठीक से काम नहीं मिल रहा, टैक्सटाइल इंडस्ट्री ठीक से नहीं चल रही है, सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर मिल ठीक नहीं चल रही है। इस प्रकार सिक इंडस्ट्री की बात आती है तो उनको फिर राजकीय सहायता या केन्द्रीय सहायता की बात की जाती है, पुनर्जीवित करने की बात की जाती है जहां पर हमारे बहुत से मजदूरों की भी संबंध आता है। इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो और हमारी जो चलने वाली औद्योगिक इकाइयां हैं वे ठीक से चलें और हम उनको ठीक से पोषित कर सकें, जिस बात को लेकर हम चले हैं उसमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनें। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में हम विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहित करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को प्रोत्साहित करके उसमें इतना न उलझ जाएं कि उस पर हावी हो जाएं या हमारी स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता पर किसी प्रकार की चोट पहुंचे। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस नीति संबंधी चर्चा के समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। जहां तक उद्योग मंत्रालय की विभिन्न मांगों का सम्बन्ध है वे इस प्रकार की है जिनके बारे में अलग-अलग प्रकार की बातें कही जा सकती हैं। जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न है वह भी दूर होना चाहिए। एक ही स्थान पर अधिक उद्योग हों और कही एक न हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । वहां बड़े उद्योगों की पर्याप्त सम्भावना है, उन्हें लगाना चाहिए ।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारी औद्योगिक नीति के संदर्भ में और उनकी मांगों के संबंध में जिस प्रकार की बात कही गई है, उसको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण के बारे में शोध और विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । मैं यह भी चाहूंगा कि हमारी आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा होनी चाहिये जबकि हम विदेशी पूंजी-निवेश को आमंत्रित करने की बात कहते हैं तो यह ध्यान रहे कि हमारी प्रभुसत्ता पर आंच न आए और जिससे हमारे राष्ट्र की सुरक्षा हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इससे पहले कि गृह मंत्री अपना भाषण शुरू करें मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । करीब तीन घंटे पहले, जब आप पीठासीन नहीं हुए थे तो हमने यह जिक्र किया था कि रेलवे मंत्री के आवास के सामने जब लोग धरने पर बैठे थे तो कुछ लोगों को पकड़कर तुगलकाबाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया । अब मैं यह बताना चाहता हूं— मन्त्री का नाम लिये बिना एक मंत्री जिन्होंने वास्तव में उस स्थान का दौरा किया है और लौटकर उन्होंने यह बताया है कि वास्तव में श्री हरीश रावत, पूर्व सांसद और श्री यशवंत सिन्हा सहित अन्य पचपन व्यक्ति हिरासत में हैं । पुलिस स्टेशन में खून के धब्बों के निशान थे । उनका कहना है कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया है । चूंकि गृह मंत्री मौजूद थे इसलिए तीन घंटे पहले हमने यह निवेदन किया था वह इस घटना पर अपना वक्तव्य दें । उस समय यह पूछ रहे थे कि यह घटना समाचार है या अफवाह और हमने जोर देकर कहा था कि यह सूचना ठीक है । अब एक मंत्री महोदय ने कहा है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि वह मंत्री इसे गृह मंत्री को बता सकते हैं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं । वह गृह मंत्री नहीं हैं । यदि आप चाहें तो मैं आपको उनका नाम बता सकता हूं । लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता । अब, चूंकि गृह मंत्री यहां हैं इसलिए उन्हें ही यह बताने दिया जाए कि वहां क्या घटना घटी···(**व्यवधान**) पुलिस स्टेशन में खून के धब्बे देखकर वह लौट आए हैं । इसलिये, मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर अपना वक्तव्य दें ।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सभी कुछ महत्त्वपूर्ण है, भक्त जी, कृपया आप मुझे सुनें ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप महत्त्वपूर्ण मसले उठाते हैं और मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कहते हैं । अब वह वक्तव्य देने आये हैं, लेकिन आप उन्हें वक्तव्य नहीं देने देते, और अब आप दूसरे मुद्दे की बात करते हैं । ऐसा कब तक चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे प्रसन्नता होगी यदि मंत्री महोदय इस मुद्दे पर भी वक्तव्य दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्तव्य के बारे में नहीं कह रहा हूं। इस सभा में कुछ और बात उठायी गयी थी और वह वक्तव्य देने जा रहे हैं। अब हर वक्त आप कुछ न कुछ उठाते हैं और आप फिर उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहते हैं तो इस तरह कैसे चलेगा ?

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, चार्ल्स जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इस तरह नहीं चलेगा। इस सभा के नियमों का दुरुपयोग न करें। यदि आप सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको ही हानि होगी।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, प्रक्रिया के बारे में···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह आपके हित में है कि नियमों का दुरुपयोग न हो। मैंने श्री भक्त को अनुमति नहीं दी है और मैं आपको भी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह हर वक्त उठकर कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। इसका अंत भी होना चाहिए।

श्री ए० चार्ल्स : मैं अध्यक्ष पीठ द्वारा दिये विनिर्णय के बारे में यह कह रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

———

5.42 म० प०

मन्त्री द्वारा वक्तव्य

(दो) बंगलौर के समीप कोणनकुण्टे में 20 अगस्त, 1991 को लिट्टे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं, इस सम्मानीय सदन को बंगलौर के नजदीक कोणनकुण्टे में हुई घटना के ब्यौरों के बारे में अवगत करता हूं, जिसमें राजीव गांधी हत्या कांड के अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त शिवारासन और छः अन्य मृत पाए गए।

श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले की जांच करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में एक विशेष जांच दल गठित किया गया था। विशेष जांच दल ने 346

गवाहों के बयान लिए और 49 स्थानों की तलाशी ली, जिनमें अभिशंसी सामग्री बरामद की गई। 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। आप सभी जानते ही हैं कि गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे प्रमुख अभियुक्त शिवरासन और शुभा थे। पूरे राष्ट्र में इन अपराधियों की तलाश की गई और इन मुख्य षड्यन्त्रकारियों के छिपने के स्थानों का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

यह संदेह होने पर कि कुछ लिट्टे उग्रवादी मण्डया जिले के मुत्ताती और बेरुटा गांवों में छिपे हुए हैं, कर्नाटक पुलिस द्वारा 17/18-8-91 को छापे मापे मारे गए। इन छापों में कुल 12 लिट्टे उग्रवादी साइनाइड खाकर आत्महत्या करने के बाद मृत पाए गए और 5 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बोवरिंग अस्पताल, बंगलौर में भर्ती किया गया।

जांच पड़ताल के दौरान यह पता लगा कि पुट्टनाहाली के "अन्जनप्पा" नामक एक व्यक्ति ने मुत्ताती और बेरुटा में घर खोजने से लिट्टे उग्रवादियों की मदद की। इसके अलावा मुत्ताती में 26 उग्रवादियों की सूची वाली एक डायरी भी पायी गई। इस सूचना के आधार पर बंगलौर सिटी पुलिस ने "रंगनाथ" नामक एक दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति ने कोणनकुण्टे में उस घर के बारे में सूचना दी जिसका प्रबन्ध उसने छः उग्रवादियों के लिए किया था। सिटी पुलिस ने, विशेष जांच दल के साथ, 18-8-1991 की रात को इस मकान को घेर लिया और इस मकान पर निरन्तर निगरानी रखी। इसके अतिरिक्त कोणनकुण्टे चौराहे पर "प्रेम कुमार" नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति कोणनकुण्टे मकान में छिपे लिट्टे उग्रवादियों को भोजन, इत्यादि की आपूर्ति करता था। आगे जांच-पड़ताल करने पर इस घर में शिवरासन और सम्भवतः शुभा सहित लिट्टे उग्रवादियों के मौजूद होने का पता लगा।

शिवरासन और अन्यों को जीवित पकड़ने के लिए 19 तारीख को पूरे दिन निगरानी रखी गई और पूरे क्षेत्र को सादी वर्दी पहने कार्मिकों ने घेर लिए और एन० एस० जी० कमाण्डो कार्मिकों ने सामरिक रूप से मोर्चा संभाला। दिल्ली से एन० एस० जी० कमाण्डों कार्मिकों की अतिरिक्त कुमुक और आधुनिकतम साइनाइड-विष-निवारक दवा के साथ चिकित्सा विशेषज्ञों को बुलाया गया। यह निर्णय लिया गया कि उस स्थान पर धावा न किया जाए क्योंकि इससे पूर्व अनेक अवसरों पर इस प्रकार की कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप लिट्टे के छोटे-छोटे उग्रवादियों ने भी आत्महत्या कर ली थी। 19 तारीख को लगभग 7.00 बजे अपराह्न लिट्टे उग्रवादियों ने मकान के अन्दर सुराग बनाया और किसी प्रत्यक्ष कारण के बिना अन्धाधुन्ध गोलीबारी की। एन० एस० जी० ने जबाव में गोलीबारी की। दोनों तरफ से यह गोली-बारी लगभग 30 मिनट तक जारी रही और तीन पुलिस कार्मिक (एक एन० एस० जी० का कार्मिक और दो कर्नाटक पुलिस के कार्मिक) जख्मी हो गए। जख्मी कार्मिक खतरे से बाहर हैं। उग्रवादियों ने या तो इसलिए गोली-बारी की कि वे गोली-बारी की आड़ में भागना चाहते थे या घर के नजदीक कुछ हलचल के कारण, जहां स्थानीय निवासी टूटी हुई लारी को हटाने की कोशिश कर रहे थे। दो उग्रवादी, जो सम्भवतः भागने की कोशिश में बाहर आए थे, पुनः घर के अन्दर वापस भाग गए। बाद में लगभग 8.00 बजे अपराह्न, उग्रवादियों द्वारा तकरीबन आधे मिनट तक लगभग 7-8 राउण्ड गोलियां और चलाई गईं।

20 अगस्त की प्रातः दिल्ली से अतिरिक्त कुमुक तथा उसके अति आधुनिकतम साइनाइड विष निवारक दवा के साथ चिकित्सा दल के पहुंचने के बाद लगभग 6.30 बजे पूर्वाह्न मकान पर धावा बोला गया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमाण्डो ने दरवाजे को उड़ा दिया और मकान में घुस

गए। उन्हें लिट्टे (एल० टी० टी० ई०) उग्रवादियों के 7 शव मिले। उनमें वांछित सिवरासन तथा एक महिला, जो निश्चित रूप से शुभा थी, लेकिन जिसकी पहचान के लिए प्रमाणिक पुष्टि आवश्यक थी, शामिल थे। अन्य सभी शवों की पहचान के लिए प्रयास जारी हैं। एक ए० के० 47 राइफल तथा एक 9 एम० एम० पिस्तौल और गोला बारूद के अनेक राउण्ड बरामद किए गए। सिवरासन को, उसके सिर की कनपटी पर गोली के घाव के साथ, पाया गया। अन्य सभी स्पष्टत: साइनाइड विष खाने के कारण मरे। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि सिवरासन ने भी साइनाइड कैपसूल खाया है या नहीं। शवों को शव-परीक्षण के लिए विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया है।

सम्पूर्ण कार्य की देखभाल केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, एस० आई० टी० के प्रमुख तथा बंगलौर के सिटी पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अधिकारियों द्वारा किया गया।

इस बीच, विशेष जांच दल, हत्या सम्बन्धी सम्पूर्ण षडयन्त्र का पता लगाने, शेष अभियुक्तों की पहचान तथा गिरफ्तारी करने और न्यायालय में मामले पर संभावित चार्जशीट देने के उद्देश्य से मामले की सतत् जांच-पड़ताल जारी रखेगा।

(तीन) जून, 1991 में श्रीनगर में आतंकवादियों द्वारा अपहृत भारतीय तेल निगम के वरिष्ठ अधिकारी श्री के० दुरई स्वामी की रिहाई

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं, आतंकवादियों के बंधन से भारतीय तेल निगम के वरिष्ठ अधिकारी श्री दुराईस्वामी के कल शाम रिहा होने के बारे में इस सदन को सूचित करता हूं।

राज्य सरकार से मालूम तथ्य निम्न प्रकार हैं :

भारतीय तेल निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री के० दुराई स्वामी जो 27-6-1991 को दिल्ली से श्रीनगर पहुंचे, का अपहरण जीवान पन्था चौक, श्रीनगर में 28-6-1991 को पूर्वाह्न में सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा उस समय किया गया, जब वे एक वाहर में जा रहे थे। श्री दुराई स्वामी श्रीनगर में एक निरीक्षण दौरे पर थे। श्री दुराई स्वामी अन्य अधिकारियों के एक दल के साथ मिट्टी तेल/पेट्रोल के भण्डार के निर्माण के लिए स्थान का निरीक्षण करने के लिए वहां गए थे। पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी गिरोह "इखवान-उल-मुस्लिमीन" ने अपहरण की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली और 1-7-91 को 15.00 बजे तक श्री जावेद शाला, बिलाल बेग और अन्य आतंकवादियों को तुरन्त रिहा करने की मांग की और कहा कि ऐसा नहीं करने पर उनकी हिरासत में रखे भारतीय तेल निगम के अधिकारी को गोली मार दी जाएगी। 1 जुलाई को आतंकवादी गिरोह ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के नाम एक अपील भेजी जो श्री दुराई स्वामी द्वारा अपनी जान बचाने के लिए की गई अपील बताई गई।

जम्मू और कश्मीर सरकार बिचौलियों के माध्यम से आतंकवादियों के साथ बातचीत करती रही। आतंकवादी भी रिहाई सम्बन्धी समय-सीमा को बढ़ाते रहे।

20 जुलाई को काफी समय तक बातचीत करने के बाद बन्धक की सुरक्षित रिहाई को सुनिश्चित करने की कार्य-प्रणाली तय हुई और उसके बदले में पांच में से तीन आतंकवादियों को, उन्हें स्वीकार्य स्थान पर बिचौलिए के सुपुर्द कर दिया गया। बिचौलिए को श्री दुराईस्वामी के साथ वापस आना था और उसके बाद अन्य दो आतंकवादियों को रिहा किया जाना था। तथापि, बिचौलिया वापस नहीं आया और इससे श्री दुराईस्वामी की सुरक्षित रिहाई के प्रयास असफल रहे।

22 जुलाई को अपहरणकर्ताओं ने दुबारा बयान देते हुए बेबुनियाद आरोप लगाए कि सरकार जावेद अहमद शाला की रिहाई के बारे में अपने वायदे से पीछे हट गई है, और उन्होंने पहले रिहा किए गए तीन कैदियों सहित, 9 कैदियों को रिहा किए जाने की मांग भी की।

अपहरणकर्ताओं ने एक नया बिचौलिया नामित किया और श्री दुराईस्वामी को रिहा किए जाने के प्रयास जारी रहे। अपहरणकर्ताओं के नाम से बयान दिए गए कि यदि उनकी मांगें पूर्ण रूप से नहीं मानी गईं तो बंधक को उत्पीड़ित किया जाएगा।

लम्बे समय से चली आ रही बातचीत के बाद भी दुराई स्वामी की रिहाई सम्बन्धी ब्यौरे तय हुए। समझौते के अनुसार अपहरणकर्ताओं द्वारा 20 अगस्त, 1991 को 8.30 बजे अपराह्न पांच गिरफ्तार आतंकवादियों के बदले श्री दुराईस्वामी को रिहा किया गया। श्री दुराईस्वामी के श्रीनगर में सुरक्षित पहुंचने पर छठे आतंकवादी, नामतः श्री जावेद अहमद शाला को भी जमानत पर रिहा किया गया। श्री शाला के अलावा किसी भी आतंकवादी पर जघन्य अपराधों के आरोप नहीं हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : दूसरे वक्तव्य के बारे में क्या हुआ ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने लाठी चार्ज पर एक वक्तव्य की मांग की थी। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस घटना को तीन घण्टे हो गए हैं जिससे 55 व्यक्तियों की थाने में पिटाई की गयी थी।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मुझे कुछ भी पता नहीं है। एकदम मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मन्त्री जी कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जानकारी हासिल करने दीजिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, दिल्ली उस स्थान से दूर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली भले ही दूर नही हो लेकिन फिर भी कुछ अन्य बातें भी हो सकती हैं।

(व्यवधान)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सारी जिम्मेदारी गृह मन्त्री की है। जिस व्यक्ति की पिटाई हुई वह कांग्रेस पार्टी का सदस्य था। वह शान्तिपूर्ण भूख-हड़ताल पर था। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने का अधिकार है लेकिन पीटने का अधिकार नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, 55 लोग वहां थे। उनको पुलिस ने बुरी तरह पीटा था। **(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी : एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कोई भी भूख-हड़ताल कर सकता है। वह कोई हिंसक गतिविधि नहीं कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह सभा की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं आपसे सहमत हूं लेकिन आप यह देखें कि इस घटना को हुए 3 घण्टे हो चुके हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने वक्तव्य के लिए कहा था और वक्तव्य दिया गया। अब कुछ और चीज ली जायेगी। यदि आप सब खड़े हो जाएंगे और बातें करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे ?

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : हमने शून्य काल में वक्तव्य की मांग की थी। हम सभा की कार्यवाही में बाधा डालेंगे।

अध्यक्ष महोदय : पूरे दिन ऐसे कार्य पर चर्चा न कीजिए जो सूची में नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं इस मामले को शून्यकाल के दौरान उठाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

मैं आपको बता चुका हूं कि यह बजट-सत्र है। पिछले 4-5 दिनों से उद्योग मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा कार्य सूची में है। हम केवल कल ही इस विषय पर कुछ चर्चा कर पाए हैं। हमने आज इस पर चर्चा की। अगर हर बार कार्य सूची में सम्मिलित न किए गए विषयों पर चर्चा होती रहेगी तो जो सदस्य पीछे चुपचाप बैठे हैं, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा और हर बार बिना किसी पूर्व सूचना के आप कोई भी मुद्दा उठा देते हैं और सरकार से वक्तव्य की मांग करते हैं, यह कैसे सम्भव है ?

मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कोई सहयोगी इस मामले में शामिल है तो सरकार निश्चित रूप से इस पर गौर करेगी। वह सूचना एकत्रित करके आपको उसकी जानकारी देगी। परन्तु अकस्मात आप ऐसी मांग नहीं कर सकते कि जाइए सूचना एकत्रित करके आइए। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो सरकार से उस विषय में वक्तव्य की आशा रखते हैं। यह कैसे सम्भव है ?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। परन्तु तीन घण्टे पहले हमने यह मुद्दा उठाया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तीन घण्टे से आपका क्या मतलब है। यह विषय कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार चर्चा मत कीजिए। इससे आपको कुछ सहायता नहीं मिलेगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अनुदान मांगों पर चर्चा में हमारी रुचि है। परन्तु इस दौरान सरकार को अपनी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर व्यक्त करनी चाहिए परन्तु अगर सरकार ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि अनुदान मांगों पर चर्चा न हो सके तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे सहयोगियों को थाने ले जाया जाए·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर एक या दो सदस्य किसी मामले को उठाते हैं तो दूसरे सदस्यों के हितों को आघात पहुंचता है। वे यहां चुपचाप बैठे रहते हैं और बाद में मेरे कक्ष में आकर शिकायत करते हैं कि मैं उन्हीं सदस्यों को बोलने का मौका देता हूं जो सदन में खड़े रहते हैं·····

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कांग्रेस के सदस्य भी ऐसा करते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह दी है। मैंने आपको बताया कि सरकार जब जानकारी एकत्रित कर लेगी तथा सदन को इस मामले से अवगत कराना उचित समझेगी तो इसकी जानकारी सदन को देगी तथा अगर इस मामले में एक सदस्य सम्मिलित है, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की जानकारी वे निश्चित रूप से सदन को देना चाहेंगे। परन्तु आप हर बार सरकार के बिना सूचना एकत्रित किए वक्तव्य देने को बाध्य नहीं कर सकते। यह आपके हित में है क्योंकि यह सदन आपका है, समय आपका है। मांगें आपकी हैं—आप इनका जैसे उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। परन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन सदस्यों की भावनाओं का भी ध्यान रखिए जो चुपचाप बैठे रहते हैं और तब तक खड़े नहीं होते जब तक उनका नाम नहीं पुकारा जाता।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : परन्तु आप इस मामले को सरकार के समक्ष भी ले जाइए और उन्हें इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, उन्हें आपकी भावनाओं का अहसास है।

(व्यवधान)

5.55 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1991-92

उद्योग मन्त्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह युमनाम।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : मैं जानता हूं कि आप मुझे मणिपुरी में बोलने की अनुमति नहीं देंगे जोकि मेरी मातृभाषा है क्योंकि इसे भारतीय संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। मैं हिन्दी में बोल नहीं सकता। अंग्रेजी भाषा का भी मुझे कोई अधिक ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरी यह शिकायत है कि मुझे मणिपुरी में बोलने नहीं दिया जा रहा हैं। इसलिए मुझे केवल अंग्रेजी में ही बोलना होगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा का समय मत लीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों तथा राष्ट्रीय उद्योग नीति का विरोध करता हूं। परन्तु मैं सरकार की उस भावना की प्रशंसा करता हूं जिसके अनुसार उन्होंने

पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय उद्योग नीति को प्रस्तुत किया है। मेरे विचारानुसार उन्होंने स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत को आर्थिक प्रभुसत्ता प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास तथा उद्योग को सुसंगठित करने का आह्वान किया। उन्होंने समूचे राष्ट्र को आह्वान किया कि औद्योगिक क्रान्ति के बिना राष्ट्र पिछड़ा तथा दूसरों पर निर्भर रहेगा और इसी संदर्भ में उन्होंने हमें इस बात के लिए प्रेरित किया कि ग्रामीण तथा दूरस्थ स्थानों पर उद्योगों को संगठित करना ही वास्तविक राष्ट्रभक्ति है।

यद्यपि उस समय इस नीति के विरोध में बहुत शोर मचा था और काफी आलोचना हुई थी कि ये उद्योग टाटा, बिरला इत्यादि जैसे कुछ उद्योगपतियों के हाथ में हैं, फिर भी पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने लोगों को यह स्पष्ट किया था कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, देश का एक समाजवादी ढांचा होगा इत्यादि, अत: कुछ हद तक यह सहनीय थी।

अब मैं वर्तमान उद्योग नीति पर आता हूं। मेरा सुझाव है कि सरकार के लिए यह बेहतर होगा कि विपक्षी नेताओं तथा विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं, जो कल सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि के बारे में बोले थे, द्वारा दिए गए प्रस्तावों के साथ समझौता कर लें। यह राष्ट्र के हित में होगा यदि उद्योग मन्त्री विपक्षी सदस्यों, विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए प्रस्तावों, सुझावों पर विचार कर सकें, जिस प्रकार राजीव गांधी फाउन्डेशन और उर्वरक के मुद्दे पर सरकार ने किया था।

मैं केवल अपने राज्य, मणिपुर, की कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां पर एक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है जो उद्योग की दृष्टि से अछूता रहा है। जैसाकि आप जानते हैं मणिपुर ऐसा राज्य है जो केन्द्र को सभी विषयों में पूर्व सहयोग देता रहा है। हाल ही में, इम्फाल में एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें इण्डियन एअरलाइन्स का बोईंग 737 इम्फाल में उतरने से कुछ मिनट पहले एक पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें जहाज के सभी 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब नागरिक उड्डयन मन्त्री बचाव अभियान इत्यादि का निरीक्षण करने गए थे। यह राज्य पहाड़ियों और बहुत विशाल घाटी से घिरा हुआ है।

6.00 म० प०

यह बहुत ही उपेक्षित राज्य है। किन्तु वहां पर आपकी बहिनें और भाई रहते हैं जिन्हें आप भारतीय कहते हैं। पहले वे भारतीय नहीं थे। वे केवल मणिपुरी थे। उनकी भाषा भिन्न है, उनका शारीरिक ढांचा और संस्कृति भिन्न है। किन्तु, केन्द सरकार ने यह विचार करके कि उन्हें 'भारतीय' बना दिया कि यह उनके हित में होगा। किन्तु दुर्भाग्य से वे अब बहुत निराश और कुण्ठित हैं। कुछ युवा लोग जो अधीर हैं उनमें से कुछ भूमिगत हो गए हैं और उग्रवादी बन गए हैं। क्यों ? क्योंकि, वे बहुत निराश हैं। उन्हें भारत सरकार से बहुत आशा थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण कल जारी रखेंगे ? हम बाढ़ और सूखे की स्थिति का विषय उठाएंगे। हमने निर्णय लिया था कि 6 बजे हम बाढ़ और सूखे पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

———

6.02 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब हम देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा करेंगे। यहां पर इस चर्चा के लिए एक घण्टा उपलब्ध कराया गया है। मेरे पास कुछ नाम हैं। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपना भाषण पांच से सात मिनटों में पूरा कर लें जिससे चार-पांच छः माननीय सदस्य बोल सकें और माननीय मन्त्री उत्तर दे सकें। श्री पीयूष बोल रहे थे। वे कृपया जारी रखें।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मन्त्री महोदय सदन को ताजा स्थिति से अवगत कराएं।

अध्यक्ष महोदय : वे ऐसा करने वाले हैं। यदि आप चाहें, तो मैं आपको भी बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : हमारे दल से किसी ने भी इस विषय पर नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, मैं उस दिन कह रहा था कि हर सत्र में बराबर इसकी आलोचना होती है। किन्तु जब भी बाढ़ या सूखा पड़ जाता है तो हम लोगों की परिस्थिति, सरकार की परिस्थिति बदल जाती है। न हम उनको बचा सकते हैं, न उनको दवा-दारू दे सकते हैं, न उनको खिला सकते हैं, न उनको आवास दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि बाढ़ आयोग भी बनाया गया है। बाढ़ आयोग 1958 में बनाया गया। कमेटी ने भी लक्ष्य बनाया और फल्ड प्रून एरिया को चिन्हित किया। साथ ही साथ फोरकास्टिंग के लिए, सतर्कता के लिए अनेक स्टेशनों का निर्माण किया गया। फोरकास्टिंग यूनिट जो हैं उदका काम क्या था। उनका काम था कि कहां बाढ़ आएगी, कितने दिनों में आएगी इसके पहले जन-साधारण को सतर्क करते। जन-साधारण को सतर्क क्यों नहीं किया गया ? अगर सतर्क किया गया तो भी वे लोग वहां से नहीं गए, इसका क्या प्रमाण है, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं। फोरकास्टिंग के लिए स्टेशन बनाए गए, उन्होंने लोगों को सतर्क क्यों नहीं किया। जिसके कारण जान-माल का नुकसान हुआ। अभी तक उन्होंने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। मेरे पास फीगर्स हैं, शायद सही होंगे, 500 हाईड्रो मैट्रोलॉजिकल स्टेशन एण्ड फोरकास्टिंग सैण्टर हैं। उन्होंने कोई भी सतर्कता का संकेत नहीं दिया।

पश्चिम बंगाल के मेरे पास फीगर्स हैं, फल्ड प्रून एरिया वहां पर 26.5 लाख हैक्टेयर है, जो समूचे प्रान्त की 30 प्रतिशत भूमि है। उसमें से केवल 19.5 लाख हैक्टेयर को प्रोटैक्टिड किया गया। जो फल्ड का लॉस है वह 26.90 करोड़ का है, इरोजन हो रहा है। गंगा फल्ड कन्ट्रोल कमीशन बनाया गया। उसको कहा गया था कि यह देखें कि कहां से कहां तक गंगा का इरोजन हो रहा है। उपजाऊ भूमि का भी नुकसान हो रहा है। इसी तरह से हमारे बहुत से स्टेट हैं बिहार,

उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वैस्ट बंगाल, इनके लिए 1987 में अलग कमीशन बनाया गया और इसको देखा देखभाल के लिए बनाया गया । जो इन्होंने एडवाइज दी है, उसको सरकार देखेगी या नहीं । मैं सरकार को सतर्क करना चाहता हूं कि यह जो हर वर्ष प्राकृतिक विपदा आती रहती है, इससे देश को नुकसान होता है । इसमें उत्पादन और जान-माल का भी नुकसान होता है और बीमारियां भी होती हैं । यह सब होते हुए भी सरकार ने बचाने के लिए कुछ नहीं किया । भविष्य में होने वाले फल्ड का भी एरिया बता चुके हैं और उनको चिन्हित किया गया है । उस जगह पर मनुष्य तो खोजकर खायेगा लेकिन जानवर भूखे मर रहे हैं । कृषि मन्त्री यहां पर हैं लेकिन एन्वायरनमेंट और वाटर रिसोर्सेज मन्त्रियों को यहां पर रहना चाहिए । अगर आप रेलगाड़ी में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे जितने सुन्दर पहाड़ हैं, वे सब नंगे हो रहे हैं और कहीं पर घास नहीं है । एन्वायरनमेंट और वाटर रिसोर्सेज मंत्री मिलक ने इसके लिए योजना न बनाई तो हमारा देश बराबर ऐसे ही चलता रहेगा और हम यहां पर संसद में बोलते रहेंगे । फूड हैबीट्स भी चेंज करनी हैं । केवल गेहूं और चावल से आदमी नहीं बचता है । पोल्ट्री और सी-फीश की हैबीट्स भी बदल सकते हैं । उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए जिससे आल्टरनेटिव फूड उनको दे सकें जिससे आदमी भूख से न मरे, नंगा न रहे और कपड़ा व दवा दे सकें । मैं फिर अर्ज करता हूं कि सरकार को इस विषय पर बहुत ध्यान देना है । आइन्दा फल्ड और सूखा हो तो उसका सामना कर सकें, ऐसा होना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने से पहले मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी को राज्य कृषि मन्त्री, श्री के० सी० लेंका और अन्य असफरों के साथ आज उड़ीसा जाने के लिए धन्यवाद देता हूं । उन्होंने उड़ीसा के लोगों की कठिनाइयों के साथ अपने को जोड़ लिया है । उन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं और 5,000 टन चावल देने का वादा किया है । उन्होंने उड़ीसा की समस्या पर विचार किया है । इसके लिए, मैं उनका दुबारा धन्यवाद करता हूं ।

महोदय, मैं उड़ीसा के लोगों, जो कष्ट भोग रहे हैं, के पक्ष में आपके हस्तक्षेप के लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं ।

उस दिन, मेरे मित्र श्री चन्द्रजीत यादव बाढ़ के विषय में काफी बोले थे । 15 जून से सम्पूर्ण देश, असम, मिजोरम और अन्य भागों में भी बाढ़ आई थी ।

जब इस विषय को यहां उठाया गया, तो उड़ीसा में बाढ़ आई हुइ थी और उस बाढ़ में, 9 जिलों में 100 खण्ड प्रभावित हुए थे; पांच लाख एकड़ पर फसल नष्ट हुई थी; 62 दरारें आई थीं, 1038 घरों को नुकसान हुआ था; 17 लोगों की मृत्यु हुई थी और 60,332 गांव की सड़कें बह गई थीं । उन सबके साथ, नौ जिलों की सड़कों में अनगिनत दरारें आ गई थीं ।

अभी उड़ीसा इस बाढ़ की स्थिति से निकला भी नहीं था कि 14 अगस्त को न केवल महानदी बल्कि ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्ण रेखा नदियों में फिर से बाढ़ आ गई, जिसके परिणामस्वरूप छः जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए । मैं बात कहना चाहता हूं, क्योंकि यह उड़ीसा में बाढ़ के स्थायी नियन्त्रण के लिए आवश्यक है कि नारज में, जहां पर महानदी का पानी अलग-अलग रास्तों में बांट दिया जाता है, 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जाए तब बाढ़ का सामना किया जा

सकता है। यदि पानी 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा होगा तब उससे हानि होगी। लेकिन इस बार नारज से 16 लाख क्यूसेक पानी जाने की आशा थी यदि ऐसा होता तो पूरे कटक और उड़ीसा के अधिक समृद्ध भाग बह जाते। लेकिन मुख्य मन्त्री के हस्तक्षेप के कारण, मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं, नारज में लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी रोक लिया गया। हालांकि इसमें भी खतरा था लेकिन कुछ कम था। इसके परिणामस्वरूप सात खण्डों में फसल को नुकसान हुआ है। 42,000 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए और 50 लाख एकड़ जमीन पानी में बह गई। 300 गांव अभी भी पानी में हैं। सड़कों में दरारें पड़ गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब लोगों से सम्पर्क करने, उन्हें भोजन देने की बात आई तब उड़ीसा सरकार के पास साधन नहीं थे। 14 तारीख की रात को उन्होंने सेना से बातचीत की कि वह उनके बचाव के लिए आए। लेकिन सेना नहीं आई। वह 18 तारीख को पहुंची। उन्होंने वायु सेना से भी बातचीत की और अनुरोध किया कि हैलीकॉप्टर से भोजन गिराएं। दुर्भाग्यवश यह कार्य चार दिन के बाद हो सका। चार दिन तक लाखों लोगों से कोई सम्पर्क नहीं हो सका जो वहां दयनीय स्थिति में रह रहे थे। हम कहते हैं कि हमारी सेना और वायु सेना को सहायता के लिए आना चाहिए।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : जहां तक सेना की सहायता मांगे जाने का प्रश्न है, जैसे ही सेना मुख्यालय में 15 तारीख को उड़ीसा सरकार का अनुरोध प्राप्त हुआ, उसी दिन अनुमति दे दी गई और रांची को अनुदेश भेज दिए गए कि उड़ीसा में हैलीकॉप्टर भेज दिए जाएं। अगले दिन हैलीकॉप्टर भुवनेश्वर जाने लगे। लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें रांची में ही रुकना पड़ा। पूरे दिन वे भुवनेश्वर पहुंचने का प्रयास करते रहे लेकिन असफल रहे। वे पटना आ गए। वहां से उन्होंने भुवनेश्वर जाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। उन्हें पटना में ही रहना पड़ा। अगले दिन वे वहां पहुंचने में सफल हो गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इस प्रकार भारत सरकार की ओर से उड़ीसा सरकार को हैलीकॉप्टर भेजने में कोई विलम्ब नहीं किया गया था।

श्री लोकनाथ चौधरी : यह एक पहलू है। लेकिन सेना पहले भी जा सकती थी। मेरे विचार से हैलीकॉप्टर पहले भेजे जा सकते थे। चार दिन बातचीत करने में ही चले गए। वहां लोगों की दयनीय दशा थी और अब यहां पर अपने आप को बचाने का कोई लाभ नहीं है, यह गलत बात है और मैं इसे पसन्द नहीं करता हूं।

पिछले वर्ष भी उड़ीसा में भारी बाढ़ आई थी। एक क्षेत्र विशेष में सौ वर्ष पुरानी इमारतें बह गई थीं। राज्य सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए पैसा नहीं था। तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर वहां गए थे और उन्होंने 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने का वायदा किया था। लेकिन एक पैसा भी वहां नहीं पहुंचा। उड़ीसा सरकार को वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान के भीतर ही सब कुछ करना पड़ा। इस वर्ष उड़ीसा के लोगों को बचाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उड़ीसा में इस वर्ष की आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए और सहायता केवल वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए जो कि असफलता से बहुत कम है। भारत सरकार को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए और उड़ीसा की विपत्ति को राष्ट्रीय विपत्ति मानना चाहिए। इसके अलावा मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि उड़ीसा में बाढ़ की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है क्योंकि पूरी व्यवस्था बदल गई है। 550 मि० मी० वर्षा हुई। सभी नदियों में पानी खतरे के निशान

से ऊपर बढ़ रहा था। हीराकुड में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। आप उस सीमा तक बांध नहीं बना सकते हैं। इसलिए नदियों में से मिट्टी निकालना आवश्यक है और गाद को नियंत्रित करना, नदियों का बहाव बढ़ाना आवश्यक है। उड़ीसा को जल ठहराव की समस्या से बचाने के लिए पानी को बहाने और नियोजित ढंग से अन्य उपाय करने की आवश्यकता है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस वर्ष उड़ीसा की दशा बहुत खराब होगी। भारत सरकार को इसे राज्य का मामला न मानकर राष्ट्रीय आपदा मानना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र जैसे अनेक क्षेत्र और उड़ीसा सहित अनेक ऐसे अन्य क्षेत्र देश में हैं जहां बार-बार बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक विपत्तियां आती हैं। इसलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि भारत सरकार को उन क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए और वे समस्याएं केवल राज्य के संसाधनों से सुलझाई नहीं जा सकती हैं। इसलिए नदियों से मिट्टी निकालने, नदियों में जल ठहराव को रोकने, नदियों में जल बहाव बढ़ाने बिशेष रूप से उड़ीसा की चिल्का झील में जल बहाव बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। यदि सुनियोजित ढंग से दस वर्षों के भीतर इस कार्य को पूरे करने के लक्ष्य के साथ यह स्थायी उपाय नहीं किए जाएंगे तो उड़ीसा की समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसके साथ-साथ इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए और उड़ीसा को विशेष सहायता दी जाए, या केवल वित्त आयोग के अनुदानों तक सीमित न हो और उड़ीसा को अगली फसल के लिए बीज दिए जाएं। आज उड़ीसा में चावल की बहुत कमी है। अतः वहां चावल भेजा जाए। इन उपायों के अलावा स्थायी उपाय भी किए जाएं। देश में ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष कोष द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों की अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति के बारे में श्री लोकनाथ चौधरी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा यह भी कहूंगा कि प्रधान मंत्री जी आज उड़ीसा की बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां गए हैं। आज तक प्राप्त सूचना के अनुसार वहां की बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्थिति अभी भी चिन्ताजनक व गम्भीर बनी हुई है तथा लोग अभी भी असहाय पड़े हुए हैं। प्रधान मन्त्री जी तथा कृषि राज्य मन्त्री ने स्वयं वहां की स्थिति को देखा है। उड़ीसा में बाढ़, सूखा तथा चक्रवात की समस्या निरन्तर बनी रहती है। प्रत्येक वर्ष हमें या तो सूखा अथवा बाढ़ अथवा समुद्री चक्रवात का सामना करना पड़ता है। जब तक स्थायी उपाय नहीं किए जाते तथा भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता करने के लिए आगे नही आएगी, उड़ीसा की इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री जी विशेषकर जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह आगे आयें तथा उड़ीसा सरकार की सहायता करें। उन्होंने बाढ़ पर नियन्त्रण करने के लिए स्थायी उपाय करने के सम्बन्ध में जल संसाधन मंत्री जी के पास एक प्रस्ताव भेजा है। अभी हाल ही में हमने सभी संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। हम मन्त्री जी से मिले थे तथा हमने इस समस्या की चर्चा भी की थी। परन्तु जब तक भारत सरकार उड़ीसा सरकार की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगी, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा यह कहना है कि बाढ़-नियंत्रण के स्थायी उपाय तथा चक्रवात-प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी उपाय किए जाने चाहिए।

जहां तक हाल में आयी बाढ़ से हुए नुकसान का सम्बन्ध है, मैं श्री लोकनाथ चौधरी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि विशेष सहायता दी जानी चाहिए, जितनी भी सहायता दी गई है अर्थात् भारत सरकार द्वारा पचहत्तर प्रतिशत तथा राज्य सरकार द्वारा पच्चीस प्रतिशत अथवा जो भी सहायता दी गई है वह पर्याप्त नहीं है। यदि आप बाढ़ से हुए नुकसान को देखेंगे तो इसके लिए 500 करोड़ रु० से भी अधिक रु० की आवश्यकता है तथा उड़ीसा सरकार का कुल बजट मुश्किल से 800 करोड़ रुपए है। अतः जिता भी बाढ़ से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई कर पाना उड़ीसा सरकार के लिए सभव नहीं है। जब तक भारत सरकार विशेष सहायता नहीं देगी तो वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करना संभव नहीं है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय विपदा समझकर करें। जब तक आप इसे एक विशेष राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करेंगे, इसके लिए जो भी मार्गनिर्देश अथवा मापदण्ड बनाए गए हैं, आप धनराशि नहीं दे सकते।

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी ने गंजाम जिले से वापस आने के पश्चात् पचास करोड़ रु० की अतिरिक्त राशि की घोषणा की थी परन्तु अपनी घोषणा के पश्चात् वह धनराशि नहीं दे सके थे क्योंकि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया था। अतः इसके लिए जो भी मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जब तक इसे एक विशेष राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाएगा, भारत सरकार धनराशि प्रदान नहीं कर सकती। प्रधान मन्त्री जी ने तथा मन्त्री जी ने भी बाढ़ की स्थिति को देखा है, अतः उन्हें तुरन्त ही इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए तथा उसी के अनुसार उड़ीसा सरकार को वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने में उसकी मदद करनी चाहिए।

जहां तक बाढ़ पर नियन्त्रण करने के लिए स्थायी उपाय करने का सम्बन्ध है। महानदी, ब्रह्माणी तथा अन्य सिस्टम भी हैं परन्तु जब तक हम महानदी तथा बैतरणी पर भी एक और बांध बनाना शुरू नहीं करेंगे तब तक बाढ़ पर नियन्त्रण कर पाना सम्भव नहीं होगा। उड़ीसा सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, तट बन्धन तथा गाद निकालने के लिए पहले से एक कार्यक्रम भेज दिया है। जब तक नदियों के किनारों को बढ़ाया नहीं जाएगा, बाढ़ के पानी को साफ करना सम्भव नहीं होगा। हीराकुंड बांध में गाद भर रही है। इसीलिए हीराकुंड बांध भी खतरनाक स्थिति में है। उड़ीसा सरकार तथा विश्व बैंक भी इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं परन्तु मैं समझता हूं कि वे पर्याप्त नहीं हैं। जब तक भारत सरकार हीराकुंड बांध की सुरक्षा करने के लिए विशेष उपाय नहीं करेगी, पूरा उड़ीसा ही बह जाएगा क्योंकि महानदी ही उड़ीसा का मुख्य सहारा है। इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बाढ़ के कारण तथा उड़ीसा में हमेशा आने वाली बाढ़ के कारण उन्हें उड़ीसा सरकार को पर्याप्त सहायता देनी चाहिए तथा इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए ताकि उड़ीसा की जनता इस संकट से उबर सके।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस महत्त्वपूर्ण सवाल के लिए सदन का थोड़ा समय निकाल सके, यह अच्छी बात है। गए दस दिन से हम इस सवाल पर चर्चा कर रहे थे लेकिन बीच में रुक गई। अध्यक्ष महोदय, यह इसी साल की बात नहीं, 40 साल से हम इसी की चर्चा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत कम है। आप अपने एरिया में जो फ्लड आ गया है उस पर बोलिए, नहीं तो हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं कि जब-जब भी मानसून आता है तो मैं दस साल से यहां नुमाइंदा रहा हूं और मैंने देखा है कि हर मानसून में हमने इसकी चर्चा की। मानसून आते ही फ्लड की चर्चा करते हैं और मानसून जाने के कुछ दिन के बाद हम ड्राउट की चर्चा करते हैं और यह रेगुलर फीचर बन गया है। मैं जो एक बेसिक बात है, उसकी चर्चा करूंगा।

1985 में इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री बनाई। पानी ज्यादा हो गया तो बाढ़ आ गई और पानी नहीं आया तो अकाल पड़ गया। इन दोनों चीजों का सम्बन्ध पानी से है और इस बारे में हमने कोई हिसाब नहीं रखा, विचार नहीं किया है। यहां हमारे कृषि मन्त्री जी बैठे हैं लेकिन उनकी भी कुछ मर्यादाएं हैं और वे हमारी कुछ मदद नहीं कर सकते क्योंकि बाढ़ को नियन्त्रित करने का विषय स्टेट सब्जैक्ट है और हमने संविधान में ऐसी व्यवस्था की हुई है। इसलिए फ्लड और ड्राउट के मामले में यहां से किसी तरह की मदद नहीं होती है। इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती है। वास्तव में, इसका सम्बन्ध, पानी के साथ होने की वजह से, सीधे वाटर रिसोर्सज मिनिस्ट्री से है, जिसका काम इस देश में बूंद-बूंद पानी का और जमीन का विनियोग करना है। इसलिए वाटर रिसोर्सेज मन्त्री जी का यहां रहना बहुत जरूरी था ताकि वे इन सारी चीजों को समझ कर कोई समधान ढूंढ़ सकें। आज सदन में जो बहस हो रही है, उसका जवाब हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब देंगे जबकि वे हमारा कोई समाधान नहीं कर सकते। राज्य सरकारों पर जो यह जिम्मेदारी छोड़ी गई है, उसके कारण हर साल हम सदन में चर्चा करते रहेंगे और कोई हल नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इस बारे में हमें कोई परमानेंट योजना बनानी चाहिए ताकि इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सके। आज उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, उड़ीसा के लोगों ने उस पर काफी बोला है। मैं यहां महाराष्ट्र से आता हूं। विदर्भ में आपने देखा, हमारे यहां मवाड़ में जिस तरह की बाढ़ आयी और बाढ़ की वजह से 240 लोगों की जानें चली गयीं। इतना ही नहीं, करीबन 400 लोगों का कुछ पता नहीं है कि वे डूब गए हैं या कहीं चले गए हैं।

इस तरह से नदियों का विनियोग न होने से, उनका कन्ट्रोल न होने के कारण ही ये सब चीजें हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अर्ज करूंगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि जब तक हम अपने देश की तमाम नदियों का विनियोग नहीं करेंगे, हर साल ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, नदियों के पानी का सही उपयोग नहीं करेंगे, तब तक समस्या ऐसे ही बनी रहेगी।

पिछले महीने आपने देखा कि किस तरह कावेरी जल विवाद खड़ा हुआ। एक स्टेट के लोगों को पानी न मिलने से, वे चिल्लाए। पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। एक बार खाना न मिले तो चलेगा परन्तु पानी के बिना गुजारा नहीं हो सकता। हमारे देश का ग्राउण्ड वाटर लेबल लगातार कम होता जा रहा है। इन सब चीजों को कोआर्डिनेट करके गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है ताकि हर साल होने वाली चर्चा से बचा जा सके। इसके लिए हमें एक फण्ड का निर्माण करना पड़ेगा। हर साल चर्चा करने के बावजूद, जब बरसात चली जाती है तो फिर सब कुछ वैसे का वैसा हो जाता है। इससे सदन का समय बर्बाद होता है। इसमें किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है। इस मामले में कुछ ठोस उपाय खोजने होंगे ताकि बाढ़ और ड्राउट की स्थिति को

रोका जा सके। इसी अवसर पर मैं कहूंगा कि 1972 में डॉ० राव ने जो गंगा और कावेरी को आपस में जोड़ने की योजना सुझायी थी, उन दिनों 12 हजार करोड़ रुपए आंके गए थे, आज वह राशि बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपए तक चली गई होगी लेकिन सभी राज्य उसमें आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र की वजह से पिछले सैशन में, अलग ईश्यू के द्वारा, असम के लोगों ने यह मांग उठायी थी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा का सवाल···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में आयी बाढ़ को छोड़कर बाकी और सभी क्षेत्रों में आयी बाढ़ के बारे में बोल रहे हैं। मैं आपको आपके निर्वाचन क्षेत्र में आई हुई बाढ़ के बारे में बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि फ्लड को रोकने के लिए कोई स्थायी योजना बननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : टाइम बहुत लिमिटेड है।

श्री विलास मुत्तेमवार : मवाड़ की फ्लड के बारे में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां फ्लड आई है, वहां के लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, यहां से पैसा देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

बिल्कुल जो प्वाइंट्स उठाए हुए हैं। उन्हें रिपोर्ट न करते हुए बोलिए ताकि दूसरे भी बोल सकें।

[अनुवाद]

मैं एक पद्धति का पालन कर रहा हूं। मैं उड़ीसा से निर्वाचित सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं, इसके पश्चात् कर्नाटक के तथा तत्पश्चात् अन्य राज्यों के सदस्यों को अनुमति दूंगा। मैंने श्री विलास मुत्तेमवार का नाम लिया था परन्तु इसकी जगह श्री पाणिग्रही का नाम होना चाहिए था। मैं इसी को मान रहा हूं। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : असम से भी एक सदस्य उपस्थित हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, उड़ीसा एक अत्यन्त निर्धन तथा पिछड़ा हुआ राज्य है तथा इस समय यह भयंकर बाढ़ से ग्रस्त है। मैं कहूंगा कि बाढ़ बहुधा आने वाली आपदा है। उड़ीसा को प्राकृतिक आपदाओं के गृह के रूप में जाना जाता है। हर वर्ष यहां पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो अथवा चक्रवात हो। परन्तु हर आपदा से होने वाला नुकसान अलग-अलग होता है। हर वर्ष यह नुकसान भिन्न प्रकार का होता है। इस समय उड़ीसा जिस बाढ़ की स्थिति से गुजर रहा है, वह अत्यन्त भयंकर है।

परसों इस मामले को यहां पर उठाया गया था। कल भी हमने इसी सभा में इस मामले को उठाया था तथा माननीय प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि वह स्वयं वहां पर जाकर स्थिति का अध्ययन करें तथा उसका आकलन करें। हम उनके आभारी हैं कि वह तुरन्त सहमत हो गए तथा आज ही वह स्वयं वहां पर गए थे। महोदय, इससे स्वयं प्रधान मन्त्री की तथा कांग्रेस की सहानुभूति का पता लग सकता है तथा उड़ीसा की जनता प्रधान मन्त्री से उनके दौरे के पश्चात् काफी अपेक्षा रखती है।

महोदय, उड़ीसा में कुल 45,000 से भी अधिक राजस्व गांव हैं तथा खेड़ा सहित 50,000 से भी थोड़े अधिक गांव वहां पर हैं तथा उसमें से भी सात जिलों में 101 सी० डी० खण्डों के अधीन 999 ग्राम पंचायतों में बंटे 9,404 गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ से बड़ी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अतः इन आंकड़ों से ही इस बाढ़ की गम्भीरता का पता लग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं नौवें वित्त आयोग ने अवश्य अपनी सिफारिशों में उड़ीसा के हिस्से में लगभग पचास करोड़ रु० वार्षिक देने की सिफारिश की है। महोदय, किसी भी सामान्य वर्ष में तो यह राशि पर्याप्त है। परन्तु इस जैसी किसी भी असाधारण स्थिति में निश्चित रूप से इस गम्भीर प्राकृतिक आपदा का सामना करने में राज्य सरकार की क्षमता, सामर्थ्य से परे नहीं है। महोदय, इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तथा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के कष्ट दूर करने के लिए यथासम्भव उपाय करे।

अब, इसके भी दो पक्ष हैं—एक तो दीर्घावधि तथा दूसरी अल्पावधि योजना। अल्पावधि उपाय के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि कुछ चावल वितरित किया जाता है, कुछ राहत दी जाती है तथा घर बनाने के लिए कुछ अनुदान राशि दी जाती है। यह सिर्फ सरकार द्वारा जताई जाने वाली सहानुभूति का प्रतीक मात्र है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। कोई भी सरकार इसकी भरपाई नहीं कर सकती है। न तो उड़ीसा सरकार और न ही भारत सरकार इसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। जो कुछ भी दिया गया है वह सिर्फ सरकार द्वारा जताई जाने वाली सहानुभूति का प्रतीक है। इसलिए आवास निर्माण अनुदान और सभी तरह के अनुदान दिए जाएं। लेकिन मैं यह अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह एक मानवीय समस्या है इसलिए इसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि इस मामले में भी उड़ीसा में स्थानीय राजनीति का प्रवेश है। हर प्रकार से इसका विरोध किया जाना चाहिए और वहां एक सर्वदलीय समिति गठित की जानी चाहिए। सरकार को दिल्ली से ही राहत उपायों आदि के कार्यान्वयन की देख-रेख करनी चाहिए।

महोदय, दीर्घकालिक उपायों के सन्दर्भ में एक माननीय सदस्य ने हीराकुंड बांध के बारे में सुझाव दिया था। महोदय, महानदी भारत की बड़ी नदियों में से एक है। एक समय ऐसा विचार किया गया था कि बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए तीन बांध तैयार किए जाएं। सिर्फ एक ही जगह पर अर्थात् हीराकुंड में हमने बांध का निर्माण किया है। अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो रही है क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक गाद भर गया है और दरारें भी उत्पन्न हो गई हैं, जिससे वहां रहने वाले लोगों को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए इसकी मरम्मत और जलाशय को गाद रहित बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि उड़ीसा में अनेकों छोटी नदियां, नाले और सहायक नदियां हैं और एक बड़ा बांध बनाने की अपेक्षा, जिसमें कि बहुत अधिक लागत आएगी और जो हमारी क्षमता से

परे हैं, हमें इन छोटे नालों और सहायक नदियों पर काबू पाना चाहिए जिससे कि सिंचाई के साथ-साथ बाढ़ नियन्त्रण में भी बहुत ही अधिक सहायता मिलेगी।

महोदय, इस समय तेल नदी में जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, बाढ़ की दर 10 लाख क्यूसेक थी। नारज में जोकि इस डेल्टा के शीर्ष पर है, 10 लाख क्यूसेक से अधिक दर की बाढ़ के कारण तबाही मच जाती है और इस बार वहां इसकी दर 12.8 लाख क्यूसेक से अधिक थी।

इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि सभी सहायक नदियों, नालों आदि पर बांध बनाकर उन्हें नियन्त्रित किया जाना चाहिए। आप जानते हैं इस प्रकार से जल का नुकसान राष्ट्रीय नुकसान है। केन्द्रीय जल आयोग और अन्य विशेषज्ञ निकायों की इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए और इनका समाधान ढूंढ़ना चाहिए।

महोदय, एक अन्य माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था और वास्तव में यह सच भी है कि जब बाढ़ आती है उसी समय हम यहां इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसलिए एक दीर्घकालिक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। एक ओर तो बाढ़ से लोगों की जानें जा रही हैं और दूसरी ओर सूखे के कारण भी किसानों का जीवन दयनीय हो रहा है। इसलिए सूखे और बाढ़ को रोकने के लिए एक विस्तृत और समन्वित कार्य योजना बनायी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ इस मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर देने के कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले का निवासी हूं जो निरन्तर सूखाग्रस्त रहता है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय भी अब बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन हों तो उपाध्यक्ष महोदय बोल सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ऐसा समय भी होना चाहिए जब अध्यक्ष महोदय भी बोल सकें।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के लिए बोलना बहुत ही खतरनाक होता है।

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या : मेरा जिला तुमकुर निरन्तर अकाल से ग्रस्त रहता है। अभी पूरे देश में बाढ़ से तबाही आयी हुई है लेकिन हमारे जिले में अकाल पड़ा हुआ है। नारियल के बाग सूख रहे हैं। जत्थे में मवेशियों की बिक्री हो रही है और वहां चारे की कमी है। इस उद्देश्य से मैं यह परामर्श दूंगा कि गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ देना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। जल के कारण तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच तनावपूर्ण सम्बन्ध है। यदि गंगा-कावेरी को जोड़ने का कार्य शुरू किया जाता है तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सरकार को बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि बाढ़ और अकाल दोनों ही समस्याओं का समाधान किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी भारत में भी कुछ नदियों को जोड़ा जा सकता है ताकि पूरे देश को पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा प्राप्त हो सके।

महोदय, जहां तक हेमावती से तुमकुर तक की नहर का सम्बन्ध है, मैं अपने वरिष्ठ मित्र श्री देवगौड़ा जी का बहुत ही अभारी हूं। वे बहुत ही लम्बे समय से हमारे राज्य में सिंचाई और

लोक-कार्य विभाग के मंत्री रह चुके हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने धनराशि स्वीकृत की थी जिससे नहर निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो गया। लेकिन अभी भी पर्याप्त धनराशि के अभाव में अधिग्रहण सम्बन्धित मामलों में देर हो रही है और नहर खुदाई के कार्य की रफ्तार धीमी हो गई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से कर्नाटक की सरकार को सहायता प्रदान करने और अधिक धन-राशि स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं। आगे मैं यह भी परामर्श देना चाहता हूं कि कोलार, तुमकुर, चित्रादुर्ग और बंगलौर (ग्रामीण) जिलों को मिलाकर एक विकास बोर्ड गठित की जानी चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक वर्ष इन चारों जिलों में सूखा पड़ता है। इसे दूर करने हेतु एक विकास बोर्ड गठित करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करने होंगे कि शुष्क भूमि विकास कार्यक्रमों को उचित रूप में शुरू किया जाए ताकि कर्नाटक की समस्या को कुछ हद तक निपटाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान देगी और कर्नाटक के लोगों की मदद करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि आज यदि हमें 7 बजे म० प० के बाद भी कुछ समय अधिक बैठना पड़े तो भी इस सभा के विवेकशील सदस्यगण इस मुद्दे पर हो रही चर्चा को आज ही समाप्त करना चाहेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, मूसलाधार वर्षा और कावेरी नदी में आयी बाढ़ के कारण हाल ही में हुई भयंकर तबाही के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने बाढ़ की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में अपने-अपने विचारों को प्रकट किया है। लेकिन हम लोगों ने कर्नाटक में 1924 के बाद प्रथम बार कावेरी नदी में आयी इस प्रकार की बाढ़ को देखा।

मैं केवल तीन या चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले दिनों आई बाढ़ में आठ लोग बह गए। दुर्भाग्यवश, इन बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

करीब 2000 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए तथा 1000 मकानों को आंशिक रूप में हानि पहुंची है। कुछ क्षेत्रों में फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं तथा कुछ क्षेत्रों में इन्हें नुकसान पहुंचा है।

कुल हानि 50 करोड़ से भी अधिक की हुई। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है।

मैं इस सम्मानीय सदन में राज्य के मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य की वर्तमान राजनैतिक स्थिति को इस समय चर्चा में नहीं लाना चाहता। परन्तु फिर भी केन्द्रीय सरकार अपने साधनों द्वारा यह पता लगवा सकती है कि वास्तव में कर्नाटक राज्य में क्या हो रहा है। राज्य सरकार के कुप्रशासन के विरुद्ध उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए हैं।

मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए धन उपलब्ध करवाए।

केन्द्रीय सरकार के वर्तमान सहायता स्वरूप के अन्तर्गत जो सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी, उसे या तो योजना सहायता अथवा ऋण के रूप में नियोजित कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक राज्य को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने चाहिए ।

वे लोग जिनके मकान नष्ट हो गए हैं, उन्हें जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि इन गरीब लोगों को पुन: स्थापित किया जा सके ।

जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, वे मूलत: कावेरी बेसिन स्थित जिले हैं ।

मैसूर, हासन, माण्डया, कूरम, चिकमंगलूर सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं । टैंकों में दरारें पड़ गई हैं । मकान ढह गए हैं तथा फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं ।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री से कहना चाहूंगा कि वर्तमान संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक सहायता राशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ।

***श्री के० एच० मुनियप्पा** (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, देश में बाढ़ तथा सूखे द्वारा किए गए विनाश पर हम चर्चा कर रहे हैं । वास्तव में, हर वर्ष इस देश के लोग, विशेषकर, किसान प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित होते हैं । सहायता कार्यों पर केन्द्रीय सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है । वास्तव में हमें इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़ना चाहिए । महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत की सरकार से गंगा और कावेरी को जोड़ने का निवेदन करना चाहता हूं । इससे उत्तर प्रदेश से कर्नाटक तक सभी राज्य जुड़ जायेंगे और किसान भी अधिक अन्न पैदा कर सकेंगे । इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी । गंगा और कावेरी को जोड़ने की योजना एक लम्बे समय से लम्बित पड़ी है । मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करेगी तथा रास्ट्र की इन दो मुख्य नदियों को जोड़ने के कार्य के कार्यान्वित करेगी ।

मैसूर, माण्डया, कूरग जैसे कुछ जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । हमारे वरिष्ठ सहयोगी का कहना है कि इन जिलों में कुप्रशासन है । मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं । मुख्य मंत्री महोदय पहले ही बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं तथा इस सम्बन्ध में उचित कदम भी उठाए गए हैं । श्री एच० डी० देवगौडा का कहना है कि नियोजित खर्च में कमी की जा सकती है। मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं । एक सुझाव दिया गया है कि योजना खर्च को सहायता कार्यों पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए । मेरा विचार है कि योजना खर्च को बाढ़ सहायता कार्यों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री एच० डी० देवगौडा ने अपने भाषण में यह भी मांग की है कि राज्य से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्यों के लिए केन्द्र को 50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवानी चाहिए । मैं उनके एक निवेदन का समर्थन करता हूं तथा यह आशा करता हूं कि केन्द्र कर्नाटक के बाढ़ पीड़ित लोगों को आवश्यक राशि तत्काल उपलब्ध करवायेगा । कोलार, बंगलौर, चिगदुर्ग, टंकूर तथा बेल्लारी स्थायी रूप से सूखा पीड़ित जिले हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इन जिलों में समस्या के समाधान के लिए स्थायी उपाय किए जाने चाहिए ।

महोदय, देश की इस ज्वलंत समस्या पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं तथा इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

श्री वी० धनञ्जय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कावेरी तथा नेतरावटी नदियां जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, इनमें आई बाढ़ के कारण भारी हानि हुई है।

श्री एम० आर० कदाम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : आप तमिलनाडु को पानी नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बाढ़ आ रही है। (व्यवधान)

श्री वी० धनञ्जय कुमार : मैं इस मुद्दे पर बाद में बोलूंगा। जैसा कि मैं अभी-अभी कह रहा था कि कावेरी नदी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुर्ग क्षेत्र से बहती है तथा नेतरावटी नदी मेरे मंगलौर निर्वाचन क्षेत्र के दक्षिण कन्नड़ जिला में बहती है तथा इन दोनों नदियों के कारण काफी हानि हुई है। भारी बाढ़ के कारण 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी। नदी तथा नालों के बांधों में दरारें आने से खड़ी हुई फसलों को हानि पहुंची है। कीचड़ के ढेरों तथा भूमि कटाव के कारण खेतों को नुकसान पहुंचा है।

महोदय, उड़ीसा के हमारे मित्रों द्वारा प्रधान मंत्री महोदय द्वारा की गई उड़ीसा यात्रा पर प्रशंसा व्यक्त की है। हम इस बात से भी प्रसन्न हैं कि प्रधान मंत्री महोदय ने महाराष्ट्र की यात्रा की है। परन्तु बड़े खेद की बात है कि प्रधान मंत्री महोदय ने कर्नाटक की यात्रा नहीं की है। कर्नाटक में काफी नुकसान हुआ है।...(व्यवधान)...इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे जीवन और सम्पत्ति के नुकसान का मौके पर आकलन लेने के लिए जल्द ही कर्नाटक की यात्रा करें।

मैं अनुरोध करता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नहीं तो कम-से-कम माननीय कृषि मंत्री वहां का दौरा अवश्य करें। इस मामले में यह हो रहा है कि नुकसान का मूल्यांकन तथा मुआवजा खड़ी फसल के नुकसान के अनुपात में जमीन के 1.25 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। क्षतिग्रस्त भूमि के लिए यह मुआवजा चार रुपए प्रति प्रतिशत अर्थात् चार सौ रुपए प्रति एकड़ की दर से दिया जा रहा है। यह मुआवजा उन कृषकों को दिया जाता है, जिनकी आय 4,800 रुपये वर्ष से कम है। केवल ऐसे कृषक ही ऐसे मुआवजे के हकदार हैं। अब समय आ गया है कि इन मापदंडों में संशोधन किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इस क्षति का मूल्यांकन कौन कर रहा है ? मेरे विचार से केन्द्र सरकार की बजाय राज्य सरकार यह कार्य करती है।

श्री वी० धनंजय कुमार : केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार की सहायत. नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में राज्य सरकार को फैसला करना होता है। अब हम अगला विषय लेते हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : राज्य सरकार के पास बहुत ही कम संसाधन हैं। इसलिए, महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक को तत्काल राहत सहायता दें, ताकि इन सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जा सके और उचित क्षति पूर्ति की जा सके।

इसके अतिरिक्त सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। पानेमंगलौर पुल पर नेत्रावति नदी को पार करने के लिए सड़क पर वाहन नहीं चल सकते। किसी भी समय इस पानेमंगलौर पुल के माध्यम से गुजर रहे राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 48 में मंगलौर तथा बंगलौर के बीच परिवहन रुक सकता

है। इस राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 48 के साथ भू-स्खलन भी हुआ था, जिसके फलस्वरूप मंगलौर तथा बंगलौर के बीच रेल संपर्क कट गया था। यह संपर्क कई दिनों तक कटा रहा। दक्षिण कनारा जिले के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित पुटटुर, बंडावाल और ऊपीनगांडी में अत्यधिक बाढ़ आयी। इसके बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उलाल क्षेत्र में भारी भू-कटाव हुआ।

मेरे अन्य मित्रों ने अनेक अन्य उपायों का उल्लेख किया है, जिनके फलस्वरूप बाढ़ और सूखे को रोका जा सकेगा। मेरा अनुरोध है कि समुद्र में गंदले पानी की निकासी के लिए अर्थात् पानी को रोकने के लिए दीवार का निर्माण करने से तथा उचित उपाय करने से नदी का पानी समुद्र के अंदर तक चला जाएगा और बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक नई बात उठा रहे हैं, अच्छा है।

श्री वी० धनंजय कुमार : एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा और है। नदी तल का तलकर्षण किया जाना चाहिए तथा जहां पर नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान पर भी समुद्र के तल का तलकर्षण किया जाना चाहिए। समुद्र के अंदर पानी को रोकने वाली दीवारें बनाई जाएं। ताकि समुद्र में पानी आसानी से बह सके और बाढ़ पर नियन्त्रण रखा जा सके। मैं केन्द्र सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक सरकार को तत्काल पर्याप्त सहायता दी जाए।

***श्री वी० कृष्णा राव** (चिक्बल्लापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य पहले ही बाढ़ तथा सूखे के बारे में बोल चुके हैं। हर वर्ष सरकार राहत कार्यों के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रही है।

सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में हमारे माननीय उपाध्यक्ष, श्री एस० मल्लिकार्जनय्या ने कर्नाटक की वास्तविक स्थिति के बारे में बताया है। टुमकुर, बेल्लारी, चित्रदुर्ग तथा मेरा निर्वाचन क्षेत्र चिक्बल्लापुर सूखे से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के बारे में हमारे वरिष्ठ मित्र श्री एच० डी० देवगौड़ा ने काफी विस्तार में उल्लेख किया है। चौदह व्यक्तियों की जानें गई हैं। कई लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकट पर गम्भीरता से विचार करे तथा इससे प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए उचित उपाय करे।

प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तथा अधिकांश जल समुद्र में बह जाता है। प्रति वर्ष होने वाले इस नुकसान का केवल यही समाधान है कि गंगा तथा कावेरी नदियों को जोड़ दिया जाये। बहुत समय से लम्बित परियोजनाओं पर शीघ्र ही विचार किया जाना चाहिए। अपर भदरा परियोजना पर तुरन्त ही विचार किया जाना चाहिए। इससे सिंचाई करने के लिए उन छ: जिलों को पानी दिया जा सकता है जो सूखे से प्रभावित हुए हैं। बंगलौर, टुमकुर, चिक्बल्लापुर, चित्रदुर्ग तथा बेल्लारी सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। किसानों को 400 फीट गहरी खुदाई करने के बावजूद की पानी नहीं मिल पा रहा है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों की यह स्थिति है।

गंगा तथा कावेरी को जोड़ने के अतिरिक्त महानदी के जल के बहाव को दक्षिण की ओर कर दिया जाना चाहिए। केवल तभी देश समृद्ध हो सकता है तथा किसानों का जीवन सुधर सकता है।

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कावेरी डेल्टा में कई व्यक्ति इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित जिले हैं—मैसूर, मांडया तथा कुर्ग। राज्य सरकार ने कुछेक उपाय किए हैं। इसके अलावा केन्द्र को बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तुरन्त सहायता भेजें।

महोदय, इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति है तो दूसरी तरफ बिहार में सुखाड़ की स्थिति है। कहने के लिए तो बिहार धनी सम्पदा से भरा हुआ है और धनी सम्पदा का मालिक है केन्द्र सरकार और जब बिहार के अन्दर बाढ़ और सुखाड़ होती है तो राज्य सरकार के ऊपर बाढ़ और सुखाड़ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। आज बिहार के अन्दर, जो दक्षिण बिहार, जैसे हिन्दुस्तान में दो हैं—दक्षिण भारत, भारत और दक्षिण भारत, उसी तरह हमारे बिहार में वहां पर बिहार और दक्षिण बिहार कहते हैं, जिसको झारखण्ड हम लोग कहते हैं, वहां हम अभी दो बार गए, उस इलाके में घूमकर आए हैं। हमारे 14 जिले हैं, 14 जिले के उस इलाके में 12 और 15 प्रतिशत से ज्यादा कहीं पर धान का रोपणी नहीं हुआ है, एक ही फसल होती है, भदई का फसल मारा गया है। आज वहां पर लोग रोजगार के लिए बहुत चिंतित हैं। उसके बगल में पश्चिम बंगाल है हमारे सारे मजदूर, किसान, जिनको खेतों में काम नहीं मिलता है वे बंगाल, असम, नागालैंड और अंडेमान-निकोबार चले जाते हैं। इसलिए सारे जगह पर, देश भर में सूखा पड़ा है इसलिए भारत सरकार को सिंचाई की कोई स्थाई व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत दिन पहले जब मैं विधान सभा में नहीं था, संसद् में भी नहीं था तो हमने अखबारों में पढ़ा था के० एल० राव साहब का एक योजना बिहार में, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि बिहार में बाढ़ और सुखा दोनों से निबटने के लिए गंगा में एक नहर बनाया जाए, जो दक्षिण बिहार की ओर तक ले जाएं ताकि बाढ़ और सुखाड़ दोनों चीजों से निपटा जा सके।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिए। अभी आप देखेंगे, हमारे साथी जब कहेंगे कि एक तरफ मैं सुखाड़ की चर्चा कर रहा हूं लेकिन बिहार में कहीं-कहीं बाढ़ भी है। तो इस तरह से जैसे बंगाल के लिए अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सितम्बर में बाढ़ होगा और धान का रोपणी नहीं हुआ है और सुखाड़ हो गया है, निश्चित रूप से सही मायनों में बिहार में भी अगर नेपाल के तराई से गंडक नदी में पानी आया तो बिहार में पानी आना है, सोन कमांड का पानी जब पीछे होगा, जब खेती होगा तो बाढ़ वहां आना ही है। इसलिए हर साल की ये जो बाढ़ और सुखाड़ है, तो हम कहना चाहेंगे। भारत सरकार को कि बिहार में अभी सूखे की स्थिति है और एक-एक जिले में हमारे गोड्डा और दुमका में दो करोड़ रुपया रिलीफ का पैसा दिया है, उसमें से दो करोड़ रुपया रिलीफ का पैसा हमारे बिहार सरकार के पास था, उसको बांट दिया है।

हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि एक अरब रुपया अभी तुरंत बिहार को दिया जाए रिलीफ फंड में, ताकि वहां के लोगों को बचाया जा सके। अगर रुपया नहीं दिया जाएगा तो लोग

चोरी, डकैती करने के रास्ते पर चले जाएंगे और भारत सरकार का जो अनाज का भण्डार होगा उस पर लूट करने वाले हो जाएंगे। मरता क्या नहीं करता है।

इसलिए मैं भारत सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि यहां पर मन्त्री जो बैठे हुए हैं बिहार सरकार को ऐसे ही कोयले के मामले में और रायल्टी के मामले में अभी साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया आपने नहीं दिया है। बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है इसलिए सौ करोड़ रुपया बिहार सरकार को रिलीफ में दे करके वहां के लोगों को बचाने का काम करें।

गंगा से लेकर, गंगा की नहर काटकर दक्षिण बिहार की तरफ पानी ले जाइए, इस तरह की सूखे और बाढ़ से निपटने की एक स्थायी योजना भारत सरकार को बनानी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

7.00 म०प०

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां हर साल बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद और गोरखपुर मण्डल में हर साल बाढ़ आती है। लेकिन इस वर्ष सूखे की गम्भीर स्थिति वहां पर रही। 12 जून के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में वारिश शुरू हुई। खरीफ की 30 फीसदी फसल तो रोपी और बोई नहीं जा सकी, यह सूखे की स्थिति है और ज्यों ही अगस्त में वारिश शुरू हुई है तो नदियों में पानी बढ़ना शुरू हो गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी प्रदेश सररकार अपने फण्ड्स के जरिए बाढ़ नियन्त्रण नहीं कर सकती। इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और व्यावहारिक कठिनाई यह है कि हमारे मण्डल में जितनी नदियां बहती हैं, वे सारी हिमालय से, नेपाल से सीधी हमारे इलाके में आ जाती हैं। यह वैदेशिक सम्बन्धों का भी मामला है। जब तक केन्द्र सरकार बाढ़ नियंत्रण का पूर्ण प्रकरण अपने हाथ में नहीं लेती, तब तक बाढ़ का स्थायी हल नहीं खोजा जा सकता। यह प्रश्न मैंने बहुत बार उठाया है, मैं उत्तर प्रदेश में असेंबली में भी रहा, परिषद् में भी रहा और सरकार में भी रहा और बार-बार केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया कि नेपाल सरकार से बात की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना भी बनाकर भेजी, जो घाघरा निकलती है उत्तर प्रदेश में वहां करनाली उसको कहते हैं, उसे हिमालय के पास रोकना और उसी तरह भोलू बांध द्वारा राप्ती नदी को रोकना और एक पंचेश्वर की योजना द्वारा बड़ी गंडक नदी को नेपाल के पास रोकना, ये योजनाएं प्रस्तावित की गई थीं और कहा गया था कि भारत सरकार नेपाल सरकार के साथ सम्पर्क करके इन योजनाओं को कार्यान्वित करवाए। इन योजनाओं के कार्यान्वित होने के बाद ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है।

इसी तरह से सभी माननीय सदस्यों ने नदियों का पेटा ऊंचा होने की बात कही है, मैं भी इस बात पर जोर देना चाहता हूं, इनको स्थायी रूप से गहरा करने के लिए स्थायी रूप से हल निकाला जाए। इसका स्थायी हल निकालने के लिए केन्द्र सरकार को एक बड़ी योजना बनानी चाहिए। इस पर शीघ्रातिशीघ्र अमल किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को बाढ़ नियन्त्रण के लिए एक बाढ़ नियंत्रण विभाग अलग से बनाना चाहिए। डॉ० के० एल० राव साहब ने एक योजना प्रस्तुत की थी, जिस पर यहां चर्चा भी हुई है, मेरे विचार से वह योजना फिजिबल नहीं है, क्योंकि गंगा में पानी नहीं रहा, गंगा में पानी वहीं से होता है जहां घाघरा, राप्ती और बड़ी गंडक उसमें बिहार

में जाकर मिलती हैं, वहां से उसकी विनाशलीला शुरू होती है और बीच में गंगा सूखी हुई है और बीच में सारी विंध्य पहाड़ियां हैं, जिनको खोद पाना तकनीकी दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भारत जैसे गरीब देश के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो बात हमारे मित्र सूरज मण्डल जी ने कही है, जो सुझाव दिया है कि गंगा नदी से बिहार में नहरों की व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए, उसके लिए नीति और योजना केन्द्र सरकार ही बनाए तो मैं समझता हूं कि उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की सूखे की समस्या और बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकल सकता है।

इन संक्षिप्त सुझावों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

प्रो० प्रेम कुमार (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में इस बार पहले सूखे से बहुत हानि हुई, मक्का और धान की फसल पूरी तरह से सूख गई, पशुओं के लिए चारे का अभाव पैदा हो गया, पीने के पानी का सवाल पैदा हो गया। इसके बाद ज्यों ही अगस्त महीने में बरसात शुरू हुई, एक दिन केवल डेढ़ घण्टे वर्षा हुई और ऊना जिला, जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र में है वहां पर स्वां नदी बहती है, उसमें 73 नदियां आकर जुड़ती हैं, उस नदी में बाढ़ आई और ऊना जिले के जिलाधीश के घर में भी पानी भर गया, 96 मकान गिर गए। (**व्यवधान**)

ऊना जिले में भयंकर बाढ़ आई और सैकड़ों एकड़ जमीन एक दिन में बह गई और 96 घर गिर गए। सरकारी सम्पत्ति का 5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ केवल एक दिन की बाढ़ से। बाकी सारे प्रदेश में जो हानि हुई है उसके आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं आज जिस महत्त्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा भी है, नवें फायनेंस कमीशन के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए केवल मात्र 18 करोड़ रुपया ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए रखा गया, राहत के रूप में। जबकि इसी वर्ष के शुरू में जब भारी हिमपात हुआ था उसमें 34 लोग मरे, 2085 पशु मरे और 3400 के करीब मकान गिर गए। उस 18 करोड़ रुपये से यह राहत पूरी नहीं दी जा सकती। मैं कहना चाहता हूं कि जो फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी उसकी बजाए, जैसे पहले वास्तव में कितनी हानि हुई है उसका अनुमान लगाया जाता था और उसके आधार पर राहत दी जाती थी, 1988 में हिमाचल प्रदेश को 56 करोड़ रुपये सूखा राहत के आधार पर एक मद पर दिया गया था। अब सारे साल के लिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उस पर केवल मात्र 18 करोड़ रुपये की राशि देंगे तो राहत देना सम्भव नहीं है।

एक यह सुझाव मैं देना चाहता हूं कि स्वां नदी और उसके साथ मिलने वाली 73 नदियां हैं उनको चैनेलाइज करने का प्रस्ताव जो 1980 में बना, जो 200 करोड़ रुपये का था, पिछले साल 311 करोड़ 66 लाख का बना, रुपए का अवमूल्यन होने से और बढ़ जाएगा। केन्द्र सरकार जब तक सहायता नहीं देगी, जिस प्रदेश का वार्षिक बजट 360 करोड़ का है, वह 400 करोड़ की योजना शुरू नहीं कर सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में स्वां नदी को चैनेलाइज करने का काम केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले और केन्द्र सरकार को भी शायद विदेशों की सहायता लेनी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना पड़ेगा, यह तभी सम्भव हो पाएगा। 28 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि चैनेलाइज करने से प्राप्त होगी। प्रदेश सारी स्कीम बनाकर प्रयोजल केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। मैं अनुरोध करूंगा कि उस पर कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री गंगाधरा सानीपल्ली (हिन्दुपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत की जनता के लिए बाढ़ तथा सूखा ये दो बड़ी आपदाएं हैं। बाढ़ के कारण हुए अपूरणीय नुकसान से लोग परेशान हो रहे हैं तथा सूखे के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है।

सौभाग्य से भारत में नदियों के अपार जल संसाधन हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कावेरी तथा कृष्णा नदियों के जल देश के लिए वरदान हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नदियों के अपार जल संसाधनों को उन्हें समुद्र में बहने देने देकर व्यर्थ किया जा रहा है जबकि नदियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमि के एक काफी बड़े भाग को अभी भी सिंचित किया जाना बाकी है। इन आपदाओं के कारण देश को जन-धन का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मवेशियों के लिए चारे की कमी तथा पेयजल की भारी कमी के कारण कृषक वर्ग को अपनी कृषि फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

देश में आये सूखे तथा बाढ़ पर हमें एक गम्भीर योजना तथा भावी योजना बनाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके प्रभाव से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यह कहना भी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तथा इस पर व्यय की गई राशि भी बढ़ती जा रही है।

आंकड़ों के अनुसार यह पाया गया है कि समय-समय पर आयी बाढ़ तथा सूखे के लिए किए गये राहत उपायों पर खर्च की जाने वाली राशि भी काफी बढ़ रही है। अतएव बाढ़ कम आएं इसके लिए बांधों तथा टैंकों के निर्माण को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि देश के आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए और रोजगार उत्पन्न करने के लिए कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके।

सूखे के कारण लोग लगातार पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं क्योंकि कृषि उत्पादन होता नहीं है जिससे देश को नुकसान हो रहा है तथा शहरी क्षेत्र में बहुत अधिक भीड़-भाड़ बढ़ रही है।

सामान्य तौर पर आन्ध्र प्रदेश तथा विशेश रूप से रायलसीमा सूखे के उदाहरण हैं। परन्तु आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी तथा कृष्णा नदी बाढ़ के ज्यादा अच्छे उदाहरण हैं। सूखा तथा बाढ़ से निपटने के लिए गोदावरी तथा कृष्णा नदी पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण तथा जल का बहाव रायलसीमा की तरफ करना जैसे काफी अर्थपूर्ण कार्य हैं। पोलावरम, श्रीरामसागर, चरण-II, झूराला, तेलगू गंगा, श्रीसैलम के दाहिनी तथा बाईं ओर की शाखा नहरें, तुंगभद्रा उच्च स्तरीय समानान्तर नगर तथा छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बनाकर हम राज्य की अर्थ-व्यवस्था को हुए नुकसान को कम कर सकते हैं। अतः सूखे और बाढ़ का निर्धारण करने के लिए तथा उनकी निगरानी करने के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए।

पर्याप्त निधि प्रदान करके सूखा तथा बाढ़ के लिए अलग-अलग स्वायत्तशासी बोर्डों का गठन करना उचित होगा। इस सत्र में हम एक ओर तो देश के कुछ भागों में आयी हुई बाढ़ पर तथा दूसरी ओर देश के दूसरे भागों में पड़ रहे सूखे पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए तथा स्थायी आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं तथा मुझे दिये गये अवसर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, पूरे देश में कहीं पर बाढ़ और कहीं पर सूखे की स्थिति मौजूद है । कोई वर्ष ऐसा नहीं जबकि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार अरबों रुपया खर्च नहीं करती । देश में कम से कम पानी के स्रोत की कमी नहीं है । आज तक जितनी सरकारें बनीं तो जल संसाधन मंत्री को कभी राज्य मन्त्री और कभी केबीनेट मन्त्री बनाया गया । इसको तो प्रधान मन्त्री के पास रखना चाहिए और योजना आयोग के तहत देश की जितनी नदियां हैं तो पानी की व्यवस्था करके सिंचाई में परिवर्तित करना चाहिए । मैं बिहार की बात कहना चाहता हूं । प्रत्येक वर्ष बिहार सरकार सौ-सौ करोड़ रुपया रिलीफ के मद में खर्च करती है । पूरे देश में क्या होता है, उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं । कोसी, गंगा, कमला और बलान नदियों का सर्वेक्षण कराकर प्रति वर्ष पानी को सिंचाई में परिवर्तित करें । जब हंगामा होता है तो रिलीफ का पैसा दिया जाता है । हैलीकाप्टर और जहाज से सामान को लोड किया जाता है और वहीं से वितरण किया जाता है । उसमें मे पचास परसेंट लूट होती है और न गरीब जनता के बीच में जाता है । बिहार में कहीं बाढ़ और कहीं सूखे की स्थिति रही है । भारत सरकार ने पचास प्रतिशत रुपया रिलीज किया है । उसमें आन्ध्र प्रदेश को 24 करोड़ 60 लाख यानि 49 करोड़ 20 लाख, अरूणाचल को 75 लाख यानि 1.5 करोड़, आसाम को 11 करोड़ 25 लाख यानि 22 करोड़ 50 लाख, बिहार को 13 करोड़ 12 लाख यानि 26 करोड़ 24 लाख, गोवा को 37 लाख यानि 74 लाख मात्र, गुजरात को 31 करोड़ 87 लाख यानि लगभग 64 करोड़ । बिहार के साथ भेदभाव किया है । वहां पर बाढ़ और सूखे के लिए इतना कम रुपया देना औचित्य नहीं है । भारत सरकार ने फैसला किया है कि पच्चीस प्रतिशत राज्य सरकार को खर्च करना है, वह गलत है । मैंने बार-बार इस सदन में उठाया है कि बिहार सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है । मेरी मांग है कि भारत सरकार ही पच्चीस प्रतिशत मुहैया करें और ऐसे राज्यों को भी मिलना चाहिए । भारत सरकार पूर्ति करने का काम करे । हमारी कोसी नदी को आप लोग भली-भांति जानते हैं । कोसी नदी नेपाल और चीन के बोर्डर से निकलती है और वहां दस-बारह साल पहले कटाव हुआ था उस पर इस सदन में भी चर्चा हुई थी । उसमें करोड़ों रुपये बिहार सरकार के लगे हुए हैं । कोसी नदी में अगर कोई व्यवस्था भारत सरकार नहीं करती है तो बिहार की सरकार इतना रुपया कहां से लायेगी । हो सकता है कि बिहार में आपकी पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन बिहार की जनता तो सारे देश की जनता है, उसके साथ भेदभाव न करें और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी जब जवाब देंगे तो निश्चित रूप से इस बात का उत्तर देंगे ।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, वैसे तो असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर मध्य प्रदेश में सामान्य स्थिति बारिश को लेकर अच्छी रहती है । इस वर्ष मध्य प्रदेश के ऊपर राम जी की कृपा हुई है । जब से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य सम्भाला है, विशेष तकलीफ नहीं है । उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों की बात यहां पर कही गई है । वैसे सामान्य स्थिति में देखा जाये तो भारत भूमि के ऊपर करीब चालीस करोड़ हेक्टेयर बारिश होती

है। अगर उसका सही उपयोग किया जाये तो बाढ़ की स्थिति नहीं आ सकती है। एक तो उस जल को ठीक से व्यवस्थित न करना और दूसरे सिंचाई के छोटे-छोटे बांधों पर ध्यान न देकर बड़े-बड़े बांधों पर ध्यान देना, देश में करीब दो सौ बड़े बांध काफी समय से बनाये जा रहे हैं, इनको मैं ऐसी भैंस मानती हूं जो लगातार चारा खाती है और दूध कभी नहीं देती है। क्योंकि ये बड़े-बड़े बांध बनाने की योजना बनी तो विशेषज्ञों की राय के विपरीत बनी। इस देश में पांच हजार भूखण्ड ऐसे हैं यदि उनमें वाटर शैड बनाये जाते तो जो चासीस करोड़ हेक्टेयर जल देश में गिरता है जिसका कुछ का वाष्पीकरण हो जाता है, कुछ जमीन के अन्दर चला जाता है उसमें से करीब दो करोड़ हेक्टेयर जल तालाबों ओर बांधों के द्वारा रोक लिया जाता है और करीब सोलह करोड़ हेक्टेयर जल ऐसा है जो समुद्र की ओर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी ले जाता है। इसमें भी खतरनाक बात यह होती है कि जो मिट्टी बह जाती है वह नदी के तले को ऊंचा करती जाती है और अन्त में वह ऊंचा तल ही बाढ़ की विभीषिका का कारण बनता है। इसलिए अगर ठीक से व्यवस्था होती तो इस देश में जल संसाधन इतना है कि हमें कभी बाढ़ का सामना न करना पड़ता।

इसका कुछ-कुछ सम्बन्ध वन से भी है। कुछ-कुछ क्या, बहुत ज्यादा सम्बन्ध इसका वन से है। हमारे देश में लगातार वनों का विनाश हुआ है, पहले यह नियम विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया था कि देश में भूमि का 33 प्रतिशत हिस्सा वन होना चाहिए। हमारे देश के सरकारी आंकड़े कह रहे थे कि हमारे देश में 23 प्रतिशत वन है। जब सेटेलाइट से प्राप्त चित्र मिले तो यह पाया कि 13 प्रतिशत वन रह गया है। मुझे लगता है कि सरकारी रिकार्ड में शुरू में जो वन था उसी को ही माना जा रहा है, चाहे वहां पेड़ लगे हों या नहीं लगाये हों। जैसे जहां मुल्ला नमाज पढ़ ले वहीं मस्जिद हो गई। इस पर ध्यान नहीं दिया कि वहां पेड़ लगे हैं या नहीं। अगर इस मामले में थोड़ा ध्यान दिया गया होता तो गांवों में बेरोजगारी दूर होती, पर्यावरण भी बनता और हमें निश्चित रूप से बारिश में भी सहयोग मिलता तथा सूखे की विभीषिका से भी बचा जा सकता था।

मैंने तो इसलिए निवेदन किया था कि मध्य प्रदेश में सामान्य स्थिति में अच्छा वातावरण रहता है। मध्य प्रदेश में कुछ जिले हैं जिसको ड्राऊट प्रोन जिलों में लिया गया है। धार, सीधी, शहडोल भी हैं, लेकिन एक जिला ऐसा होता है जिसका नाम मैं आखिर में ले रही हूं, पहले नहीं लिया, इसलिए कि पहले लेती तो आप मुझे टोकते। अब चूंकि मैं अपनी बात खत्म कर चुकी हूं इसलिए उसको आखिरी में उठा रही हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र खजुराहो में दो जिले टीकमगढ़ और छतरपुर हैं। मुझे धार में कोई संदेह नहीं है, खरगौन में कोई संदेह नहीं है, मुझे अपने छतरपुर जिले में संदेह है। क्योंकि शहडोल मेरे क्षेत्र के पास है, उन जिलों में काफी बरसात होती है, उससे कम पानी छतरपुर जिले में बरसता है। मुझे आश्चर्य है कि उसको ड्राऊट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में क्यों नहीं शामिल किया गया। पहली सरकार में जो कृषि मंत्री थे, मैं उनको बरसात के मौसम में अपने जिले लेकर गई और कहा कि आप शहडोल में देखिये, सीधी में देखिये कि कितना पानी गिरा है, और छतरपुर में कितना पानी गिरा है? मुझे लगता है कि जहां से केन्द्र में ठीक प्रतिनिधित्व हुआ है, वे जिसे ड्रॉट प्रोन में आ गये हैं। चूंकि छतरपुर और टीकमगढ़ से केन्द्र में अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं रहा है, इसलिए इसकी अवहेलना की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस परिचर्चा में मात्र इसलिए भाग लेना चाह रही थी कि माननीय कृषि मंत्री विराजमान हैं, इसलिए आपके माध्यम से मेरी बात पर गौर फरमायेंगे। प्रशासकीय आंकड़े जो वहां से दिये गये हैं, वे गलत हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे फिर से छतरपुर का निरीक्षण करायें तो उसको ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट में शामिल करना पड़ेगा यदि ईमानदारी के साथ वे इस जिले का निरीक्षण करायेंगे। मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : अध्यक्ष महोदय, इस समय आन्ध्र प्रदेश भी बाढ़ का सामना कर रहा है। विशेष रूप से गोदावरी जिले में बाढ़ आई हुई है। प्रत्येक वर्ष गोदावरी तथा कृष्णा नदी में आयी बाढ़ से धान की फसलों को भारी नुकसान होता है तथा इसके परिणामस्वरूप जन-धन का नुकसान हो रहा है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार तथा राज्य सरकार भी करोड़ों रु० व्यय कर रही है। परन्तु इसका कोई उचित समाधान नहीं है क्योंकि रचनात्मक तरीकों को अपनाया नहीं जा रहा है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमलापुरम पूर्वी गोदावरी जिले में पड़ता है। यह देश के धान तथा नारियल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र का कोनासीमा क्षेत्र एक द्वीप के समान है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक नहरें तथा नदियां हैं। उचित रूप से आधुनिकीकरण न होने के कारण जल निकास व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भयंकर बाढ़ आ रही है जिससे इस क्षेत्र में नारियल तथा धान की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग बारह लाख लोग रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा 272 कि० मी० तक फैले बाढ़ नियन्त्रण तटबन्धों द्वारा की जाती है। ये बाढ़-नियन्त्रण तटबन्ध लगभग सौ वर्ष पूर्व बनाये गये थे तथा वे हाल ही में आयी बाढ़ों को रोकने में समर्थ नहीं हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की आपदा आने का खतरा है। यदि बाढ़-नियन्त्रण तटबन्ध में कहीं से कोई दरार पड़ जाती है तो पूरा क्षेत्र ही बंगाल की खाड़ी में डूब जायेगा तथा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा।

इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तथा बाढ़-नियन्त्रण तटबन्ध को मजबूत बनाने के लिए उचित योजना बनायें। केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-निकास व्यवस्था को भी सुधारा जाना चाहिए।

दो महीने पूर्व गोदावरी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी तथा एक नाव दुर्घटना भी हो गई थी। मैंने इसी सम्माननीय सभा में नियम 377 के अधीन मामला उठाया था। प्रधान मन्त्री जी ने भी उन व्यक्तियों के लिए तीन लाख रु० की मंजूरी दी थी जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अभी हाल ही में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया था। दो दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी। इस नाव दुर्घटना में तीस व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा बीस व्यक्ति घायल हुए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उसे इस क्षेत्र में सिंचाई तथा जल-निकास व्यवस्था को आधुनिक बनाकर तथा बाढ़-नियन्त्रण तटबन्धों को मजबूत बनाकर बाढ़ पर नियन्त्रण करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझूनू) : सदरे मोहत्तरम, हम राजस्थान के लोग चाहते हैं कि बाढ़ आये लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वहां पर बरसात नहीं हुई और लोग पीने के पानी को तरसते हैं। उस पानी को देखने के लिए तरसते हैं। हमारी तरफ एक कहावत है बल्कि हम गर्व से कहते हैं— "राजस्थान के अन्दर खून सस्ता है, और पानी महंगा।" लेकिन उसके बावजूद वहां पर पानी नहीं नसीब होता। वहां पर 10-10 किलोमीटर से लोग आज के दिन पीने के लिए पानी लेकर आते हैं।

इस टाइम पर हमारे कुछ जिलों में इतना सूखा है कि अभी तक बिजाई नहीं हो पाई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 1987-88 में शताब्दी का एक भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें हमारी सरकार ने साढ़े पांच सौ करोड़ रुपया सेन्टर ने दिया था और ढ़ाई सौ करोड़ हमारी राजस्थान सरकार ने खर्च किया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजस्थान सरकार को और फण्ड दिए जाएं ताकि ऐसी विपदा के अन्दर वह सरकार किसानों को, गरीब लोगों को सहायता दे सके। मैं अपनी बहन, जिन्होंने अभी बोला कि जहां नमाज पढ़ ली वहां मस्जिद हो जाए, उनसे कहूंगा कि आप तस्वीर का एक रुख न देखें बल्कि तस्वीर के दोनों रुख को देखें। ऐसी बात अपने दिल की गहराइयों से नहीं कही। आप भी दिल की गहराइयों से दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। मस्जिद कभी किसी की छीनी हुई जमीन पर नहीं बनती। मस्जिद उस जगह बनती है जो हलाल से खरीदी हुई हो। **(व्यवधान)**

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : किसी गलत इन्टेन्शन से नहीं कहा है उन्होंने।

श्री अयूब खान : आप वकालत क्यों कर रहे हो ? मैं उनसे अपना रिश्ता बना रहा हूं और आप वकालात कर रहे हो ! आप बीच में मत बोलिए। हमारे बीच में आप मत आइए। मैं सीधा लिंक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। **(व्यवधान)** मैं यह कहने जा रहा था कि मस्जिद किसी से छीनी हुई जमीन पर नहीं बन सकती। हलाल की कमाई से खरीदी हुई जमीन पर ही मस्जिद बनती है। हमारी शरियत और हमारी कुरान में है कि हम मस्जिद और मन्दिर में कोई फर्क नहीं समझते। जहां तुम मस्जिद का आदर करते हो वहां तुम्हें हुक्म है कि मंदिर का भी आदर करो। यह भी है कि जहां तुम मस्जिद को इबादतगाह समझते हो, उसी तरह मंदिर को भी इबादतगाह समझो, क्योंकि अल्लाह और राम एक है, उसमें फर्क मत करो। फर्क होता तो हमारे ढांचे और दूसरे इन्सात में फर्क होता। हमारी और आपकी आंखों से जो आंसू गिरता है उसके अन्दर मीठा और नमकीन का फर्क मिलता, हमारे खून का रंग अलग होता···**(व्यवधान)**

कुमारी उमा भारती (खजराहो) :···**

अध्यक्ष महोदय : अभी उमा भारती जी ने जो कहा है वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री अयूब खान : मैं आपसे यह अपील कर रहा था कि मैंने यह बात उनको प्यार से बताई थी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को छोड़ दीजिए। अयूब खान साहब, ड्राउट बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, आप उस पर बोलिए।

**पीठासीन अधिकारी के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री अयूब खान : मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं । हमारे यहां राजस्थान का जो किसान है, वह सूखे से पीड़ित है । (व्यवधान) राजस्थान का किसान इस समय सूखे की वजह से तकलीफ में है । राजस्थान की सरकार को पहले 25 रुपये में बिजली का कनेक्शन मिलता था, उसको पता नहीं किस वजह से 25 हजार रुपये में वह कनेक्शन देती है ! उनको कोई सहायता दी जाए ताकि किसान वहां पर कनेक्शन लेकर इस मुश्किल टाइम पर अपना गुजारा और बंदोबस्त कर सके । राजस्थान का हमारा इलाका, झुंझूनू और सीकर से मैं आता हूं, वहां से हिन्दुस्तान की खिदमत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा आदमी फौज के अंदर हैं . वहां का सेनानी यह सोचता है कि हमारा परिवार इस सूखे की हालत में किस तरह से अपना जीवन बसर करेगा । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह सरकार ज्यादा-से-ज्यादा पैसा वहां के लिए दे और किसानों की ऐसी खराब हालत है कि जानवरों को चराने के लिए दो रुपए किलो का भूसा मिलता है और बाजरा तीन रुपए किलो है । आप देखें, ऐसी संकट की घड़ी में कैसे एक किसान अपने गरीब परिवार और अपने जानवरों की हिफाजत कर सकेगा ? किस तरह से जब उस इलाके में बिजाई तक न हुई, तो वहां के लोग जिन्दा रह सकते हैं? मेरी आपके माध्यम से मांग है कि राजस्थान सरकार को ज्यादा धनराशि दी जाए और वहां ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि वहां पर लोग नए कनेक्शन लेकर अपना गुजारा कर सकें ।

आखिर में, मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, अपनी बात खत्म करूंगा । हमारे यहां एक खेतडी प्रोजैक्ट है । उस प्रोजैक्ट को चलाने के लिए, जमीन से पानी खींचा जाता है । इससे वहां के किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गयी है क्योंकि जमीन से पानी खींच लिए जाने से वहां के कुओं का जलस्तर बहुत नीचे चला गया है और वे सूख गए हैं । इसकी वजह से वहां का किसान एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है । हरियाणा हमारे यहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि खेतड़ी प्रोजैक्ट को चलाने के लिए हरियाणा सरकार से बात करके, एक नहर के माध्यम से पानी को खेतड़ी प्रोजैक्ट में पहुंचाया जाये ताकि वहां के कुओं का जलस्तर ऊपर आ सके और किसान अपने खेतों की काश्त कर सकें ।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कहा जाता है कि "इण्डियन बजट इज द गैम्बलिंग ऑफ द मानसून" अर्थात् हिन्दुस्तान का बजट मानसून का जुआ है । आज मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आजादी के 42 वर्षों बाद भी हमारे देश में कभी लूं से, कभी शीत लहर से, कभी बाढ़ से और कभी सूखे से, जब-जब भी मौसम बदलता है, कोई-न-कोई घटना होती रहती है । हजारों मौतें हो जाती हैं । पशुधन भी नष्ट हो जाता है । इंसान को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं । किसी कवि ने ठीक ही तुकबंदी मिलाते हुए कहा है :

कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा,
मालिक भी हो गया रूखा ।
इससे जनता का दिल है बहुत दूखा,
पशुओं को भी रहना पड़ रहा है भूखा ।।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है । अभी जैसा एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक तरफ पश्चिमी और उत्तर

राजस्थान में घोर अकाल की विभीषिका है, वहीं कोटा और दूसरे इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी है और वहां सेना तक को बुलाना पड़ा है। राजस्थान ऐसा राज्य है जहां के लोग मानसून की अनिश्चितता, मानसून की अनियमितता के कारण और लगातार अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष का सामना कर रहे हैं। राजस्थान की भेड़ों को चरने के लिए मजबूर होकर मध्य प्रदेश की ओर जाना पड़ रहा है। वहां के ऊंटों को भी, उनके प्राण बचाने के लिए, राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी भागों की गायों को, उनके प्राण बचाने के लिये, हजारों की संख्या में, मध्य प्रदेश की ओर ले जाना पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान को अकाल से राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय आपदा कोष से, नेशनल कैलेमिटी फण्ड से अधिक-से-अधिक सहायता प्रदान की जाये क्योंकि राजस्थान की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर है। उसका अधिकांश हिस्सा रेगिस्तानी है। रेगिस्तानी प्रदेश में पीने के पानी का वैसे ही अभाव है। जैसे घी बड़ी मुश्किल से मिलता है और कहीं मिल भी जाता है तो लोग रोटी को घी से चुपड़ कर खाते हैं, वैसे ही एक समय वह आने वाला है जब लोग पानी को रोटी से चुपड़ कर खाने के लिये मजबूर हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस हिस्से में बाढ़ की समस्या आती है, वहां छोटे-छोटे बंधे, सनीकट, नालियां और छोटे तालाब बनाये जायें। हमारा गंगा और यमुना नदियों का पानी, जो व्यर्थ बहकर समुद्र में चला जाता है, मेरी प्रार्थना है कि इस समस्या के स्थायी हल के लिये, जैसे सतलुज के पानी को इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से राजस्थान में लाया गया है, उसी तरह गंगा और यमुना के बाढ़ के पानी को रोक कर, एक नहर के जरिये राजस्थान में भेजा जाये ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी निराकरण हो सके।

इसके साथ-साथ जहां सूखा है, वहां पीने के पानी की भारी समस्या है। वहां पीने के पानी की व्यवस्था करना भी नितांत आवश्यक है। सूखी खेती को पानी पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी होगी।

अंत में, केवल यही कहना चाहूंगा कि हर साल हम इन आपदाओं से निपटने के लिये हजारों करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं लेकिन जब कहीं आग लगती है तब हम कुआं खोदने के लिये विवश हो जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि बाढ़ और सूखे दोनों का स्थायी हल खोजा जाये अन्यथा प्रति वर्ष करोडों रुपया राहत प्रदान करने में लग जाता है और इस समस्या का स्थायी हल हो नहीं पाता। अतः मेरी मांग है कि स्थायी हल खोजने के लिये, गम्भीरतापूर्वक विचार करके, राष्ट्रीय आपदा कोष से ऐसी व्यवस्था की जाये ताकि लोगों को राहत भी मिले, लोगों को रोजगार भी और साथ-साथ जो पेय पानी की समस्या है, उसका भी निराकरण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मुहीराम सैकिया (नोगोंग) : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और सूखे पर ही रही चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के कारण मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। सूखे और बाढ़ की समस्यायें राष्ट्रीय समस्यायें हैं।

इस प्रतिष्ठित सभा में वर्षों से हम मिलकर इन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढ नहीं पाये हैं। भारत के कुछ भागों में अत्यधिक जल है। कुछ भागों में पानी की कमी है और फिर भारत के कुछ अन्य भागों में पानी को लेकर विवाद है।

आप पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक का उदाहरण ले सकते हैं। मैं एक बहुत ही पिछड़े राज्य असम का निवासी हूं। असम में सूखे की कोई समस्या नहीं है, वहां बाढ़ की समस्या है जो कि पूरे वर्ष की समस्या है।

विगत कई वर्षों से हम इस सभा में बाढ़ और सूखे की समस्या पर चर्चा करते रहे हैं लेकिन इनका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जून के मध्य से अगस्त माह के प्रथम सप्ताह तक लगातार तीन बार बाढ़ आ चुकी है और इन सबसे तबाही मच चुकी है। इनसे सड़कों, विद्यालय के भवनों, अस्पतालों, पुलों, आवासों, जंगलों, मत्स्यन उद्योग सभी को भारी क्षति पहुंची है। राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक, सादिया से ध्रुबी तक, 800 कि०मी० की दूरी तक सभी कुछ जलमग्न ही गया है। मजौली नामक एक नदी द्वीप है जिसे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप समझा जाता है। यह सम्पूर्ण द्वीप ही जलमग्न हो गया है। इसलिए पूरी आबादी को ही किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा था। न केवल खड़ी फसल नष्ट हो गयी है बल्कि हजारों एकड़ भूमी बह गई है, हजारों मवेशी बह गये हैं। एक सौ से अधिक लोगों की जानें गयीं। इस तबाही मचाने वाली बाढ़ से न केवल असम घाटी बल्कि बारक घाटी में भी तबाही होती है।

दो बड़ी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की बड़ी नदियों में से है, जिसकी 40 उप-नदियां हैं और इन सभी उपनदियों और बड़ी नदियों के तलों में गाद भर चुकी है। जिसके परिणामस्वरूप वहां अक्सर विनाशकारी बाढ़ आ रहे हैं और लोगों की सम्पतियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। लोगों को गर्मी, तूफान और बारिश में बिना छत के रहना पड़ रहा था।

भारत सरकार ने इन पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान की है लेकिन सहायता हेतु प्रदान की गयी राशी लोगों तक पहुंच नहीं पायी है। प्रदान की गयी कुल धनराशि में से सिर्फ 40 प्रतिशत ही जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पायी है, 60 प्रतिशत प्रदत्त धनराशि का गलत उपयोग किया गया है। एक खास वर्ग के लोग हैं जिनके लिए बाढ़ के समय धन कमाना एक साधन है।

अस्थायी उपायों द्वारा कोई हल नहीं निकल पाता है। अस्थायी उपायों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं लेकिन वह सब व्यर्थ है। इसलिए, मैं यह परामर्श देता हूं कि सरकार को चरणबद्ध तरीके से बाढ़ नियंत्रण का स्थायी उपाय करना चाहिए।

संघ सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के जल को राष्ट्रीय जल समझती है। इसलिए उसके जल को नियंत्रित करने हेतु संघ सरकार ने ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड गठित किया है। इस बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण हेतु दो बृहद् योजनाएं प्रस्तुत की गयी हैं लेकिन कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रत्येक वर्ष सहायता उपायों को करने अथवा धनराशि प्रदान करने की बजाए उन्हें कुछ स्थायी उपाय करने चाहिए क्योंकि करीब-करीब सम्पूर्ण देश ही इस बाढ़ से पीड़ित रहता है। सहायता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं लेकिन गरीब वर्ग के लोगों को सिर्फ पूरी धनराशि का 40 प्रतिशत ही मिल पाता है और 60 प्रतिशत का दुरुपयोग किया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि व्यर्थ में करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाए सरकार को चरणबद्ध तरीके से बाढ़ नियंत्रण के स्थायी उपाय करने चाहिए।

जल संसाधन मंत्रालय के प्रभारी एक माननीय मंत्री हैं। मैं जानता हूं कि जल संसाधन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री महोदय का कार्य आम जनता के लिए लाभ के लिए जल संसाधनों के

उपयोग हेतु एक नीति का तैयार करना है। जल संसाधन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री महोदय का कार्य यह नहीं है कि गरीब लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए जल की बर्बादी की जाये। यदि जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री महोदय अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर सकते हैं तो यह कार्य उनसे लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए ताकि कुशलतापूर्वक इसे निष्पादित किया जा सके। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि यदि निर्धारित लक्ष्यों को यह विभाग प्राप्त नहीं कर सकता है और कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता है तो यह विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने हाथों में ले लेना चाहिए।

इसलिए एक बार पुनः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन दो बड़ी नदियों और इनकी सहायक नदियों के जल को नियंत्रित करने हेतु कुछ स्थायी कदम उठाए जायें ताकि इन नदियों के जल संसाधनों से असम के लोग लाभान्वित हो सकें।

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : सूखे और बाढ़ द्वारा होने वाली क्षति के सम्बन्ध में पहले ही माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। असम में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है और उनकी तीव्रता और बारम्बारता भी बढ़ती जा रही है। बाढ़ के कारण आर्थिक नुकसान भी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन करीब 55 करोड़ रुपए की वार्षिक क्षति हो रही है। कभी-कभी यह क्षति 0.3 करोड़ रुपए और कभी 663.00 करोड़ रुपए की होती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष बहुत ही नुकसान होता है जिसमें कि फसल, सम्पत्ति, मानव जीवन और मवेशियों का नुकसान शामिल है।

असम में मुख्य रूप से 176 से० मी० से 640 से० मी० तक वर्षा होने और नदियों में बहुत अधिक गाद जम जाने के कारण बाढ़ आती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी वृद्धि होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी बातें पहले ही कह दी गई है। अब इन्हें दुहराना आवश्यक नहीं है। आप यह कहिए कि आप अन्य लोगों द्वारा दिए गए भाषणों का समर्थन करते हैं।

श्री उद्धव बर्मन : प्रत्येक वर्ष भारी नुकसान होने के कारण असम में बाढ़ नियन्त्रण के लिए ठोस उपाय करना अत्यन्त आवश्यक है।

प्राकृतिक संसाधनों के मामले में और जल संसाधन के मामले में भी असम बहुत ही समृद्ध है। यदि इन जल संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए तो असम के विपत्ति को असम की समृद्धि में बदला जा सकता है। यहां बाढ़ नियन्त्रण के लिए प्राथमिक आधार पर केन्द्र सरकार को शीघ्र ही उपाय करने चाहिए। ब्रह्मपुत्र, बोरक सभी नदियों और सभी सहायक नदियों का उपयोग किया जाना चाहिए। भू-कटाव के कारण भी इन सभी नदियों से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इन नदियों के भू-कटाव के कारण असम में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही है।

इसलिए, असम में बाढ़ नियन्त्रण और भू-कटाव को रोकने हेतु केन्द्र सरकार से उचित कदम उठाने का और असम के लोगों को शीघ्र ही राहत सामग्री पहुंचाने का अनुरोध मैं सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत ही अच्छी बात है। अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री उद्धव बर्मन : साथ ही मैं यह भी परामर्श देना चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के मास्टर प्लान को शीघ्र ही लागू किया जाना चाहिए और केन्द्र सरकार को एक राज-

नीतिक शुरूआत करनी चाहिए ताकि राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों पर उचित रूप से ध्यान दिया जा सके और असम एक समृद्ध राज्य बन सके ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय अब जवाब दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक प्रश्न परसों मैंने उठाया था । कल विदेश मन्त्री ने सोवियत एशिया की घटनाओं के बारे में हमें थोड़ी-सी जानकारी दी थी । आज और भी महत्त्वपूर्ण घटना वहां पर हुई है जिनसे लगता है कि बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जाकर और लगभग पूर्व स्थिति शायद पैदा हो गई है । मैं चाहूंगा कि सरकार कल सदन को अधिकृत जानकारी दे क्योंकि अभी की जानकारी केवल मीडिया रिपोर्ट्स आधार पर है ।···**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पूर्व स्थिति क्या है, आपको कुछ जानकारी है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं मीडिया रिपोर्ट्स का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

घटनाएं विपरीत दिशा में घटित हुई हैं और लगभग पूर्ववत् स्थिति हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : अब, माननीय मन्त्री महोदय ।

[हिन्दी]

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद और जिन मैम्बरान ने इसमें हिस्सा लिया···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : आप हिन्दी में बोल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद ।

श्री बलराम जाखड़ : आप जिसमें कहें या संस्कृत में कहें, मैं उसमें बोल लूंगा । जिस माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं । हमने यहां सूखा और बाढ़ दोनों का विश्लेषण किया और जिस प्रकार से इसको किया, मैं उससे सहमत हूं । माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने इसकी शुरूआत की थी । पूर्णरूपेण उन्होंने इसका विश्लेषण किया है, आदि से अन्त तक किया, कोई हिस्सा बाकी नहीं छोड़ा । उसके बाद मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा हमारे माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया, अपने-अपने विचार व्यक्त किए अपनी-अपनी व्यथा बतायी । मैं उस व्यथा से सहमत हूं क्योंकि व्यथा, पीड़ा चाहे कहीं भी हो, सबको उससे पीड़ा होती है । देशवासियों का अपने भाइयों की पीड़ा से पीड़ित होना स्वाभाविक है । खास तौर पर ग्रामीण अंचल पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है । बहुत कम समय ऐसा होता है जब कोई विशेष घटना घटती है, जैसे मांडवी में हुआ, कहीं और हुआ, जहां बांध टूट गया और शहरों पर प्रभाव पड़ता है लेकिन अन्तोगत्वा जब सूखा पड़ता है तो शहरों में भी चीजों के भाव बढ़ते हैं और उनकी कमी हो जाती है ।

मैंने गांव में रह कर और खेती करके देखा है कि खास तौर पर किसान सबसे ज्यादा प्रभावित इस बात से होता है जब वह प्रकृति पर सारा-का-सारा निर्भर रहता है । प्रकृति का प्रकोप या

उसकी आंख किस प्रकार खुलती है, यह भगवान जानता है लेकिन कभी-कभी जब तीसरी आंख भी खुल जाती है तो प्रलय का माहौल पैदा हो जाता है।

अच्छा होता, जिस दिन आपने चर्चा शुरू करवाई थी उस दिन इसका जवाब भी हो जाता क्योंकि बीच में फिर बात बासी हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत बासी हो गई।

श्री बलराम जाखड़ : मैं रोजाना तैयार होकर बैठा रहता था कि आज बुलावा आता है कि कल बुलावा आता है। यहां भी उस बुलावे का सूखा पड़ गया और हम भी उस ड्राउट की लपेट में आ गए, आज आपने बुला लिया और आज यह पूरा हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से कुछ अच्छाइयां भी आ जाती हैं। दो रुख इसके होते हैं—एक पोजिटिव और दूसरा नैगेटिव। उसमें शायद कुछ थोड़ा पोजिटिव भी आया। जब मैंने विचार किया था, बात हुई थी और ब्यान दिया था, उसके बाद स्थिति में काफी बदलाव आया है। मैं उस बदलाव के विषय में कुछ थोड़ा बता दूं क्योंकि वह भी जरूरी है। मैंने जो 14 तारीख को बयान दिया था, उसके बाद स्थिति और बदल गई और अच्छे के लिए बदली। बरसात जहां पर नहीं हुई थी, वहां भी हुई।

श्री सूरज मण्डल : इससे क्या मिलेगा ?

श्री बलराम जाखड़ : ऐसी बात नहीं है। आपने शायद देखा नहीं लेकिन मैं अभी 15 तारीख को वहां जाकर आया हूं। पहले मैं 3 तारीख को गया था। उस वक्त फसल खड़ी हुई थी, बरसात पहले हो चुकी थी। लोग उस वक्त बिल्कुल त्राहि-त्राहि करते थे और कहते थे कि अगर बरसात नहीं आई तो सब कुछ स्वाह हो जाएगा और चारा नहीं मिलेगा। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जहां यह बरसात हो गई है, वहां फसल बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी क्योंकि मैं जानता हूं और मैंने यह काम भी किया है, मैंने दूसरा काम नहीं किया है।

श्री सूरज मण्डल : चारा होगा, फसल नहीं होगी।

श्री बलराम जाखड़ : आपको इस बात की गलतफहमी है, मैं आपको साथ ले चलूंगा जिससे आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक और बात इससे यह हो सकती है कि आगे की सफल के लिए कुछ बात बन सकती है। हम तिलहन बो सकते हैं, हम और कुछ कर सकते हैं, उसका काम हो सकता है।

पानी की कमी बहुत बुरी होती है। इसके बिना पशु भी मर जाते हैं। मैंने 1986-87 का अकाल देखा है। तब हमने 800 करोड़ रुपया सिर्फ राजस्थान पर खर्च किया था और इतना बुरा हुआ था कि लोग तिलक लगा-लगाकर अपने पशुओं को छोड़ देते थे कि जाओ भइया, हमारे घर में चारा नहीं है, मैं तुम्हारा मरना देख नहीं सकता हूं तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो मैं जानता हूं कि कितनी पीड़ा होती है और उसके लिए सारा कुछ करना पड़ता है।

आप कहीं कहते हैं कि सारी फसल नहीं होती है, ठीक है कि सारी फसल नहीं होती है लेकिन काफी कुछ फर्क पड़ता है, जब बरसात होती है। जैसा हरियाणा में अब बरसात हुई तो फर्क पड़ा है। मेरे यहां अभी तक बरसात नहीं हुई, मैं परसों ही अपने गांव जाकर आया हूं। हमारे उस अंचल में, वैस्टर्न राजस्थान का जो हिस्सा है, जिसको हम बीकानेर से नीचे का कहें, फिरोजपुर तक का इलाका, वह सारा का सारा बगैर बरसात के है लेकिन अगर आज भी वहां बरसात हो जाती

है तो हमारे नरमे के सारे जितने भी खेत हैं, जितने भी सारे धान के खेत हैं, धान में बड़ा अच्छा उन पर प्रभाव पड़ता है, हम तो उस स्थिति में चल रहे हैं।

ठीक है, सूखा-सूखा होता है, अतिवृष्टि अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, सूखे का भी उसी प्रकार से फर्क पड़ता है कि अन्न पैदा नहीं होता है, किसान मर जाता है, सारा कुछ है। उसको काम नहीं मिलता है, मजदूर की मजदूरी नहीं मिलती है, अन्न प्राप्ति नहीं होती है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सूखा बहुत अधिक नुकसानदायक है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : बाढ़ में कम-से-कम दूसरी फसल के लिए तो नमी आ जाती है, उर्वरक तो पड़ जाता है। किसी जमाने में जब डैम नहीं थे, हमारी जब बाढ़ आती थी तो लोग बाढ़ के हिसाब से जीते थे। आज गंगा यमुना का जो एक क्षेत्र बना हुआ है, वह उसी बाढ़ के कारण ही इतना उपजाऊ बना हुआ है, यह भी एक अच्छाई है। अच्छाई और बुराई दोनों साथ-साथ चलती हैं। दोनों में अकेले अच्छाई इसलिए जिन्दा नहीं रहती कि बुराई बगैर वह खप नहीं सकती। ···(व्यवधान) हमारा कहीं होता है, कहीं नहीं होता। मैं यह नहीं कहता कि आपके यहां सारा कुछ वैसे हो, मैं अलहिदा की बात कर रहा हूं, क्योंकि क्षेत्र तो अलग-अलग होता है। कई जगह एक फसल होती है, कई जगह दो फसल होती हैं, कई जगह तीन फसलें होती हैं। आज हमारा किसान तीन फसलें लेता है। आज पंजाब में धान की कटाई हो रही है, आप उसका अंदाजा कर सकते हो। इसके बाद वह सूरजमुखी बोयेंगे या राया बोयेंगे या तोरिया बोयेंगे और उसके बाद फिर गेहूं बोयेंगे, तीन फसल लेंगे।

उमा बहन कह रही थीं, मैं बताना चाहता था कि भैंस बड़े बांध वाली दूध देती नहीं है, सिर्फ खाती-ही-खाती हैं। नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, आज 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, भाखड़ा अगर नहीं होता तो आपका देश शायद अन्न के लिए तरसता रहता, हमको इसने इतना दिया है कि 40 वर्ष यह दूध देती रही है, जो भैंस है···

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : नहीं, जो अटके हुए हैं।

श्री बलराम जाखड़ : अटके हैं तो हमारी कमी है, अटके हुए हैं तो हमारी नीयत का फर्क है···

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : भाखड़ा बांध के आसपास की हजारों हैक्टेयर जमीन दल-दल हो गई है, वहां उसमें कुछ होता ही नहीं है, घास भी नहीं होती है।

श्री बलराम जाखड़ : नहीं-नहीं, आपको नहीं पता। आप गए नहीं, आपको क्या पता। नहीं, जब आपको पता ही नहीं तो आप मत कहिए। वहां जमीन है ही नहीं, वहां पहाड़ है और पहाड़ में दलदल नहीं होती।

देखिए, मैं वहां रहा हूं, मैंने बांध बनवाया है। मैं वहां इरीगिशन मिनिस्टर रहा हूं। भाखड़ा ने और पोंग डैम ने जितना सार्थक बनाया है उससे आज जैसलमेर तक का इलाका जो लहलहा

रहा है, जहां पानी कभी देखने को नहीं मिलता था, कई-कई बच्चे पैदा हुए हैं, यादव जी, जिन्होंने 7-8 वर्ष बाद पिछले सालों में बारिश देखी तो वह घबरा गए कि ऊपर से हो क्या गया, जो बच्चे उसके बाद में पैदा हुए थे। ऐसी जगह में आज लहलहाते हुए खेत हैं सिर्फ उसकी वजह से।

पंजाब की फसल में कल देखकर आया हूं, वहां धान इतना चमक रहा है कि जिसका अंदाजा नहीं हो सकता, हम आपको फिर पहले से ज्यादा धान देंगे। तो सारी कृपा है। हां, यह बात बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जब देरी होती है तो देरी से भ्रष्टाचार होता है, देरी से नुकसान होता है, देरी से एक्सक्लेशन ऑफ प्राइसेस होता है, देरी से सब कुछ बुरा होता है, देरी करना ही गलत है और यह भावना जो है यह हमें निकालनी पड़ेगी, देशवासियों में से। अरे, यह देश अपना है, काम करने वाले अपने हैं, जो इंजीनियर हैं, वह भी अपने हैं, कहीं बाहर का अंग्रेज तो नहीं रहा, यह काला अंग्रेज ही समाप्त हो जाय तो भी ठीक हो जाए। सिर्फ देशभक्ति की भावना पैदा हो जाय तो यह देरी भी खत्म हो सकती है और यह देश पता नहीं कहां पहुंच सकता है।

जिक्र में जिक्र आ गया, मैंने देखा हैं, अध्यक्ष होने के नाते मेरे ख्याल से आपने कोई देश नहीं छुड़वाया मेरे से, मैं हर जगह गया हूं और हर जगह मैंने देखा है, हमारा आदमी जो 7-7 डालर लेकर गये, आज करोड़पति बैठे हैं, सिर्फ काम करने की वजह से। पता नहीं यहां क्या तकलीफ है कि यहां क्यों नहीं हम काम करते। हम अगर यहीं दत्तचित्त होकर काम करें, मेरे इंजीनियर भी मेरे मजदूर भी, मेरे किसान भी, सभी मिलकर हम काम करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, जिसका हम पासा बदल नहीं सकते हैं और यह देश वाकई सोने की चिड़िया है, जो बनकर रह सकता है, मुझे इसका अब भी विश्वास है।

तो मैं आपसे कह रहा था कि उसके बाद स्थिति बदल गई और स्थिति बदलने का कारण यह हुआ कि अच्छी कई जगह बरसात हुई। आपके मिलने के बाद बरसात हुई, जब हमने डिस्कस किया था, उसके पश्चात् फिर एक सूखे का माहौल आया, पांच सात दस दिन फिर नहीं बरसा और अब पिछले 5-7 दिन से फिर बरसा तो उससे कुछ जान में जान आई। कुछ फर्क पड़ा है और फर्क पड़ने का यह नतीजा है कि हमारे लिए स्थिति बन रही है कि हमें क्या-क्या चाहिए। उड़ीसा में आप अन्दाजा कर लीजिए कि उन्होंने पांच हजार टन बीज के लिए बोला है कि बीज चाहिए। बीज का प्रबन्ध करने के लिए बोला है, तो बीज का प्रबन्ध हो जाना चाहिए और करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे थे कि बिहार के लिए ध्यान नहीं किया गया। अगर बाहर के लिए ध्यान नहीं करते, तो क्या स्थिति होती। सारे माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, मेरे पास रोज आते हैं। कहने लगे—बिहार क्यों नहीं चलते हैं? मैंने कहा—जरूर चलेंगे। मैंने पहले लेंकाजी को भेजा और फिर प्रधान मन्त्री जी से अपील की कि आप जाइए। मैं तो हर वक्त तैयार बैठा हूं। वे गए और उससे पहले उन्होंने 40 हजार टन अनाज मांगा। फिर चालीस हजार टन का चालीस लाख किया। उसके बाद फिर मांगा था दस हजार टन, पांच हजार टन देकर आए और उसके बाद दस लाख अपने रिलीफ फण्ड से देकर आए। आपके पास जो पैसा था, क्लैमिटीज, रिलीफ फण्ड का, मार्जिन मनी, वह और चाहिए तो हम और रिलीज कर देंगे। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब फाइनेंस कमीशन बैठा, सारे बैठे और सबने कहा कि साहब आप चौधरी बने फिरते हो। आप सैण्टर वाले यहां आते हो और बताते हो कि यहां इतना है, और वहां इतना है, तो पैसा तो हमारा है, तुम क्या चौधर करते हो। फाइनेंस कमीशन की बात उन्होंने

सामने रखी, सामने बैठाया और फैसला किया—आप कमाए कामरज, किसको दीजिए दोष। सारे का सारा पहले हमको दे दो। इस प्रकार चार किस्तों में दे दो। तीन हिस्सा सैण्ट्रल गवर्नमेंट का और एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का और वह अख्तियारात भी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ सैक्रेटरी को दिए और एक कमेटी बैठा दी कि जहां आप चाहो इसको खर्च कर सकते हो। हां, मैं इतना कर सकता हूं कि नेशनल क्लैमिटीज जहां हो जाए, उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाए। उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो बनता है, वह किया जाए। मुझे इसमें क्या कष्ट है, मैं तो हर वक्त करने के लिए तैयार रहता हूं। जहां दुःख है, उसको बांटो। दुःख बांटा जाता है। दुःख बंटना हमारा धर्म बनाता है। हम करना चाहते हैं, जितना भी कर सकते हैं, करने की चेष्टा करेंगे। मैं चाहता हूं, अगर आपको और चाहिए, तो एक और किस्त में कर सकता हूं। कहें तो दो किस्त करवा सकता हूं और ज्यादा कहें तो अगले साल की किस्त करवाने की बात भी मैं कर सकता हूं।

देखिए, मध्य प्रदेश का पिछले साल का मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : बिहार को दे दीजिए।

श्री बलराम झाखड़ : बिहार के पास भी है। मेरे पास यह बिहार का कार्यक्रम है। बिहार में हमने 35 करोड़ देना है और इस वक्त हमने 13.25 दिया हुआ है। अगर दो इस्टालमेंट और चाहिए, तो मैं और दे दंगा।

श्री सूर्य नारायण यादव : दे दीजिए।

श्री बलराम झाखड़ : मागेंगे, तो देंगे। जब उनकी इच्छा होगी, तो ले लेंगे। आप बिहार की बात क्या करते हो। बिहार में थोड़ा हौंसला करें, बिहार हमें जाकर रोटी दे सकता है। बिहार सारे हिन्दुस्तान को रोटी दे सकता है। मेरी ऐसी भावना है, मैं आपको ठीक कहता हूं। बिहार बिल्कुल कर सकता है, सिर्फ कर्मठता आनी चाहिए। अगर हम दत्ताचित्त होकर काम करें, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। बिहार में बहुत गुण है, बिहार के पास सम्पदा है, प्राकृतिक सम्पदा है और आपकी शक्ति भी है। बिहार पंजाब के गांवों में आकर उनको पैदा करके देता है, तो आप क्यों घबराते हो।···(**व्यवधान**)···

श्री सूर्य नारायण यादव : भारत सरकार उनका शोषण बन्द करे।

श्री बलराम झाखड़ : शोषण की बात छोड़िए, यह दूसरी बात है।···(**व्यवधान**)···सारा देश एक है।···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आप पैसा दे दीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री बलराम झाखड़ : आप बहस मत करिए। आप बैठ जाइए।···(**व्यवधान**)···पाणिग्रही जी आप क्यों जिद् कर रहे हैं। आप क्यों डिबेट कर रहे हो।···(**व्यवधान**)

श्री सूर्य नारायण यादव : सारी रॉयल्टी का पैसा रहता है।···(**व्यवधान**)···

श्री बलराम झाखड़ : आप भगवन बैठ जायें। आप क्यों ऐसा करते हो। आप भारत पर निर्भर करते हो और भारत आप पर निर्भर करता है। एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों को मिलाकर शक्ति बनती है। अकेले बिहार कुछ नहीं कर सकता है और अकेले भारत कुछ नहीं कर सकता है। आप खनिज देते हैं, तो कहीं से और चीजें आती हैं। सब मिलाकर के काम होता है।

बांटने वाले भी तो आप हैं, बाहर से थोड़े ही कोई आ गया है। हम सब आपस में बांटने वाले हैं। यह देखना कि कितना किसको चाहिए, कहां चाहिए, यह सारा आपने और हमने मिलकर के उचित काम करना है। इस प्रकार एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनता है और उसको बनाकर रखना है।

आप अभी कर्नाटक की बात कर रहे थे। कर्नाटक को दस करोड़ हम पहले दे बैठे हैं और चाहिए तो और दे देंगे।···(**व्यवधान**)···

8.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : उड़ीसा की स्थिति पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम झाखड़ : इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब को वहां भेजा। वे गए और मेरे साथी मिनिस्टर गए। ये भी वहां जाकर आए हैं। (**व्यवधान**)

मैं आपको उड़ीसा की हालत बताऊं, वहां की हालत मेरे पास है। (**व्यवधान**) आप देखिए, एक तरफ तो उसका एग्जीक्युटिव सेक्रेट्री कुछ कहता है और दूसरी तरफ आपका रिलीफ कमिश्नर कुछ कहता है। आंकड़ों में इतना फर्क है, शायद जमीन-आसमान का फर्क है। पता नहीं वे क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पता नहीं वे सो रहे थे या जाग रहे थे, किस प्रकार से काम करते हैं? इतना विरोधाभास है कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। इन आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो हैं, सिर्फ कहने की हैं।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है कि हम इस विषय को किस प्रकार सुलझाएगा और उसे लागू करेंगे।

[हिन्दी]

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो नया प्रकरण आया उसमें था—

जो सप्ताह 14 अगस्त, 1991 को समाप्त हुआ था, उसके दौरान मानसून बहुत अधिक था और कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी इलाकों बिहार के पठार, गंगीय पूर्वी बंगाल, उप-हिमालय पूर्वी बंगाल और सिक्किम; असम और मेघालय, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण और गोआ, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आन्ध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, केरल और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मानसून रहा।

यहां इन दिनों में वर्षा रही और फिर एक झटका लगा, उसके बाद दोबारा घूम-घूमकर आई है। अगर भगवान् ने चाहा तो शायद 10-15 दिन में मेरा एक चक्कर लग जाए तो फिर हम 80 प्रतिशत मामला ठीक कर लेंगे।

[अनुवाद]

14 अगस्त, 1991 को पैंतीस मौसम-विज्ञान सम्बन्धी उप-खण्डों में से चौबीस में सामान्य अथवा अधिक वर्षा हुई थी। जिला-वार गिनने पर, 14 अगस्त को बासठ जिलों में सामान्य से लेकर अत्यधिक वर्षा हुई।

मेरे पास पिछले पांच वर्षों के दौरान 1 जून और 14 अगस्त के बीच की मौसम-विभाग सम्बन्धी उप-खण्ड वार तथा जिला-वार तुलनात्मक स्थिति के आंकड़े हैं और मैं आपको बताऊंगा।

1 जून और 14 अगस्त, 1991 के दौरान नौ मौसम-विज्ञान सम्बन्धी उप-खण्डों में अत्यधिक वर्षा हुई थी।

19 अगस्त, 1991 तक आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में विभिन्न अनुपात में बाढ़ से हुई क्षति की सूचना है।

असम राज्य में तीन बार बाढ़ आई है—पहली 5 मई से 21 मई तक, दूसरी 12 जून से जुलाई के तीसरे सप्ताह तक और तीसरी 4 अगस्त से जारी है। इसी प्रकार से, महाराष्ट्र राज्य में भी दो बार बाढ़ आई है, पहली 7 जून से 20 जून तक तथा दूसरी 28 जुलाई से 31 जुलाई तक। कर्नाटक राज्य में मई के अन्तिम सप्ताह और फिर जून-मध्य से 31 जुलाई, 1991 के बीच मूसलाधार वर्षा हुई थी।

[हिन्दी]

एक्सटेंट ऑफ डेमेज का ब्यौरा मैं आपको बता देता हूं :

[अनुवाद]

मूसलाधार वर्षा तथा लगातार बाढ़ों से इन राज्यों में होने वाली जान और माल की क्षति का ब्यौरा, अपने-अपने राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार 19 अगस्त, 1991 को इस प्रकार है :

कुल प्रभावित जिले	260
प्रभावित गांवों की संख्या	15392
प्रभावित खेत (लाख हेक्टेयर में)	11.173
प्रभावित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	26.00
प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	213.41
मकानों को क्षति (संख्या)	119111
मृतक व्यक्तियों की संख्या	873
मृतक पशुओं की संख्या	89741

अतः इस सीमा तक क्षति हुई।

मेरे पास राज्य-वार विवरण भी है। राहत कार्य और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारें आवश्यक उपाय कर रही हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

खोले गये राहत शिविरों की संख्या	17528
राहत शिविरों में लोगों की संख्या	5.25 लाख
भेजी गई नावों की संख्या	997
उस स्थान से दूसरे स्थान ले जाए गए लोगों की संख्या	82459
खोले गये स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	296
गिराई गई खाद्य सामग्री के पैकेट	33000
अनुदान राहत का वितरण	12.78 लाख

इन राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री जैसे चावल, दाल, नमक, गुड़, जीरा, सरसों का तेल, इत्यादि भी वितरित किए हैं।

वर्तमान स्थिति है कि 14 अगस्त, 1991 तक ग्यारह मौसम-विज्ञान सम्बन्धी उप-खण्डों में कम वर्षा हुई है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ भागों में कम वर्षा हुई है। अब इन राज्यों की क्षतिपूर्ति हो गई है। हरियाणा पूर्ण रूप से इस स्थिति से उबर गया है और इसने अब तक अस्सी प्रतिशत तक प्रतिलाभ कर लिया है। पंजाब तथा राजस्थान के कुछ भागों ने भी प्रतिलाभ कर लिया है। पश्चिमी राजस्थान में अभी भी कमी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में मानसून के देर से आने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे चिन्ता हो रही थी—किन्तु अब इस स्थिति से उबर गए हैं। कृषि तथा सहकारिता विभाग ने पहले ही राहत कार्यों सम्बन्धी आपत्तिक योजना बनाने की ओर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया है। जुलाई की वर्षा के संदर्भ में वैकल्पिक फसलों के लिए विशेष सुझाव दिए गए हैं और हम ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं, वैकल्पिक फसल प्रणाली आगामी मौसम में उपयोग करने के लिए तैयार की जानी है और इसमें विलम्ब हो सकता है—राज्यों को विशेष रूप से मानसून में आम सुधार के बारे में भी बताया गया है और उन्हें सलाह दी गई है कि वे इस उद्देश्य के लिए कृषि के आदानों की आपूर्ति को सुनिश्चित करे। 19-8-91 की फसल स्थिति की समीक्षा की गई है।

सप्ताह (16 जगस्त, 1991 को) के दौरान देश में 56 जलाशयों की सुरक्षित भंडारण क्षमता गत वर्ष से 7% अधिक रही। यह अधिक सुरक्षित भंडार है। हिमाचल प्रदेश में वर्षा नहीं हुई थी। लेकिन बर्फ बहुत अधिक पड़ी थी कि वह पिघल गई जिससे इसकी मात्रा बढ़ गई। यहां तक कि पिछले सात सालों में कभी भी इतनी अधिक जलाशय क्षमता नहीं रही।

उसकी यह स्थिति है। श्री चन्द्रजीत यादव ने दीर्घावधि योजना और बाढ़ नियंत्रण के बारे में जो कुछ कहा है वे अत्यंत गम्भीर समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

यह बहुत ही गहरा और गम्भीर मसला है और अगर मैं भी बैठा होता तो मैं भी सोचता कि सारा पैसा तो हर साल लगता ही रहता है, सूखा होता है तब खर्च करते हैं, बाढ़ आती है, तब

खर्च करते हैं, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है कि एक साल में तो सारे का सारा प्रबन्ध होगा नहीं, सारे डैम नहीं बन सकते और समस्या हल नहीं हो सकती। जैसे पंजाब में सतलुज को हमने टेप कर लिया, लेकिन एक सिरसा नाले से 3 साल पहले बाढ़ आ गई और सब फेल हो गया। कभी टांगड़ी नदी से बाढ़ आ जाती है, कभी भी किसी एक नदी से बाढ़ आ सकती है। प्रकृति का पूरा का पूरा प्रबन्ध करना, उसको काबू में कर लेना असम्भव बात है, लेकिन जितना हो सकता है, उतना तो करना चाहिए। मैं वाटर रेसोर्सेस मिनिस्टर से कहूंगा, आपके विचार उन तक पहुंचाऊंगा कि बांध योजनाएं जो चालू कर रखी हैं, उनकी गति दी जाए। इस सम्बन्ध में चाहूंगा कि सारे लोग मिलकर, किसी भी राज्य के माननीय सदस्य हों, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, इस काम को लग कर करवाना चाहिए। इससे किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति का हित होने वाला नहीं है, इससे पूरे देश का हित होने वाला है। हमें डटकर, मिलकर काम करना चाहिए, जो भी सरकार हो, सारी पार्टियों को मिलकर दबाव डालना चाहिए, इंजीनियर्स से कहा जाए कि भले आदमियों, काम करो, यह देश का काम है। इस धरती पर तुमने जन्म लिया है, यहां का अन्न खाया है, हवा खाई है, दूध पिया है, फलते-फूलते हो तो तुम्हारा धर्म बनता है, कर्त्तव्य बनता है कि इस धरती को फलता-फूलता देखो। अगर इस तरह से करें तो सारा काम हो जाएगा।

एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे खयाल से इरीगेशन और वाटर रेसोर्सेस मिनिस्टर भी कहेंगे, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, मैंने पहले पंजाब में हैंडल किया है, वहां इरीगेशन में मैं था, वहां हम पंडों से लेकर सलापड़ तक 17 किलोमीटर नहर लेकर आए और 12 मेगावाट बिजली पैदा की थी, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एक वक्त में इतना धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। (व्यवधान)

बारी-बारी से काम होगा, क्योंकि धन की उपलब्धता आवश्यक है, जितना कपड़ा होगा, कोट उतना ही बनेगा। जितना कपड़ा हमारे पास है, उसी के हिसाब से शरीर को ढंग से ढकना है और जितना हो सकता है खींच-खींच कर पूरा करना है, उसको नाप लेना है। उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा।

एक बात जो सबने कही है वह है नदियों में सिल्ट आने और उनका तल ऊंचा होने के बारे में, इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। यह प्रकृति का प्रकोप है, जब मां की रक्षा नहीं करोगे तो मां तो थप्पड़ लगाएंगी, तो नालायकी हम करेंगे तो थप्पड़ भी हम ही खाएंगे, कोई हमारा पड़ोसी थोड़े ही खाएगा। हमने प्रकृति के साथ द्रोह किया है, देश के साथ द्रोह किया है, वृक्षों का विनाश किया है। जो आदमी भारत में रहता है, प्रकृति से प्रेम करता है, मां से प्रेम करता है और अगर वह वृक्षों से प्रेम नहीं करता तो वह मानव नहीं दानव है। मैं सच्ची बात कहना चाहता हूं, जब किसी बूटे को कटते हुए देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। जिस तरह से हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी तरह से हमने दरख्तों से प्यार किया है, उनको पनपाया है, लगाया है, उनको कटता हुआ देखकर हम बरदाश्त नहीं कर सकते। किस प्रकार से उनका दोहन करना है, वह भी एक नीति के हिसाब से होना चाहिए। कई जगह आता है कि फलाने को 500 एकड़ जमीन दी थी सरकार ने और वह 5000 एकड़ जंगल काटकर ले गया। ये तो बिल्कुल देशद्रोही ही लोग हैं। उनके खिलाफ कड़े-से-कड़े, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिएं और मजबूर करना चाहिए उसे गवर्नमेंट को कि तुम क्या कर रहे हो। हमें बिल्कुल नहीं काटने देना चाहिए। एक दरख्त कटता

है तो उसकी जगह चार दरख्त लगने चाहिएं तब जाकर एक दरख्त काटने की बात होनी चाहिए। उसके बगैर यह सिलटिंग बन्द नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह सिलटिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम बांध नहीं बना लेते, मिट्टी को पक्का नहीं कर लेते, जड़ें मजबूत नहीं कर लेते। आज पीने का पानी नहीं मिलता। अयूब साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि दस-दस मील तक पानी नहीं मिलता है। मैं जब भी जाता हूं, वोट मांगने गया तब भी गया, वोट नहीं मांगना होता तब भी गया, बूढ़ी मां चलकर आती है अध्यक्ष महोदय, वह एक ही बात कहती है बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे पानी पिला दे। एक ही बात कहती है, कितना हृदय द्रवित होता है। आज 45 साल हो गए, मैंने यह बात रखी है, मेरे ख्याल में माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रेसीडेंट ऐडरेस का जवाब देते समय कहा था, बलराम जी ने यह कहा है, मैंने ठीक कहा था कि प्रधान मन्त्री जी कुछ दो या न दो, लेकिन पीने के लिए पानी का अवश्य बन्दोबस्त करना चाहिए। चाहे कहीं से भी उठाओ, चाहे पाईप से लाओ, चाहे राजस्थान कैनाल से उठाकर लाओ, इन्दिरा कैनाल से उठाकर लाओ, गंग नहर से उठाकर लाओ, चाहे यहां से उठाकर ले जाओ। सारे काम बन्द हो सकते हैं, यदि पानी नहीं दे सकते तो हमारा बहुत बड़ा घातक काम है, यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि हम आज तक पानी नहीं दे पाए। पानी का प्रबन्ध किसानों के लिए कम-से-कम पीने के लिए जरूर कर दें। पानी नीचे चला जाता है, प्रकृति तंग करती है, ऊपर से हैबिटेशन नहीं होती, बरसात कम होती चली जा रही है, यह बंजर बन जाएगा, सूखा बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, उसके पश्चात् हमारे पास क्या रह जाएगा। इसलिए पर्यावरण के लिए आवश्यक है ध्यान देना। यह भी ड्राउट का एक कारण है। इस कारण को मिटाने के लिए भारतवर्ष के हर एक प्राणी को जागना पड़ेगा, उसे दरख्तों से प्रेम करना पड़ेगा, प्रकृति की, मां की पूजा करनी पड़ेगी, तब जाकर यह बात बन सकती है वर्ना यह बात नहीं बनने वाली। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा माफ कर देनी चाहिए, बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए, फोडर के लिए बन्दोबस्त होना चाहिए, दूरगामी प्रबन्ध होने चाहिएं, वृक्षारोपण का प्रबन्ध होना चाहिए, वायलेंटरी लेबर होनी चाहिए।

वायलेंटरी लेबर की बात सुनिए। जब मैं कॉलिज छोड़कर आया था, मैं तुजुर्बे की बात बता रहा हूं, जितनी सड़कें हमने पंजाब में बनायी, आडवाणी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी सड़कें बनायीं हमने, गांव वालों ने मिट्टी डाली और सरकारी तौर पर सड़कें बन गयीं। आज कोई आदमी इस देश में मैं नहीं देख रहा हूं, यह भावना जिसमें आ गयी है कि हमने अपना काम आप करना है। कोई अगर निवाला डालना चाहता है तो कहते हैं कि सरकार ही आकर मेरे मुंह में डाल दे। क्यों नहीं हम देश में मिलकर वायलेंटरी काम कर सकते, क्यों नहीं देश उत्थान का काम कर सकते। इसी तरीके से वायलेंटरी लेबर तभी हो सकती है जब एक भावना पैदा की जाए और सारे मिलकर देश उत्थान की बात करें।

हमने कुएं बनवाए, सड़कें बनवायीं, स्कूल की बिल्डिंग बनवाईं, अस्पताल बनवाए, सारी की सारी जहां भी सड़कें बनीं, हमने बनवायीं, अस्पतालों की, स्कूल की बिल्डिंगें बनवायीं, सारा कुछ बना कर दिया, स्टेट की सरकार उसमें आदमी रख देती है, चलाने का प्रबन्ध सरकार करती है। यह हमने किया है। लेकिन अगर आज मैं चाहूं कि यह काम आज शुरू कर दूं, अध्यक्ष महोदय, आज भावना मर गई है। उस भावना को पता नहीं कैसे जिन्दा करेंगे हम। कहां से आएगी वह ज्योति, कहां से आएगा वह अंगारा जो हमारे दिल में यह भावना पैदा करेगा कि इस देश के प्रति हमारी कुछ आस्था है, कुछ

कर्त्तव्यहै। हम मांगते ही रहते हैं कि मेरे लिए यह नहीं किया। भले आदमियो तुमने भी क्या किया है देश के लिए। क्या यह भी सोचा है ? मैं इस बात को सोचने की बात कह रहा था।

आपने ठीक कहा कि मास्टर प्लान बनाएं। मास्टर प्लान के लिए मैं इनको बोलूंगा। सिलट के लिए मास्टर प्लान बने। उसको क्रियान्वित करने का काम हो कहने का और करने का, कथनी और करनी में अन्तर को मिटा दिया जाए। यह सबसे जरूरी है। मैं स्वयं इस पर जोर देना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : कथनी और करनी में फर्क हो गयी है इसलिए लोगों का विश्वास खत्म हो गया है।

श्री बलराम जाखड़ : हम उसमें शामिल हैं। यह राज अपना है चाहे किसी पार्टी का हो। मालिक आप हैं, इस देश के कर्णधार आप हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हमें रोकना पड़ेगा, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपने उत्तरदायित्व से छुट्टी नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि यहां आकर लेक्चर दे दिया और चले गए। हमें अपने अन्दर देखना पड़ेगा, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हम काम करने की कितनी शक्ति रखते हैं, हमारा प्रेम, देश-भक्ति और कर्त्तव्य-निष्ठा कितनी है। इस बात को हम नहीं भूल सकते। जैसे आपने कहा नलकूलों का बन्दोबस्त करना है। पहले मरम्मत तो करवाएं, सूखा आने वाला है, नीचे पानी चला गया, पानी और नीचे चला जाता है, वह कम करना है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना है। मैं अपने फूड मिनिस्टर से बात करूंगा कि यहां जरूरी तौर पर काम करें। जैसे हमने चार-पांच हजार टन इकट्ठा दे दिया।

हमारे पास उन्नीस प्वाइंट के करीब अन्न भण्डार है। चिंता इस बात की है कि आबादी बढ़ गई है और इसी प्रकार से आबादी बढ़ती रही तो आप समझ जायेंगे, यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। सूखा आने का कारण यह है कि जितना आप भरोगे तो उतनी ही आवश्यकता बढ़ेगी और उतनी ही ईंधन की आवश्यकता होगी और जितना भरोगे उतना खाया जायेगा। यह राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। किसी एक पार्टी का नहीं है। इससे कोई पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। मैं जब अध्यक्ष महोदय की सीट पर बैठता था तो तब भी केवल यही कहता था कि हमारी द्रुतगति का परिणाम यह है कि हमने कभी प्लानिंग नहीं की। जब देश का बंटवारा हुआ तो 34 करोड़ थे और अब साढ़े पच्चासी करोड़ सत्रह लाख हो गए हैं। इनके लिए सब कुछ यानि लकड़ी, कपड़ा वगैरह चाहिए।...(व्यवधान) गांवों में जाएं तो बड़े-बूढ़ों की जगह ज्यादा बच्चे नजर आते हैं। उनके लिए क्य- करना चाहते हैं। उनके लिए कौन-सा उद्देश्य चाहते हैं, कैसा भविश्य चाहते हैं। कभी हमने सोचा कि हमारा क्या दायित्व है और बच्चों को कैसा जीवन देना चाहते हैं। इस सदन में सबके लिए मेरी हाथ बांधकर प्रार्थना है कि अध्यक्ष महोदय, कि एक बार फिर चर्चा कराएं और सब यह कहें कि हम देश में एक चीज बनाना चाहते हैं और इस देश को नियंत्रित करना चाहते हैं और इस नियंत्रण के माध्यम से इस देश की उन्नति करना चाहते हैं वरना यह देश विभक्त हो जायेगा और विप्लव हो जायेगा। खाना नहीं मिलेगा तो विप्लव हो जायेगा। खून की नदियां क्यों बहाना चाहते हैं। फर्टिलाइजर प्राइस का आपने जिक्र किया। डिमाण्ड्स आ रही हैं तो मैं उस दिन बताऊंगा। चिंता नहीं करनी है। मेरे पास डिमाण्ड पहले से ज्यादा है। आज भी खूब तेजी से जा रहा हूं और सोच रहा हूं कि कैसे पूरा करूंगा। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे किसान के हित को ठेस पहुंचे। कम-से-कम मैं अपना

हाथ उस कलम पर नहीं रख सकता जो किसान के हित की बात न करे। मैंने सारा जीवन पूजा की है। मैंने वकालत की है और इसके लिए लड़ रहा हूं और कोई धंधा नहीं जानता। मैं ही जानता हूं कि मैंने पेड़ लगाए और उनको सींचा। मैं माली हूं और खुरपा चलाना जानता हूं।...(व्यवधान) आप फिक्र मत करिए। आप सोचने का रास्ता बदलिए। आप उस नक्शे को बदलकर देखिए कि किस प्रकार हम इसमें से निकल सकते हैं तो उसके बाद सम्मान के साथ तिलक लगाकर निकलेंगे। उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र की बात मैंने कह दी है। राजस्थान में अकाल की बात है। नाइन्थ फाइनेंस कमीशन द्वारा 124 करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है। इस साल का राजस्थान के लिए 46 करोड़ 50 लाख दिया है और 15 लाख उनका है। सारा-का-सारा अगले साल के लिए 145 करोड़ रुपया है। पिछले साल का और बाकी है। बिहार के लिए सवा तेरह करोड़ है। जैसे-जैसे सूखा होता है तो सभी राज्यों ने फाइनेंस कमीशन के साथ बैठकर करवाया गया है, यह हमने नहीं करवाया। सेंटर के लिए कहा गया कि यह फैसला करना है। महाराष्ट्र का भी हुआ और मांग हुई तो दे देंगे। नेशनल कैलेमिटी डिक्लेयर कर देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अंगूठा के साइन कर दूंगा और कहूंगा कि दे सकते हो तो दे दो और वकालत कर सकता हूं। डिफेंस विभाग की तरफ से मेरे पास लिखा हुआ लैटर है। उनको चौदह तारीख को सूचना मिली और पन्द्रह को आर्डर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमने हैलिकाप्टर भेज दिया था। बैड वैदर की वजह से नहीं पहुंचा तो बात दूसरी है। जहां सही होगा तो हम बात करेंगे, काम करेंगे और देश के दर्द को दूर करेंगे। आपने मध्य प्रदेश के छतरपुर की बात कही थी। वह राज्य सरकार का मामला है। आप उनसे बात कीजिए। कौन-सा किसको करना है, यह राज्य सरकार करती है।

श्री लोकनाथ मिश्र : पटवा जी कर देंगे।

श्री बलराम जाखड़ : पटवा जी से कह देंगे कि हमें तो उमा बहन ने यह कहा है।

कुमारी उमा भारती : जांच करने के लिए केन्द्रीय दल भी जाता है, आप जांच करवायेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : हम करवा देंगे, लेकिन वह कहेंगे तब करवायेंगे। हम जब जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप कौन हैं बीच में आने वाले। इसलिए मैं अपनी अंगुली नहीं कटवाना चाहता।

[अनुवाद]

श्री एच० डी० देवगौड़ा (हसन) : क्या मैं जान सकता हूं कि कर्नाटक को क्या राहत दी गई ?

श्री बलराम जाखड़ : केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के लिए कम-से-कम 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगली दो किश्तें बकाया हैं।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : कर्नाटक को 27 करोड़ 25 लाख रुपए दिए और उनकी दो किश्तें बकाया हैं, अगर मागेंगे तो वह भी रिलीज करवा देंगे।

[अनुवाद]

श्री वी० कृष्ण राव (चिक्वल्लापुर) : कर्नाटक के कोलार जिले के गौरी विदनापुर तालुक में वायचापुरा टैंक में चार वर्ष पहले दरारें आ गई थीं। इसे ठीक करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं

की गई। क्या मैं जान सकता हूं कि गंगा कावेरी को जोड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : मैं गंगा-कावेरी को जोड़ने के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : एक चीज मैं कृषि मंत्रीजी से जानना चाहता हूं। अधिकांश बातों का उत्तर उन्होंने दे दिया है और मुझे प्रसन्नता है उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान इसके लिए बनायेंगे। दो चीजों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं एक तो वित्त आयोग ने जो रुपया दिया है इस काम के लिए उसमें कई राज्यों में यह दिक्कत आती है कि अगर वह अगले वर्ष का रुपया खराब हालत के कारण इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत नहीं मिलती। अभी माथुर साहब बता रहे थे कि अगले वर्ष अगर उसका इस्तेमाल करना चाहें तो उसकी इजाजत नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि जो वनों का कटाव हो रहा है इसको मास्टर प्लान में शामिल करें, क्योंकि 15 फीसदी हो गया है, 25 फीसदी तक पहुंचना है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना मांगा है और आपने कितना दिया है यह भी बता दें।

श्री बलराम जाखड़ : पिछले साल का 90 करोड़ एक है, पिछले साल का बकाया है और भी ज्यादा है उनके पास। पिछले साल का 22-23 करोड़ बकाया है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर का अंदाज है। हमने तीन बटा चार दिया है। उनका 150 करोड़ के करीब है हमने 60 करोड़ दिया है।

श्री अयूब खां : अभी चार दिन पहले जो छुट्टियां थीं तो कृषि मंत्री जी मेरे साथ थे। हम दोनों झुंझुनू और सीकर गये थे, वहां पर प्रत्येक गांव में हमने महिलाओं को अपनी गोद में बच्चों को लिए पानी के लिए त्राहि-त्राहि करते देखा। मैं लोगों के बीच उनसे आग्रह कर रहा था पूरा झुंझुनू और सीकर जिला पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहा है। आप पानी का इंतजाम करायें। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय वहां लोगों को पानी पिलाने के लिए इंदिरा गांधी कैनाल जो पेयजल के लिए पहले वहां मंजूर हुई थी, उसके सम्बन्ध में कोई आश्वासन देंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपकी ही बात कर रहा था और सबसे ज्यादा यही कहा था। यह हमारी मिनिस्टरी के नीचे नहीं आता है। मेरी चिन्ता उतनी है जितनी आपकी चिन्ता है।

पर्यावरण का जो मसला है वह सबसे आवश्यक है। मेन इंग्रीडीएंट जिसको कहते हैं प्रायरटी बेसेज, उसके बिना हम पर्यावरण का काम नहीं कर सकते। इस साल का 33 करोड़ है, करंट प्लांट 58 करोड़ है, टोटल 91 करोड़ है और एडीशनल सिसोर्स द्वारा 33 करोड़ है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा जाएगा। श्री लोकनाथ चौधरी, कृपया बैठ जाइए। गंगा-कावेरी मुद्दा सिंचाई मंत्रालय से संबंधित है न कि कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी : मेरा प्रश्न यह है कि उड़ीसा के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट दी है। राहत आयुक्त ने भी रिपोर्ट दी है लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दोनों रिपोर्टें एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं। ऐसा क्यों हुआ ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस बारे में आपको बताता हूं। पहले मैं आपको मुख्य सचिव की रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा देता हूं। यह 14 अगस्त, 1991 को दी गई थी। गांवों की कुल संख्या 9404 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 9091 है, ब्लाकों की संख्या 101 है और वहां की जनसंख्या लगभग 51 लाख है। यह मुख्य सचिव द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। राहत आयुक्त की जानकारी इस प्रकार है—ब्लाकों की संख्या 70 है। लगभग 4200 गांव प्रभावित हुए और जनसंख्या 50 लाख है। 200 गांवों की स्थिति अभी भी दयनीय है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : मेरे विचार से दोनों रिपोर्टें एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। दोनों रिपोर्टें दो भिन्न-भिन्न दिनों पर दी गई हैं।

श्री बलराम जाखड़ : दोनों एक ही दिन दी गई थीं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर किस-किस का जवाब देंगे। आप एक-एक करके बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, माननीय मन्त्री जी से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमारे देश में लगभग 500 मौसम विज्ञान संबंधी केन्द्र हैं। वे कैसे कार्य कर रहे हैं ? उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी की थी या नहीं ? वह इस बात को स्पष्ट करें।

श्री बलराम जाखड़ : हमें भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी। हमारे लोग यह कार्य कर रहे हैं। मेरे विचार से हम नेपाल में कुछ और केन्द्र स्थापित कर रहे हैं ताकि इन कार्यों में समन्वय किया जा सके। मैंने अपने पहले के वक्तव्यों में भी कहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति के बारे में विकसित राष्ट्र भी सही-सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। कृपया चीन का उदाहरण देखिए। ब्राजील में क्या हो रहा है ? यूरोप में क्या हो रहा है ? इसलिए कुछ बातें हमारे नियन्त्रण के बाहर हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह पूर्णतः व्यवहारिक थी। यह चार अंकों की कमावेशी हो सकती है। यह 94% है।

अध्यक्ष महोदय : हमने अति महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है। माननीय सदस्यों ने सहयोग दिया और चर्चा में भाग लिया। वे हमारे धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 22 अगस्त, 1991 को 11 बजे म० प० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.24 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 1991/ 31 श्रावण, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53